खण्ड-329, अंक-1
सोमवार, 25 आश्विन, शक संवत् 1899
(17 अक्टूबर, 1977 ई0)

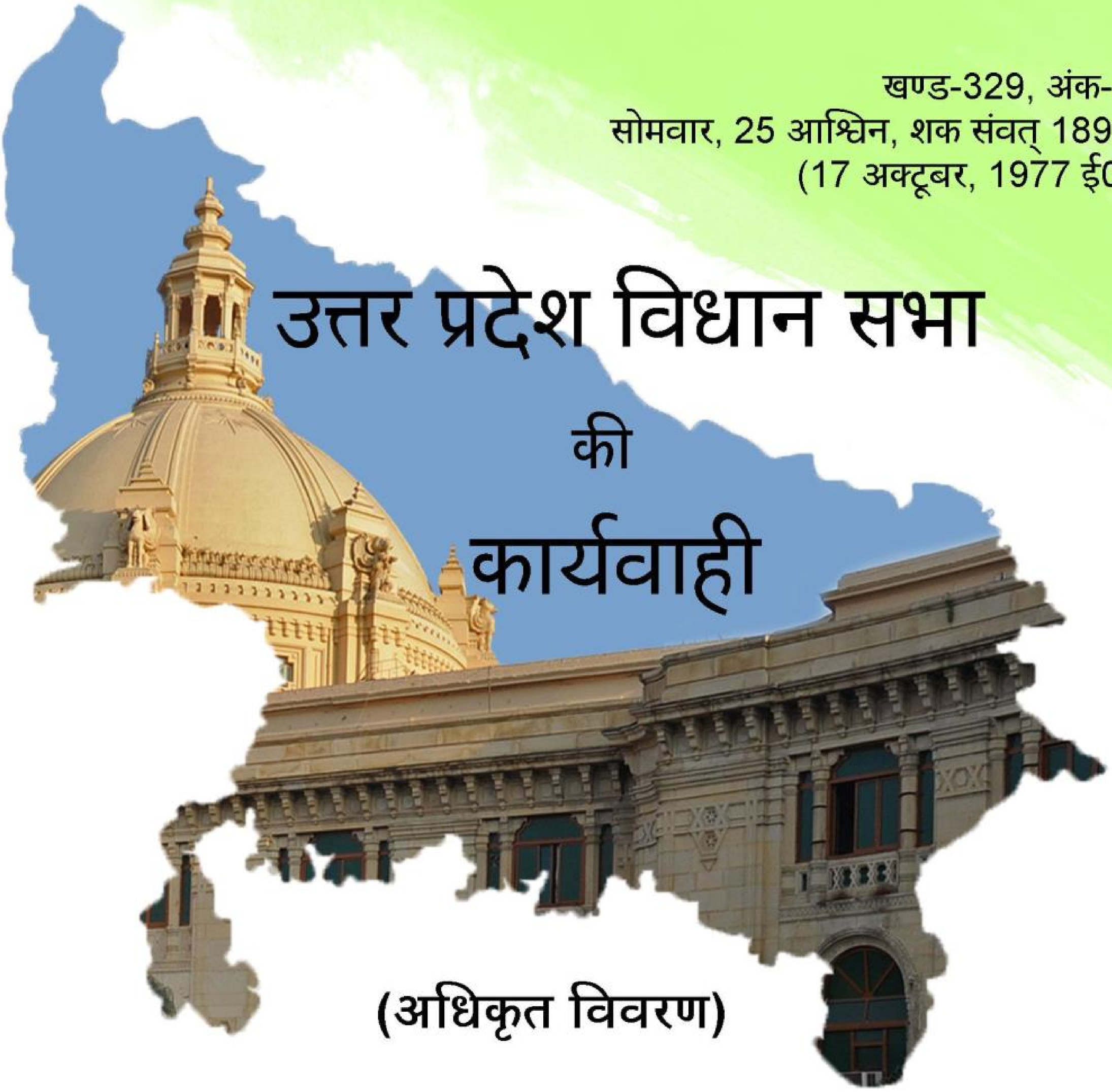

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 329 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973 की वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत)	52
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया)	53
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 55—वन तथा अनुदान संख्या 83—वनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	53–77
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 6—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं रंजीकरण तथा अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर (स्वीकृत)	77–98
अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत) . .	98
अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति (स्वीकृत) . .	99
अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत) . .	99
अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत) . .	99–100
अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं (स्वीकृत) . .	100
अनुदान संख्या —97 ऋण और अग्रिम—वित्त (स्वीकृत) . .	100
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 (विचारोपरान्त पारित) . .	100–112
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	112
बांदा जिले के ग्राम खोपा के तीन हरिजनों की ठाकुरों द्वारा इलाहाबाद जिले के थाना पश्चिम शरीरा के पास गोली मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	112–121
यू0 पी0 बोर्ड के आगामी हाई स्कूल परीक्षाफल कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराने एवं भारत सरकार के आदेश से आई0बी0एम0 कम्प्यूटर कम्पनी के कार्य बन्द हो जाने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	121–124
ग्राम मोबाना, जिला रामपुर में बहुसंख्यकों द्वारा हरिजनों के घरों पर कब्जा करने, आग लगाने तथा मुसलमानों की ईदगाह तोड़ने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन	124–125
प्रदेश में सूखे, बाढ़ व कटाव के सम्बन्ध में चर्चा (समाप्त) . .	125–161
नत्थियां	162–180

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार; 17 अक्तूबर; 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप,लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–327

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खाँ, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
उदय नारायन सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ मइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल ,श्री
कन्हैया लाल सोमकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खाँ, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह मैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्नेभाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शब्बू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री

रणजीत सिंह, 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाँडेय, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय', श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री (जिला उन्नाव)
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह, शास्त्री श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव तथा गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के समय के बाद रखिएगा।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 17 अक्तूबर, 1977

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला परिषदों एवं विकास खण्डों के चुनाव की मांग

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् एवं विकास खंडों के चुनाव कब तक कराए जायेंगें ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

आगामी अप्रैल, 1978 तक करा दिए जायेंगें।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि चुनाव होने तक के लिए काम चलाऊ व्यवस्था के तौर पर, क्या जिला परामर्शदात्री समिति के गठन का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक और किस रूप में ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जिला परामर्शदात्री समिति के गठन के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है। उसमें 7 सदस्य मनोनीत किए जायेंगे।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या विकास खण्ड के प्रमुखों और जिला परिषद् के अध्यक्षों के निर्वाचन सीधे जनता द्वारा कराए जायेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये चुनाव फलां-फलां तारीख तक करा दिए जायेंगे —गांव सभा के कब तक और फिर विकास खण्डों के कब तक, इसके बारे में कोई प्रोग्राम बनाया है कि कौन-कौन तारीखों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, यह सदन में पहले बता चुका हूं कि फरवरी और मार्च तक गांव सभाओं के और विकास खण्डों तथा जिला परिषद् के अध्यक्षों के अप्रैल के लास्ट वीक में।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि जिला परामर्शदात्री समितियों में 7 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा, तो क्या वह जो अन्तरिम कमेटी बनायेंगे जिला परिषदों के लिए, उसमें संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद् के सदस्य भी रखे जायेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नयी गांव सभाओं का क्षेत्र वर्तमान गांव सभाओं के क्षेत्र से बड़ा होगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जैसी स्थिति है, वैसा ही रहेगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में 8 तहसीलें नयी गठित की गयी हैं, तो उनमें कुछ नयी गांव सभायें, जो कि दूसरी तहसीलों में पड़ती थीं और दूसरे विकास खण्डों में पड़ती थीं, इन तहसीलों में आ गयी हैं ? तो क्या ये जो नयी तहसीलें गठित हुयी हैं, तो क्या जो पुराने विकास खन्डों की गांव सभायें हैं, उनको नए विकास खण्डों में शामिल करके, चुनाव कराया जाएगा या पुरानी वाली में ही शामिल करके कराया जाएगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, माननीय सदस्य अपना प्रश्न कृपया दोहरा दें।

श्री अध्यक्ष—

उसमें ऐसा है कि जो नयी तहसीलें गठित की गयी हैं, उसमें दो तहसीलों को मिलाकर एक खन्ड है। तो क्या उस खन्ड को फिर से पुनर्गठित करेंगे ताकि एक-एक तहसील के लोग उस गांव सभा में रह सकें ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, इसमें अभी विचार नहीं किया जा सका।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विकास खण्डों से एक-एक सबस्य जिला परिषदों के लिए जाते हैं, उनका चुनाव जनता के द्वारा होगा या मेम्बरों के द्वारा होगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, इस का सदन में उत्तर दिया जा चुका है ..

श्री अध्यक्ष—

उत्तर दे दीजिए।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, इसका चुनाव सीधे होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नामिनेशन सात आदमी का होगा, इसमें अल्पसंख्यक और निर्बल लोगों के लिए कुछ प्राथमिकता होगी ? दूसरे, क्या यह सच है कि कमेटी के अध्यक्ष जिलाधीश होंगे ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जिला परिषद् विधेयक जो है, आपके सदन में आया था, उसके अनुसार अध्यक्ष, जिला परिषद् जिलाधीश होंगे ही और जहां तक यह जो परामर्शदात्री समिति है, इसमें अल्पसंख्यक और निर्बल वर्ग के लोगों के लिए प्राविधान है।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया कि चुनाव सीधे होगा, तो श्रीमन्, यह बहुत बड़ा चुनाव होगा कई जिलों में एम0पीज0 के बराबर का चुनाव होगा। इसमें क्या आप कोई हरिजन सीट रिजर्वेशन करने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

अभी इस पर विचार हो रहा है, फाइनल नहीं हुआ है।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

अध्यक्ष महोदय, इस पर एक बात विचार करने की है। क्योंकि यह चुनाव एम0पीज0 के चुनाव से भी बड़ा होगा इस पर क्या हरिजन रिजर्वेशन करने की आप सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

रणजीत सिंह 'जूदेव' जी, आप प्रश्न कर चुके हैं। आपको उत्तर दिया कि अभी इस प्रश्न पर सरकार ने विचार नहीं किया। बात समाप्त हुई।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख और सभापतियों के लिए कोई योग्यता का भी निर्धारण करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

अभी तो ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंग कि सीधे निर्वाचन के लिए विधि में संशोधन होगा, उसके अनुरूप कब तक वह संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत कर देंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

उसकी कार्यवाही हो रही है और जल्दी ही सदन के सामने वह आएगा।

डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे जिला परिषदों में सीधे निर्वाचन करा रहे हैं, वैसे ही न्याय पंचायतों में भी चुनाव कराए जायेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

इसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो नामजद सदस्य, सात सदस्य और उनके अलावा जो आपने बताया लोक सभा और असेम्बलियों के सदस्य होंगे, उनकी पावर

एडवाइजरी रहेगी, सलाहकार की रहेगी या उनका निर्णय सलाहकार का न हो कर सामूहिक निर्णय होगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

वह केवल सलाहकार समिति है और सलाहकार समिति का जो निर्णय होगा, मुमकिन है, वह तो माना जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

आपात् स्थिति में बाराबंकी जिले में अल्प सिंचाई विभाग के बन्द किए गए कर्मचारी

*1—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बाराबंकी में अल्प सिंचाई विभाग में आपात-स्थिति के दौरान जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के सदस्य होने के नाते किन-किन कर्मचारियों को जेल भेजा गया और नौकरी से निकाला गया ? इन कर्मचारियों को वर्तमान सरकार ने क्या पुन: नियुक्ति दे दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

इस सम्बन्ध में जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई है, वह अपूर्ण है। अत: और सूचना एकत्रित की जा रही है ?

रायबरेली जिले के भूतपूर्व विकास खण्ड अधिकारी, बछरावां के विरुद्ध कथित शिकायतीपत्र

*2—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, बछरावाँ, जनपद रायबरेली के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, शासकीय धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में कोई 25 सूत्रीय शिकायतीप-पत्र दिनाँक 10 मई, 1976 अध्यक्ष, सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश-को जाँच की कार्यवाही हेतु भेजा गया है? यदि हाँ, तो आरोप-पत्र पर अब तक कौनसी कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, यह प्रश्न सदन का स्थगित प्रश्न है जिसे आपने आज से पूर्व स्थगित किया था। उस दिन मन्त्री जी ने यह जवाब दिया था कि सूचना एकत्र की जा रही है और जब हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने पूरक प्रश्न किए, तो उसमें जो पत्र था उसी को पढ़ने जा रहे थे, लेकिन आज उत्तर मिले हैं, 'जी नहीं'। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वहाँ के जो तत्कालीन विकास खंड अधिकारी थे उनको क्यों वहाँ से हटा दिया गया ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को यह सूचित करना है कि जो प्रश्न है उसमें यह है कि "क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, बछरांवा, जनपद राय बरेली के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, शासकीय धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में कोई 25 सूत्रीय शिकायती-पत्र दिनांक 10 मई, 1976 अध्यक्ष, सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश को जांच की कार्यवाही हेतु भेजा गया है ?" "जी नहीं" का उत्तर इसलिए दिया गया है कि दिनांक 10 मई, 1976 को नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि 25 सूत्री शिकायती-पत्र मिला या नहीं और दूसरे उसको सतर्कता आयोग को भेजा गया या नहीं भेजा गया। आप तारीख की टेक्निकलिटी पर मत जाइए। इसका उत्तर आप दीजिए।

श्री जमुना प्रसाद—

इस सम्बन्ध में जो जानकारी है उसे मैं सदन के सामने रख रहा हूं जो इस प्रकार है—

"जनपद राय बरेली में बछरांवा के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, शासकीय धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में दिनांक 10 मई, 1976 का कोई शिकायती-पत्र अध्यक्ष, सतर्कता आयोग ने सतर्कता निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु नहीं भेजा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, सतर्कता आयोग के केवल दो पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1975 तथा 4 फरवरी, 1976 सतर्कता अधिष्ठान से प्राप्त हुए हैं।

शिकायत कर्ता डाक्टर गुरुदत्त वर्मा, निवासी बछरांवा जिला रायबरेली है। मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं :

(अ) आहरण शक्ति व अपने पद का दुरुपयोग किया, कर्मचारियों की सेवाओं का दुरुपयोग, सरकारी भूमि की उपजी फसलों को हड़प लिया।

(ब) फर्ज में प्रदर्शन व उर्वरक के अवैधानिक बिक्री-कर के सरकारी धन का गोलमाल किया।

(स) ब्राह्मणवाद के पुजारी हैं।

चूंकि इस सम्बन्ध में सतर्कता जांच जारी है। अत: इस विषय पर कोई विस्तृत सूचना देना जनहित में न होगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

जो गम्भीर आरोप थे, वे सदन के सामने मन्त्री जी ने रखे लेकिन अधिकारियों ने उसे टेक्निकल आधार पर तारीख के सवाल को लेकर दबाना चाहा। मन्त्री जी बतायेंगे कि ऐसे गम्भीर आरोप को देखते हुए उनका निलम्बन कब कर दिया जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिस समय ये शिकायतें आई थीं, उसी समय विकास खंड अधिकारी का उन्नाव जनपद में ट्रान्सफर कर दिया गया था और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

जाँच अधिकारी कौन हैं, जो इस समय उन शिकायतों की जाँच कर रहे हैं और यह जाँच रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जाँच रिपोर्ट सतर्कता विभाग के पास है और यह उनसे पूछ लिया जायगा कि कब तक वह रिपोर्ट दे रहे हैं और यह भी कह दिया जायगा कि इसमें वह जल्दी कार्यवाही करें।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं अल्प सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के अभियन्ता तथा उनके रिक्त पद

*3—**श्री मन्ना लाल** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं अल्प सिंचाई विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियन्ताओं के पदों में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों के आरक्षण का प्रतिशत पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*4—**श्री मन्ना लाल** (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा तथा अल्प सिंचाई में इस समय प्रथम श्रेणी के अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं और उनकी पूर्ति में कितने-कितने स्थान अनुसूचित जाति-जन-जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा पदोन्नति से भरे जाने हेतु विचाराधीन है ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

[दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 के लिए निर्धारित ताराँकित प्रश्न]

फैजाबाद जिले के कृषि विभाग में खाद का गबन

*1—**श्री ऊदल—**

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971-72 तथा 1972-73 में फैजाबाद में 40 लाख रुपए लागत की खाद का गबन किया गया था ? क्या यह सत्य है कि इस घोटाले की जाँच सी0 आई0 डी0 अथवा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा करायी गयी थी ? यदि हाँ, तो उसमें फैजाबाद के कितने वी0 जी0 आई0 तथा कृषि अधिकारी और एकाउन्ट्स अफसर सप्लाई दोषी पाए गए थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ऊदल—

क्या यह बात सच है कि 11 लाख रुपए के वाउचर तथा रसीदें जाँच अधिकारी को प्राप्त नहीं हो रही हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री ऊदल—

जो एकाउन्ट आफिसर वहाँ थे इस समय वह कृषि निदेशालय में सप्लाई विभाग में एकाउन्ट्स आफिसर बने हुए हैं, जिनके वक्त में 42 लाख रुपए का गबन हुआ था, क्या सरकार इसकी जाँच कराएगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जाँच अवश्य करा लूंगा। इस सम्बन्ध में हुआ यह कि माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किया उसमें "फैजाबाद" लिखा हुआ है। फैजाबाद में काफी गोदाम हो सकते हैं। फैजाबाद से कन्फ्यूजन हो गया। इसकी वजह से यह परेशानी हो गयी। अगर स्पेसिफाई कर दें तो हम उत्तर देने को तैयार हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सदस्य ने जब यह प्रश्न किया, करीब दो महीने हो गए और फैजाबाद के एडज्वायनिंग यह कमिश्नरी है। यह विभाग के लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या मन्त्री जी इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देने की कृपा करेंगे ताकि जाँच हो जाय ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

निश्चित जल्दी जाँच होगी ?

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी फैजाबाद एग्रीकल्चर के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जिनके यहाँ सब कागज हैं क्या उनसे पूछ ताँछ करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जरूर की जाएगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 1971-72 और 1972-73 में फैजाबाद में जो 40 लाख रुपए के खाद के गबन और घोटाला हुआ उसकी सूचना मन्त्री जी को कब मिली और उसमें अब तक जो सूचना एकत्रित की जा चुकी है क्या उसे डिटेल में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में ऐसा है कि वहाँ पर जो मंडलीय बफर गोदाम है उसका मामला अनुसन्धान शाखा को दे दिया गया है। उस सम्बन्ध में जो विवेचना होनी थी वह 1967 से 1970 तक का है उन्होंने 1968 तक विवेचना कर ली है और करीब 1 लाख रुपए का मामला निकला है। इस सम्बन्ध में एरेस्ट भी हो गई है और सरदार मोहन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 40 लाख रुपए का चोरी का मामला है वह 1972 का है और भूतपूर्व सरकार के समय का है उसने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसकी रिपोर्ट पुलिस अनुसन्धान शाखा को की है। यह 1971-72 और 1972-73 का है और 40 लाख रुपया का गबन का मामला था। इसमें पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के पत्र संख्या सी-56, दिनाँक 4 जुलाई, 1977 के परिणाम स्वरूप इस मुकदमे की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की विशेष अनुसन्धान शाखा (कृषि) द्वारा अपने हाथ में ली गई। इसमें सरदार मोहन सिंह फयादीन, ट्रक ड्राइवर, महेन्द्रनाथ पाण्डेय आदि को एरेस्ट कर जेल भेज दिया।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि वहाँ जो कृषि अधिकारी, एकाउन्टेन्ट और दूसरे अधिकारी जो घोटाले से सम्बन्धित थे उनका इसके बाद प्रमोशन किया गया है ? यदि हाँ तो क्या इसकी भी जाँच करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसकी सूचना मुझे नहीं है। उनका प्रमोशन हुआ है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है मैं इसकी जाँच कराऊंगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जैसा आपने कहा वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने एक पत्र सतर्कता विभाग को भेजा था उसमें क्या-क्या आरोप थे और किस सम्बन्ध में जाँच की गई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

बहराइच जिले में गोबर गैस प्लान्ट हेतु दिया गया अनुदान

*2—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री उदय प्रताप सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वित्तीय वर्ष में जनपद बहराइच में गोबर गैस प्लान्ट लगाने हेतु किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया ? क्या वे समस्त गोबर गैस प्लान्ट्स लग गए और चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वित्तीय वर्ष 1976-77 में बहराइच में गोबर गैस प्लान्ट लगाने के लिए 68 व्यक्तियों को अनुदान दिया गया जिनकी सूची वाँछित विवरण सहित सदन के पटल पर रखी जाती है।

जी हाँ, ये समस्त पलान्ट चालू हालत में हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 162—165 पर।)

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष में 33 गोबर गैस प्लान्ट कुल जनपद बहराइच में लगे हैं जबकि 100 की सूचना भेजकर सरकारी अनुदान कृषि अधिकारी ने ले लिया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

97 गोबर गैस संयंत्र लगने थे उनमें से 68 लगा दिए और वे चालू हालत में हैं उनको अनुदान दिया गया है। यदि माननीय सदस्य इंगित करेंगे कि अमुक-अमुक व्यक्ति को अनुदान नहीं दिया गया है, तो उसको दिखवा लिया जाएगा।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

जनपद बहराइच में 19 ब्लाक्स हैं जिसमें 6 ब्लाक्स ऐसे हैं जिनके प्लान्ट्स नहीं लगे हैं जिनकी सब्सिडी दे दी गई है वह चाहे तो मैं उनके नाम दे सकता हूं क्या मन्त्री जी इसकी जाँच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जिन 68 व्यक्तियों को अनुदान दिया गया है उनकी सूची पटल-पर रख दी गयी है, माननीय सदस्य सूचना देंगे कि इनको अनुदान नहीं मिला है, तो उसको निश्चित रूप से देखा जाएगा।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

मैं तो कह रहा हूं कि अनुदान दे दिया गया है लेकिन मौके पर गोबर गैस प्लान्ट नहीं लगा है, सब्सिडी दे दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

आपको जो शिकायत है, उसे मन्त्री जी को लिख कर दे दीजिएगा ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

बहराइच जिले में 68 गोबर गैस प्लान्ट्स जो लगे हैं, उनमें से भी 16 प्लान्ट्स ऐसे थे, जिनमें गैस बनती ही नहीं, बेकार हो गए हैं, फिर भी उन्हें अनुदान दे दिया गया है, तो क्या मन्त्री जी उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जाँच करायेंगे, जिन्होंने दे दिया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जो सूचना 16 की बता रहे हैं, वह मुझे दे दें, मैं जाँच करा लूंगा ।

श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)—

बहराइच में जो प्लान्ट्स खरीदे गए हैं वह दूसरी जगह से खरीदे गए हैं तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बहराइच में कोई ऐसी फैक्टरी नहीं है जो वहाँ से न खरीदकर दूसरी जगह से खरीदे गए हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह सूचना मेरे पास नहीं है कि वे खरीदे कहाँ से गए हैं ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि वहाँ से 15 अगस्त जो पाक्षिक निकलता है, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि 100 प्लान्ट्स दिखाकर अनुदान सरकार से ले लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आ गया है।

श्री राम चरन शाह--

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक होता है कि जिस जिले में वह उद्योग है उसको काम अवश्य दिया जाए ? यदि हाँ, तो जो उसको न देकर दूसरे जिले से गैस प्लान्ट्स मंगाए गए हैं, उस पर कार्यवाही कर, वहाँ के गैस प्लान्ट बनाने वालों को अब यह मौका दिया जाएगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

यदि क्वालिटी और कीमत के आधार पर कोई भेदभाव रखा गया होगा, तो निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही की जाएगी ?

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री लाल दास--

[दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित।]

ग्राम सभाओं के चुनाव की मांग

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभाओं के चुनाव कब तक कराए जायेंगे तथा क्या चुनाव की प्रक्रिया में भी कोई संशोधन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद--

ग्राम सभाओं के चुनाव फरवरी/मार्च, 1978 में कराए जाने के आदेश दे दिए गए हैं।

जी नहीं।

रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर पर बकाया गन्ना मूल्य

*5--श्री रियासत हुसैन--

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर ने गन्ने की बढ़ी हुई कीमत जो 1975-76 में दो रुपये फी कुन्टल थी, रामपुर, गेट, मुडापान्डे, दलपतपुर, गोड, सेहल और मानपुर क्रय केन्द्र में 2,45,173.31 रुपया है, अभी तक किसानों को क्यों अदा नहीं की गई ?

गन्ना विकास उपमन्त्री (श्री तेज सिंह)--

गन्ने की बढ़ी हुई दर का मामला जनवरी, 1976 के अन्त में तय हो पाया था। उस समय चीनी मिलों ने गन्ने की बढ़ी हुई दर फरवरी, 1976 के प्रथम सप्ताह से देना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु सीजन प्रारम्भ से गन्ने की बढ़ी हुई दर के अन्तर की धनराशि देने के लिए तैयार नहीं थी।

शासन के प्रयास करने पर रामपुर चीनी मिल बढ़े हुए गन्ना मूल्य को सीजन के प्रारम्भ से देने पर सहमत हो गयी थी, लेकिन उसने अभी तक निर्दिष्ट धनराशि अदा नहीं की है। अतः मिल को आदेश दिये गए हैं कि वह गन्ना मूल्य की समस्त बकाया धनराशि को शीघ्र भुगतान कर दें।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, सरकार ने जो गन्ना मिलों को आदेश दिए हैं, ढाई लाख रुपया जो चार सेंटरों पर पड़ा है, उसको अदा करने के बारे में, तो क्या मन्त्री जी ने उसमें कोई डेट दी है कि इस तारीख तक वह अदा कर दें ?

श्री तेजसिंह —

इसकी कोई डट नहीं लगायी गयी है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो अगला पेराई का सीजन शुरू होने वाला है, फैक्टरी चलने से पहले रुपए की अदायगी हो जाय ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है, वह रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर के सम्बन्ध में है । मैंने अभी दौरा किया था, उसमें यह बात आयी थी कि वह मिल गन्ना मूल्य नहीं दे रही है। उनको बराबर लिखा जा रहा है । लकिन जो हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले आते हैं, इसी लिए गवर्नमेंट उसमें उलझी हुई है । दो दफा उन्होने गन्ना मूल्य देने की बढ़ोत्तरी किया है, पत्र भी दे दिया है, बावजूद इसके उन्होंने नहीं दिया है । यह प्रश्न मेरे सामने व्यवस्था के लिए आ गया है। मैं उचित कार्यवाही कर रही हूं अपने ढंग से और एल० आर० से राय ले कर इसमें किया जायगा।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को आदेश गया था और अब तक कितना भुगतान हो गया है, किसानों को ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बतला दिया कि भुगतान अभी एक पैसा नहीं हुआ है।

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो किसानों का बकाया है, पैसा, उसके साथ किसानों को उसका ब्याज भी दिलवाने की कृपा करेंगे क्योंकि किसान पर जब भी एक पैसे का ऋण होता है....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न छोड़ कर नहीं।

श्री तेजसिंह—

ब्याज को दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

श्री राम अधार—

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी जिसको कई बार पेमेन्ट के लिए लिखा जा चुका है क्या माननीय मन्त्री जी निर्धारित अवधि बांध कर ऐसा आदेश देने जा रहे हैं कि उस अवधि तक पेमेन्ट कर दें अन्यथा मिल अधिग्रहण कर ली जाएगी।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, मैंने बतला दिया है कि हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले आए हैं। उसके अन्तर्गत कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा सकती। यह प्रश्न बड़ा उलझा है।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी न कहा कि हाई कोर्ट से स्टे ल आए हैं, यह पूरे प्रदेश का मसला है, केवल रामपुर का मसला नहीं है, क्या कैबिनट में बैठकर कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि जिससे हाई कोर्ट के स्टे आर्डर ले कर जो पैसा रोक लेते हैं, वह कार्यवाही न कर सकें और पैसा क्रशिंग सीजन से पहले दिलाया जा सके?

श्रीमती चन्द्रावती—

विचार करेंगे।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जिन कानूनों की वजह से किसानों का बकाया रख कर हाई कोर्ट में जाते हैं उन कानूनों में इस तरह का परिवर्तन करेंगे कि रजा बुलन्द शुगर मिल और इस तरह के जो मिल मालिक हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने पर विचार करेगी?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा बता दूं कि ऐसा भी विचार हो रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिकवरी सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत पड़ रही है?

श्री अध्यक्ष—

रेवेन्यू के तरीके से रिकवर करने में क्या कठिनाई है, यह सवाल है।

श्रीमती चन्द्रावती—

मैंने बतला दिया, चूंकि स्टे आर्डर है इसलिए इसमें उचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है सरकार। मैंने पहले आपसे बता दिया।

देवरिया जिले के गन्ना प्रजनन एवं बीज संवर्द्धन केन्द्र का विचाराधीन स्थानान्तरण

*6—श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया) तथा श्री प्रदीप कुमार बजाज (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत गन्ना प्रजनन एवं बीज संवर्द्धन केन्द्र, सेवरही जिसकी स्थापना पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास हेतु की गई थी, को स्थानान्तरित किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों?

श्री तेज सिंह—

जी नहीं। इस केन्द्र को किसी और जगह स्थानान्तरित करने का अभी प्रश्न विचाराधीन नहीं है क्योंकि फ्लफ के पैदा होने के लिए प्रदेश में अभी यही स्थान उपयुक्त पाया गया है।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह संदेह में डालने वाला है, आपने कहा "लेकिन इससे कहीं और जगह मिल जाएगी तो हटा दिया जाएगा।" मेरा यह प्रश्न है कि देवरिया जनपद में सेवरही में जो केन्द्र है, ऐसा केन्द्र है ...

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों में तर्क की आवश्यकता नहीं है, आप केवल यह प्रश्न पूछिए कि क्या भविष्य में भी कोई इस पर विचार करने का इरादा है ?

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह शासन, उसे वहां से नहीं हटाएगा और उसे वहीं रहने देगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सेवरही केन्द्र में, मैं देखने गयी थी और मुझे इसका कार्य उचित लगा, तो फिर इसे हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता और इसके लिए लगभग 51 लाख रुपये के करीब अनुदान भी सेंक्शन कर दिया गया है। बिल्डिंग इत्यादि का जो प्रश्न है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जब उसे स्थानान्तरित करने का विचार शासन के आधीन नहीं था, तो फिर उसको जो अनुदान मिल रहा था, उसे क्यों रोक दिया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह अनुदान क्यों रोक दिया गया, इसकी गहराई में न जाकर के, मैं यह बतला दूं कि यह केन्द्र उचित है और इसको रोके जाने का ...

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, उनका प्रश्न यह है कि अनुदान क्यों रोक दिया गया ?

श्री तेज सिंह--

जब तक हम यह देख रहे थे कि यह सफल है या नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन था। जब इसे ठीक पाया गया तो फिर अनुदान दे दिया गया।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

गन्ना आयुक्त ने उस अनुदान को क्यों रोक दिया जब कि वह पहले से चल रहा था और उसने अच्छे किस्म के बीज भी पैदा किए ?

श्री तेज सिंह--

इसका उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं और इसकी गहराई में जाने के लिए अगर कोई सूचना माननीय सदस्य के पास है, तो वह मुझे बता दे, मैं उस पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रजनन केन्द्र के लिए जो अनुदान शासन ने स्वीकृत किया था, वह किस-किस मद में खर्च हुआ और यदि नहीं हुआ, तो जिस इमारत में प्रजनन केन्द्र है, उसको एक्वायर करने का विचार क्या शासन के सामने है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

श्रीमन्, प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि इसके लिए कौन-कौन से अनुदान स्वीकृत हुए और कितना दिया गया ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, उसकी सूचना सम्बन्धित मन्त्री जी के पास उपलब्ध नहीं हो सकी है और...

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी उत्तर दे सकते हैं । अगर उनके पास सूचना नहीं है, तो क्यों नहीं टाइम मांगते हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, सम्बन्धित मन्त्री को विधिवत् सूचना नहीं हो सकी, इसलिए जानकारी करने के बाद ही सदन को बता देंगे ।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

मान्यवर, सन्देहात्मक स्थिति है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह एक मात्र गन्ना प्रजनन एवं बीज संवर्द्धन केन्द्र है, जहां पर कोयम्बटूर के बाद कार्य होता है । इस पर सरकार की नियत साफ होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

आपका बड़ा लम्बा प्रश्न है । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । मन्त्री जी, केवल आप इसका उत्तर दीजिए कि इस केन्द्र को आप असंदिग्ध रूप से वहां पर रख रहे हैं, हटाने का प्रश्न नहीं है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, मैं कई दफा कह चुकी हूं कि इसको हटाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि विभाग इस सेन्टर को समाप्त करने का कोई विचार कर रहा था? यदि हां, तो वे कौन से अधिकारी थे जिन्होंने विचार करना आरम्भ किया था ?

[* * * *]

नोट :—[* * * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री तेज सिंह--

मान्यवर, कोई प्रयत्न ऐसा नहीं था। यदि माननीय सदस्य इससे अवगत करायेंगे, जो भी उनको जानकारी हो, तो उस पर विचार करके जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जाएगी।

श्री अध्यक्ष--

शब्द [×××] तो निकाल दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, बड़ा स्पष्ट प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी कन्फ्यूज हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी अधिकारी ने इस प्रकार का प्रस्ताव आपके सामने रखा कि इस केन्द्र को वहां से हटा दिया जाय, यदि हां, तो वह कौन अधिकारी है और उसके ऊपर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री तेज सिंह--

ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं आया है।

श्री राम अधार--

यदि यह [×××] नहीं था, इस सेन्टर को हटाने का, तो क्या कारण है कि अनुदान रोक दिया गया था?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी ने अनुदान रोकने का क्या कारण था, उत्तर दे दिया है।

श्री तेज सिंह--

मान्यवर, उत्तर पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है कि इस बात पर विचार हो रहा था कि यहां पर यह केन्द्र सफल होगा या नहीं और जब यह देखा गया कि सफलता मिलेगी, तो वहां पर अनुदान दे दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिए, सब लोग बोलिए नहीं।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

यदि विचार हो रहा था, [× × ×] आखिर किस अधिकारी के सुझाव पर ऐसा विचार हो रहा था?

श्री तेज सिंह--

सरकार की नालेज में कोई [×××] नहीं हो रहा था। मैंने कहा, माननीय सदस्य को अगर कोई जानकारी है, तो उससे वह अवगत करायें फिर उसे देख लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह नहीं है। आपने इस प्रश्न के उत्तर में कि अनुदान क्यों रोका गया, कहा कि हम विचार कर रहे थे कि यहां पर सफल होगा कि नहीं इसलिए नहीं दिया।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तो स्वाभाविक प्रश्न अब यह है कि यह सुझाव किसने दिया कि इस पर विचार किया जाय, यह बताइए।

श्री तेज सिंह--

गन्ने में जो फूल आता है, उस फूल से गन्ना पैदा करने का प्राविधान है। सुझाव व्यक्ति द्वारा नहीं फूल के द्वारा हो सकता है कि किस तरह से वह चीज मौसम के हिसाब से, वायुमन्डल के हिसाब से, फूल के हिसाब से, तब उस फूल की तरफ से सुझाव आया न कि व्यक्ति की तरफ से।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

फूल द्वारा जो सुझाव दिया गया उस पर किसने विचार किया ?

श्री तेज सिंह--

उस विशेषज्ञ का नाम इस समय जानकारी में नहीं है, सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

यह जो वहां पर केन्द्र की स्थापना हुई वह सारे पहलुओं को विचार कर की गयी थी या नहीं ?

श्री तेज सिंह--

सभी पहलुओं पर विचार कर के वहां पर केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु फिर भी जब अमल में लाने की बात होती है, तो वह उपलब्धि मिल जाय तभी सफलता की बात समझी जाती है।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

क्या वह योजना वहां असफल हो रही थी इस तरह की कोई रिपोर्ट थी जिस पर विचार कर के सरकार ने इस अनुदान को रोका था ?

श्री तेज सिंह--

ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

अभी मन्त्री जी ने सदन को सूचना दी थी कि फूल द्वारा वह सूचना दी गयी और अब कहा कि कोई भी सूचना नहीं है। तो दोनों में से कौन सी बात सही है ?

श्री तेज सिंह--

फूल के द्वारा सूचना के माने हैं कि उपलब्धि हो सकती है, वहाँ उस बीज की और वह सब सोच कर किया गया था, यही स्थान उपयुक्त है यहां पर गन्ना पैदा करने के लिए, विशेषज्ञ का नाम आपको नहीं बताया गया, स्थान उपलब्ध है, बीज पैदा किया जा सकता है, कहीं उसे हटाने की व्यवस्था नहीं है। सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद कि कौन व्यक्ति है जो हटाने की बात कह रहा था, वह हमारी जानकारी में है नहीं, यदि आप बतायें तो उस पर कार्यवाही होगी।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

श्रीमन्, मैं नियम 49 के अन्तर्गत आधे घटे की बहस की मांग करता हूं।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप जब नोटिस देंगे, तब विचार होगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

चर्चा के लिए ले लिया जाय इसको, मान्यवर।

भूतपूर्व उप निदेशक, मत्स्य, वाराणसी के विरुद्ध सरकारी वाहन के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायत

*7—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान उप निदेशक, मत्स्य, बरेली जब वे उप निदेशक मत्स्य, वाराणसी के पद पर थे, तो उनके विरुद्ध गबन तथा सरकारी वाहन के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो उन शिकायतों के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण थे?

पशुधन उप मन्त्री (श्री मुख्तार अनीस)—

सरकारी वाहन के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, गबन की नहीं। शिकायतों की जांच कराई गयी। जांच के उपरान्त शिकायतें निराधार पाई गईं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी ने की और क्या आपत्तिकर्त्ताओं ने, जिसने शिकायत प्रस्तुत की थी, क्या उनके कोई बयानात लिए गए और यदि बयानात लिए गए, तो बयानात क्या हैं, कृपया बतावें?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, जांच मत्स्य निदेशक ने की थी। जो भी जांच हुई उसमें जो आरोप थे, निराधार पाए गए। यह जो शिकायत प्राप्त हुई थी वह श्री प्रेम सिंह की प्राप्त हुई थी जो 91, बी0 ब्लाक, दारुलशफा से की गयी थी। जांच की गयी तो पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति यहां नहीं रहता है?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 को श्री जूठन राम ने कोई शिकायत किया था और उसकी किसने जांच की है?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, जो पत्र प्राप्त हुआ था; वह श्री प्रेम सिंह का था, जिसके ऊपर जांच की गयी थी और जांच में कोई संगत बात नहीं थी, केवल वाहन के दुरुपयोग की बात थी। उसके ऊपर जो जांच की गयी थी तो कोई अनियमितता नहीं पायी गयी, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया।

नोटः—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, दिनांक 4 अक्तूबर, 1976 को कोई पत्र श्री जूठन राम ने दिया, इसका तो जवाब नहीं दिया ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इसकी सूचना की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त करके आपको बताया जायगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, क्या इस मामले को सतर्कता अधिष्ठान को सौंपने के लिए माननीय मन्त्री जी तैयार हैं, इसकी गम्भीरता को देखते हुए ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरे पास जो शिकायत प्राप्त हुई थी, वह श्री प्रेम सिंह की शिकायत प्राप्त हुई थी, यदि श्री रघुबर दयाल वर्मा जी के पास कोई प्रमाण है, तो वह प्रमाण मुझको भेज दें, हम जाँच करवायेंगे ?

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने को कृपा करेंगे कि जो शिकायती-पत्र दिया था, उसमें क्या-क्या आरोप हैं और क्या जांच के समय उस आदमी का पता नहीं चला, जिसने शिकायत की थी और जो आरोप उसके ऊपर सिद्ध हैं, उस पर माननीय मन्त्री जी क्या कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आरोप की पूरी सूची चूंकि श्री प्रेम सिंह जी ने दिया है, मैं इसको पढ़ कर सुनाये दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, आप उसका सार बतला दीजिए।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जो सूची दी थी, उसमें सब निराधार बातें थीं, वाहन के बारे में जो बात थी, वह भी जांच कर ली गयी थी। यदि बयान की किसी सदस्य के पास जानकारी है तो उसकी सूचना दे दी जाय, उसकी जांच करा ली जायगी।

उप निदेशक, उद्यान एवं जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध गबन एवं जालसाजी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*8--श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद) तथा श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक 15, 16 जुलाई, 1977 को कुछ संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों द्वारा संस्तुत शिकायती-पत्र उप निदेशक, उद्यान, वाराणसी एवं जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी की गम्भीर अनियमितताओं, गबन एवं जालसाजी की जांच हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार वह आरोप-पत्र सदन के पटल पर रखेगी एवं क्या यह भी बताएगी कि क्या अब तक दोषी पाए गए अधिकारियों का स्थानान्तरण करके जांच करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

कथित शिकायती-पत्र दिनांक 15 जुलाई, 1977 को राज्य कृषि मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था जिसकी एक प्रति संलग्न है। शिकायतों की जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाए जायेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166–170 पर।)

श्री हर प्रताप सिंह--

मान्यवर, क्या जांच हुयी, कौन दोषी पाए गए यह सब सदन के पटल पर माननीय मन्त्री जी रखेंगे और आज न रखने का क्या कारण है ?

श्री राजेंद्र सिंह--

यह रिपोर्ट 26 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुई और उसका परीक्षण कराया जा रहा है। हम सदन के पटल पर जरूर रखेंगे। इसे रखने में, हमें गुरेज नहीं होगा, अगर आदेश होगा।

श्री हर प्रताप सिंह--

यह पांच पेज का शिकायती-पत्र है जिसमें 50 आरोप लगाए गए हैं और यह वहीं पर, वह अधिकारी रहते थे। सारी चीज उनके सामने हुई। बड़े-बड़े नुकसान हुए हैं, लाखों रुपए के और उसको कहा गया था कि सदन के पटल पर रखेंगे आज, लेकिन आज न रखने का क्या कारण है, यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उत्तर दिया है कि उस रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।

श्री ऊदल--

यह भूतपूर्व निदेशक, उद्यान, वाराणसी, आराजी लाइन और दूसरे उप-निदेशक, उद्यान और तीसरे प्रभारी अफसर, श्री अयोध्या प्रसाद, उद्यान अधिकारी--ये बड़े-बड़े आफिसर्स हैं, इनकी जांच किसके द्वारा कराई गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

अतिरिक्त निदेशक हैं उद्यान, उनके द्वारा कराई गयी।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें एक में 21 आरोप हैं, पहले में और दूसरे में 13 तो क्या पूरी रिपोर्ट मन्त्री जी के पास आ गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट से कुछ जो गम्भीर शिकायतें हैं, आरोप हैं उनके बारे में क्या कुछ नतीजा निकला है, या नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सम्पूर्ण जो शिकायतें थीं उनके सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट आ गई है। कुछ निराधार पाई गयी हैं, कुछ के बारे में पाया गया है कि ये साबित होती हैं। वह चूंकि शार्ट में बनवा लिया है, लेकिन परीक्षण, विभाग से होना है, तो जब वह हो जायगा, तो रखा जायगा यदि आदेश होगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

जब प्रश्न स्वीकार कर लिया जाता है तो निर्देश दिया जाता है, उत्तर के लिए और सदन के पटल पर रखने की जरूरत तो सरकार के पास रिपोर्ट हो तो रखी जानी चाहिए थी। क्योंकि अनुपूरक प्रश्न उसी रिपोर्ट से मिलेंगे और यह निर्देश है, प्रश्न में कि यह प्रश्न है। मान्यवर, यह रिवाज बन गया है कि मन्त्री जी कहते हैं कि रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। तो मैं यह चाहूंगा मन्त्री जी से कि या तो इस स्थगित करा दें या जिसमें निर्देश हो गया है, जो स्वीकृत हुआ है, रिपोर्ट उनके पास है, तो रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न के द्वारा रिपोर्ट को पटल पर रख नकी मांग नहीं की गयी है। और अब माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि माननीय सदस्य चाहें तो उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखन में आपत्ति नहीं है। प्रश्न में केवल आरोप-पत्र के बारे में था, जो प्रश्न के साथ संलग्न है, इसलिए यह आपत्ति ठीक नहीं है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मरा प्रश्न है कि शिकायत नं0 1 और शिकायत नं0 2 के बारे में क्या तथ्य जांच से पाए गए ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आरोप नं0 1 के सम्बन्ध में यह है,. काफी लम्बी है, संक्षेप में बता दूं कि शिकायत आंशिक सत्य है और इसके लिए भूतपूर्व उप निदेशक एवं भूतपूर्व प्रभारी आलू प्रक्षेत्र जिम्मेदार प्रतीत होते हैं, ऐसा मैंने अपना दृष्टिकोण बना लिया है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैंन शिकायत नं0 1 और 2 के बारे में पूछा। तो उप निदेशक और उद्यान अधिकारी इससे सम्बन्धित हैं, तो इसके बारे में क्या जांच हुई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

आइटम नं0 1 के बारे में बताया गया है। आरोप नं0 2 के बारे में दोषी नहीं पाए गए।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

मान्यवर, आरोप-पत्र में गबन और जालसाजी के अभियोग हैं। तो क्या मन्त्री जी विभागीय अधिकारियों से इसकी जांच न कराके सी0 बी0 आई0 या पुलिस से जांच करायेंग ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, अतिरिक्त निदेशक, उद्यान से जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इसका परीक्षण हो रहा है। अगर इस सम्बन्ध में पाया गया कि आगे जांच करन की जरूरत है, तो जांच आगे की जायेगी। ज्यादातर आरोप निराधार पाए गए हैं। जिन लोगों ने शिकायती-पत्र भेजा था• उनसे बातचीत भी हुई है। यह मैं अलग से बता रहा हूं। तो उन्होंन कहा कि हमने तो इनको देखकर दस्तखत कर दिया। श्रीमन्, ऐसा है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जैसा मन्त्री जी ने कहा कि कुछ आरोप तो निराधार पाए गए और कुछ सत्य पाए गए। तो एडीशनल डाइरेक्टर नें जब इंक्वायरी की तो विभागीय स्क्रीनिंग का क्या प्रश्न उठता है। विजीलेंस या किसी और को जांच के लिए क्यों नहीं देते हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसमें ऐसा है कि शासन द्वारा जांच कराई गई थी। रिपोर्ट आ गई है शासन के देखने के बाद इसमें निर्णय होगा कि किस माध्यम से क्या कराना है। मुझे इस सम्बन्ध में कहना है कि प्रभारी आलू प्रक्षेत्र को जिसे वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक भी कह सकते हैं, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। आज मुझे सूचित किया गया है कि वह सस्पेंड भी हो गए हैं।

इलाहाबाद जिले की फूलपुर सहकारी बैंक शाखा के विरुद्ध फर्जी ऋण वितरण सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*9--श्री हर प्रताप सिंह---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-सूची दिनांक 29 अगस्त, 1977 के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री यह बतलायेंगे कि क्या शिकायती-पत्रों की जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो पूरी रिपोर्ट क्या है और उनमें से कितने ऐसे हैं, जिन्हें फर्जी नाम से रुपया दिया गया और क्या पिछले पांच वर्षों से पूर्व का भी बकाया रुपया वसूल होना शेष है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मुख्तार अनीस--

प्रश्नगत शिकायती-पत्रों में से श्री हीरामणि यादव के शिकायती-पत्र की जांच पूर्ण हो चुकी है। जांच अधिकारी ने श्री हीरामणि यादव का अनुभव 11 वर्ष का सही पाया तथा श्री जगतपाल तिवारी, सहायक विकास अधिकारी (सह0) फूलपुर को विभाग को गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जाने के विषय में गफलत और लापरवाही का दोषी पाया। जांच के आधार पर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जायगी।

फर्जी ऋण वितरण सम्बन्धी अन्य शिकायती-पत्रों की जांच की जा रही है। जांच हेतु फूलपुर विकास खण्ड में वितरित ऋण का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से पूर्व का 16 लाख 24 हजार रुपया बकाया वसूल होना शेष है।

श्री हर प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या जगतपाल तिवारी को दोषी पाने के बाद निलम्बित कर दिया गया है ? दूसरी चीज यह है कि एक बैंक के जरिए 31 लाख रुपए का आपका बकाया है। यह पुरानी सरकार का है। इलाहाबाद में 9 तहसीलें हैं। इसके माने हैं कि चार करोड़ रुपए के लगभग बकाया चल रहा है ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, जगतपाल तिवारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है। जाँच अभी जारी है। दूसरे शिकायती-पत्रों पर भी जाँच चल रही है। जांच पूर्ण होने के बाद कार्यवाही की जायगी। दूसरा जो प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि अभी उसकी विस्तृत सूचना सरकार के पास नहीं है। सूचना आने पर माननीय सदस्य को बता दिया जायगा।

श्री हर प्रताप सिंह—

यह बताया गया है कि 24 लाख 35 हजार रुपया बकाया है। 16 लाख 24 हजार रुपया इसके पिछले पाँच सालों से बकाया है, तो सब मिला कर जो इतना रुपया है इसकी जो जाँच चल रही है, उससे अभी तक क्या मिला है ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, अभी जाँच पूरी नहीं हो पाई है। जाँच पूर्ण हो जाने के बाद विस्तृत रूप से बता दिया जायगा।

*10—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[10वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ललितपुर जिले में विकास कार्य हेतु विकास खण्डों में वितरित की गयी धनराशि एवं किए गए कार्य

*11—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला ललितपुर के विकास खण्ड, तालबेहट, जखौरा, बिरधा, बार, महरोनी और मडावरा को जनवरी, 1977 से मार्च, 1977 में एक-एक लाख रुपया क्षेत्र के निर्माण एवं मरम्मत आदि के लिए दिया गया था और उक्त विकास समितियों ने अपनी बैठकों में मार्च, 1977 में ही ग्राम सभा वार कार्यों के अनुसार रुपए का बटवारा कर लिया था ? यदि हाँ, तो उक्त विकास खंडों में प्रत्येक में अलग-अलग 31 जुलाई, 1977 तक कितना-कितना कार्य हुआ और प्रत्येक में कितना-कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला ललितपुर के विकास खण्ड तालबहट, बार, महरोनी तथा मडावरा में प्रत्येक विकास खण्ड को 1,00,035 रुपए की धनराशि तथा विकास खण्ड जखौरा व बिरधा में प्रत्येक विकास खण्ड को 1,00,030 रुपए की धनराशि जनवरी, 1977 से मार्च, 1977 की अवधि में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु दी गयी। उक्त क्षेत्र विकास समितियों ने उक्त अवधि में विभिन्न विकास कार्यों हेतु अपने-अपने क्षेत्र में ग्राम सभावार विकास कार्यों के अनुसार उक्त धनराशि का आवंटन किया। जुलाई 31, 1977 तक विकास खण्ड तालबेहट में 40 कार्य अपूर्ण थे तथा कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। विकास खण्ड जखौरा में 7 कार्य पूर्ण तथा 25 अपूर्ण, बिरधा में 4 कार्य पूर्ण तथा 68 अपूर्ण, बार में 10 कार्य पूर्ण तथा 9 अपूर्ण, महरोनी में 14 कार्य पूर्ण तथा 35 अपूर्ण थे। विकास खण्ड मडावरा में सभी 61 कार्य

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अपूर्ण थे। उक्त तारीख तक उक्त धनराशि में से विकास खण्ड तालबेहट, जखौरा, विरधा, बार, महरौनी तथा मडावरा में क्रमशः 5,000 रु0, 22,148 रु0, 5,700 रु0, 65,250 रु0, 74,000 रु0 व्यय किए गए। विकास खण्ड मडावरा में कोई व्यय नहीं हुआ।

प्रदेश की सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के अध्ययन दल की रिपोर्ट

*12—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि क्या सरकार को प्रदेश में सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन और उन्हें प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक से हाल में कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी उन निर्देशों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

प्रदेश में सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन एवं उन्हें प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। यह सुझाव उपर्युक्त अध्ययन दल के हैं, रिजर्व बैंक के निर्देश नहीं हैं। अभी इन्हें सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव नहीं है।

*13—श्री गोकरन प्रसाद—

[26 सितम्बर, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 90 द्वारा उत्तरित।]

*14—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

बांदा जिले के विकास खण्ड, चित्रकूट के खण्ड विकास अधिकारी की घूस लेते हुए गिरफ्तारी एवं निलम्बन

*15—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाँदा के विकास खण्ड चित्रकूट के बी0 डी0 ओ0 को दिनांक 24 अगस्त, 1977 ई0 को 500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उप पुलिस अधीक्षक, बाँदा ने गिरफतार किया परन्तु उसके उपरान्त भी उपरोक्त बी0 डी0 ओ0 को अभी तक मुअत्तल नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

खण्ड विकास अधिकारी को गिरफ्तार होने की तिथि से ही निलम्बित किया जा चुका है।

गन्ना पेरने वाले शक्ति चालित कोल्हू के अनुज्ञा-पत्र हेतु लिया जाने वाला शुल्क

*16—श्री हरि चरण यादव (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री रामवरन वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—

क्या गन्ना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लघु कृषक जब गन्ना की पेराई शक्ति चालित कोल्हू से घर पर ही खांडसारी बनाने के लिए करते हैं तो क्या उनको प्रति वर्ष लाइसेन्स के लिए दो सौ रुपया अग्रिम भुगतान करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इसका आधार क्या है?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह सही है कि खड़े कोल्हू को चलाने हेतु अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को 200 रुपए शुल्क जमाकर अग्रिम आवेदन-पत्र निर्धारित समय के अन्दर देना पड़ता है। खड़े कोल्हुओं के लिए अनुज्ञा-पत्र केवल निजी गन्ना पेरकर गुड़ तथा राब बनाने के लिए ही दी जाती है, खाण्डसारी शक्कर बनाने के लिए नहीं होती है। गन्ना कृषकों का जो गन्ना चीनी मिलों को पूर्ति के उपरान्त बच जाता है और जिसके निस्तारण हेतु कोई अन्य विकल्प नहीं होता है, ऐसे बचे हुए उनके निजी गन्ने के निस्तारण हेतु शक्ति चालित खड़े कोल्हू चलाने के लिए अनुमति अनुज्ञा-पत्र द्वारा दी जाती है। इस सुविधा को देने के फलस्वरूप गन्ना कृषकों पर लाइसेन्स शुल्क जनहित में नियन्त्रित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है ताकि इस सम्बन्ध में उचित प्रशासकीय व्यवस्था हो सके।

श्री डी० बी० सिंह, कृषि निरीक्षक, सिधौली, सीतापुर का निलम्बन और उनका भत्ता

*17—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तत्कालीन कृषि निरीक्षक(नि०), सिधौली, जनपद सीतापुर (श्री डी०बी० सिंह) ने निलम्बन आदेश के पूर्व दिनांक 20 दिसम्बर, 1972, 1 फरवरी, 1973, 21 फरवरी, 1973 तथा 27 फरवरी, 1973 को उप कृषि निदेशक, कृषि लखनऊ मण्डल, लखनऊ तथा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अर्ध शा० पत्र लिखकर तत्कालीन रीजनल एकाउन्टेंट के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी नामजद शिकायतें की थीं? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कृषि निरीक्षक को विशेष अनुसन्धान शाखा, पुलिस (कृषि विभाग) द्वारा निर्दोष पाए जाने के बावजूद भी अब तक सी०सी० एलाउन्स एवं हाउस रेन्ट से वंचित रखकर निलम्बित रखा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उनको शीघ्रातिशीघ्र उन समस्त उपलब्धियों के साथ बहाल करने की कृपा करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री डी० बी० सिंह के केवल दो पत्र दिनांक 1 फरवरी, 1973 व 21 फरवरी, 1973 प्राप्त हुए थे जिनमें उप निदेशक कृषि, लखनऊ, मण्डल लखनऊ के लेखाकार तथा लेखा-स्टाफ के विरुद्ध शिकायतें थीं। किन्तु श्री सिंह अपनी शिकायत के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न कर सके अतः शिकायत प्रमाणित नहीं हुई।

यह सही है कि विशेष अनुसन्धान शाखा (कृषि) ने अपनी विवेचना में श्री सिंह के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही हेतु आरोप प्रमाणित नहीं बताया है। श्री सिंह को सी०सी० एलाउन्स तथा हाउस रेन्ट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वह उन्हें देय नहीं है।

चूंकि मामले में विभागीय जांच चल रही है इसलिए जांच निष्कर्ष की प्राप्ति पर ही गुण-दोष के आधार पर उनकी बहाली के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा।

*18—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[10वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला परिषद् नैनीताल का भवन

*19—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, नैनीताल ने नैनीताल शहर में जिला परिषद् के जिस भवन को तत्कालीन सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, नैनीताल के कब्जे से खाली कराया उसे स्वयं अध्यक्ष, जिला परिषद् ने अपने रहने के लिए साज-सज्जा में जिला परिषद् का हजारों रुपया व्यय कर दिया है ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले के विकास खण्ड मछरेहटा एवं गोंदलामऊ को गांवों के विकास हेतु दी गयी धनराशि

*20—श्री लाल दास (जिला सीतापुर) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला सीतापुर, ब्लाक मछरेहटा व ब्लाक गोंदलामऊ को एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रत्येक विकास खण्ड को गांवों के विकास हेतु सन् 1976-77 में दिया गया ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पैसा ग्रामों के विकास में लगाया गया ? क्या सरकार इसका पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

वित्तीय वर्ष 1976-77 में विकास खण्ड मछरेहटा को एक लाख सैंतीस रुपया तथा विकास खण्ड गोंदलामऊ को एक लाख छत्तीस रुपए गांवों के विकास हेतु दिया गया था। उक्त धनराशि गांवों के विकास में लगायी गयी है। कार्यों का पूर्ण विवरण† संलग्न है।

पंचायती राज विभाग के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की मांग

*21—श्री अनवार अहमद (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र संख्या 853-बी/33-2-95-76, पंचायती राज अनुभाग-2 के सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों का कार्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 166, 167 के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृत प्रदान करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापा नहीं गया ।

हरदोई जिले की कतिपय मंडियों में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम का कार्यान्वयन

*22—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 को लागू होने के पश्चात् आज भी हरदोई जिले की माधोगंज, सांडी, संडीला व हरदोई में क्रेताओं द्वारा पुरानी मण्डी परिपाटियां, कटौतियां व प्रथाएं आदि जो अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रचलित थी, कायम रखी गयी हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत विनियमन होने के पश्चात् इन मंडियों में पुरानी परिपाटियां, कटौतियां व प्रथाएं जो अधिनियम, नियम व उपविधि के प्राविधानों के विरुद्ध है कायम नहीं है।

गन्ना समिति स्योहारा, बिजनौर के श्री बलवीर सिंह द्वारा आपूर्ति किया गया गन्ना

*23—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि गन्ना समिति स्योहारा, जनपद बिजनौर में वर्ष 1976–77 में सबसे अधिक गन्ने की अनुमानित पैदावार किसकी थी? प्रति वर्ष कितनी सप्लाई उसने मिल को एवं निजी केन क्रशर से कितने गन्ने की पेराई दिखाई गई? यदि हां, तो गत तीन वर्षों का 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्रीमती चन्द्रावती—

गन्ना समिति स्योहारा जनपद बिजनौर के श्री बलबीर सिंह, पुत्र श्री नरायन सिंह, निवासी ग्राम गावड़ी की वर्ष 1976-77 में सबसे अधिक गन्ने की अनुमानित उपज थी।

चूंकि प्रश्नगत समिति क्षेत्र में कोई केन क्रशर नहीं है अतः उक्त कृषक द्वारा वर्ष 1974–75 से 1976–77 तक की गयी पैदावार एवं उसमें से मिल को की गयी आपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	पैदावार	मिल की पूर्ति
	(कुन्तल)	(कुन्तल)
1974–75	16,600	10,763
1975–76	15,050	11,899
1976–77	12,650	11,846

*24—श्री मन्जूर अहमद—

[26 सितम्बर, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित।]

*25—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*26—श्री राम आसरे वर्मा—

[6ठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील में सहकारी चीनी मिल लगाए जाने का लाइसेन्स

*27—श्री हरी राम शाक्य (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव में जो किसान सहकारी चीनी मिल प्रस्तावित थी तथा जिसका लायसेन्स भी प्लानिंग कमीशन ने दे दिया था और शेयर बिक रहे थे उसके बनने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

भोगांव, जिला मैनपुरी में सहकारी चीनी मिल लगाने के लिए भारत सरकार से लाइसेन्स 18 मई, 1974 को प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में नवम्बर, 1975 में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित चीनी मिल को इतनी मात्रा में गन्ना उपलब्ध होने की आशा नहीं थी जिससे कि चीनी मिल लाभकारी स्थिति में चल सकती और इसी को दृष्टि में रखते हुए मिल की स्थापना का कार्य स्थगित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा भी उक्त मिल को दिए गए लाइसेन्स की अवधि में विस्तार नहीं किया गया है और अब गन्ना उपलब्धता की जब अच्छी स्थिति की आशा होगी तभी इस मामले पर अग्रिम कार्यवाही हेतु विचार सम्भव हो सकेगा ।

हरदोई जिले के ग्राम कुरसौली में ऊसर सुधार योजना

*28—श्री धर्मराज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार को मालूम है कि कुछ साल पहले सरकार ने हरदोई जिले के हरियावा ब्लाक के कुरसौली गांव की कुछ हैक्टर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाकर उस पर कृषि करने वाले विशेषकर हरिजनों को बसाने की योजना स्वीकार की थी ? यदि हां, तो सरकार उस योजना को कब तक लागू करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

भारत सरकार के संकेत पर ग्रामीण अंचलों में 'लैन्ड कालोनाइजेशन' द्वारा 'गेनफुल' रोजगार के अवसर सृजन करने के उद्देश्य से जनपद हरदोई के हरयावा ब्लाक के कुरसौली गांव के 400 हेक्टर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाकर भूमिहीनों को बसाने की एक योजना केन्द्रीय शासन को मई, 1974 में सहमति एवं स्वीकृति के लिए भेजी गयी थी। जिसकी स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई।

सचिव, जिला सहकारी संघ लि०, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा कर्मचारियों की छटनी

*29—श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 25 मार्च, 1977 के आधार पर जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने सचिव, जिला सहकारी संघ लिमिटेड, मुरादाबाद के विषय में भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितताओं की जांच

8079

के आदेश अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास), मुरादाबाद को दिए हैं ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि जांच अपूर्ण है, तो कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सचिव, जिला सहकारी संघ लि0, मुरादाबाद के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1977 तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी के निजी सचिव द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1977 को जिलाधिकारी, मुरादाबाद को भेजा गया था जिसकी जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) द्वारा की जा रही है। जिलाधिकारी के अनुसार जांच अभी लगभग एक माह में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

*30—श्री हरिपाल सिंह शास्त्री—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत नवम्बर में जिला सहकारी संघ लि0, मुरादाबाद के कुछ कर्मचारियों को बिना कारण बताए सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसके पश्चात् नित्य प्रति दैनिक वेतन पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

गत नवम्बर में जिला सहकारी संघ लि0, मुरादाबाद के कुछ कर्मचारियों की छटनी संघ के संचालक मण्डल द्वारा खर्चों की कमी करने के उद्देश्य से की गयी थी। संघ के शीत-गृहों पर आलू भंडारण की ऋतु में आलू भंडारण, निकासी तथा अन्य अल्पकालिक कार्यों के लिए गत वर्षों की भांति आवश्यकतानुसार समय-समय पर दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे गए ।

*31-32—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त ।]

उन्नाव जनपद के निलम्बित अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी की बहाली

*33—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद से निलम्बित अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी को बहाल करके उप कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल के यहाँ सीनियर आयल सीड इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है और वह भगवन्त नगर, जिला उन्नाव के गबन में भी शामिल है ? यदि हाँ, तो उसी केस से सम्बन्धित कर्मचारी को जिसे निलम्बित हुए 3 वर्ष हो चुके हैं अब तक बहाल क्यों नहीं किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ, उक्त अधिकारी को बहाल करके उप कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के अधीन सीनियर आयल सीड इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है किन्तु कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है जिससे यह मालूम हो कि वे भगवन्त नगर, जिला उन्नाव के मामले में शामिल हैं ।

भगवन्त नगर केस से सम्बन्धित कर्मचारी को बहाल करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि विशेष अनुसन्धान शाखा (कृषि) द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दे दिया गया है और कार्यवाही चल रही है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा, सहायक समादेष्टा के सेवा काल का विस्तार

*34—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सहायक समादेष्टा ,श्री वीरेन्द्र वर्मा, प्रादेशिक विकास दल, उत्तर प्रदेश का 58 वर्ष का सेवा काल पहली जनवरी, 1976 को समाप्त हो गया था फिर भी उन्हें दो वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या इस प्रकार का सेवा विस्तार का लाभ इस विभाग में इनके अतिरिक्त अन्य किसी को वर्ष 1975–77 के भीतर दिया गया है ? यदि हाँ, तो किन-किन को ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ। श्री वीरेन्द्र वर्मा, सहायक समादेष्टा को 58 वर्ष की आयु के उपरान्त 2 वर्ष का सेवा विस्तार शासनादेश, दिनाँक 31 जनवरी, 1976 द्वारा स्वीकृत किया गया था।

यह सेवा विस्तार श्री वर्मा को काँग्रेस की भ्रष्ट नीति के कारण स्वीकृत किया गया था।

श्री वर्मा के अतिरिक्त इस विभाग में अन्य किसी को वर्ष 1975–77 के भीतर सेवा विस्तार का लाभ नहीं दिया गया है।

जनरल मैनेजर, डिवीजनल डेवलपमेंट कारपोरेशन के पद हेतु साक्षात्कार

*35—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि फरवरी, 1977 में जनरल मैनेजर, डिवीजनल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन पद हेतु साक्षात्कार सम्पन्न हुआ था जिसमें कई अभ्यर्थियों ने भाग लिया। ऐसे भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में बहुत अभ्यर्थी अनुभवी तथा योग्य थे, किन्तु उनका चयन न करके कम योग्यता वाले व्यक्तियों का चयन किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ, फरवरी, 1977 में जनरल मैनेजर, डिवीजनल डेवलपमेंट कारपोरेशन पद हेतु साक्षात्कार एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सम्पन्न किया गया था। यह सही नहीं है कि अनुभवी, योग्य अभ्यर्थियों का चयन न करके कम योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री झाम लाल अहेरवार—

[28 सितम्बर, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित।]

केन डेवलपमेंट कौंसिल, बिसवाँ, सीतापुर के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को चार्ज

2—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि केन डेवलपमेंट कौंसिल बिसवां, जनपद सीतापुर का चुनाव, जोकि दिनाँक 5 अप्रैल, 1977 को हुआ था उसमें अब तक जन प्रतिनिधियों को चार माह व्यतीत होने पर भी अभी तक चार्ज नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

परिषदों के गठन के सन्दर्भ में कतिपय विधिक कठिनाइयों के कारणवश केन डेवलपमेंट कौंसिल, बिसवाँ, जनपद सीतापुर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अभी तक चार्ज नहीं दिया जा सका। अब इन कठिनाइयों का निराकरण कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन जन-प्रतिनिधियों को नियमानुसार बिसवाँ परिषद् का चार्ज दिला दिया जायगा।

उप गन्ना आयुक्त (पूर्वी) गोरखपुर द्वारा गन्ना पर्यवेक्षकों का चुनाव एवं नियुक्ति

3—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप गन्ना आयुक्त (पूर्व) गोरखपुर ने अगस्त, 1973 में चयन कमेटी के साक्षात्कार के आधार पर स्टाइपेंडरी गन्ना पर्यवेक्षकों के पद हेतु प्रशिक्षण के लिए कितने लोगों को नियुक्त किया था? उसमें से कितने प्रशिक्षित हुए और कितनों को सेवा में ले लिया गया है और जो सेवा में नहीं लिए गए हैं वे कब तक ले लिए जायेंगे?

श्रीमती चन्द्रावती—

उप गन्ना आयुक्त (पूर्वी) गोरखपुर द्वारा अगस्त, 1973 की चयन समिति के साक्षात्कार के आधार पर स्टाइपेंडरी गन्ना पर्यवेक्षकों के पद हेतु प्रशिक्षण के लिए कुल 60 अभ्यर्थियों को लिया गया था जिसमें से केवल 44 अभ्यर्थी प्रशिक्षित हुए। इन 44 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से अब तक 30 प्रशिक्षार्थियों को सेवा में ले लिया गया है तथा शेष 14 प्रशिक्षार्थियों को भी सीधी भर्ती के कोटे के पद उपलब्ध होने पर यथासमय ले लिया जायगा।

बस्ती जिले के कतिपय विकास खण्डों को विकास कार्य हेतु दी गयी धनराशि तथा उसका उपयोग

4—श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के विकास क्षेत्र उस्का, वर्डपुर, बढ़नी, नौगढ़, जोगिया को सरकार द्वारा कितना-कितना धन अनुदान के रूप में वर्ष 1976-77 में विकास कार्य हेतु दिया गया था और उसका उपयोग विकास कार्य हेतु हुआ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो किन-किन गाँवों में विकास कार्य कराए गए? कितना धन व्यय हुआ तथा कितना धन शेष है?

श्री जमुना प्रसाद—

बस्ती जनपद के विकास क्षेत्र उस्का, वर्डपुर, बढ़नी, नौगढ़ तथा जोगिया को वर्ष 1976–77 में विकास कार्य हेतु सरकार द्वारा क्रमशः रु0 1,34,918 रु0 1,34,918, रु0 1,34,919, रु0 1,34,918, रु0 1,34,919 अनुदान के रूप में दिया गया अनुदान की कुछ धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु हुआ और कुछ धनराशि का उपयोग होना शेष है। विकास क्षेत्र उस्का, वर्डपुर, बढ़नी, नौगढ़ तथा जोगिया के जिन-जिन गाँवों में विकास कार्य कराया गया उन गाँवों की सूची संलग्न है। विकास खण्ड उस्का, वर्डपुर, बढ़नी, नौगढ़ तथा जोगिया में विकास कार्यों पर क्रमशः रु0 37,700, रु0 59,251, रु0 1,750, 58,694 तथा रु0 21,000 की धनराशि व्यय हुई तथा क्रमशः रु0 97,218, रु0 75,667 रु0 1,33,169, रु0 76,224 तथा 1,13,919 रुपया अवशेष है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 171–176 पर।)

जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर के सचिव श्री श्याम नारायण पाण्डे की सेवा समाप्ति

5—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक शाहजहाँपुर के सचिव (श्री श्याम नारायण पाण्डे) के विरुद्ध अगस्त, 72 व नवम्बर, 76 में श्री दया शंकर मिश्रा, संचालक द्वारा शिकायतें की गयी जिनकी जाँच क्रमशः तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई तथा श्री आर0 एम0 सिंह, उप निबन्धक, मुख्यालय द्वारा की गयी ? यदि हाँ, तो परिणाम क्या है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत बैंक के सचिव श्री श्याम नारायण पाण्डे के विरुद्ध अगस्त, 72 में दिए गए श्री दया शंकर मिश्र के शिकायती-पत्र की जाँच सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं अपितु सहायक निबन्धक, शाहजहाँपुर द्वारा की गयी। नवम्बर, 1976 में दिए गए श्री मिश्रा के शिकायती पत्र की जाँच श्री आर0 एम0 सिंह, उप निबन्धक, अधिकोषण द्वारा की गयी थी। जाँच के परिणाम स्वरूप बैंक की वसूली में कमी, अनियमित नियुक्तियाँ तथा वित्तीय अनियमितताएं पाई गयीं। श्री श्याम नारायण पाण्डे को उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, बरेली के आदेश दिनाँक 27 जुलाई, 1976 द्वारा बैंक की सेवा से पृथक किया जा चुका है।

6—श्री गोकरन प्रसाद—

[29 अगस्त, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित।]

सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियन्ता), लघु सिंचाई का स्थायीकरण

7—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग की स्थापना से 31 मार्च, 76 तक कितने सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियन्ता) नियुक्त किए गए और उनमें से कितने प्रति वर्ष स्थायी किए गए तथा क्या शासन के पास इस प्रकार की कोई शिकायत आई है कि जिन सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियन्ताओं) ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली उनको स्थायी न करके उनसे जूनियर को स्थायी किया गया ?

श्री जमुना प्रसाद बोस—

लघु सिंचाई विभाग में दिनाँक 31 मार्च, 1976 तक 719 सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियन्ता) नियुक्त किए गए। इनमें से दिनाँक 6 जुलाई, 1967 तक 336 सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) अवर अभियन्ता नियुक्त किए गए तथा 6 जुलाई, 1967 के पश्चात् नियुक्त किए गए सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई), अवर अभियन्ता को अभी लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कराने का कार्य शेष है। अभी तक केवल 267 सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई)/(अवर अभियन्ता) ही स्थायी किए गए हैं। इन 267 में से वर्ष 1972 में 142, वर्ष 1973 में 51 तथा वर्ष 1974 में 74 स्थायी किए गए हैं।

विभागीय परीक्षा पास होने के बावजूद स्थायी नहीं किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर विचार कर नियमानुसार स्थायीकरण के मामलों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। स्थायीकरण के समय जिन कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ उत्तम थीं, उन्हीं को

स्थायी किया गया था। इस नीति के आधार पर कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों का स्थायी होने से वंचित रहना स्वाभाविक है।

इलाहाबाद जिले के क्षत्र विकास अधिकारी व ग्राम सेवकों का कार्यकाल

8—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताएगी कि जिला इलाहाबाद में वर्तमान समय में कितने ऐसे क्षत्र विकास अधिकारी तथा ग्राम सेवक हैं जो गत 10 वर्षों से उसी जिले में नियुक्त हैं? उनका स्थानान्तरण अन्य जिलों में न किए जाने के क्या कारण हैं और सरकार उनके स्थानान्तरण पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री जमुना प्रसाद बोस—

ऐसे कोई क्षेत्र विकास अधिकारी नहीं हैं।

ऐसे ग्राम सेवक 104 हैं। चूंकि ग्राम सेवकों के एक जिले में 10 वर्ष से अधिक न रह सकने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, अतः इनके स्थानान्तरण का मामला विचाराधीन नहीं है।

9—श्री राम नरेश पाण्डेय—

[परिवहन निगम के दैनिक कार्यों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

काशी सहकारी चीनी मिल्स लि०, औराई, वाराणसी के संचालक मण्डल का चुनाव

10—श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की औराई चीनी मिल में डाइरेक्टर बोर्ड कब से काम नहीं कर रहा है? वहाँ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है और बोर्ड के चुनाव कब तक होंगे?

श्रीमती चन्द्रावती—

काशी सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, औराई (वाराणसी) में 23 सितम्बर, 1974 से संचालक मण्डल कार्य नहीं कर रहा है।

सहकारी समिति अधिनियम में हुए संशोधन के फलस्वरूप मिल समिति की उपविधियों में प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने के लिए ही चुनाव को स्थगित करना पड़ा। चुनाव की प्राथमिक कार्यवाही पूरी की जा रही है और बोर्ड के चुनाव यथाशीघ्र सम्पादित होने की आशा है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के उप क्षेत्र बस्ती में पकड़े गए भ्रष्टाचार के मामले

11—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र के उप क्षेत्र बस्ती में जुलाई, 76 से 31 अगस्त, 77 तक कुल कितने भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए और उन पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बस्ती द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी?

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र के उप क्षेत्र बस्ती में 1 जुलाई, 1976 से 31 अगस्त, 1977 तक कुल 430 भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए।

उक्त 430 भ्रष्टाचार के मामलों में 455 कर्मचारी लिप्त पाए गए जिनमें सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, बस्ती द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की गयी :—

1—153 गम्भीर प्रकृति के मामलों में 178 कर्मचारी लिप्त थे जिनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :—

(क) 24 कर्मचारियों को एक माह का नोटिस वेतन देकर उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी ।

(ख) 7 कर्मचारियों का नाम प्रतीक्षा सूची से काट दिया गया ।

(ग) 63 कर्मचारियों को आरोपित किया गया जिसमें से 43 कर्मचारियों को विभिन्न दण्ड दिए गए तथा शेष 20 कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं ।

(घ) 67 कर्मचारियों को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी जिसमें से 14 कर्मचारियों के मामले दण्ड देकर निर्णीत कर दिए गए तथा शेष 53 कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं ।

(ङ) 13 कर्मचारियों का स्पष्टीकरण माँगा गया है जिसमें से 7 कर्मचारियों के मामले तय कर दिए गए हैं तथा शेष 6 कर्मचारियों के मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(त) 3 कर्मचारियों के मामले क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर को निस्तारण हेतु भेजे गए हैं ।

(द) 1 कर्मचारी का मामला एस0डी0एम0, हरैया के पास निस्तारण हेतु भेजा गया है ।

शेष 277 मामूली प्रकृति के मामले थे जिसमें 277 कर्मचारी लिप्त थे जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(अ) 109 कर्मचारियों का सुचरित्र भत्ता काटा गया ।
(ब) 41 कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गयी ।
(स) 127 कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं ।

12—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

पीलीभीत में बीसलपुर गन्ना समिति के सदस्य श्री चेतराम की दरख्वास्त

13—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सदस्य, गन्ना संचालक मण्डल, श्री चेतराम जिला पीलाभीत द्वारा दी गयी दरखास्त की जाँच जिला गन्ना अधिकारी द्वारा की गयी ? यदि हाँ, तो उसका निर्णय क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हाँ, इस प्रसंग पर निर्णय देने हेतु मामला जिलाधिकारी, पीलीभीत, जो कि सक्षम अधिकारी हैं, को सन्दर्भित किया गया था परन्तु चूंकि श्री चेतराम ने इसी सन्दर्भ में एक प्रत्यावेदन जिलाधिकारी को दे रखा था तथा रिट भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

के समक्ष प्रस्तुत कर रखी थी, अतः जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जब तक इनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय न हो जाय उन्हें बीसलपुर समिति के प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने दिया जाय। तद्नुसार श्री चेत राम अभी भी सदस्य प्रबन्ध कमेटी बने हुए हैं।

प्रदेश में बकाया सहकारी ऋण की वसूली

14—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कितना सहकारी ऋण वसूली के लिए बकाया है तथा उसमें से कितना सीमान्त एवं लघु कृषकों पर बकाया है और सरकार इस प्रकार की वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनवरत सहकारी ऋण के बकाए की वसूली का कार्यक्रम चलते रहने से यह बताना कठिन है कि प्रदेश में इस समय कितना ऋण वसूली के लिए बकाया है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1 जुलाई, 1977 को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण का लगभग 63 करोड़ 93 लाख 94 हजार तथा दीर्घकालीन ऋण का 11 करोड़ 27 लाख 26 हजार रुपए बकाया था। लघु एवं सीमान्त कृषकों पर लगे बकाए सम्बन्धी विवरण पृथक से रखे जाने की पद्धति प्रचलित न होने के कारण यह सूचना देना सम्भव नहीं है कि कुल बकाए में से कितनी धनराशि लघु एवं सीमान्त कृषकों पर बकाया है।

सहकारी ऋण के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण के 30 जून, 1977 से 3 वर्ष पूर्व के बकाया धनराशि का शत-प्रति-शत सत्यापन एवं वसूली कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में 30 अगस्त, 1977 से चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष सहकारी ऋण बकाया की वसूली हेतु सहकारिता विभाग द्वारा बकाया वसूली का विशेष अभियान भी चलाया जाता है।

सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन के पद एवं उनका स्थायीकरण

15—श्री सुल्तान सिंह (जिला मुरादाबाद) तथा श्री हरदेव सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन विभाग में सहायक विकास अधिकारी पशुपालन के इस समय कुल कितने स्थायी एवं अस्थायी पद हैं ? ये पद कितने वर्ष से चले आ रहे हैं और इन पदों के विपरीत कितने कर्मचारी स्थायी घोषित किए जा चुके हैं ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि पशुधन विभाग में 15 वर्ष से ऊपर के ऐसे कितने सहायक विकास अधिकारी हैं जो स्थायी घोषित नहीं किए गए हैं और सरकार उन्हें कब तक स्थायी घोषित कर देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पशुपालन विभाग में सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) के इस समय कुल 166 पद हैं जिनमें से 56 पद स्थायी हैं और 110 पद अस्थायी हैं। इन पदों का सृजन वर्ष 1969–70 से 1972–73 तक हुआ है और 56 स्थायी पदों में से 50 पदों के विपरीत कर्मचारी स्थायी घोषित किए जा चुके हैं। शेष 6 पदों पर कर्मचारियों के स्थायी किए जाने

की सूचना प्रतीक्षित है। वर्ष 1969-70 से पूर्व पशुपालन विभाग में सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) का कोई पद नहीं था अतः 15 वर्ष से उपर के सेवा काल के सहायक विकास अधिकारी के होने का प्रश्न नहीं उठता। 110 अस्थायी पदों को स्थायी घोषित करने का मामला शासन के विचाराधीन है।

पशु चिकित्सा, विज्ञान एवं पशुपालन महा विद्यालय, मथुरा के शिक्षकों का वेतनमान

16—श्री हुक्म चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद में स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान 1 जनवरी, 1973 से दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा, जिसका विलयन चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के साथ कर दिया गया है के शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान स्वीकृत करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

17—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

[12वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

18—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[26 सितम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित।]

19—श्री जयराम तथा श्री अवधेश नरायन—

[15वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

देवरिया जिले में विकास कार्य हेतु विकास खण्ड वार दी गयी धनराशि

20—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या ग्राम विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के प्रत्येक विकास खण्ड को अलग-अलग कितना रुपया गत वित्तीय वर्ष में दिया गया तथा रामपुर कारखाना देवरिया विकास ने उक्त धनराशि को किस-किस मद में खर्च किया ?

श्री जमुना प्रसाद—

गत वित्तीय वर्ष में जिला देवरिया के प्रत्येक विकास खण्ड को एक-एक लाख रुपया दिया गया। रामपुर कारखाना विकास खण्ड ने उक्त एक लाख रुपए की धनराशि को अपने क्षेत्र के गाँवों में कूप निर्माण, पेय कूप मरम्मत, पुलियों के निर्माण, नाली निर्माण खड़न्जों का निर्माण, प्राइमरी पाठशाला मरम्मत तथा पंचायत भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में व्यय किया। देवरिया विकास खण्ड ने उक्त धनराशि को अपने क्षेत्र के ग्रामों में पेय जल कूप निर्माण, हैन्ड पम्प, पंचायत भवन की मरम्मत, पुलियों का निर्माण, नाली निर्माण, सम्पर्क मार्गों का निर्माण, प्राइमरी पाठशाला भवनों की मरम्मत, खड़न्जों तथा पेय जल कूप मरम्मत की मद में व्यय किया।

प्रशिक्षण प्राप्त हरिजन कुक्कुट पालक एवं उनको दिए गए चूज

21—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पंचम पंचवर्षीय योजना में अब तक प्रदेश में कितने कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षित किया गया और उनमें से कितने हरिजन हैं ? इन्हें प्रशिक्षण के पश्चात् पालने के लिए कितने चूजे दिए गए ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि इस कार्यक्रम पर कितना रुपया व्यय हुआ तथा इनमें से कितने लोग इस समय कुक्कुट पालन के व्यवसाय में वास्तव में लगे हुए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पंचम पंच वर्षीय योजनाकाल में अब तक प्रदेश में 10,291 कुक्कुट पालकों को कुक्कुट पालन में प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से हरिजनों की संख्या 3,069 है ।

प्रशिक्षण के उपरान्त पालने के लिए कुल 9,11,566 चूजे इन प्रशिक्षित कुक्कुट पालकों को उपलब्ध कराए गए जिनमें से हरिजन कुक्कुट पालकों को उपलब्ध कराए गए चूजों की संख्या 66,185 थी ।

कुक्कुट पालन के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अब तक 1,01,300 रुपयों का व्यय हुआ है तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रशिक्षित कुक्कुट पालकों में से 8,757 लोग कुक्कुट पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं ।

बुलन्दशहर जिले के भूगर्भ जलस्तर म कमी एवं भूमि विकास बैंक द्वारा नलकूप ऋण वितरण की बन्दी

22—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक शिकारपुर, लखावटी, स्याना, बीबीनगर, दानपुर व ऊंचागाँव का भूगर्भ जल स्तर समाप्त हो जाने के कारण भूमि विकास बैंक से नलकूप के लिए ऋण की व्यवस्था समाप्त कर दी है ? यदि हाँ, तो जनपद के अन्य ब्लाकों के जलस्तर के तथ्य क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बुलन्दशहर के 6 विकास खण्डों—शिकारपुर, लखावटी, स्याना, बीबीनगर, दानपुर तथा जहाँगीराबाद में, भूगर्भ जल स्तर कम हो जाने के कारण, भूमि विकास बैंक से नलकूप के लिए ऋण वितरण का कार्य बन्द कर दिया गया है । परन्तु निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया है कि इन विकास खण्डों में भूगर्भ जल की स्थिति की पुनः जाँच करा ले । यदि उनकी जाँच में इन विकास खण्डों के भूगर्भ जल की स्थिति में सुधार मिलता है तो पुनः ऋण वितरण जारी करने पर विचार किया जायगा ।

शेष 13 विकास खण्डों, जिसमें ऊंचा गाँव भी सम्मिलित है भूगर्भ जल स्तर सन्तोषजनक होने के कारण ऋण वितरण जारी है ।

बसों एवं टैक्सियों को दिए गए तथा रद्द किए गए लाइसेन्स

23—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार ने दिनाँक 8 अगस्त, 1977 तक प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर चलाने के लिए कितने लोगों को बसों तथा टैक्सियों के लाइसेन्स दिए गए हैं तथा उनको लाइसेन्स देने का आधार क्या रखा गया ?

श्री आबिद अली—

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट व रूल्स के अन्तर्गत ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों व टैक्सियों को लाइसेन्स (परमिट) सीधे सरकार द्वारा दिए जायं। इस प्रकार के परमिट सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण (आर0टी0ए0) व राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस0टी0ए0) द्वारा दिए जाते हैं। 23 जून, 1977 से 8 अगस्त, 1977 तक की अवधि में बसों एवं टैक्सियों को दिए गए लाइसेन्सों (परमिटों) की संख्या निम्नवत है :—

बस परमिट		टैक्सी परमिट	
स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
4	314	77	69

बसों के स्थायी परमिट जनहित में आवश्यकता को देखते हुए दिए गए हैं। अस्थायी बस परमिट मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा 62(सी) के अन्तर्गत विशेष अस्थायी आवश्यकता पर दिए गए हैं। टैक्सियों के स्थायी एवं अस्थायी परमिट उदार नीति के अनुसार दिए गए हैं।

24—श्री बाबू राम वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि उक्त अवधि में कितने पुराने लाइसेन्स होल्डरों के लाइसेन्स रदद् किए गए तथा उनको निरस्त करने के कारण क्या थे ?

श्री आबिद अली—

दिनाँक 23 जून, 1977 से 8 अगस्त, 1977 की अवधि में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पुराने लाइसेन्स (परमिट) होल्डरों के लाइसेन्स रद्द नहीं किए गए। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा टैक्सियों के 32 लाइसेन्स निरस्त किए गए क्योंकि टैक्सियों को प्राइवेट कार में परिवर्तित किए जाने के लिए परमिट होल्डरों ने स्वयं परमिट रद्द करने के प्रार्थना-पत्र दिए थे।

राज्य सड़क परिवहन निगम की कर्मशाला कानपुर के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता आयोग द्वारा जांच

25—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की केन्द्रीय कर्मशाला कानपुर के किन-किन उच्चाधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता आयोग

द्वारा गत 10 वर्षों गे जाँच की गयी और जाँच के आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी सतर्कता आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के केवल 2 उच्चाधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जाँच चल रही है, यह जाँच रिपोर्ट सतर्कता से आनी अपेक्षित है अतः आगे की कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को सदन को स्थगित किए जाने की बात कहे जाने पर उसके बाद की कार्यवाही अवैध हो जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, 15 तारीख को दोपहर के बाद सदन में आपने यह घोषणा की "तो मैं स्थगित करता हूं सदन को" आप सक्षम हैं सदन को स्थगित भी कर सकते हैं। नियम 299 की उपधारा (6) के अनुसार सदन में अशान्ति हो तो अध्यक्ष सक्षम है सदन को स्थगित कर सकते हैं। यह आदेश देने के बाद सदन स्वयमेव स्थगित हो गया और जितनी भी कार्यवाही उसके बाद हो रही है वह कार्यवाही अमान्य है और चूकि मान्यवर ने इसकी कालावधि बताई नहीं है इसलिए सदन का स्थगन अनिश्चित काल के लिए हो गया। तो मान्यवर, मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि जो भी कार्य आज हो रहा है आपके द्वारा सदन को स्थगित करने के बाद और आज भी जो कार्यवाही हो रही है वह नियम विरुद्ध है। यह व्यवस्था है कि जब अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो तो फिर आहूत होने के बाद सदन बुलाया जायगा। यह प्रक्रिया और कानून की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर व्यवस्था दें कि सदन स्थगित माना जायगा या सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि मैं स्थगित कर दूंगा ऐसा नहीं कि स्थगित कर देता हूं। इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

कार्यवाही में लिखा है "तो मैं स्थगित करता हूं सदन को"।

श्री अध्यक्ष—

उसी समय उठाना चाहिए। मैंने जो कहा है जब मैं बैठा रहा और उठ कर मैं नहीं गया तो सदन स्थगित नहीं हुआ। इसलिए यह प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

कृष्णा नगर, लखनऊ में चोरियां व डकैतियां तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मुझे सदन के संज्ञान में निम्नलिखित सूचना आपके माध्यम से लानी है कृष्णा नगर' थाना, लखनऊ के अन्तर्गत आज कल चोरी, डकैती और कत्ल की बाढ़ आ गई है

[श्री राजपति मिश्र]

और इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस अकर्मण्य हो गयी है। यहाँ तक कि नामजद रिपोर्ट किए जाने पर भी पुलिस चोरों को नहीं पकड़ रही है और चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और खुले आम जनता को आतंकित करते हुए घूम रहे हैं। उदाहरण स्वरूप एक घटना का उल्लेख सूचनार्थ किया जा रहा है।

दिनाँक 19/20 सितम्बर, 1977 के रात्रि के लगभग 2 बजे महाराणा प्रताप नगर उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, थाना कृष्णा नगर लखनऊ की सरकारी सस्ते कपड़े की दुकान में चोरी करते हुए एक चोर अशरफी लाल रंगे हाथों कम्पनी कमान्डर होमगार्ड, श्री नरेश चन्द्र मिश्र और आर0पी0एफ0 के सिपाही, श्री बरकत अली और कुछ अन्य व्यक्तियों की सहायता से पकड़ा गया था और उसका साथी राम दयाल भाग कर निकल गया था। श्री मिश्र तथा समिति के अन्य सदस्य थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाने गए। उस समय उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इस पर श्री मिश्र ने उड़न दस्ते को फोन किया जो तुरन्त आ कर चोर को थाने ले गया। जब चोर थाने पहुंचा दिया गया तो थाने वालों ने रिपोर्ट लिखी किन्तु राम दयाल को जिसका नाम रपट में है आज तक नहीं पकड़ा गया यद्यपि उस क्षेत्र के दरोगा उसके घर के पास ही रहते हैं और यह सुनने में आया है कि उसका बड़ा भाई थाने का दलाल है। थाने द्वारा ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में शिथिलता बरती जाने के कारण इस क्षेत्र की जनता में बड़ा असन्तोष है और कोई भी अपने जन-जीवन को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। कृपया इस सम्बन्ध में जाँच कराकर दोषी अधिकारी को दंडित किया जाय और चोरों को पकड़ कर कानूनी कार्यवाही की जाय।

नवाबगंज अस्पताल, गाजीपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री नगीना व शान्ती देवी को डाक्टरों द्वारा पीटे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष जी, तारीख 13 अक्तूबर, 1977 को नवाबगंज अस्पताल, गाजीपुर में स्वीपर का काम करने वाले सफाई कर्मचारी नगीना को डाक्टरों ने बुरी तरह से पीटा है और कमरे में बन्द करके ताला लगा दिया। एक कर्मचारी शान्ती देवी को भी बुरी तरह से डाक्टर एस0 पी0 सिंह ने पीटा। इसने जाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट दिया। इसकी रिपोर्ट कोतवाली थाना, गाजीपुर में भी शान्ती देवी ने दिया, नगीना का सदर अस्पताल में इलाज किया गया और उसने भी कोतवाली में रिपोर्ट किया। दो कर्मचारियों को और मारा गया है। डाक्टर कालका सिंह, डाक्टर एस0 पी0 सिंह के खिलाफ सन् 1974 में शासन को जिलाधिकारी, गाजीपुर ने लिखा था। तारीख 14 अक्तूबर, 1977 को इस घटना को लेकर गाजीपुर सदर अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया और 15 अक्तूबर 1977 को प्रदर्शन किया। इस घटना से गाजीपुर शहर तथा आस-पास की जनता में काफी असन्तोष है। इसलिए इस लोक-महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सिकन्दराबाद–जेवर सड़क पर बस के ड्राइवर और कंडक्टर को छात्रों द्वारा पीटे जाने के विषय को नियम के 301 अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 अक्तूबर को 12 बजकर 45 मिनट पर बस नं0 यू0 पी0पी0 1748 सिकन्दराबाद से जेवर के लिए चली। जब यह बस वैर इण्टर कालेज के पास पहुंची तो बस के ड्राइवर और कन्डक्टर के साथ लड़कों ने मारपीट की और बस को क्षतिग्रस्त कर दिया। थाना ककोड़ पर जो रास्ते में पड़ता है, बस के ड्राइवर ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी और कहा कि बड़ी संख्या में लड़के वैर के रेलवे क्रासिंग के पास जमा हैं। ठीक एक घंटे के बाद सिकन्दराबाद से दूसरी बस नं0 यू0एस0डी0 6402 जेवर के लिए रवाना हुई। जब यह बस ग्राम वैर के रेलवे क्रासिंग के पास लगभग 2 बजकर 15 मिनिट दोपहर को पहुंची तो कालेज के लड़कों ने बस की सवारियों को उतार कर बस को गड्ढे में ढकेल कर बस में आग लगा दी। पूरी बस वहीं पर जलकर भस्म हो गयी। यह स्कूल जब खुलता और बन्द होता है तब भारी संख्या में बगैर किराया दिये हुए जबरदस्ती लड़के बस में घुस जाते हैं और यदि जगह नहीं होती तो छत के ऊपर भी बैठ जाते हैं। परिचय पत्र भी इस स्कूल में नहीं बनवाए गए हैं। इस घटना से जनता बहुत आतंकित है और बस के ड्राइवरों और कन्डक्टरों की जिन्दगी खतरे में है और इसके कारण इस रूट पर बस चलना बन्द हो गयी है। अतः आपकी अनुमति से इस लोक महत्व की घटना की ओर इस माननीय सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए समुचित कार्यवाही की माँग करता हूं।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट की सूचना देनी है. . .

श्री अध्यक्ष—

अभी उसके लिए यह अवसर नहीं है।

बाराबंकी जनपद में बिक्री-कर अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से मनमाने ढंग से बिक्री-कर वसूल किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बाराबंकी जनपद के व्यापारियों पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि बाराबंकी जनपद के बिक्री-कर अधिकारी द्वारा चालू वर्ष के कर निर्धारण बहुत ही क्रूर और मनमाने ढंग से कर रहे हैं। फलस्वरूप अपीलों की संख्या पहले से दुगुनी हो गयी है। गत 20 वर्षों के तथाकथित बकाया बिक्री-कर की वसूली के निमित्त लगभग 5000 डुप्लीकेट वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं जिसके फलस्वरूप व्यापारियों को बिना मौका दिए गए गिरफ्तारी एवं कुर्की की कार्यवाही लम्बे पैमाने पर सरकारी अधिकारियों द्वारा की जा रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रदीप कुमार यादव]

है जबकि वसूली प्रमाण-पत्र गलत तौर से जारी कर दिए गए हैं। राजस्व एवं बिक्री-कर विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारीगण उपरोक्त गलत वसूली प्रमाण-पत्र पर कार्यवाही न करने अथवा वापस न लेकर व्यापारी वर्ग को अकारण परेशान करके अनैतिक लाभ उठा रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। उदाहरणार्थ बाराबंकी जनपद के व्यापार मण्डल के महामन्त्री श्री गोपाल सिंह सेवक, जिन्हें राजनैतिक कारणों से आपात स्थिति में लगभग 6 माह तक डी0आई0आर0 में बन्द रखा गया, उन्हें और अन्य प्रतिनिधि व्यापारियों को बकाएदार बताकर अपमानित करने की दृष्टि से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके जिम्मे बिक्री कर सम्बन्धी एक भी पैसा बकाया नहीं था। मुझे बताया गया है कि इस प्रकार की गिरफ्तारियाँ भारी पैमाने पर केवल पैसा कमाने और अपमानित करने की दृष्टि से की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनाँक 30 सितम्बर, 1977 को संसद सदस्य, श्री अनन्त राम जायसवाल ने माननीय बिक्री-कर मन्त्री, श्री त्रिपाठी को दिया परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिसके कारण सम्बन्धित अधिकारियों का मनोबल और भी ऊंचा हो गया है।

उपरोक्त ज्यादतियों की बिना पर बाराबंकी जनपद के व्यापारियों में जनता सरकार के प्रति गहरा क्षोभ और असन्तोष का वातावरण व्याप्त हो गया है। यदि सरकार द्वारा तत्काल दमनकारी रवैए के विरुद्ध सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही न की गई तो व्यापारी वर्ग सड़कों पर आकर आन्दोलन खड़ा कर देंगे और परिणामस्वरूप जनता की निगाहों में जनता पार्टी की सरकार की प्रतिष्ठा गिर जायेगी।

शारदा कैनाल की शाहाबाद रजबहा शाखा टूटने से कतिपय ग्रामों की फसल नष्ट होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री मुहम्मद रफी खाँ (जिला शाहजहाँपुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र 66, शाहजहाँपुर में पूरे शहर शाहजहाँपुर के अलावा 100 छोटे-छोटे गाँव भी हैं। इन गाँवों में एक गाँव हुसेनपुर भी है। इस गाँव हुसेनपुर में शारदा कैनाल की एक शाखा शाहाबाद रजबहा निकलती है। तकरीबन एक हफ्ता पहले शाहाबाद रजबहा मरम्मत न किए जाने की वजह से कट गई जिससे गाँव हुसेनपुर, रुक्कनपुर, जमालपुर, नौगवाँ, बरनाई आदि गाँवों के जेरेकाश्त इलाके की फसलें तबाह हो गयी हैं। जहाँ पर नहर कटी है वहाँ कई काश्तकारों की जमीनों में 5–6 फुट ऊंचा रेत जमा हो गया है और यह जमीन अब काबिले काश्त नहीं रही है।

सिंचाई विभाग बजाय उन काश्तकारों को मुआवजा देने के जिनकी जमीन रेता जमा होने से फसल उपजाने के काबिल नहीं रही है और जिनकी मौजूदा फसल रेता के अन्दर दब गयी है और पानी के बहाव से बह गयी है उनको परेशान करके रिश्वतें ले रहा है कि नहर तुम लोगों ने काटी है।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस लोक महत्व की ओर दिलाना चाहता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य देगी और इन काश्तकारों के साथ इन्साफ करेगी।

उत्तर प्रदेश शासन के उड्डयन विभाग में अनियमितताओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के उड्डयन विभाग में हो रही अनियमितताओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से निकट भविष्य में 56 लाख रुपए का किंग एयर सी–90 एक जहाज खरीदा जाने वाला है जो कि अमरीका के बीच क्राफ्ट कम्पनी से खरीदा जायेगा। इस कम्पनी की एजेन्सी बम्बई में जो कोजारेक है। किन्तु इस जहाज को खरीदने के लिए शासन की तरफ से कुछ लोगों को अमरीका भेजा जा रहा है जबकि साधारण ढंग से यह जहाज बम्बई में खरीदा जा सकता है। इस विमान को अमरीका से न लाकर अगर बम्बई में ही खरीद लिया जाय तो सरकार का करीब डेढ़ लाख रुपया बेमतलब खर्च होने से बच जायगा। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जो व्यक्ति इस जहाज को अमरीका लेने जा रहा है उनके पास अटलांटिक महासागर को पार करने हेतु उचित योग्यता नहीं है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश शासन के पास कुल 9 जहाज हैं जिनमें केवल 4 उड़ने लायक हैं जोकि साधारण सी मरम्मत आदि के बाद आसानी से उड़ सकते हैं और शासन के पास सिर्फ एक ही पायलेट है। कई जहाजों के कल-पुर्जे चोरी छिपे बेचे जा रहे हैं। इस तरह से करीब दो लाख रुपए के पुर्जे बेच दिए गए हैं।

अतः मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की सूचना के द्वारा शासन का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट 1975–76†

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

मैं श्रीमन् की आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट 1975–76 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977†

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)—

मान्यवर, मैं सिंचाई (4) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 5274–स0 ब0 (77) तेईस–आई(4)–12 (रेंट) 76 [क0 अधि0 8/1873–नियम–1976–संशोधन (2)–77] दिनांक 29 सितम्बर, 1977 के अन्तर्गत प्रकाशित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित उत्तरी भारत नहर और जल विकास अधिनियम, 1873 की धारा 75 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी।

राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1974-75†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मैं राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र, 1974-75 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती के तार दिनांक 12 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनांक 13 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ था, के अनुसार श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) को दिनांक 11 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न 9.00 बजे रिहा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती के वायरलेस सन्देश दिनांक 12 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनांक 13 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ था, के अनुसार श्री पाण्डेय को दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 को रिहा किया गया था। चूंकि उक्त दोनों सूचनाओं में विरोधाभास था, इसलिए जिला मैजिस्ट्रेट से सही जानकारी देने के लिए कहा गया, जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती ने अपने वायरलेस सन्देश, जो इस सचिवालय में दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय को दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 के 8 बजकर 40 मिनट पूर्वाह्न के समय जिला कारागार, बस्ती से रिहा किया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना दिनांक 11 अक्तूबर, 1977 को सदन में दी गयी थी।

अधीक्षक, जिला कारागार हरदोई के रेडियोग्राम दिनांक 14 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनांक 16 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री मन्नी लाल, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) को दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 को रिहा किया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 को सदन में दी गयी थी।

जिला मैजिस्ट्रेट, बरेली के रेडियोग्राम दिनांक 15 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनांक 16 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री अशफाक अहमद, सदस्य, विधान सभा (बरेली) ने दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने को गिरफ्तार करवाया। उन्हें आई0पी0सी0 की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री बालिगा, अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् तथा विद्युत् मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुखपाल पाण्डेय ने श्री बालिगा, अध्यक्ष, विद्युत् परिषद् तथा माननीय रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत् मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि श्री बालिगा ने माननीय विद्युत् मन्त्री के पास और माननीय विद्युत् मन्त्री ने मेरे पास पर्चा भेज कर उन्हें बोलने के अवसर से वंचित कर दिया। मैंने इसको देखा है। यह माननीय सदस्य की सूचना ठीक नहीं है कि उन्होंने रोका। मैंने जिस समय यहाँ विवाद चल रहा था स्वयं यह मालूम कराया माननीय विद्युत् मन्त्री से कि वह कितना समय लेंगे और उन्होंने मुझे एक पर्चे पर लिख कर भेजा कि 45 मिनट से एक घंटा तक का समय लूंगा। मैंने इसलिए पूछा था कि मुझे निश्चय करना था कि विवाद कब समाप्त किया जाय। तो माननीय रवीन्द्र किशोर शाही ने मुझे कोई सूचना नहीं दी कि मैं माननीय सुखपाल पाण्डेय को या किसी सदस्य को बोलने का अवसर न दूं। इसलिए विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ग्राह्य नहीं है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष जी, एक बात स्पष्ट कर दूं...

श्री अध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था के बाद अब आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको बतला दिया है कि विशेषाधिकार का प्रश्न तब बनता अगर मन्त्री जी मेरे से यह कहते कि इनको बोलने का अवसर न दिया जाय।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

अध्यक्ष जी, यह नहीं कि आपको लिख कर दिया कि सुखपाल पाण्डेय को मना करें। मैंने तो यह कहा कि माननीय मन्त्री जी, श्री बालिगा राज्य विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष जो हैं, उनके भ्रष्टाचार पर परदा डालना चाहते हैं। राज्य विद्युत् परिषद् के जो भंग होने की बात है उसे माननीय राज नारायण, माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री मधुकर दिघे, वित्त मन्त्री, माननीय जनेश्वर मिश्र केन्द्रीय राज्य मन्त्री हैं, ने माना है और कहा कि राज्य विद्युत् परिषद् में भ्रष्टाचार है। मैंने निवेदन किया था कि यह सब होने के बावजूद दल की मीटिंग में मैंने इस मामले को उठाया था...

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुखपाल जी, मैंने आपकी बात लिख कर ले ली और उसको समझ लिया। विशेषाधिकार का प्रश्न तब बनता है जब सदन का कोई अवमान हुआ हो। अगर यह अभियोग है तो यह सरकार का काम है कि जाँच करके उनको दण्ड दे। आपको शिकायत है तो

[श्री अध्यक्ष]

लोकायुक्त के सामने आप जायं और जो आपने चेयरमैन के विरुद्ध दिया और मन्त्री जी के विरुद्ध दिया तो मैंने देखा कि इससे सदन का कोई अवमान नहीं हुआ है और न कार्यवाही में अवरोध हुआ है। माननीय मालवीय जी ने या जिस किसी ने कहा है वह शासन का काम है कि इस पर विचार करे, मुझे तो केवल यह देखना है कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

एक बात कहनी है ।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं। अब आप जो कह रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादती आप करते हैं। अगर मैंने सलाह दी तो इसको सदन में क्यों कहना चाहते हैं। आप जो प्रस्ताव देंगे विवाद के लिए उसको मैं नियमानुसार देखूंगा और ग्राह्य होने पर जरूर इजाजत दूंगा। नियमानुसार आपको अधिकार है, उसकी ग्राह्यता पर मैं विचार करूंगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

नियम 52 में चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिए।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

श्री देव बहादुर जी ने जो प्रस्ताव भेजा है मैंने माननीय सदस्य को भेज रखा है। परसों माननीय श्यामधर जी ने प्रश्न उपस्थित किया कि माननीय मैनेजर सिंह ने सदन का अवमान किया। चूंकि आज वह यहाँ पर नहीं हैं इसलिए इस प्रश्न को नहीं लिया जा रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह मेरा है देव कुमार जी का नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आपके बारे में मैंने कहा है कि जो प्रश्न आपने दिया है, उसका अभी मैंने अध्ययन नहीं किया है वह जिन सदस्यों के विरुद्ध आपने दिया है, मैंने उनके पास भेज दिया है। उसके बाद ही मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा कि ग्राह्य है या नहीं।

दिनांक 29 अगस्त, 1977 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर का शोधन वक्तव्य

नगर विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

माननीय अध्यक्ष, दिनांक 29 अगस्त, 1977 को श्री बिहारी लाल हंस द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में सर्वश्री राजेन्द्र कुमार तथा राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्नोत्तर सही नहीं थे जिनका विवरण एवं सही उत्तर निम्न प्रकार है :—

प्रश्न करने वाले का नाम	किया गया प्रश्न	दिया गया उत्तर	सही उत्तर
श्री राजेन्द्र कुमार	माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं जानना चाहता हूं कि जिनकी नियुक्ति की गई थी और जिन्होंने चार्ज नहीं लिया उनके नाम क्या हैं ?	उनके नाम श्री देव राम सिंह और श्री राम भजन सिंह थे।	मान्यवर, श्री देव राम सिंह के बजाए उनका नाम श्री राम हेत था।
श्री राम आसरे वर्मा	क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त 74 की परीक्षा में उत्तीर्ण हरिजन लोगों को आगे नियुक्ति के लिए अवसर दिया जायगा और यदि हां, तो कब तक ?	उनको लिया जायगा शीघ्र ही व्यवस्था की जायगी।	मान्यवर, जैसा कि संदर्भगत प्रश्न के उत्तर में ही स्पष्ट कर दिया गया था, वर्ष 1974 की परीक्षा के आधार पर जिला गन्ना अधिकारियों के पदों पर भर्ती हेतु भेजा गया, अधियाचन ही अब निरस्त करा दिया गया और इस प्रकार आयोग द्वारा इस वर्ष की परीक्षा के आधार पर नियमानुसार किसी की उक्त पदों पर नियुक्ति करना सम्भव नहीं है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 177 पर।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973 की वापसी का प्रस्ताव

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 1977 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1973 को तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 मार्च, 1973 को पारित किया गया था, और जिसे श्री राज्यपाल ने दिनांक 28 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया था तथा जिसे राष्ट्रपति ने 'संविधान' के अनुच्छेद 201 के परन्तुक के अनुसार अपने सन्देश दिनांक 26 अक्तूबर, 1976 के साथ श्री राज्यपाल के पास, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पुनः विचार करने हेतु लौटाया है, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि इस प्रस्ताव में कोई राष्ट्रपति जी का सन्देश मिला है, वह सदन के प्रज्ञान में होना चाहिए, सदन की जानकारी में वह होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह विधेयक, जो नया विधेयक इस सदन के विचाराधीन है, जिसका नाम है—राजस्व विधेयक, 77, उसमें इसको निरस्त कर दिया गया है। हो सकता है कि राष्ट्रपति के सन्देश में कोई ऐसी आवश्यक बात हो, जिसका नये विधेयक में समावेश करना आवश्यक हो। नियमानुसार वह आना चाहिए, उनके सुझाव सामने आने चाहिए। यह आवश्यक है, नये विधेयक में हम जान जायेंगे कि उन सब शंकाओं का समाधान हो गया है या नहीं जो उठाई गयी हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो आपत्ति उठाई गई है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी का सन्देश इस सदन के पटल पर रखा जा चुका है और विधान परिषद् का सन्देश भी गत 15 तारीख को सचिव के द्वारा सुनाया जा चुका है। इसलिए यह आपत्ति उचित नहीं ठहरती है। प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 1977 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1973 को तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 मार्च, 1973 को पारित किया गया था, और जिसे श्री राज्यपाल ने दिनांक 28 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया था, तथा जिसे राष्ट्रपति ने 'संविधान' के अनुच्छद 201 के परन्तुक के अनुसार अपने सन्देश दिनांक 26 अक्तूबर,, 1976 के साथ श्री राज्यपाल के पास राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पुनः विचार करने हेतु लौटाया है, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं ।

1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 55—वन तथा अनुदान संख्या 83—वनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने इसके सम्बन्ध में केवल ढाई बजे तक समय स्वीकृत किया है ।

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55—वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,90,88,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,12,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को वन विभाग की ओर से सामग्री वितरित कर दी गयी है, इससे सदस्यों को विभाग की प्रगति के बारे में जानकारी अवश्य हो गई होगी। मैं मुख्य बातों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं । आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व और शीघ्र उगने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण इस वर्ष इसका कार्य चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष 465 लाख रुपए का धन व्यय हुआ था। इस वर्ष 575 लाख का प्राविधान है। इसी प्रकार केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित तथा केन्द्रीय सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत पिछले वर्ष परिव्यय 91 लाख था।

---

†दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री श्रीचन्द]

इस वर्ष यह बढ़ कर 141 लाख है। माननीय सदस्यों को विदित है कि प्रदेश का अधिकांश मैदानी भाग वन विहीन है, विशेष तौर पर प्रदेश के पूर्वी भाग के पिछड़े हुए जिले। प्रदेश के इस भाग में पिछले वर्ष से सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत कार्य शुरू किया गया। पिछले वर्ष तीन नए वन प्रभाग जिनका मुख्यालय आजमगढ़, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में है इस कार्य हेतु खोले गए। इस वर्ष गाजीपुर में एक और नया वन प्रभाग खोलने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष करीब 310 हेक्टर जमीन पर तथा 172 किलोमीटर सड़कों के किनारे साढ़े 16 लाख रुपए की लागत से वृक्षारोपण किए गये। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत लगभग 65 लाख के परिव्यय से 2 हजार हेक्टर क्षेत्र पर वृक्षारोपण तथा 3042 किलोमीटर पर सड़कों, नहरों व रेलवे लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में मैदानी क्षेत्रों को हरा-भरा कर सकेंगे।

वृक्षारोपण के सम्बन्ध में जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हमारे वनों की संख्या बहुत कम है। करीब 51 हजार किलोमीटर जंगल हैं और सारे भौगोलिक दृष्टि से 17 फीसदी वन हैं जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कम से कम 33 1/3 प्रतिशत भाग वनों का होना चाहिए। इस तरह से जंगलों में जितना भी क्षेत्र था उन क्षेत्रों में कमी आ गई क्योंकि सिंचाई की जो परियोजनाएं, उद्योगों की स्थापना तथा विस्थापितों के पुनर्वास हेतु वनों का काफी क्षेत्र ले लिया गया है। जनसंख्या के दबाव के कारण यह सम्भव नहीं है कि जो क्षेत्र इस समय किसी अन्य उपयोग में लाया जा रहा है उसे वापिस लेकर, उस पर वन लगाया जाय। वनों के क्षेत्र को पूरा करने के लिए एक विकल्प यही है कि जगह-जगह पर जो खाली स्थान उपलब्ध हैं, वहाँ वृक्ष लगाए जायं।

इस वृक्षारोपण हेतु पौधे बिना लाभ हानि के आधार पर वन तथा उद्यान विभाग द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। अब तक दो करोड़ पौधे लग चुके हैं और इस वर्ष 4 करोड़ तथा अगले वर्ष 6 करोड़ पौधे लगाने की योजना है, यह भी आप सभी लोगों को विदित होगा कि लखनऊ और कानपुर रोड पर नवाबगंज में वन विभाग मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना की गयी है और उनमें भी काफी अच्छी व्यवस्था कर दी गयी है।

नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को विदित होगा कि यह कितनी जटिल समस्या है। लगभग 2 वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया गया कि 8 नवम्बर, 1973 तक के अनुसूचित जाति, जन जाति व भूमिहीन कृषक श्रमिकों के अतिक्रमण तथा 30 जून, 1966 तक के अन्य लोगों के अतिक्रमण नियमित कर दिए जायं। इस तरह से माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि लगभग आधे क्षेत्र तीस हजार एकड़ जिसमें 13 हजार व्यक्ति सम्बद्ध हैं, के नियमितीकरण के मामले अन्तिम चरण में पहुंच गए हैं और इनमें 90 वर्ष के लिए पट्टे शीघ्र दे दिए जायेंगे। इस सिलसिले में वृत्तवार बैठकें की जा रही हैं और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यह काम शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।

माननीय सदस्यों को विदित होगा कि नवम्बर सन् 1974 में वन निगम की स्थापना की गयी थी। इसकी स्थापना का मुख्य ध्येय यह था कि वन श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य देकर ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त किया जाय। ठेकेदारी प्रथा में काफी

अनियमितताएं होती थीं। वन निगम मैदानी क्षेत्र में दक्षिणी गोन्डा, दक्षिणी खीरी और पीलीभीत में काम कर रहा है जहाँ ठेकेदारी प्रथा की समस्याएं काफी जटिल थीं। पहाड़ी क्षेत्रों में वन निगम अल्मोड़ा, टेहरी, उत्तरकाशी व चकराता में काम कर रहा है। इन सभी बातों को देखते हुए जनता सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो काम वन निगम के पास है उसको वह कुशल और दक्षतापूर्ण तरीके से करे। इसीलिए जनता सरकार ने निगम को अधिक काम नहीं दिया है ताकि जो भी काम इस समय वन निगम के हाथ में है उसको सुचारू रूप से एवं दक्षतापूर्वक किया जाय और शासन को ज्यादा रायल्टी दी जाय, इसीलिए हमने कहा कि निगम द्वारा केवल पुराने काम को ही और अधिक सुचारु रूप से करने और शासन को ज्यादा रायल्टी देने तथा निजी व्यापारियों के समान लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जाएगा।

तेंदू पते की बिक्री की प्रथा में इस वर्ष से क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है। पहले प्रति मानक थैला रायल्टी पर पत्तियों को इकट्ठा करने के ठेके दिये जाते थे जिसमें काफी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार होता था। इस वर्ष तेन्दू पत्ती की बिक्री एक मुश्त रकम पर कर दी गयी है जिससे न केवल अनियमितताएं और भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया है बल्कि साथ ही साथ विभाग को मिलने वाले राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

वन विभाग की बकाए की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। वर्ष 1973–74 के अन्त में विभाग की कुल बकाया रकम रु0 14.15 करोड़ थी। 1974–75 में यह घटकर रु0 9.59 करोड़ हो गयी और 1975–76 में यह 6.50 करोड़ रह गई इस तरह से जो सुधार हो रहा है वह इस समय 1976–77 के अन्त में घटकर 3.50 करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह से राजस्व में वृद्धि हुई है। वर्ष 1973–74 में 37.36 करोड़ रुपया और वर्ष 1976–77 में यह बढ़ कर 39.44 करोड़ हो गयी। महालेखाकार और कर निर्धारण समिति ने गत 15 वर्षों के राजस्व के आंकड़ों का विश्लेषण किया और उस पर यह निष्कर्ष निकाला कि राजस्व में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह केवल कीमतों में वृद्धि का ही परिणाम नहीं है बल्कि वन विभाग के उत्पादन तथा वन प्रबन्ध में सघनीकरण की वजह से ही राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है वन विभाग के कर्मचारियों को वन सम्पदा की सुरक्षा के लिए काफी दुर्गम क्षेत्रों में अपने उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है। हाल ही में नैनीताल जिले के टनकपुर क्षेत्र में 2 कर्मचारियों की हत्या हुई है एक लखीमपुर जिले के दुदवा क्षेत्र में हुई है और एक मिर्जापुर जिले के कोटवा इलाके में हुई है। जनता सरकार इसके बारे में बहुत चिन्तित है और इसके लिए सुचारु रूप से काम करने के लिए आर्म्स पुलिस का प्रबन्ध कर रही है और जिस तरह से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी में उत्तरदायित्व निभाने में जो सुविधा दी जाती है, उसी प्रकार से इन कर्मचारियों को भी जो अपना काम करते समय मर जाते हैं, उनके उत्तराधिकारियों को भी वही सुविधा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जितने भी वन ग्राम हैं उनके बारे में यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें राजस्व विभाग के ग्राम घोषित कर दिया जाय, क्योंकि इन ग्रामों का विकास, विकास खण्डों से

[श्री श्रीचन्द]

समुचित हो सके। इस निर्णय के अनुपाल में ही लखीमपुर खीरी, गोंडा व बहराइच के लगभग 40 थारू ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है।

वन जन्तुओं को पर्याप्त संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। अनधिकृत तौर पर मारे गये वन्य जन्तुओं की पकड़-धकड़ के मामलों में, सक्रिय तथा ज्यादा दक्षतापूर्वक ढंग से कार्यवाही की जा रही है। पिछले 10 वर्षों के दौरान इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सन् 1966–67 में इस प्रकार के 365 मामले पकड़े गए। जिनमें से लगभग पचास हजार रुपए और वर्ष 1976–77 में 734 मामले पकड़े गए जिसमें सवा दो लाख रुपए जुर्माना किया गया। इस वक्त प्रदेश में वन्य जन्तुओं की हुई गणना के अनुसार प्रदेश में 400 शेर, 450 जंगली हाथी तथा 2,500 गोंद हैं। गोन्द ज्यादातर लखीमपुर खीरी जिले में दुदवा क्षेत्र में है। इस क्षेत्र को हाल ही में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है। माननीय सदस्यों को विदित ही है कि प्रदेश में पहले से ही कारबेट राष्ट्रीय पार्क गढ़वाल जिले में स्थित है। इस पार्क में वन्य जन्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त संख्या में पर्यटक आते हैं। गत वर्ष कारबेट राष्ट्रीय पार्क में 9,732 भारतीय और 811 विदेशी पर्यटक आए थे जिनसे 2,33,000 रुपए का राजस्व अर्जित किया गया।

पूरे प्रदेश की नदियों में घड़ियाल के बे रोक-टोक शिकार के कारण उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। मौजूदा संख्या 80 अनुमानित की जाती है। इस लुप्त प्राय प्रजाति के पुर्नवास हेतु एक योजना चलाई जा रही है। इसके लिए यहाँ पर 835 कृत्रिम बच्चे तैयार किए गए हैं। इस समय प्रदेश में इस प्रकार के 2 पुनर्वास केन्द्र हैं। एक लखनऊ में कुकरैल में और दूसरा बहराइच जिले के कतरनिया घाट नामक स्थान पर। ये स्थान एशिया में सबसे बड़े पुनर्वासन केन्द्र हैं।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे विभाग की प्रस्तुत अनुदानों को स्वीकृत करने की कृपा करें।

*श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

श्रीमान् अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55—बन—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—वनों पर पूंजीगत परिव्यय—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अपना भाषण दिया और केवल आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए। लेकिन आज जो परिस्थिति है वह अध्यक्ष जी, आज इसके लिए ही आपने ढाई घंटे समय दिया है कि इस बारे में एक ही दिन इस बात पर बहस होगी। एक तरफ तो प्रान्त में बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ सूखा पड़ रहा है। इतना ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं, आप देखें कि गरमी का मौसम आता है, बारिश सफा हो जाती है। बिजली पैदा नहीं होती, कारखाने सब बन्द हो जाते हैं। तो इस सब को मिला कर के अगर आप देखें तो प्रकृति के साथ हमने बड़ा गलत व्यवहार किया है। आज विश्व के जो वैज्ञानिक हैं उनका मत है कि विश्व में अगर आप शान्ति चाहते हैं तो कम से कम समस्त भू-भाग के सवा 33 प्रतिशत को जंगलों से आच्छादित होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हालत है ? हमारे 56 जिलों में से कम से कम 48 जिले तो ऐसे हैं जिन में दो प्रतिशत भी जंगल नहीं हैं। एक मात्र पर्वतीय जिले हैं और कुछ बुन्देलखण्ड के जिले हैं जिन में थोड़े बहुत जंगल हैं। वैसे आपके आँकड़ों के मुताबिक इन किताबों में पर्वतीय जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक हैं और मैदानी इलाके में 15 प्रतिशत है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं वन विभाग से निवेदन करता हूं कि इन आँकड़ों को दोबारा देख लें। पर्वतीय जिलों में 50 प्रतिशत जंगल नहीं हैं।

आपने देखा कि पिछली बार कितना जबरदस्त भू-स्खलन हुआ, जिसमें 45 आदमी मर गए और 5–7 गाँव बेघर हो गए। बेलाकूंची की बाढ़ में कितने लोग, कितने गाँव बह गए। इतना ही नहीं, माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश की ठीक ढंग से इसकी आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो इसे हिमालय के आधार पर सोचना पड़ेगा। बेलाकूंची की बाढ़ से अध्यक्ष जी, गंगा नहर में जो रेता भर गया उसको साफ करने के लिए 4 करोड़ रुपया लगा। तो इस प्रकार इतनी विचित्र घटनाएं हो रही हैं। हम आज यह कहें कि पहाड़ में 50 प्रतिशत जंगल हैं तो यह आँकड़े गलत हैं। मैं टेहरी और उत्तरकाशी की बात कह सकता हूं। वहाँ महाराजा ने वन बन्दोबस्त किया और उस पर वहाँ के लोगों ने क्रान्ति की और उस के बाद वन विभाग ने 51 में कुछ पिलर्स हटाए। फिर 62 में हटाए और फिर 65 में कानून पास कर दिया कि जो राजा का रिजर्व फारेस्ट है वही वन विभाग के अधीन होगा। लेकिन जब आपने उत्तर दिया कि पिलर्स हटाए हैं तो किसानों ने उसके अन्दर एनक्रोचमेन्ट कर दिया और फिर आँकड़े वही देते हैं कि 60 प्रतिशत जंगल हैं। यह आँकड़े भ्रमात्मक हैं, देश को बरबाद करने के लिए हैं। इसलिए सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि वन मन्त्री जी कि आप इसका दोबारा सर्वेक्षण करवाइए कि वास्तविक स्थिति क्या है।

दूसरा निवेदन यह है कि जो आपने अपना बजट पेश किया है, जो प्रगति विवरण में दिया है उनसे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने बताया है और है भी कि हमारे वनों से 40 करोड़ आमदनी है। वन मन्त्री जी, मेरा आप से निवेदन है कि जितने जगल उत्तर प्रदेश में हैं उतने ही जंगल जर्मनी में है और जर्मनी का जो फारेस्ट डिपार्टमेन्ट है उसी के मुताबिक यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन सौ वर्ष हो चुके हैं, शताब्दी आप मना चुके हैं, चूंकि समय की कमी है इसलिए ज्यादा न कह कर केवल यही कहूंगा कि आप देख लीजिए जर्मन वाले हमसे 40 गुना ज्यादा ईल्ड फारेस्ट से प्राप्त करते हैं। आप दस गुना भी करें तो 40 करोड़ का 400 करोड़ हो सकता है। लेकिन अव्यवस्था के कारण, हमारी गलत नीतियों के कारण अगर हमारा वन विभाग 40 करोड़ ही देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और समझते हैं कि इस विभाग ने बहुत बड़ा काम किया है। इस विभाग द्वारा दूसरा कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे फारेस्ट्स का उत्पादन बढ़ सके।

[श्री इन्द्रमणी बहोनी]

दूसरे जो इन्होंने व्यय की बात कही है तो इससे ही पता चल जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई नयी योजना इनके व्यय में नहीं है। 'आय-व्यय की नयी मदें' नामक किताब जो हमें मिली है उसके पेज 132 पर परियोजनाएं और निरोपण जो दिया हुआ है उसके लिए केवल 33 हजार रुपया माँगा है। इसका होना बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं कि यह इन्होंने उचित किया है। यह जो कहते हैं कि हमने अधिक पैसा दिया है तो पिछले वर्ष के आय-व्ययक के अनुमानों को जब हम देखते हैं तो वन विकास में 12 लाख 85 हजार रुपया कम रखा गया है। जो बजट लिट्रेचर हमको दिया गया है उसमें यह है। इसके अलावा 1 लाख रुपए की कटौती वृक्षारोपण में की गयी है। जो हमारे जरूरी काम हैं उनमे जब ऐसी कटौती हो रही है तो अन्य बातों में अगर आपने बढ़ाया तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा आय-व्ययक जो हैं वह तो है ही लेकन विश्व के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वन इस भू-मण्डल से खत्म हो गए तो एक दिन ऐसा आएगा जब आक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जायगी और यह हिम का एक मण्डल बन जायगा। इसलिए इसकी बाबत सोचना चाहिए। अगर कोई देश लड़ाई में हार जाता है तो वह भी फिर अपनी उन्नति कर लेता है लेकिन जिस देश ने अपनी प्राकृतिक सम्पदा को खत्म कर दिया, जहाँ रेगिस्तान हो गया है उसको ठीक नहीं बनाया, वह उन्नति नहीं कर सकता है। अगर हम यह गलती करेंगे तो यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का ही नहीं सारे देश का होगा। वन तो बढ़ नहीं सकते हैं इस प्रदेश में जहाँ हर आदमी खेती करता है और हर आदमी की वन भूमि पर लालच है कि वह उसको मिल जाय।

अब देखना यह है कि जो हमारे पास वनों का क्षेत्र है उसका हम वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्ध कर सकते हैं या नहीं। जब देश आजाद हुआ था तो सन् 52 में एक नीति बनी थी जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वन तभी बढ़ सकता है जब वन विभाग वनों के आस-पास जो गाँव हैं उनके लोगों को काम दे। इन्होंने कितना इस नीति का पालन किया इसका एक उदाहरण देता हूं। हमारें यहाँ 8 पहाड़ी जिले हैं जिनमें 40 से लेकर 60 प्रतिशत तक वन है। लेकिन उनमें इन्होंने कितना काम किया है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 1 हजार आदमियों के ऊपर काम दिया 0.9। यह किताब है, उससे मैं यह बता रहा हू कि गढ़वाल और चमोली में एक हजार में 0.4 आदमियों को काम दिया। नैनीताल 1.7 आदमियों को एक हजार पर काम दिया। एक हजार के पीछे टिहरी और उत्तर काशी में जहाँ पर 80 और 60 परसेंट भू-भाग वनों से आच्छादित हैं, वहाँ पर 0.2 एक हजार पर। तो यह इनको काम देने की बात है। प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने वनों को सुरक्षित रखा, उनको काम नहीं दिया, बल्कि लकड़ी कट गयी। कुछ मालदारों की, कुछ पूंजीपतियों की ऐसी साजिश रही मिलकर कि इन वनों को किस तरह से जल्द से जल्द काट डालें। यह साजिश इस प्रान्त में रही।

एक निवेदन और है, वह यह है कि जैसा मैंने पहले कहा है, आपके वन विभाग वाले जो हैं, उनका हर सर्किल का एक वर्किंग प्लान होता है, अब हमको देखना इस बात पर है कि आप वर्किंग प्लान के मुताबिक काम करते हैं कि नहीं आज इस समस्या पर सोचना जरूरी हो गया है। एक तरफ ठेकेदारी की बोली नैनीताल में कर रहे थे, आपके वन विभाग

के लोगों को बोली नहीं बोलने दिया। दूसरी तरफ वहाँ के सर्वोदय के जो कार्यकर्ता हैं वह भूख हड़ताल कर रहे थे कि बोली नहीं होनी चाहिए, उन लोगों का मतलब है कि हिमालय के वन जो हैं वह कट चुके हैं और आपका वर्किंग प्लान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। क्या वर्किंग प्लान के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं? अगर वर्किंग प्लान के मुताबिक पेड़ कट चुके हैं, तो हमारा अधिकार उसमें नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि आपके वन विभाग में वर्किंग प्लान के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं? वहाँ वर्किंग प्लान तो हर सर्किल के तैयार हैं, हम लोगों को इतना समय नहीं है, कि हर सर्किल को देखें, लेकिन मैंने उस सर्किल को देखा जहाँ का मैं रहने वाला हूं, उसमें कुछ रेन्जों को देखा, वन विभाग की जो नीतियाँ हैं, उसको भी मैंने देखा।

पहले मैं आपको एक बात बतला दूं कि आपने भी कितने आँकड़े दिए कि हमने इतने पेड़ लगा दिए हैं, तो इस सर्किल में जो पेड़ लगाने थे, 1963–64 में लक्ष्य 120 हेक्टर का था, उसमें वर्किंग प्लान वाला 85 हेक्टर प्राप्ति। 1964–65 में 60 हेक्टर लक्ष्य था, प्राप्ति 84 हेक्टर। 1965–66 में लक्ष्य 180 हेक्टर, प्राप्ति 50 हेक्टर। 1966-67 में लक्ष्य 240 हेक्टर, प्राप्ति 80 हेक्टर, 1967-68 में लक्ष्य 220 हेक्टर, प्राप्ति 80 हेक्टर। 1969–70 में लक्ष्य 280 हेक्टर, प्राप्ति 80 हेक्टर। 1970–71 में लक्ष्य 320 हेक्टर, प्राप्ति 80 हेक्टर। यह आँकड़े इनके हैं। इसके अलावा गाँव के नजदीक बाँध लगाए जायं, ताकि गाँव वालों को फायदा हो। वर्किंग प्लान में जो था 1973–74 में टैहरी खडोंगी में 40 हेक्टर, 1974–75 में टेहरी, खंडोंगी में 40 हेक्टर, 1975–76 में टेहरी, खंडोंगी में 30 हेक्टर, फालसारी में 10 हेक्टर। 1976–77 टेहरी, फालसारी में 14–5 हेक्टर, सकलाना, सौर में 25–5 हेक्टर। तो इस प्रकार मेरा मतलब यह है कि यह वनीकरण होना था, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको और मैं कहूंगा आप से कि आप जिन स्थानों को मैंने बताया है उन स्थानों को देखिए, एक जगह भी बाँस के पेड़ नहीं लगे हैं। इसलिए आपका जो वर्किंग प्लान है उस प्लान के मुताबिक पेड़ लगायें। लेकिन प्लान के मुताबिक पेड़ लगाने का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कटाई गलत ढंग से की जाती है। वर्किंग प्लान में लिखा है, इसमें देखें :—

["The banj forests have been lopped mercilessly in the post and it is imperative to regulate lopping in the working circle. No lopping should be allowed inside plantation. Action should be taken by the Divisional Forest Offices to get the heavily lopsed areas declared as 'FUEL'."]

लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो उद्धरण अंग्रेजी में पढ़ा है उसको कृपया हिन्दी में अनुवाद कीजिए ताकि इसको नोट किया जा सके।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—

मान्यवर, अनुवाद कर रहा हूं। बाँज के जो जंगल हैं उसमें जो पेड़ों की छटाई हो रही है वह बहुत बुरी तरह से हुई है और कुछ सालों के लिए उसको बिल्कुल रोक दिया जाय। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मैंने कुछ एरियाज भी देखे हैं। धनसाले कम्पार्टमेंट में हजारों बाँज के पेड़ सूख गए हैं। अगर कोई मेरे साथ चलने वाला हो तो मैं दिखाऊं। वन मन्त्री जी आप देखें कि बाँज के पेड़ बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इसलिए लापिंग की जो बात है उसको देखा जाय। आपके प्लान में जो है उस तरीके से लापिंग की जाय।

मान्यवर, इसी तरह से जड़ी बूटियों की बात है। जंगलों में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। वर्किंग प्लान में भी इसके लिए है। तो चाहे इसमें घाटा हो, इसके लिए अलग से बागबानी के तरीके पर अच्छे तरीके से जड़ी बूटियों को संरक्षण दिया जाय। इस दिशा में आज तक वन विभाग ने कोई काम नहीं किया है। इतना ही नहीं इसके अलावा एक बात और है। वर्किंग प्लान में जो मार्किंग आप करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

बड़ौनी जी, अब कृपया आप समाप्त करें।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—

श्रीमन्, आपसे भी मेरा निवेदन है। वन केवल पहाड़ से ही सम्बन्धित नहीं है, मुजफ्फरनगर भी सम्बन्धित है। अगर बेलाकूची में बाढ़ नहीं आयेगी तो नहरें भी सूख जायंगी। इसलिए इस पर समय देने की कृपा करें। मैं निवेदन कर रहा था कि जो मार्किंग होती है वह ठीक से नहीं होती है। मार्किंग उन लोगों से करवाते हैं जिनको मार्किंग का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए पहाड़ों पर जंगल जहाँ एक बार कटे उसके बाद पेड़ पनप नहीं पाए। जंगल काटने के बाद जो छिलके वगैरह हैं उनको जलाने के बारे में कोई काम नहीं किया गया है। तो मेरा निवेदन यह था कि यह सारा काम हो रहा है वह वर्किंग प्लान के मुताबिक किसी तरह भी नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

20 मिनट हो गए हैं। समाप्त करें। अब इसमें समय नहीं है।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—

10 मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

इतना समय नहीं है, वन मन्त्री जी ने 15 मिनट लिए हैं। आप 5 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि वर्किंग प्लान के मुताबिक न मार्किंग होती है और न लीसा के घाव लगाए जाते हैं। यह कुछ लोगों की शरारत है। इसलिए लूट जो हो रही है इसको बचाने की कृपा करें। इसके अलावा कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा एक सुझाव है कि आपके जो पर्वतीय जिले हैं इसका आप सर्वेक्षण कराए और इनमें एक्चुअल फारेस्ट कितने प्रतिशत हैं, इसको देखें।

दूसरी बात यह है कि यह जो झगड़ा है कि कुछ लोग कहते हैं कि बोली होनी चाहिए, नीलामी होनी चाहिए और कुछ लोग उसको रोकते हैं। आप एक कमेटी बना दें जिसमें कुछ जनता के प्रतिनिधि हों कुछ साइंटिस्ट हों, विभाग के कुछ लोग हों और वह देखें कि वर्किंग प्लान के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। तीसरी बात यह है कि सम्पूर्ण वन नीति को बदलना चाहिए। पर्वतों का विकास वनीकरण से ही सम्भव हो सकता है। इसलिए पर्वतीय विकास विभाग और वन विभाग दोनों को मिलाकर एक नीति बनानी चाहिए। चौथी बात यह है कि आप गांव वालों को कन्सेशन देते हैं तो इसमें भी सोचने की बात है। वन विभाग को चाहिए कि बिजली पैदा करके उनको विद्युत दे। पांचवीं बात यह है कि बड़े-बड़े कारखानों के लिए आपने औद्योगिक प्रजाति के पेड़ लगाए हैं जिनसे न छाया मिलती है और न घास मिलती है। यह पेड़ गांव से दूरी पर लगाए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में एक और सुझाव है कि जो गांव सभा प्रस्ताव भेजें कि हम अपने आसपास के वनों की रक्षा करना चाहते हैं तो उसको 50 फीसदी अनुदान आप दें जिससे कि वह चौकीदार रख सकें।

अगली बात यह है कि आपने कन्जरवेटर्स की पोस्ट्स तो बढ़ा दी लेकिन रेन्जर की बीट बहुत बड़ी है। इसको भी कम करना चाहिए। इसी प्रकार जड़ी, बूटी और रिंगाल के लिए एक अरण्यपाल सर्किल अलग होना चाहिए। अगला सुझाव यह है कि वन विभाग को भूस्खलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह तवा घाट की समस्या नहीं है, 50 गांव ऐसे हैं जहां भूस्खलन हुआ है। तराई में रामनगर तक आप एक बेल्ट बनाएं जहां ऊपर से जो लोग नीचे आकर बसना चाहते हैं, बस सकें। ऊपर पहाड़ पर आप वन लगावें। इससे बाढ़ का प्रकोप दूर होगा। एक बात की ओर विशेष ध्यान दिलाना है। आप पहाड़ से कच्चा माल लाकर नीचे सामान बनवाते हैं। अब लोग इसको सहन करने वाले नहीं कि हरिद्वार या सहारनपुर में ऊपर से लकड़ी आकर अलमारी बनें और फिर वह हरसिल जायं। इसलिए ऊपर से फिनिश्ड सामान बनकर आना चाहिए। भू-स्खलन के सम्बन्ध में एक बात और है कि इसको रोकने का इन्तजाम तभी हो सकता है जबकि जहां से नदियों का स्रोत है वहीं पर उसका प्रबन्ध किया जाय। वनीकरण ही इसका एक मात्र उपाय है।

श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे...

श्री अध्यक्ष—

इस अनुदान पर विवाद 2 बजे समाप्त हो जायगा। इसलिए मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ध्यान रखें कि 5 मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री राम चरन शाह—

आज जो माननीय मन्त्री जी ने बजट रखा है उसका स्वागत करता हूं। समय की कमी को देखते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, आशा है मन्त्री जी ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। हमारे क्षेत्र में दुदआ का नेशनल पार्क घोषित किया गया है, यह देश में 11वां नेशनल पार्क है। वहां पर जानवर बढ़ रहे हैं, यह खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि जितने जानवर बढ़ रहे हैं, तो उनसे गांव के लोगों के खेतों का नुकसान होगा। जो यह वन क्षेत्र है वह

[श्री राम चरन शाह]

लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर में है, परन्तु 60 किलोमीटर ऐसा है जिसको दिवाल से घेरा जा सकता है और घेरने का प्रबन्ध करना चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात में नेशनल पार्क को घेरा गया है उसी प्रकार से इसको भी घेरा जाना चाहिए। लगभग 25 हजार काश्तकार हैं जिनके खेत को नुकसान हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो लकड़ी पार्क क्षेत्र में गिरी है या गिरती है उसके धन से इस पार्क को विकसित किया जाए और दिवाल से घेरा जाय। जो काश्तकारों को जानवर से नुकसान होता है उसका भी इसी धन से क्षतिपूर्ति किया जा सकता है। उसी पैसे से खेती की फसल का संरक्षण हो सकता है और जंगली जानवर जो पालतू जानवरों को मार डालते हैं उसका भी मुआवजा उसी से दिया जा सकता है।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जो वन विभाग मे वन रक्षक हैं ड्यूटी के समय मृत्यु होने पर उनके परिवार को पुलिस के बराबर पैसा दिया जाए जब तक उनकी पेंशन का समय होता है। शेर जो हैं वह खेतों में या गांवों के किनारे जाकर लोगों के जानवरों को मार डालते हैं तथा जानवरों को खा जाते हैं। तो उनका कम्पेन्सेशन उसी धन से दिया जा सकता है जो धन इस पार्क से उपलब्ध है। इसी प्रकार से पलिया से दुदुआ एक सड़क जाती है। इसमें बरसात में जाने का रास्ता नहीं रह जाता है वहां पर सरजू और एक दूसरा नाला है वहां पर पुल नहीं है जिससे रास्ता रुक जाता है। जब तक पक्के पुलों का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि काठ के पुल वहां पर बनवा दिए जायं। इससे आवागमन के साधन अवरुद्ध नहीं होंगे। विदेशी वहां पर कैसे जायं। मान्यवर, यह दुनिया का निराला पार्क होगा, इसलिए इसके विकास की ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें। रास्ते में पुलिया भी टूट गयी है उसका भी निर्माण होना आवश्यक है। अगर जानवरों को बचाना है तो जो वन जन्तु रक्षक नियुक्त किए गए हैं उनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। जितने भी प्रदेश में वन खण्ड हैं वहां पर इस योजना को लागू करना चाहिए और जानवरों को बचाने के लिए जो गलत तरीके से जानवरों को मारते हैं, उनको उनसे बचाया जा सके।

मान्यवर, सन् 1974 में जब वन निगम बनाया गया था, उस समय भी हमने उसका विरोध किया था और आज भी विरोध करता हूं। वन निगम को लकड़ी 3 साल के रेशियो पर एलाट की जाती है। लेकिन सन् 1974–75 और सन् 1975–76 का प्राफिट देख लें तो पता चलेगा कि यह काल्पनिक प्राफिट है। 564 करोड़ की लकड़ी दी गयी और उसमें कहा कि 90 लाख का प्राफिट होगा। लेकिन यह लकड़ी दी गयी थी पिछले तीन साल के रेशियो पर और उस रेशियो में और आज के रेशियो में कितना फर्क है? उस समय उक्त लकड़ी का रेट 8 रुपए फुट था और आज 20 रुपए फुट है। उस समय कत्थ की लकड़ी का रेट जो फैक्ट्री लेती थी उस समय 40 रुपया कुन्तल था और आज है 120 रुपया कुन्तल। तिगुना भाव लकड़ी का है। इसी तरह से 1976–77 में 90 लाख प्रस्तावित है। मन्त्री जी ने कहा कि वन विभाग और ठेकेदार दोनों को सामने आना चाहिए। आखिर ठेकेदार लोग गड़बड़ी करते हैं तो अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारियों का कर्तव्य है कि चोरी करने वालों को सजा दें। परन्तु किसी व्यापारी को और किसी के जीवन-यापन को खत्म

करना ठीक नहीं है। खैर लकड़ी का कत्थे की फैक्ट्री को एलाटमेंट किया जाता है। उसमें खैरहा जो है, उनको काम उपलब्ध नहीं होता है। एक फैक्ट्री एक लाख लोगों को बेकार करती है। सरकार की नीति है कि छोटे-छोटे उद्योग हों ताकि सब लोगों को काम करने का मौका मिले। इसके लिए सुझाव के रूप में बाद में लिखकर दूंगा। लेकिन इस समय निवेदन है कि पब्लिक के ठेकेदार और सरकार का वन निगम दोनों आयें, दोनों में कम्पटीशन होना चाहिए। दोनों काम करें और फिर प्राफिट करके दिखाएं तो सन्तोष होगा। वैसे सन्तोष नहीं है मौजूदा आधार पर वन निगम के पक्ष में नहीं हूं। इस वन निगम को अच्छे ढंग से चलना चाहिए। आज सरकार के जितने भी निगम हैं, सभी की हालत ऐसी ही है। तो मैं चाहता हूं कि वन निगम के बारे में मन्त्री जी विचार करें और देखें सोचें कोई जरूरी नहीं कि वन निगम रखा जाय। यह तो पहले की पालिसी थी। अब इस पालिसी को अपने हिसाब से बनाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं, बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है और जिसके विरुद्ध हमारे साथी बड़ौनी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि उनको यह शोभा नहीं देता।

मान्यवर, हमारे मुल्क में पहले ऋषियों ने जंगलों को अपनी तपस्या की जगह बना रखा था और हिन्दुस्तान को इसको संवारने के बजाय रंग भूमि समझा। हमारे राजा-महाराजाओं और उच्च अधिकारियों ने वनों को केवल अपनी क्रीड़ा-स्थली और मनोरंजन का साधन समझ रखा है। आज जिस लक्ष्य की तरफ चलने का इस जनता सरकार ने इरादा बनाया है, उसे देखते हुए जो ढाई घंटे की चर्चा का मौका वन विभाग पर मिला है, वह इस बात का द्योतक है कि किस प्रकार वनों की उपेक्षा हम करते चले आए हैं। आज इस नीति को त्यागना है।

हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैसे बाढ़ को रोकने के लिए, जमीन के कटाव को रोकने के लिए, मानसून से सुरक्षित रखने के लिए तीस प्रतिशत भूमि पर जंगलों का होना आवश्यक है लेकिन आज तक मुश्किल से दो-चार जिलों को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में 15–20 जिले ऐसे हैं जहां जंगल शून्य प्रतिशत में हैं, जैसे बलिया, गाजीपुर, जौनपुर में वनों का क्षेत्र शून्य है। देवरिया और गोरखपुर में थोड़े वन हैं। करीब .05 प्रतिशत वन आजमगढ़ में उपलब्ध हैं वह भी स्वर्गीय शास्त्री जी की प्रेरणा से चूंकि वे वहां के रहने वाले थे, उनकी स्कीम विभाग की फाइल में पड़ी रही। मैंने थोड़ा-बहुत इस पर अध्ययन किया है। जो हमारे सड़क के किनारे जमीन है वह खाली पड़ी हुई है उस तरफ वन विभाग का ध्यान हम आकर्षित करते हैं लेकिन हमेशा वन विभाग ने जब से उसने इस मुल्क का राज अपने हाथ में लिया है, आंकड़े बताते हैं, बजाए इसके कि वनों का लगाना बढ़ाया जाय वनों का काटना बढ़ाया है। उद्योग-धन्धे खोलने के नाम पर यूकिलपटस की योजना पुराने जंगलों में, तराई भाभर एरिया में चलें। हमारे मन्त्री महोदय एक ऐसे वर्ग से आ रहे हैं जो इस जंगल उद्योग को सही माने में उद्योग से जोड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस राज में हमेशा

[श्री विक्रमा राय]

यह जंगल विभाग ऐसे ही लोगों के हाथों में रहा जो इसको उद्योग से नहीं जोड़ना चाहते थे, ऐशो-आराम ही उनका काम था। बीस वर्ष के अन्दर जो नए जंगल लगाने के बारे में योजना कार्यान्वित की गयी थी अगर वह सही मानो में कार्यान्वित हो गयी होती तो हम उद्योग को कुछ कच्चा माल देने में समर्थ हुए होते। कुछ तथ्य पूर्वांचल के बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पूर्वान्चल के लोगों की गरीबी मिटाने के लिए, वहां बाढ़ को रोकने, कटाव को रोकने और जो पिछड़े जिले हैं जहां आप नए उद्योग-धन्धे लगाना चाहते हों उस में आपके विभाग को सहयोग मिल सकता है। हमारे पूर्वान्चल के अन्दर जो पिछड़े हुए जिले आते हैं करीब 25 हजार किलोमीटर सड़क के किनारे आते हैं जिनके किनारे पर अगर आप जंगल लगाएं तो उसमें करीब 10 हजार मजदूर तत्काल काम में लगेंगे और करीब चार सौ, पांच सौ स्टाफ उसमें खप सकता है। पूरी आप की योजना है जिस पर पूरे पूर्वान्चल का विकास किया जा सकता है। चार हजार किलोमीटर जो बेकार जमीन पड़ी है जो ऊसर के रूप में है, उसमें बबूल, शीशम लगाने की आप कोशिश करें तो उस में करीब 6 सौ के मजदूर लग सकते हैं। इसी प्रकार जो बुन्देलखण्ड इलाका पड़ा हुआ है उसके 15 हजार किलोमीटर जमीन पर वृक्ष लगाए जायं। यदि पंचवर्षीय योजना के रूप में इस योजना को चलाया जाय तो मुश्किल से दस करोड़ रुपए इस पर खर्च हो सकते हैं एक अच्छे उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, बांस पैदा करने के लिए।

इसी सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान मिर्जापुर की ओर खींचना चाहता हूं। वहां पर कागज उद्योग के लिए, बांस लगाने की योजना चल रही थी लेकिन वह अधूरी रह गयी और करोड़ों रुपए खर्च करके उससे कुछ निकाला नहीं गया। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि सही माने में उद्योग-धन्धे का विकास करने का सरकार का इरादा हो तो जो खाली जमीनें पड़ी हुई हैं—पूर्वान्चल तथा बुन्देलखण्ड की जो बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं उनका सर्वेक्षण करा कर अलग से विभाग खोल कर उसके अन्तर्गत इन जमीनों पर वन लगाने का कार्यक्रम चलाएं जैसा कि पंजाब तथा हरियाणा में हुआ है। सड़कों के किनारे वहां वनों को सजा रखा गया है जो उद्योग-धन्धे में सहायक हैं। मुझे जानकारी है कि करीब 15 पूर्वी जिलों की सड़कों के किनारे को अगर जोड़ लिया जाय तो 2 हजार 6 सौ किलोमीटर सड़क आती है, इनके किनारे वन लगा दिए जाय। इस विभाग में सभी कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए चल रहे हैं और जिस तरह से अन्य विभाग के अधिकारी धन का दुरुपयोग करते हैं उसी तरह से इस विभाग के अधिकारी भी करते हैं और विभाग के ऊंचे अधिकारी एक तरह से विभाग के राजा बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि विभाग का जनता से सम्बन्ध स्थापित हो तो इन कानूनों में परिवर्तन करना होगा। अगर कोई गरीब आदमी जंगल में जाता है और एक आध लकड़ी तोड़ लेता है तो उससे 50—100 रुपए जुर्माना वसूल किया जाता है और इस तरह से गरीब लोगों को सताया जाता है। अगर इस विभाग को ठीक करना है तो सरकार को चाहिए कि जनता की समस्याओं से इसका सम्बन्ध जोड़ कर नई औद्योगिक नीति के साथ इसको जोड़ें और लोगों का आरामगाह इसे न बनाएं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, वनों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी सरकार की कोई वन नीति बन ही नहीं पाई है। कभी आदेश चले जाते हैं कि नीलाम बन्द और लीसे का टीपान बन्द और कभी आदेश उस सबके खोलने के चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में नीति स्पष्ट होनी चाहिए। केवल कामर्शियल फारेस्टेशन पर जोर देने से वनों की रक्षा नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में सरकार को तीन सूत्री-कार्यक्रम बनाना होगा। फल पट्टी के नाम पर तमाम जंगलात काट दिए गए। मसूरी चम्पा फल पट्टी पर जाइए तमाम जंगलात काट दिए गए। बड़े-बड़े अफसरान उस जमीन को हड़प कर गए। फल पट्टी के नाम पर जंगलात मत काटिए। गांव के अन्दर जो जमीन है उसमें बागबानी होनी चाहिए। गांव के आसपास जो जमीन है उसमें घास-फूस देने वाले वृक्ष होने चाहिए, ऐसे वन होंगे तो किसानों के पशुओं को चारा मिल सकेगा जिससे किसान को सहारा मिलेगा। उसके बाद कामर्शियल फारेस्टेशन करना चाहिए। हिमांचल प्रदेश में यह नीति सुनियोजित ढंग से अपनाई गयी है उसी तरह से अगर नीति यहां अपनाई जाय तो मैं समझता हूं कि इससे वनों की रक्षा हो सकेगी।

(इस समय 1 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए)

यह कहना कि बिलकुल वनों की कटाई न हो, नीलाम बन्द कर दिए जायं और लीसा का टीपान बन्द कर दिया जाय तो यह अनसाइंटिफिक होगा। आखिर जो लकड़ियां सड़ने जा रही हैं, जो पेड़ मरने जा रहे हैं उनको अगर नहीं गिरायेंगे तो आपको क्या फायदा होगा ?

तीसरी चीज मान्यवर, जो है वह यह है कि साइंटिफिक आधार पर आपका विभाग जो वर्किंग प्लान बने हुए हैं उस आधार पर काम करें। अगर उसके आधार पर नहीं करेंगे और एक दम काटना बन्द कर देंगे तो फिर लकड़ी कहां से मिलेगी, लीसा बन्द कर देंगे तो उद्योग कैसे चलेगा, चमखड़ी बन्द कर देंगे तो बोबिन और सटल की जो फैक्ट्री बन रही है वह कैसे बनेगी ? मेरा निवेदन है कि जो वर्किंग प्लान आपका बना है स्ट्रिक्टली उसके मुताबिक आपको काम करना चाहिए।

मान्यवर, सिविल फारेस्टेशन की बात करने जा रहे हैं लेकिन हालत यह है कि आप के पास स्टाफ नहीं है। हमारे यहां टिहरी और उत्तर काशी में एक डी0एफ0ओ0 आपने रखा है और उसके नीचे 4–6 रेन्जर और थोड़े से फारेस्ट गार्ड हैं। इतना विशाल यह काम है तो इसके लिए आप सिविल गार्ड भर्ती करें, रेंजर बढ़ाएं ताकि वह वहां जाकर फारेस्टेशन कर सकें।

माननीय बहुगुणा जी के जमाने में एक वन नीति अपनाने की कोशिश की गयी था और जो बड़े-बड़े मालदार जंगलों को लूट रहे थे वह बन्द करने की बात हुई थी। मान्यवर, मुझे खुशी है कि वन सचिव जो हैं वह एक कुशल और योग्य व्यक्ति हैं उन्होंने इस पालिसी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की लेकिन उसका नतीजा वह भुगत रहे हैं जिस तरह से उनके खिलाफ प्रचार हुआ है ।

मान्यवर, फारेस्ट कारपोरेशन इस बात को देख कर बनाया गया था कि बड़े-बड़े ठेकेदार जो हैं वह शोषण न कर सकें लेकिन उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए हैं । हकीकत यह है कि आज फारेस्ट कारपोरेशन वही काम कर रहा है जो ठेकेदार कर रहे थे । आपने लाट्स बना दिए इससे तो ठेकेदारी का अन्त नहीं होगा। जो बड़े-बड़े मालदार यमुना नगर और हरिद्वार में बैठे हुए हैं उन्होंने कभी जंगल नहीं देखे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, कोरम की घंटी बजाई जाय ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोण्डा)---

एक और दो बजे के बीच परम्परा है कि कोरम की आवश्यकता नहीं होती ।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि प्रश्न उठाया जा चुका इसलिए कोरम होना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बीच वह यह प्रश्न न उठाया करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, मैं फारेस्ट कारपोरेशन के बारे में कह रहा था कि इसके बनाने के पीछे एक नीति थी कि जो बड़े-बड़े ठेकेदार हैं उनके द्वारा होने वाला शोषण बन्द कर दिया जाय । बजाय इसके कि लोट बना कर आप उनको दें । आप छोटे-छोटे लौट्स बनाइए ताकि वहां के स्थानीय लोग उन लौट्स को खरीद सकें । उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था आपका कारपोरेशन करे । चूंकि छोटे लाट वाले नदी में बहाकर नहीं ले जा सकते हैं उसको कारपोरेशन अपने हाथों में लें और उसकी बिक्री का इन्तजाम करें । इससे मैं समझता हूं कि स्थानीय लोगों को कुछ मदद मिल सकती है और फारेस्ट कारपोरेशन को आप वर्किंग प्लान के अनुसार चलाइए ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हुआ जा रहा है। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

तीसरी बात मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जंगल विभाग के कर्मचारी बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं । 8--8 हजार फुट की बुलन्दियों पर उनको रहना पड़ता है। हमारे फारेस्ट गार्ड्स बेचारे कितना बड़ा क्षेत्र देख रहे हैं यह उनके वश की बात नहीं है कि इतने विशाल क्षेत्र को वह देख सकें। यह कार्य शारीरिक रूप से उनके लिए असम्भव है । इसलिए निवेदन है कि फारेस्ट गार्ड्स की संख्या बढ़ाइए और उनको

अधिक सुविधाएं आप दीजिए। क्योंकि न तो वहां स्कूल हैं, न डाक्टरी आदि की सुविधाएं हैं, इस लिए आवश्यक है कि उनकी तनख्वाह आदि में वृद्धि की जायें या दूसरे प्रकार के भत्ते उन्हें दिए जायें। बड़े-बड़े अधिकारी तो वहां भी मजे करते रहते हैं, उनका जंगल में मंगल है। वह वहां शिकार खेलेंगे, मजे से डाक बंगलों में रहेंगे, लेकिन छोटे कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी सुलभ नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप गार्ड्स व फारेस्ट रेंजर आदि के बारे में अवश्य इन्तजाम कीजिए। अब समय कम है, इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी हमारे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)—

अधिष्ठाता महोदय, आज वन मन्त्री जी ने जो वन विभाग का बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मन्त्री जी ने अपने बजट में जो बातें रखी हैं निगम के बारे में, वे शायद ठीक ही हैं, किन्तु साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि सरकार को निगम के साथ यह भी देखना चाहिए कि आम जनता का लाभ किसके साथ है। जिससे आम जनता का लाभ हो, उसको देखना चाहिए उसकी ओर मन्त्री जी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए उसके साथ-साथ हमारी जो पुरानी ठेकेदारी प्रथा है, उसका भी यथासम्भव ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ठेकेदार और उसके प्रबन्धकर्ताओं आदि के साथ तमाम स्थानीय मजदूरों का हित भी शामिल रहता है। मजदूरों आदि का जो लाभ होता है, उसको देखते हुए यह देखना चाहिए कि आम जनता का लाभ किसमें है। केवल सरकार का ही लाभ मन्त्री जी को नहीं देखना चाहिए। यदि आप समझते हैं कि निगम रहने से जनता की आमदनी घटती है, दूसरे प्रकार से उसका अहित है तो निगम के काम को उतना ही आगे बढ़ाइए, जितने से जनता का अहित न हो।

विरोध पक्ष की ओर से यहां पर वर्किंग प्लान के बारे में कुछ कटाक्ष किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर काम वर्किंग प्लान के अनुसार होते हैं, स्ट्रिक्टली उसको फालो किया जाता है। जो 10 या 12 साल के प्लान बनते हैं, उसके अनुसार कार्य होते हैं, उनका निरीक्षण भी किया जाता है। वर्किंग प्लान में हो सकता है कि कुछ न कुछ कमियां कहीं हों, पुराने या नए पेड़ निकालने के बारे में हों। इसलिए आवश्यक है कि यहां पर सख्ती से काम लिया जाय, लीनियन्ट व्यू न लिया जाय। पुराने ही पेड़ ज्यादा से ज्यादा निकाले जायें, यंग पेड़ न निकलें क्योंकि पेड़ों का काटना आसान होता है, लेकिन उनका लगाना बहुत मुश्किल होता है।

एक बात मैं और कहूंगा, जो वन विभाग के जंगल हैं, उनका प्रोटेक्शन यानी देखभाल पूरी तरह से नहीं हो पाती है। उसका कारण यह है कि कुछ तो हमारी जनता का इसमें सहयोग नहीं होता है और कुछ विभागीय कर्मचारी भी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं। इसके वजह से हमारे जंगल दिन-रात बर्बाद होते चले जाते हैं। गांव के पास के जंगल तो खास कर बेकार हो जाते हैं। उनकी ग्रामीणों द्वारा लापिंग हो जाती है, उसको देखने की बड़ी जरूरत है। हमारे पश्चिम में सहारनपुर डिवीजन में एक ऐसा प्रखण्ड है, जहां पर गूजर और प्रोफशनल ग्रेजर बसाए जाते हैं, वे पेड़ों से पत्ते काटकर अपना गुजर करते हैं। इस डिवीजन का ऐसा बुरा हाल हो गया है कि अगर कोई अच्छी तरह से अधिकारीगण देखें

[श्री गंगा सहाय यादव]

तो मालूम होगा कि डिवीजन, डिवीजन ही नहीं रह गया है। इतनी रेकलेसली (अधिकता से) लोपिंग होती है और कटाव बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार और भी डिवीजनों में हो सकता है। वहां बहुत ज्यादा नाजायज कटान से नुकसान है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री गंगा सहाय यादव--

प्रोटेक्शन एक फारेस्ट गार्ड खाली नहीं कर सकता है। जैसा नेगी जी का सुझाव है, प्रोटेक्शन के लिए काफी सुविधा होनी चाहिए। उसके साथ आर्म्ड स्क्वायड जाय तब प्रोटेक्शन हो सकता है। अकेला फारेस्ट गार्ड कुछ नहीं कर सकता है। साल भर के अन्दर पांच-छः मौतें हो चुकी हैं। उसके बच्चे कैसे रहेंगे ? उनके लिए काफी मुआविजा दिया जाना चाहिए।

एक बात मैं माननीय मन्त्री जी से और निवेदन करूंगा। वन विभाग में सबसे कम वेतन पाने वाला और सबसे ज्यादा मुसीबत उठाने वाला फारेस्ट गार्ड है। उसका वेतन भी कम है और भत्ता भी नहीं दिया जाता है। वह जंगल में अकेले पड़ा रहता है, न उसके बच्चे पढ़ पाते हैं न वह और उसके बच्चे अच्छी तरह से रह पाते हैं। उनके लिए स्पेशल पे जरूर होनी चाहिए। उसकी जिन्दगी कांस्टेबिल से ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ वनों के कर्मचारियों को जिसको मुस्तकिल भत्ता कहते हैं, 1935 में जो भत्ता दिया जाता था वही दिया जा रहा है जबकि उस समय की तनख्वाह और आज की तनख्वाह में तीन-चार गुने का अन्तर हो गया है। लेकिन भत्तों में कोई अन्तर नहीं हुआ है। जिससे वे अपने को मेनटेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन है कि फारेस्ट गार्ड से लेकर रेंजर तक भत्तों को ध्यान में रखते हुए बढ़ोत्तरी करें और उनको लाभान्वित करें।

श्री अधिष्ठाता--

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

मैं माननीय सदस्यों से अवश्य कहना चाहूंगा कि जो सदस्य अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं मैं उनको बैठाने का प्रयत्न करूंगा, जब तक वह सदस्य बैठ न जायं तब तक अन्य सदस्यों को खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सदस्यों ने कुछ चिट दे रखी हैं। वह सदस्य यह न समझें कि चिट भेज रखी है इसलिए उनको बुलाया जायगा। उनका खड़ा होना आवश्यक है।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, वन विभाग के मन्त्री द्वारा पेश किये हुए बजट का मैं समर्थन करते हुए निम्न सुझाव देना चाहता हूं--

हमारे बस्ती जिले में चार-पांच शाखाएं हैं। कुआनों नदी के किनारे भालूकोनी, करमहिया, धवाय, अवड़ जंगल, बेलवरिया, मानपुर माझा, मन्सूरनगर, तरैनी आदि ग्रामों में जंगल के लिए तमाम जमीनें सुरक्षित रखी गयी हैं। लेकिन जंगल के नाम पर उन जमीनों पर कुछ नहीं है। आज पिछले 30 वर्षों से यदि उन जमीनों पर जंगल लगाने की कोशिश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की गयी होती, तो आज मान्यवर, बस्ती जिले में भी जंगल काफी पैमाने पर दिखलाई देते। उन गांवों में तमाम जमीनें ऐसी हैं, जिन पर जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से काश्तकार जोते-बोते चले आ रहे हैं। उनके लिए जंगल विभाग की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं होता है बल्कि स्थानीय जंगल विभाग के कर्मचारी मनमाने ढंग से हर साल रुपया वसूल करके जमीनों को जुतवाते चले आ रहे हैं। उसके सम्बन्ध में मन्त्री जी को मेरा सुझाव है कि जब तक वह जंगल लगवाने की व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक खास कर निर्बल वर्ग के लोगों को वह जमीन पट्टे पर देने की व्यवस्था कर दें ताकि कुछ भूमिहीनों को कुछ जमीन मिल सके और जब चाहें तब जंगल लगाने की व्यवस्था करें।

मैं 2–3 सुझाव और देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि जंगल के नजदीक जो निवासी रहते हैं, उनके ऊपर आए दिन फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जो जंगल में कटान होते हैं वे अधिकांश जंगल विभाग की राय से होते हैं लेकिन जब जांच पड़ताल होती है, कुछ लोग पकड़ में आते हैं तो जो जंगल के किनारे लोग रहते हैं उनके नाम रिपोर्ट कर दिए जाते हैं और जब सम्बन्धित फारेस्टर गार्ड कहीं चला जाता है 2–3 साल बाद तब उस आदमी को मालूम होता है कि उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। इस प्रकार से जंगल के किनारे पर रहने वाले सैकड़ों लोगों पर मुकदमें चल रहे हैं और आज तक चल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार से जो गलत मुकदमे कायम हो गए हैं उन पर तत्काल कोई कार्यवाही होनी चाहिए।

हमारे जिले में नौगढ़ तहसील में गौरी बाजार गाय घाट के पश्चिमी तरफ खाली भूमि पड़ी हुई है। उस पर सरकार ने वृक्षारोपण का काम आरम्भ नहीं किया है। वह भूमि जमवार नदी के किनारे पर कई मील फैली हुई है और बड़े-बड़े लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि अगर उस भूमि को निर्बल वर्ग के लोगों को न दे सकें तो कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहां पर जंगल लगाने का काम वहां पर तत्काल आरम्भ हो जाय, जो आसानी से शुरू हो सकता है।

कुवानों नदी के किनारे पर जिन घाटों की आमदनी 500 रुपए सालाना से कम है उन घाटों पर अधिकृत रूप से जंगल विभाग कब्जा किए हुए हैं जबकि वह जंगल ग्राम समाज का था और उसका रहना चाहिए। ग्राम समाज और जंगल विभाग में आए दिन विवाद हुआ करता था। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें जिससे कि इन घाटों की समस्या जिस पर आए दिन झगड़े हुआ करते हैं, हल हो सकें।

कुवानों नदी की मछली को सरकश लोग खरीद लेते हैं तो जिससे जो पेशेवर मछुए हैं वे बरोजगार हो जाते हैं। अगर इस नदी की मछली को नदी के किनारे बसने वाले मछुओं को नीलाम नहीं किया जायगा तो उनका शोषण बन्द नहीं हो सकता है।

इसके अतिरिक्त बोरों की खेती कितने परिश्रम से होती है। जो लोग उसके नजदीक होते थे उनको पट्टे पर दे दी जाती थी लेकिन वह आज बन्द हो गया है। अब डंडे के बल पर लोग ले लेते हैं। बोरों की खेती करने वाले जो पुराने लोग हैं जिनको पट्टे दिए जाते हैं, उनको समय से दिए जायें। इससे एक तो राजस्व का नुक्सान होता है दूसरे कि सान परेशान होते हैं।

[श्री बाबू राम वर्मा]

मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि हमारे बस्ती जिले में जंगल लगाने की तत्काल व्यवस्था करें क्योंकि वहां पर कुवानों नदी के कारण कटाव तेजी से हो रहा है और अगर वहां पर जंगल न लगाए गए तो होता रहेगा। प्रति वर्ष हजारों एकड़ भूमि वहां पर कुवानों नदी के कारण कट जाती है। उस कटान को जंगल लगाकर ही रोका जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और इस पर बहौनी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

हमारे गोण्डा और बहराइच में काफी घने जंगल हैं जिनसे अच्छी बरसात होती है। लेकिन अफसोस यह है कि शैनैः शनैः वे जंगल कटते जा रहे हैं और लगाए नहीं जा रहे हैं। नदियों के किनारे पड़ी जमीन पर कुछ कमजोर वर्ग के लोगों ने, जैसे भूमिहीन और गरीब हरिजन जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया था। टिकरी मनकापुर एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां आप इन निर्बल वर्ग के लोगों की देख-रेख के लिए किसी कमेटी की स्थापना कर दें और आप स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा दिखवा लें तथा आवश्यक कार्यवाही करें। वहां एक रेन्जर साहबान हैं जो रोजाना दस हजार, पांच हजार की साखू की लकड़ी कटवा देते हैं। आपने एक असिस्टेंट कन्जरवेटर साहब को भेजा है, जिन्होंने कुछ केसेज भी पकड़े हैं उसके एवज में वहां के गरीब कमजोर लोगों को परेशान करते हैं। चालान कर देते हैं। उनके घरों की तलाशी लेकर उन्हें हरेस करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे पेड़ों को कटवाकर उन पर पत्ती डालकर फुंकवा रहे हैं जिससे वे काले पड़ जायं और उनका नामो-निशान न रह जाए। जिस तरह से आपने कन्जरवेटर साहब को भेजा है उस तरह से आप एक ऐसे अधिकारी को हटाकर दूसरी जगह भेज दें जिससे इस तरह से होने वाली चोरी रोकी जा सके।

हमारे यहां टांगिया तरीके से जंगल लगाने से लोगों को काफी सुविधाएं मिली हुई थीं शनैः शनैः कम होती जा रही हैं। आप उन को वही सुविधाएं दीजिए जो उन्हें पहले मिलती थीं। बलरामपुर और गोण्डा में सड़कों के किनारे शीशम के पेड़ ऐसे हैं जो 60–70 साल पुराने हैं और खोखले पड़ गए हैं। इनकी नीलामी से जो आय इस समय होगी उसके मुकाबले यदि इन्हें दस साल बाद नीलाम कराया जाय तो आय काफी कम होगी, इसलिए इन पेड़ों को शीघ्र से शीघ्र नीलाम कराकर कटवाएं और नए-नए जैसे शीशम आदि पेड़ों को लगाने की व्यवस्था करें।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कहनी है कि गोण्डा और बहराइच के जंगलों में हिरनों की संख्या लुप्त सी होती जा रही है। आप उनकी संख्या बढ़वाने की कोशिश करें जिससे जंगलों की शोभा कायम रह सके। इसके साथ ही साथ वहां की वन गायों से जंगलों के किनारे बसने वाले लोगों के खेतों में होने वाले नुकसान से बचाने की व्यवस्था करें उन्हें आप किसी गौशाला में रख दें या उनसे बैलों का काम लेने की कोशिश करें।

हमारे यहां राप्ती, कुवानों, बिसुही, मनुअर, चमदई, टेढ़ी, सरजू पार्वती, नौखान और कोडरझील के किनारे पड़ी जमीनों तथा ऊसर भूमि में भी जंगल लगाने की भी व्यवस्था करें तो बड़ी कृपा होगी इससे सरकार को आमदनी भी होगी तथा बाढ़ से भी बचा जा सकेगा।

एक बात मान्यवर और कहना चाहूंगा कि आपने जो वन निगम बनाया है उसके चेयरमैन पहले हमारे यहां करीब के लोग होते थे, वहीं भर्ती होते थे। आज तो बहुत दूर-दूर के लोग भर्ती किए जाते हैं जिससे जो करीब के लोग काम करते थे उनकी रोजी मारी गई है। इसलिए उसी जिले के उसी स्थान के करीब के लोगों को नौकरी दिलाने की कृपा करें जिससे वन की रक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लीलवत सिंह (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि कई दफा खड़े होने के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैंने कृषि बजट पर बोलने के लिए कहा, बिजली पर, स्वायत्त शासन पर बोलने के लिए कहा, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं दिया गया। मैं समझता था कि शायद आज भी नहीं आएगा, लेकिन आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे इस वन के बजट पर बोलने का अवसर दिया। वैसे तो इस बजट की भी अपेक्षा की गयी है सबसे पीछे बाद में रखा गया है। काँग्रेस सरकार भी इसकी उपेक्षा करती रही है। तो जैसा कि वन है, हमारे देश के लिए और हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, एक अनमोल निधि है और वनों से हमें बड़े लाभ होते हैं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है, भूमि के कटने से ये रोकते हैं, जलवायु को शुद्ध करते हैं, पानी के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ को वनों से नियन्त्रित किया जाता है। ऐसे लाभ जिनसे हैं, उनकी ओर अब तक जो सरकार की उपेक्षा रही है, मैं उस सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बड़ी योजनाएं बनी थीं, इंदिरा जी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में पेड़ों के लिए कहा था कि लगाए जाय। फिर भी जो उपेक्षा की गयी है, आँकड़े सरकार के हैं कि वन विभाग के लिए जो कार्यक्रम था वह हमारे वनों के 51,300 वर्ग किलोमीटर का था। इस समय कुल क्षेत्रफल हमारा 17.42 है जोकि आधे के बराबर है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार यह क्षेत्रफल साढ़े 33 परसेंट होना चाहिए, लेकिन वह आधे के करीब ही है।

हमारी पिछली काँग्रेस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। तो मैं कह रहा था कि वन देश के लिए बहुत अन्मोल सम्पत्ति है और हमारे जीवन के लिए भी, हमारे लिए स्वच्छ जलवायु और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक चीज है। ऐसी महत्वपूर्ण सम्पत्ति के लिए सरकार ने जो बजट मन्जूर किया है, इसमें 3–4 योजनाएं चल रही हैं। चतुर्थ योजना तीन वर्ष की है। इसमें अनुमानित धन रखा गया था 4,133.42 लाख; लेकिन अब तक कुल 1,352.90 लाख ही दिया गया है। इतनी बड़ी उपेक्षा की जा रही थी। इन योजनाओं में कोई प्रगति करने की बात नहीं सोची गयी। मैं अब अपनी सरकार को, जनता सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने 575·0 लाख रखा है, जो पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा है।

[श्री लीलवत सिंह]

भविष्य के लिए वनों के बारे में मेरा सुझाव पहला तो यह है कि जो श्रेणी रखते हैं वनों की वह तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जो अच्छी श्रेणी है एक और दो, उसको काटने की मुमानियत कर दी जाय और उनमें ऐसी चीजें, जैसे घास को पनपाया जाय।

जो वन लकड़ी के लिए रखे गए हैं निगम को सख्त हिदायत कर दी जाय कि उन्हीं में से लकड़ी काटी जाय। मैंने अक्सर देखा है कि जो अच्छे वन हैं उनमें से लकड़ियां काटी जाती हैं और वह वन बेकार किए जा रहे हैं। इसको बढ़ावा दे कर हम अच्छे वनों को खराब कर रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि उन वनों को सुरक्षित रखा जाय, उनका विस्तार किया जाय। आजकल वनों का विस्तार बहुत जरूरी है।

एक माननीय सदस्य ने बताया, जर्मनी में वनों से बहुत से बहुत ज्यादा इनकम होती है और भारत में उसके मुकाबले में बहुत कम इनकम है। तो इनकम बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम वनों का विस्तार करें। वनों से चलने वाले जो उद्योग धन्धे हैं, जैसे कागज का उद्योग है, उसके लिए यह जरूरी है कि हम उसकी घास को अच्छे ढंग से वनों में उगाएं और उसकी रक्षा करें। इसी के साथ-साथ पीरोजा, तारपीन और शहद का धन्धा भी बहुत अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। वनों में जड़ी बूटियां इतनी पाई जाती हैं कि सारे विश्व में भारत का नाम था। आज हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जड़ी-बूटियों से यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं वे एलोपैथिक दवाइयों से सस्ती होती हैं। उनसे एक गरीब आदमी भी अपना इलाज करवा सकता है। इसलिए जड़ी बूटियों को भी सुरक्षित रखा जाय।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वनों के लिए जो निगम बनाया गया है जिसका एक आफिस लखनऊ में भी है और जिसकी स्थापना हमारे एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि सन् 1974 में हुई थी वह ठीक कार्य नहीं कर रहा है। मेरा सुझाव है कि निगम को प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री लीलवत सिंह—

जी, मैं अभी खत्म कर रहा हूं। इसमें बड़े पदाधिकारियों के रहने के लिए तो अच्छे-अच्छे बंगले बने हुए हैं और छोटे कर्मचारियों को रहने के लिए इतनी असुविधा है कि वह क्या काम कर पायेंगे? मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके रहने के लिए ठीक व्यवस्था की जाय और वनों की तरक्की के लिए वन विभाग को खासतौर से हिदायतें दी जायं और वनों की सम्पत्ति को बढ़ाया जाय। इसी के साथ जो माननीय मन्त्री जी ने बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए चन्द शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। जहां तक वन विभाग का सम्बन्ध है हमारे आर्थिक जगत में उसका बड़ा महत्व है। देश के अधिकांश उद्योग वन विभाग के

ऊपर आधारित हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में वनों का विशेष महत्व है, लेकिन दुख है कि पिछले 30 वर्षों से इस वन विभाग की बड़ी उपेक्षा की गयी है। कानून बहुत बने हैं लेकिन उनका पालन नहीं हुआ है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। जो भी कानून वन विभाग के हैं उनका एक इंच भी पालन गांवों में नहीं होता है। यद्यपि यह कानून है कि हरे पेड़ काटे नहीं जा सकते जबतक कि उसका परमिट न लिया जाय लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर गांव में हर स्थान पर हरे पेड़ काटे जाते हैं और कानून का उल्लंघन होता है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं और सुझाव करता हूं, या तो इस प्रकार के कानून रद्द कर दिए जायं या उसका पालन कड़ाई से होना चाहिए और यह कानून की विडम्बना नहीं होनी चाहिए। कानून रहते हुए भी गांव में उसका पालन न किया जाय, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस सरकार से कि इस प्रकार के कार्य जो पिछले 30 वर्षों से होते रहे हैं उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। जहां तक हमारे जिले का सवाल है जैसा कि हमारे माननीय सदस्य, श्री बाबूराम जी ने बताया कि अनेक टकड़े वन विभाग की तरफ से लिए गए हैं, उसी में से कनकटी और चेतिया नामक स्थान भी लिया गया है। पिछले 15 वर्षों से वह प्लाट जंगल विभाग के अन्तर्गत लाया गया। मुझे स्वयं जानकारी है कि जब वह क्षेत्र वन विभाग में नहीं था, तो उसके अन्दर से एक भी पेड़ नहीं कटते थे, लेकिन जब से वह क्षेत्र वन विभाग के अन्दर आया, उस क्षेत्र के सारे के सारे पेड़ कट गए। मैं मांग करता हूं कि इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए कि पिछले 15–16 वर्षों से जो पेड़ चेतिया और कनकटी के जंगल में थे, अगर उसको बेच कर सरकारी खजाने में नहीं लाया गया, तो उसको बेचने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं उसके सन्दर्भ में केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी पेड़ चेतिया और कनकटी के जंगल में बचे हैं या तो सरकार एकदम उसको नीलाम कर दे और नीलाम करने के बाद पुनः उस क्षेत्र में नए ढंग से जंगल लगाने की व्यवस्था करे और नहीं तो जो पेड़ बचे हैं, उसको अब से न काटा जाय गैर कानूनी तरीके से, इसके लिए कोई कड़े उपाय सोचे जायें।

अन्त में एक सुझाव और देकर समाप्त करूंगा। एक हमारे क्षेत्र में परासी नाला है, 20–25 मील लम्बा है, उसके आस-पास जामुन के जंगल लगे हैं, लेकिन जहां पर जंगल नहीं हैं वहां के इलाकों को जंगल विभाग तार घेरवा कर अपने अधीन कर ले और जहां पर आप से आप जंगल हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार कर देने से स्वयं जंगल बन जायगा। उसकी ओर कभी विभाग का ध्यान नहीं गया। परासी नदी के दोनों तरफ जंगल जो हैं, उनको वन विभाग अपने कब्जे में लेकर जंगल बनाने की स्कीम बनाए। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्रमणी बड़ौनी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि उत्तर प्रदेश में वनों का विकास हो और उसके साथ ही एक बात जो मैंने बताई थी, वह यह थी कि जो वर्तमान जंगल हमारे पास हैं, उनको हम वैज्ञानिक तरीके से ठीक रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्र मणि बड़ौनी]

वन विभाग की ओर से, प्रत्येक सर्किल की ओर से जो वर्किंग प्लान बनी है, उसमें काफी स्पष्ट तौर से हर चीजों को दर्शाया गया है, कौन काम किस समय होना चाहिए, यह उसमें दिखाया गया है। लेकिन खेद इस बात का है कि जहां तक वनों के दोहन का सवाल है, पेड़ों के काटने का सवाल है, वह तो वर्किंग प्लान के मुताबिक लाट नीलाम किए जाते हैं। लेकिन जहां तक पेड़ों को लगाने की बात है, वर्किंग प्लान के मुताबिक काम नहीं हुआ। दूसरी चीज अधिष्ठाता महोदय, यह है कि कुछ जंगल ऐसे हैं जिनको आप कटवाते हैं लेकिन वहाँ पर सड़कें न होने के कारण उनकी 40 प्रतिशत लकड़ी ही हमारे काम आ पाती है। जब तक आप वहाँ पर सड़कें नहीं बनवा देते हैं तब तक इतना बड़ा नुकसान जो हो रहा है, एक तरफ तो लोग ईंधन के लिए तरस रहे हैं दूसरी तरफ आप जंगल कटवाते हैं तो उसका 60 प्रतिशत लकड़ी का उपयोग सड़कें न होने की वजह से नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ पर सड़कों का होना बहुत जरूरी है। मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ पहाड़ में आज जानवरों की संख्या काफी हो गयी है। यहाँ पर बहुत दिनों से यह समस्या चल रही है कि गूजरों को वहाँ बसाया जाय। तो उनको बसाने की बात कहीं और होनी चाहिए। पहाड़ों में इतने जंगल नहीं रह गए हैं कि गूजरों को पहाड़ पर भेजा जाय। इस सम्बन्ध में वन विभाग ने क्या किया है इसकी मैं जानकारी चाहूंगा।

मान्यवर, इसके अलावा वन मन्त्री जी देहरादून गए थे, शायद मंसूरी भी गए थे। आपने देखा होगा कि देहरादून और मंसूरी में चुन्नी पत्थर वालों ने उस सारे इलाके को बरबाद कर दिया है। बहुत छोटी रकम वन विभाग को मिलती है। सारा देहरादून शहर नंगा हो रहा है। रिसवणा का बरसात में बहुत भयंकर रूप हो जाता है। इसलिए आप खनिज पदार्थों के लिए जो एलाटमेंट करते हैं उसको देखकर करना चाहिए ताकि जंगलों को नुकसान न हो। इसके साथ-साथ वन निगम की बात आई। श्रीमन्, वन निगम एक प्रयास है जो 2-3 वर्षों से चल रहा है। एक बात वन निगम ने अपनी पुस्तिका में लिखी है कि जितने पेड़ हम काटेंगे उतने पेड़ लगायेंगे। तो दो सालों में जितने पेड़ कटे, देखने की बात है कि पेड़ों के लगने का नाम नहीं है। यह खाली किताब की बात रह गयी है कि पेड़ लगायेंगे। इसके अलावा जैसे टोन्स के लिए एक योजना दी है। मैं वन विभाग से निवेदन करूंगा कि वन निगम वही रास्ता अख्तियार कर रहा है जिस तरह से ठेकेदार, सहकारी समितियाँ लाभ ही देखती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका 5 मिनट का समय रह गया है।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—

पाँच मिनट बहुत अधिक हैं। आपका आभारी हूं। तो वन निगम जो है वह उसी नीति पर है जो मालदारों और ठेकेदारों की रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस नीति से काम नहीं हो सकेगा। वन निगम को तमाम अपन मजदूरों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, लागिंग के बारे में, जड़ी बूटियों को निकालने के बारे में, लीसा निकालने के बारे में। उनको पूरे मजदूर रखने चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरी बात यह है कि वन निगम को, जैसा मैंने कहा है कि टोन्स डिवीजन में उन्होंने कहा है कि एक सर्वांगीण विकास

की योजना बना रहे हैं। तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि वनों के बीच में जो लोग रहने वाले हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सड़क वाले कहते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या कम है इसलिए सड़क नहीं बनायेंगे। नहर वाले कहते हैं कि वहाँ पर जमीन बहुत कम है इसलिए नहर नहीं बनायेंगे। बिजली वाले कहते हैं कि हमें लाइनें बहुत दूर तक ले जानी पड़ती हैं, तो बिजली नहीं लगायेंगे तो फिर आप बतायें कि पेड़ तो वहाँ के दूसरे लोग कटवाते हैं तो उन लोगों के हाथ में क्या रह गया ? वह लोग जंगलों से घिरे हैं, जंगलों की रक्षा कर रहे हैं।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि वन निगम हो या वन विभाग हो, वह ऐसी नीति अपनाए जिससे उन लोगों को काम मिल सके।

एक बात फिर कहना चाहता हूं कि मध्य हिमालय तमाम नदियों का उद्गम स्थान है। अगर आपको अपने प्रान्त को ही नहीं बंगाल और बिहार को, बाढ़ और वर्षा से बचाना है तो आपको इस बारे में सोचना होगा और एक राष्ट्रीय नीति अपनानी होगी। यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से जंगलों का जो शोषण हो रहा है उसको रोका जाय। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप जहाँ और कामों में बहुत तेज हैं, इस वन के काटने के मामले में तेजी न बरतें। वर्किंग प्लान के हिसाब से कटान होना चाहिए। पहाड़ में कुछ उद्योग लगे हैं और उनको पेड़ों का एलाटमेंट हुआ है। इसकी आप जाँच करा लें क्योंकि कुछ लोगों ने पेड़ों का एलाटमेंट करा लिया है जबकि वह कोई उद्योग नहीं चलाते। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वन नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसमें उन्हें हमारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

श्री श्रीचन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्मानित सदस्यों की बात को सुना और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके सुझावों पर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। जहाँ तक बड़ौनी जी का यह कहना कि वर्किंग प्लान के हिसाब से काम नहीं होता तो मैं बतलाना चाहता हूं कि पिछले वर्किंग प्लान का रिव्यू हुआ है और 10 वर्षों के अन्दर जितना कटान हुआ है उसका विश्लेषण किया गया है। सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार को यह शिकायत भेजी थी और यहाँ से पूरी डिटेल में रिपोर्ट जा चुकी है। मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी आदेश वहाँ से होंगे उनको हम मानेंगे। एक बात उन्होंने छोटे कर्मचारियों के बारे में कही तो सरकार उस ओर जागरूक है। माननीय सदस्य रामचरण साह ने जंगली जानवरों से पालतू जानवरों के नुकसान की बात कही और कहा कि ऐसे मामलों में कम्पेंसेशन देना चाहिए। इसमें भी शासन सक्रिय है। और भी माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं उन पर भी विचार किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस अनुदान का समर्थन कर पास करने की कृपा करें।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सड़कों के किनारे चीड़ और यूकेलिप्टस के पेड़ लग रहे हैं। उन स्थानों पर फलदार वृक्ष लगायेंगे अथवा नहीं ? दूसरा यह प्रश्न है कि भिनगा में जो 10 लाख की नाजायज कटान हुई थी उसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री श्रीचन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सम्मानित सदस्य का प्रश्न पेड़ लगाने का है उसके बारे में विश्वास दिलाता हूं कि इस ओर अवश्य कार्यवाही करूंगा। और जहाँ तक 10 लाख की बात है उसकी जाँच की जाएगी।

श्री राम लखन (जिला इटावा)—

जो जमीन नदी के किनारे पड़ी रहती है और उस क्षेत्र के रहने वाले गरीब लोग उस जमीन पर खरबूजा वगैरह बो लेते हैं। वह जमीन ठेकेदारों को दे दी गयी है जो उसे उन गरीब लोगों को बड़े महंगे दामों पर उठाते हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी सीधे उन गरीब किसानों को उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप भाषण दे रहे हैं। आप बैठिए।

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह बताना चाहता हूं कि गोरखपुर मण्डल में जो वन रक्षक से निम्न श्रेणी में काम करते हैं, उनको उनकी सेवा की अवधि को देखते हुए वन रक्षक और निकासी मोहर्रिर पर तरक्की दी जाती है, लेकिन अब उनको तरक्की नहीं दी जाती है और अधिकारी अपने भाई-भतीजों को रख लेते हैं और दूसरा. . .

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

यह कि जो वहाँ पर टानिया जाति के काश्तकार हैं उनकी सरकारी मान्यता प्राप्त समिति बनाई जाय और उनकी सुविधाओं का ख्याल किया जाय। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन पर विचार करें।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय वन मन्त्री जी से स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि सहारनपुर कागज मिल को चीड़ की लकड़ी क्यों सस्ती दी जाती है ? आपातकाल में इन वनों की रक्षा के लिए बड़ी सम्पदा खर्च की गयी थी तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जाँच करायेंगे कि वह सम्पदा सही रूप से खर्च की गयी अथवा नहीं ? और जिस पर इतना रुपया खर्च किया गया है वह मौजूद है या नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र—

सहारनपुर की जो कागज की मिल है उसको लकड़ी देने के सम्बन्ध में बाकायदा एग्रीमेन्ट है, उसी के हिसाब से लकड़ी दी जाती है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो निर्णय होगा उसे मैं सम्मानित सदस्य को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न का घन्टा नहीं है। माननीय मन्त्री जी, आपने श्री श्याम नारायण के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री श्रीचन्द्र—

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य लिखकर दे दें या मुझसे मिल लें तो मैं उनकी शंका का निवारण कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

श्री बड़ौनी जी, आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—

कटौती का प्रस्ताव तो प्रजातन्त्र की एक बहुत बड़ी चीज है, उसको रहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55—के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55–वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,90,88,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83–वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,12,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 6—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण तथा अनुदान संख्या 11–बिक्री-कर

*संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]

के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,65,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,39,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11—बिक्रीकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,51,60,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इन सब माँगों में बिक्री-कर की माँग बहुत ही प्रमुख है। अपनी बात को रखते समय उत्तर प्रदेश की व्यापारिक और औद्योगिक स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इतना बड़ा प्रदेश और इतनी विशाल जनसंख्या के बावजूद भी उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पा रहा है जिसे प्राप्त करना चाहिए। इसके अनेक कारण हैं। एक तो सरकार की व्यापारिक नीति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिछली सरकार ने जो नीति अपनाई उसकी मैं आलोचना नहीं करूंगा लेकिन वह काल्पनिक और अव्यावहारिक थी, जिसके कारण व्यवसाय धीरे-धीरे दूसरे प्रदेशों में खिसकते गए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों में व्यापारिक नीति लिबरल, उदार थी जिसके कारण उन्होंने प्रगति कर ली। अब हमारी सरकार उसको एक नया रूप देने का प्रयास कर रही है।

जैसा सभी को मालूम है कि जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था कि बिक्री-कर को समाप्त करके उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगायेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रश्न पर बड़ी गहराई से विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में मन्त्रि परिषद् की एक उप समिति गठित की गयी थी और उसने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि 31 अक्तूबर, 1977 तक वह समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी।

उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर की स्थिति क्या है, उसकी ओर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। 1975—76 में 175.80 करोड़ की आय बिक्री-कर से हुई जो समस्त राजस्व का 43.9 प्रतिशत है। इसी तरह से 1976—77 में बिक्री-कर से 208.70 करोड़ आय हुई जो समस्त राजस्व का 46.9 प्रतिशत है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर स्थिति यह है कि बिक्री-कर के रजिस्टर्ड डीलर्स की संख्या 2,18,000 है और विषमता इस प्रकार से है कि इन रजिस्टर्ड डीलर्स में कुल 15 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे कर का 85 प्रतिशत ही देते हैं लेकिन 32,000 डीलर्स 178 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देते हैं। यह 85 प्रतिशत जिनकी संख्या 1.85 लाख है, कुल बिक्री-कर का 5 प्रतिशत अर्थात् 30 करोड़ कर देते हैं। स प्रकार देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इस बिक्री-कर की नीति से प्रभावित नहीं हैं। इस बिक्री-कर विभाग का खर्च 2.1 प्रतिशत है। आज बिक्री-कर विभाग

अनेकों कठिनाइयों के साथ काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर विभाग में जितने कर्मचारी और अधिकारी होने चाहिए, उतने नहीं हैं। 31 मार्च, 1977 को बिक्री-कर अधिकारियों के कुल 723 पद थे जिनमें केवल 336 पदों पर नियुक्तियाँ हुयीं। सहायक बिक्री-कर अधिकारी के 618 पद थे जिनमें केवल 415 ही कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार इतनी कम संख्या होते हुए भी जिस प्रकार हमारे बिक्री-कर अधिकारियों ने काम किया है वह सराहनीय है।

मान्यवर, इन सब चीजों को देखते हुए इस नई सरकार, जनता सरकार ने पिछली सरकार की नीतियों की विवेचना की और यह देखा कि पिछली सरकार का उद्देश्य बिक्री-कर नीति के सम्बन्ध में एकसूत्रीय रहा। पिछली सरकार चाहती थी कि व्यापारियों से केवल राजस्व की प्राप्ति हो। प्रदेश के व्यापार और उद्योग की ओर उनका ध्यान नहीं था। बिक्री-कर की वसूली के लिए विभिन्न तिथियाँ दे दीं और उनको वसूल किया। प्रशासनिक आदेशों के द्वारा उसमें और भी जटिलता पैदा कर दी गयी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस नीति के कारण यहाँ व्यापार को धक्का लगने लगा और प्रदेश का व्यवसाय दिल्ली की ओर खिसक गया। दिल्ली में बड़ा भारी वितरण केन्द्र बन गया। उत्तर प्रदेश इसका लाभ उठा सकता था। अपनी नीतियों में परिवर्तन करके वह ऐसा कर सकता था कि देश के अन्य प्रदेशों का व्यापार उत्तर प्रदेश की ओर डाइवर्ट हो जाय, लेकिन हुआ इसके उल्टा और इसम दिल्ली प्रदेश की बिक्री-कर नीति का बड़ा भारी हाथ था और फलस्वरूप दिल्ली बहुत बड़े वितरण केन्द्र के रूप में बदल गया।

एक चीज और थी। उत्तर प्रदेश के अन्दर सायकिल, ताला, हस्तकला और जो छोटे-छोटे उद्योग थे, उनके सम्बन्ध में इस प्रदेश की जो बिक्री-कर नीति थी, उसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता था और लोगों में चोरी की प्रवृत्ति बढ़ती थी। इन चीजों को देखते हुए इस नई सरकार ने नए सिरे से विचार किया। इसमें हमने तीन दृष्टिकोणों को सामने रखकर विचार किया। पहला राजस्व का दृष्टिकोण, दूसरा प्रदेश के व्यवसाय की प्रगति का दृष्टिकोण और तीसरा बिक्री-कर अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने का दृष्टिकोण। इन तीन दृष्टिकोणों को सामने रखकर हमने इस पर विचार किया और विचार करके नयी नीति अपनाई है जिसको कहा गया है प्रोत्साहनात्मक बिक्री-कर नीति या कम्पेटीटिव-कम-इनसेन्टिव सेल्स टैक्स पालिसी। नई जनता सरकार ने इस नीति को अपनाया है। यह एक नीति है जो मूल मन्त्र है। इसका उद्देश्य है कि जहाँ एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार में जब तक बिक्री-कर समाप्त नहीं होता तब तक पर्याप्त . . . .

(व्यवधान)

और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में व्यापार और उद्योग फैले। हमारे सामने पंजाब और हरियाणा जैसे छोटे-छोटे प्रदेशों के उदाहरण हैं। आज पंजाब, हरियाणा में सरकार की नीति के कारण बड़े भारी उद्योग स्थापित होते हैं वहीं व्यवसाय काफी ऊंचाई पर है। हम यह चाहते हैं कि इन करों की दरों पर पुनर्विचार करें, करों के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया है विधि है, नियम हैं उनम संशोधन करें। और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बिक्री-कर सरलीकरण समिति की स्थापना की। इस सरलीकरण समिति में विभागीय अधिकारी हैं, विधायकगण हैं और विधायकगणों के साथ-साथ व्यापारियों और उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, वकील

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]

हैं। बिक्री-कर की जो सरलीकरण की समिति है, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, उसने 63 मुद्दों पर अपनी सिफारिशें 1 अक्तूबर को भेज दी है। क्योंकि इसका कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है इसलिए इसका कार्यकाल 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है और अपेक्षा की जाती है कि 31 अक्तूबर, 1977 तक इसकी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी।

उद्देश्य यह था कि जितनी असंगतियां हैं, विषमतायें हैं, बिक्री-कर प्रणाली में उनको दूर करने, परिवर्तन करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाय। बिक्री-कर में ऐसे संशोधन करें ताकि एक ओर राजस्व की हानि न हो और दूसरी ओर व्यवसाय और उद्योग बढ़े। अनेक कठिनाइयां सरकार के सामने हैं।

इसके लिए कुछ ऐसे उद्योग हों, कुछ ऐसे व्यवसाय हों जिनमें छोटे-छोटे व्यक्ति प्रभावित हों। आपका एल्यूमिनियम का उदाहरण देना चाहता हूं। आपके घरों में, माननीय सदस्यों के घरों में टूटे बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के। उनको बेच दिया जाता है। अगर उनको गला कर एल्यूमिनियम के बर्तन बना देते हैं तो फिर दुबारा उन पर कर भार पड़ता है। एक ओर तो आपके द्वारा खरीदे गए बर्तनों पर परचेज टैक्स देना होगा और दूसरी ओर नए बर्तनों को बनाए जाने पर बिक्री-कर देना होगा और नतीजा यह हुआ कि इसका सीधा प्रभाव प्रदेश के अन्दर मूल्यों पर पड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन सारी बातों को देखते हुए बिक्री कर अधिनियम की धारा 3(इ) को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। उत्तर प्रदेश से परचेज टैक्स समाप्त कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में अब शीघ्र ही विधेयक पेश किया जायगा। इतना ही नहीं जैसा माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा हमने अनेक वस्तुओं पर बिक्री-कर में संशोधन करने का निर्णय लिया है बेबी फूड आदि, जिनका उल्लेख मैं ज्यादा नहीं करूंगा, वस्तुओं का मूल्य बाजार में गिरा है।

जैसा मैंने कहा लगभग 1 लाख 85 हजार व्यापारी केवल 15 प्रतिशत बिक्री-कर देते हैं और इसलिए उनको सुविधा देने की दृष्टि से और बड़े-बड़े व्यापारियों पर अपना पंजा कसने की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन व्यापारियों की वार्षिक बिक्री-कर की राशि केवल ढाई हजार रुपए होगी ऐसे व्यापारियों को कर प्रपत्र के साथ अपने हिसाब-किताब को भी दाखिल करना होगा। जैसा कि इनकम टैक्स में होता है इनका यह विवरण स्वतः ही स्वीकार कर लिया जायगा और उसी आधार पर उन पर बिक्री-कर लगेगा। इससे इन व्यापारियों को बड़ी सहूलियत मिल जायगी और विभाग को भी बड़े लोगों के प्रति ध्यान देने का समय मिलेगा। हम इस प्रणाली को इनकम टैक्स प्रणाली के आधार पर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार ने यह निर्णय किया है कि जिन व्यापारियों को वार्षिक बिक्री कर 500 रुपए तक लगे जो अपना त्रैमासिक रिटर्न दिया करते थे, माहवारी रिटर्न दिया करते थे, उनके लिए वर्ष में एक बार रिटर्न और हिसाब किताब देने के लिए कर दिया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा जिनकी आमदनी औसतन 100, 200 रुपए माह हो।

बिक्री-कर की एक और बड़ी वस्तु है जिसके बारे में सारे प्रदेश की जनता को बड़ा असन्तोष था और वह है न्याय और विवेक। अनेक प्रतिवेदन सरलीकरण समिति को

प्राप्त हुए हैं कि न्याय और विवेक में अंकुश लगना चाहिए। मुझे एक घटना याद आती है जब एक व्यापारी ने ईटों की बिक्री दस लाख से ऊपर दिखाई। 11 लाख दिखाई और बिक्री-कर अधिकारी ने अपने न्याय और विवेक का प्रयोग करते हुए वह बिक्री घटा दी। एक आश्चर्यजनक बात थी। बिक्री घटा दी लेकिन अनेक उदाहरण इस प्रकार के हैं कि न्याय और विवेक का इस्तेमाल करने वाले बिक्री-कर अधिकारी ने 4 और 5 गुना बिक्री-कर लगा दिया। इससे असन्तोष व्याप्त होता है और उसका सीधा-सीधा प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि न्याय और विवेक सम्बन्धी अधिकार के सम्बन्ध में सुपीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के आधार पर गाइड लाइन्स बना कर उसको नियम-बद्ध करेंगे और जब तक वह नियमों का रूप नहीं लेते हैं तब तक प्रशासनिक आदेश दिए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

इसी तरह से जब कोई व्यापारी हिसाब-किताब प्रस्तुत करता है और यकायक अधिकारी लिख देता है कि हिसाब-किताब रद्द किया गया और उसने न्याय और विवेक के अधार पर कर लगा दिया। अब इस सम्बन्ध में हमने एक नई प्रणाली स्वीकार की है किसी भी व्यापारी का अगर हिसाब-किताब रद्द होगा तो बिना कारण बताए उसे रद्द नहीं किया जा सकता। बिक्री-कर अधिकारी नोटिस देगा कि इस कारण तुम्हारा हिसाब-किताब रद्द किया गया है, आकर कारण बतलाओ। इससे जो अनेक प्रकार के असन्तोष हैं वह दूर हो जायेंगे। पिछली सरकार ने तारीखों का बिना ध्यान किए जब चाहा कर वृद्धि की विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी उससे बड़ी जटिलता पैदा होती थी। नई सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब कोई कर वृद्धि होगी तो वह त्रैमासिक की पहली तारीख से होगी, यह नहीं कि जब चाहा नोटीफिकेशन कर दिया।

एक चीज और है। अनेक बार यह देखने में आया कि बिक्री-कर अधिकारी एक पक्षीय कर निर्धारित कर देता है। व्यापारी बाद में उसे निरस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र देते हैं। ये प्रार्थना-पत्र वर्षों, महीनों पड़े रहते हैं। अब प्रशासनिक आदेश के द्वारा यह निर्णय कर दिया गया है कि एक पक्षीय कर निर्धारण को रद्द करने, रेक्टिफिकेशन करने के सम्बन्ध में जो दरखास्तें दी जाती हैं उन पर निश्चित समय के अन्दर फैसला करना होगा और सर्वेक्षण के लिए हमने इस सम्बन्ध में गाइड-लाइन्स बना दी हैं और सर्वेक्षण अधिकारियों के पास उनको भेजा जा रहा है। कुछ चीजें और हैं जिनके ऊपर सरकार ने विचार किया है और निर्णय भी लिया है।

अक्सर यह देखा जाता है कि छोटे-छोटे व्यापारियों पर किसी पर 100 और किसी पर 500 रुपए सेल्स टैक्स के हैं और किसी कारण नहीं दे सके, सूद की दर बहुत अधिक 18 और 24 फीसदी लगा दी जाती है उस सम्बन्ध में अब यह निर्णय लिया गया है कि जिस व्यापारी पर केवल 500 रुपए तक बिक्री-कर है अगर वह 6 महीने के अन्दर उस बिक्री-कर को देता है तो उस पर केवल ब्याज लगेगा, और अर्थ दण्ड नहीं लगेगा और बड़े व्यापारियों पर जिस तरह से 18 और 24 फीसदी सूद लगता आया है वह लगता रहेगा। अर्थ दण्ड भी वैसे ही रहेगा। एक निर्णय यह लिया है कि मुकदमें में किसी कारण फैसले नहीं हो

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]

सके--अधिकारियों के फैसला न करने के कारण रुक गए या किसी अन्य कारण से जसे 52, 57 तक के कुछ मुकदमें निर्णय के लिए पड़े हुए हैं तो उनके लिए समय की सीमा अब बाँध दी गयी है। जिस प्रकार से इनकम टैक्स में सीमा बन्धी हुई है कि इतने वर्ष के बाद किसी प्रकार से एकाउन्ट को रिओपिन नहीं किया जा सकता, उसी तरह से सेल्स टैक्स में भी करने का निर्णय ले लिया गया है। इससे निश्चितता उत्पन्न होंगी। इसके अलावा अक्सर यह भी देखा जाता है कि फार्म–सी को छोटे-छोटे टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर जिनका कोई विशेष असर नहीं होता है अस्वीकार कर दिया जाता है। अब यह निर्णय ले लिया गया है कि फार्म–सी को टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर अस्वीकार नहीं किया जायगा। एक और सुझाव पर भी निर्णय ले लिया गया है जिसका प्रभाव सारे प्रदेश के ऊपर पड़ेगा। और वह प्रस्ताव है खाद्यान्नों पर से बिक्री-कर को हटाने का। सरकार इस बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है और खाद्यान्नों के ऊपर से बिक्री-कर हटाने में अनेक पहलू हैं। उन पर विचार करके सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय ले लेगी कि हमें खाद्यान्नों पर से बिक्री-कर हटाया है अथवा नहीं।

मान्यवर, मैंने जहाँ इतनी सुविधाओं का जिक्र किया लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि सरकार व्यापारियों का पक्ष ले रही है। हमने प्रयास किया है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। हम कटिबद्ध हैं कि इस प्रदेश को हम स्वच्छ प्रशासन देंगे जिसके लिए हमने अनेक प्रयास किए हैं और विभाग को पुनर्गठित किया है। इसके साथ-साथ जहाँ-जहाँ भी शिकायत आई हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की है। जितने अधिकारी हैं उनसे उनकी चल और अचल सम्पत्ति का ब्योरा माँगा है कि पिछले 10 वर्षों में किस हद तक चल और अचल सम्पत्ति अर्जित की है। उसका ब्योरा आ गया है और जिस अधिकारी के बारे में यह मालूम होगा कि उसने अपनी तनख्वाह से अधिक चल या अचल सम्पत्ति अर्जित की है उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य कार्यवाही भी की जायगी। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा बिक्री-कर अधिकारियों की निगरानी की जायगी। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम होगा कि इटावा में बिक्री-कर अधिकारी को गिरफ्तार किया गया और गाजीपुर में एक सहायक बिक्री-कर अधिकारी गिरफ्तार हुआ। इन सबको तुरन्त निलम्बित कर दिया गया है और आवश्यकता हुई तो उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा भी चलाया जायगा और विभागीय कार्यवाही होगी।

मुरादाबाद में बिक्री-कर अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप पर उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया और उसे निलम्बित भी कर दिया है। उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। इसके अतिरिक्त 7 सहायक बिक्री-कर अधिकारियों के बारे में शिकायत मिली थी उनका स्थायीकरण रोक दिया है और उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी गयी। 5 बिक्री-कर अधिकारी हैं जिनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां की गयीं। इसके अतिरिक्त 5 बिक्री-कर अधिकारी ऐसे हैं जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी है, उनकी दक्षता पार करने पर रोक लगा दी।

जांच चौकियों में वृद्धि की गयी है ताकि बिक्री-कर की चोरी न हो सके। 1974 में प्रथम बार 15 जांच चौकियां स्थापित की गयीं और 1975 में 3 और 1976 में 6 और

जांच चौकियां बढ़ाई गयीं जिसके कारण जांच चौकियों की संख्या उत्तर प्रदेश में 24 हो गयी हैं । माननीय सदस्य देखेंगे कि पिछल दो महीने के अन्दर जिसका मैं अभी विवरण दूंगा अधिक वाहनों की जांच हुई, अधिक करापवंचन का पता लगा है और अधिक कर की वसूली हुई है ।

इसके अतिरिक्त एक जो विशेष अनुसन्धान शाखा स्थापित की गयी थी उसे पिछले 4, 5 महीने में अधिक सक्रिय कर दिया गया है और सचल दल भी सक्रिय हो गए हैं । सतर्कता विभाग की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए हैं । 1964–65 से अनेक बिक्री-कर अधिकारी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थ और कितने ही स्थानापन्न होकर असिस्टेन्ट के रूप में कार्य कर रहे थ उनकी सीनियारिटी लिस्ट बनाई है और उनको अपने पदों पर स्थायी करने का निर्णय ले लिया गया है । उसमें 31 मार्च, 1978 के पहले डिपार्टमेंट के पदों पर स्थायी कर दिया जायेगा ताकि इस विभाग के रिआर्गनाईज होने पर वे बेकार न हो जाय और उनके अबजोर्पशन में कोई परेशानी न हो। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा जिससे उनके कार्य पर वैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी । इस प्रकार कर्मचारियों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा ।

सहायक बिक्री-कर अधिकारी के पदों पर तीसरे दर्जे के कर्मचारियों को टेस्ट लेकर नियुक्त किया जायेगा । इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में एक परीक्षा उनकी होगी । इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा ।

मान्यवर, कर निर्धारण के मामलों में अपीलों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं । जहां तक करापवंचना को रोकने और प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रश्न है हमने प्रशासनिक पुनर्गठन किया है और क्षेत्रीय उपायुक्त की संख्या 5 से 11 कर दी गई है और सहायक उपायुक्त की संख्या 11 से 22 कर दी गयी है और सहायक विधि आयुक्त का एक पद कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े शहरों में एसेसमेंट का कार्य बिक्री-कर अधिकारियों पर न छोड़कर, कर निर्धारण का कार्य एक ऊंचे और जिम्मेदार अधिकारी पर सहायक आयुक्त पर छोड़ दिया है । ऐसी व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त नौबतपुर पर, जो जांच चौकी है, जिसके बारे में काफी मात्रा में शिकायतें मिलती रहीं हैं, एक सहायक आयुक्त (जांच) की नियुक्ति करदी गयी है । इसी प्रकार से मोहन नगर, जिला गाजियाबाद में जांच चौकी पर एक उपायुक्त की नियुक्ति की गयी है, जिससे अधिक सक्रियता से वहां पर निगरानी रखी जा सके ।

सचल दल अधिक स्थापित किए गए हैं । मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगा जो स्थापित किए गए और उन्होंने जो अपने कार्य में सफलता प्राप्त की है । इस सरकार ने इन 3–4 महीनों में जो कुछ किया है उसके बारे में । जांच चौकी पर बिना फार्म 31 व 32 के पकड़े गए ट्रकों की संख्या जो पिछले वर्ष जुलाई व अगस्त, 1976 में 15,494 थी, वह संख्या इस वर्ष यानी जुलाई व अगस्त, 1977 में दुगने से अधिक हो गयी है । इन दो महीनों में बिना फार्म 31 व 32 के 34,054 ट्रक पकड़े गए हैं । न केवल इतना इन सचल दलों द्वारा वाहनों से जो वसूली की गयी है, वह भी हमारी प्रगति को दर्शाती है । जुलाई

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]

व अगस्त, 1976 में यह धनराशि केवल 0.33 लाख थी, इस बार इन्हीं दो महीनों में अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1977 में बढ़कर 1·97 लाख रुपए की हो गयी है। इसी प्रकार से सचल दल द्वारा ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों और रेलवे गोदामों पर जांच के दौरान वसूल की गयी जमानत की राशि में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आप देखें, उसका भी तुलनात्मक विवरण मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं कि जो राशि पिछले जुलाई व अगस्त महीने में 1.87 लाख थी, इस वर्ष उन्हीं दो महीनों में बढ़कर 2,30 लाख तक पहुंच गयी है। इसी प्रकार विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा जो जांच किए गए मामले हैं, उनके अपवंचित विक्रय धन में काफी सन्तोषप्रद वृद्धि हुई है करापवंचन की यह धनराशि जो अप्रैल से अगस्त, 1976 के बीच पिछली बार 11 करोड़ थी इस वर्ष उसी अवधि में बढ़कर 56 करोड़ 53 लाख पहुंच गयी है। इस प्रकार आप देखें 5 गुना से अधिक विक्रय कर धन इस वर्ष लगाए गए हैं। इस तरह से देखें तो जुलाई-अगस्त, 1976 में जो यह धनराशि 6.91 करोड़ थी, जुलाई-अगस्त, 1977 के दो महीनों में बढ़कर 27.45 करोड़ हुई है। इस प्रकार माननीय सदस्य देखेंगे जुलाई-अगस्त, 1977 से उत्तर प्रदेश में विक्रय-कर संग्रह के बारे में, कर की चोरी का पता लगाने के बारे में बहुत ही भारी प्रगति हुई है। हम पिछले वर्ष की तुलना में चौगुनी और पंचगुनी प्रगति कर सके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इस कर-नीति को नया रूप देने का प्रयास कर रही है। हमारे सामने भविष्य की योजनाएं हैं, सरलीकरण कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर के नियमों और प्रक्रिया में सुधार करने का हम प्रयास करेंगे और इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेंगे।

सारे प्रदेश में बिक्री-कर ही नहीं, कर्मचारियों में एक नयी भावना और विश्वास भी पैदा हुआ है। रजिस्ट्रार के बारे में भी मैं अब कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसकी भी मांग प्रस्तुत की है। उत्तर प्रदेश के अन्दर 256 सब रजिस्ट्रार के कार्यालय हैं। इनके कार्यालयों में कार्य-वृद्धि के अनुसार वृद्धि करने का निश्चय किया गया है। पिछली बार ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में एक कार्यालय नया खोला गया है। जहां-जहां भी आवश्यकता होगी, वहां पर सब रजिस्ट्रार के अधिक कार्यालय खोलने का हमारा इरादा है। पिछली सरकार ने एक नियम बनाया था, मैं उसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। वह नियम यह था कि किसी कार्यालय में 1,000 केसेज पर 3 से अधिक दस्तावेज लेखक नहीं रहेंगे। जब से यह नियम लागू हुआ, उस दिन से तमाम दस्तावेज लेखक, जिनकी दैनिक आमदनी 10-15-20 रुपया होती थी, उनकी संख्या घटने लगी और सब-रजिस्ट्रार ने कहा कि हम तुम को अब लाइसेन्स नहीं देंगे। तीन के बाद उसने रोक दिया। इससे उनके सम्मुख भारी बेकारी की समस्या आ गई। हमने, हमारी जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है, नियमों में परिवर्तन करके यह निर्णय लिया है कि इन दस्तावेज लेखकों में से कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होने पाएगा।

इसके अतिरिक्त कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि रजिस्ट्रार कार्यालय में नकल प्राप्त करने में बहुत देरी होती है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि ऐसे दस्तावेज कार्यालय, जहां ऐसे नकल के प्रार्थना पत्र आते हैं, वहां फोटो मशीनों द्वारा नकल देने की प्रथा अपनाई जाये। इस पर विचार किया जा रहा है। इससे एक ओर तो नकल करने में

देरी नहीं होगी, दूसरी ओर भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। आमतौर पर यह शिकायत आती रहती है कि लोगों से पैसा मांगते हैं। इसलिए कि नकल देने में देरी होती है। उस शिकायत को दूर करने के लिए फोटो-कापी की पद्धति पर विचार कर रहे हैं। लघु और सीमान्त कृषकों को कृषि उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त करना होता था। उसके लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता था, उस पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस को भी कभी-कभी देना था। उसको माफ कर दिया गया है। इसी प्रकार हरिजनों को मकान बनाने के सम्बन्ध में स्टाम्प से छूट दे दी गयी है, रजिस्ट्री शुल्क से भी छूट देने का इरादा किया गया है।

इन सब बातों को माननीय सदन के सदस्यों के समक्ष रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जो मांगे मैंने प्रस्तुत की हैं वे पारित की जायं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 11—बिक्री कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, हम बड़े अनुगृहीत हैं माननीय मन्त्री जी के जिन्होंने बिक्री-कर विभाग से शुरू किया और बड़े ब्योरे से कुछ बातें बतायी हैं। मैं उनको इसलिए बधाई देता हूं कि कुछ समस्याओं और उपलब्धियों के वे उत्तराधिकारी हैं। तीस वर्ष बाद जो शासन आया है, उसको उस दौरान जो अनुभव हुआ, उस अनुभव से कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो आज नई सरकार जो आई है वह जरूर बतला सकती है कि यह-यह कमियां रहीं। वह अनुभव की कमियां है। साथ-साथ यह भी बतला सकती है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है।

मैंने दो-तीन साल के मन्त्रियों के भाषणों को देखा भी है, क्योंकि यह विभाग था नहीं लेकिन मदें बहुत थीं। उन मदों पर जब-जब मन्त्री जी बोले हैं पहले भी तो इतने ब्योरे से न हो लेकिन इस सम्बन्ध में बिक्री-कर के सम्बन्ध में, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ बात जरूर कही है। नयी सरकार ने वित्त मन्त्रालय का बंटवारा किया और अब इसको संस्थागत वित्त मन्त्रालय बना दिया। तो अच्छा हुआ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि संस्थागत वित्त मन्त्रालय बना दिया लेकिन वित्त की बातें भी, करों की बातें भी इनको नहीं दी गयी। फिर केवल करों की बात है खर्चे की बात कुछ नहीं है। एक विभाग के पास इस तरह की संस्थाओं का वित्त का काम रहे तो इतनी अच्छाई तो हो सकती है कि उस पर विशेष ध्यान देकर काम किया जा सकता है। माननीय मन्त्री जी ने एक पुस्तक प्रसारित की है, मैंने उसको पढ़ने की चेष्टा की है, "उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक की

[श्री श्याम धर मिश्र]

रूपरेखा," 1977–78 की, उसके पृष्ठ 9 पर है बिक्री-कर के आय-व्ययक का अनुमान आज 224 करोड़ का है वह 1971–72 में केवल 70 करोड़ रुपया था। पांच वर्ष में 224 करोड़ आ गया है। यह नहीं कि मैं सन्तुष्ट हूं अगर इस प्रदेश का औद्योगीकरण और हो जाय तो मैं मानता हूं कि और भी गुन्जायश है बढ़ने की। महाराष्ट्र को देखा जाय करीब 600 करोड़ रुपए का सेल्स टैक्स आता है। तामिलनाडु में करीब 400 करोड़ आता है। वे हमसे भी छोटे प्रदेश हैं।

हमारे प्रदेश में जब कि प्रगति बहुत हुई है 70 करोड़ से पांच वर्ष में, 224 करोड़ इस साल है और पिछले साल 217 करोड़ था। यह देखा जाय कि पुनरीक्षित अनुमान 217 करोड़ तो पुराना है लेकिन पुरानी आय भी तो है, इसलिए दोनों का समन्वय आपको करना होगा। मेरे सामने बहुत से आंकड़े हैं और मन्त्री जी के भी आंकड़े हैं। आप पेज 21 पर देखें कि उत्तर प्रदेश सरकार का तीन सौ इकसठ करोड़ रुपए का कर राजस्व है जब कि तामिलनाडु में 344 करोड़ है आपके यहां प्रति व्यक्ति 35 रुपए है जबकि महाराष्ट्र में 109 रुपए है और पूरी कर राजस्व आय 621 करोड़ है। इसके क्या माइने हुए ? इसके माइने यह हुए कि अभी हमारी खेती करने वाली आर्थिक व्यवस्था है। कुछ सुधार भी हुआ है। लेकिन काफी हद तक उद्योगों की ओर आपको जाना है इसमें भी इन्वेस्टमेंट हो। अगर देखा जाय तो जिस प्रकार से राजस्व प्राप्त हो रहा है जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जिस प्रकार से पुरानी सरकार जो अपदस्थ हो गयी उसने भी और नई सरकार जनता ने कभी इंडस्ट्रीज को प्रायरेटी देने का विचार ही नहीं किया और इस साल भी नहीं सोचा। जनता सरकार के बारे में कहा जायगा कि सेल्स टैक्स इसके आधार पर बढ़ाया जायगा। मैं क्या करूं अगर यह बढ़ा दिया जायगा तो दस बीस करोड़ बढ़ा दिया जायगा। मेरा ख्याल तो यह है कि इस सरकार के चार चान्द लग जायेंगे और दो साल बाद में मन्त्री जी को बधाई दूंगा जब वे सेल्स टैक्स की दर बढ़ाकर के नहीं बल्कि डाइवरसीफिकेशन करके और चीजों के उद्योगों को बढ़ाकर के अगर सेल्स टैक्स प्राप्त करें तो पांच वर्षों में 224 करोड़ से बढ़ करके 540 करोड़ हो जायगा। लेकिन लोगों को व्यथित न करके ही ऐसा करें।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी के दल की सरकार ने घोषणा की है, आज नहीं पहले भी की थी और मैं तो आज उम्मीद करता था कि माननीय मन्त्री जी आए हैं उन्होंने सदन में एक बार कहा था कि जब आऊंगा बजट के दिन तब शायद सरलीकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकूंगा। आज वह ऐसा नहीं कर सके, शायद उसमें कोई दिक्कत रही होगी। मैं उसके बारे में न जाकर के यह उम्मीद कर रहा था कि सरलीकरण का जो वायदा इन्होंने किया था उसे वह पूरा करेंगे भले आज नहीं इसे आगे कभी करें, अच्छी चीज होगी। दूसरी बात उत्पादन शुल्क को सेल्स टैक्स के स्थान पर लागू करने का कमिटमेंट आपने किया है कि हम सेल्स टैक्स नहीं लगायेंगे। हम उत्पादन शुल्क प्रस्तुत करेंगे। वह कब तक होगा ? केन्द्र करेगा या नहीं या आप लोग करेंगे ? आप कृपया हमें निश्चित रूप से बता दें इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि आप देखें कि सेल्स टैक्स में आपके पास सात सौ या इससे अधिक अधिकारी हैं। मेरा इस प्रान्त का छोटा सा अनुभव है लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस विभाग के जो कार्य हैं उनमें भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसमें पी० सी० एस० और

आई० ए० एस० अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। आप रजिस्ट्रेशन विभाग में और सेल्स टैक्स विभाग में अपने कैडर क्यों नहीं कर सकते हैं। ये हर विभाग के माहिर हैं नतीजा यह है कि ये किसी विभाग के भी माहिर नहीं हैं। केवल सचिवालय के माहिर हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि सेल्स टैक्स और स्टाम्प विभाग, जिसे आप रजिस्ट्री विभाग कहते हैं, दोनों के लिए आपको इसका खुद कटेगराइजेशन करना चाहिए।

आपने जो स्क्वायड की बात कही है, फ्लाइंग स्क्वायड की, जिसे आपने सचल स्क्वायड कहा है इसको सचमुच में जागरूक करें। यह तो केन्द्रित है, विकेन्द्रित नहीं। मेरा सुझाव है कि जितना विकेन्द्रित हो सके, किया जाय। जब आप इसको विकेन्द्रित करें तो हर जगह आप सेल्स टैक्स आफिसर बैठा दें तो करापवंचन को ठीक कर देंगे लेकिन इतना नजदीक न हो कि हर बाजार में आप उन्हें बैठा दें। लेकिन फ्लाइंग स्क्वायड को अधिक जागरूक करें।

अभी हाल में हमारे माननीय मन्त्री जी ने 13–14 चीजों पर टैक्स लगाया है। मैं तो इस प्रश्न को उठाने वाला था कि बजट सेशन में ही सदन में घोषणा करके लगाते। क्या जरूरी था टम्बलर्स आदि पर टैक्स लगाना मैं समझता हूं कि इन 13 आइटम्स में से 10 आइटम पर बिल्कुल बेकार में लगा दिया।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

इन चीजों पर पहले से टैक्स लगा था, हमने तो दरें कम की थीं।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं जहां पर गलीचों का काम होता है। माननीय मन्त्री जी भी मेरे पड़ोसी हैं। वहां पर कभी भी 2 1/2 परसेंट ऊन पर, ऊन के धागे पर, सूत पर, सूत के धागे पर, रेग पर जिससे गलीचे बनते थे, नहीं लगता था लेकिन उस आज्ञा से लगने लगा है और जो माल प्रेजेंटेशन होता है या एक्सपोर्ट होता है उस पर लगने लगा। कैसे इनका परिचालन है? मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी जब अपना उत्तर दें तो बताएं कि वस्तुस्थिति क्या है और या अपने अधिकारियों से सलाह लेकर जवाब देने की कृपा करें।

मान्यवर, बिक्री-कर का सम्बन्ध एक ऐसे उद्योग से रहा है जिसके बारे में मैंने कांग्रेस सरकार से भी और आप से भी कहा है। मेरी चिट्ठी होगी आपके पास, जिसमें मैंने कहा कि सबसे बड़ी चोरी सेल्स टैक्स की ईंटों के भट्टे वाले कर रहे हैं। वे लोग अगर 10 लाख ईंटे बनवाते हैं तो 2–3 लाख की बिक्री दिखाते हैं और 7 लाख की बिक्री नहीं दिखाते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। उस पर टैक्स के रूप में एक पैसा भी नहीं देते हैं। आप उनको पकड़िए। हर जिले में सौ या दो सौ भट्टे हैं और जो भाव चाहते हैं उस भाव को लगाते हैं। चूंकि सेल्स टैक्स से बचते हैं इसलिए रेट से भी बचते हैं। इससे सरकार को बड़ा नुक्सान हो रहा है।

श्रीमन्, अब मैं कुछ आंकड़ों में जाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि पृष्ठ 31 पर हैं "राज्य पर ऋण", "भारत सरकार के ऋण", "अन्य दायित्व"। मैं फिगर्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप साथ ही साथ यह देखें कि किस प्रकार आधी व्यवस्था की जा रही है। मैं

[श्री श्यामधर मिश्र]

इसीलिए दिखा रहा हूं कि यह इसी मन्त्रालय की जिम्मेदारी है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर स्पष्ट रूप से एक चीज होनी चाहिए कि इस मन्त्रालय में और उस मन्त्रालय में कहां-कहां रखा है। जरा मेरी समझ में कम आती है, चूंकि पहला साल है, इसलिए आप स्वयं देख लें। कर्जा ले लिया गया, लेकिन यह नहीं कहा जाता कि उसका देय मान उस रोज है। इसी पुस्तिका में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं संख्या नहीं दे रहा हूं. . .

श्री अध्यक्ष--

श्यामधर जी, 4 बजे इस अनुदान पर मतदान होना है, 15 मिनट आपके हो चुके हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूं। बैंकों के सम्बन्ध में. . .

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी--

आज उसका मौका नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र--

तो शायद इंडस्ट्रियल कारपोरेशन भी नहीं है (व्यवधान) समझता था कि ऐसा नया विभाग लेकर आप आए हैं। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं है।

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी--

वह उद्योग के साथ हो गया।

श्री श्यामधर मिश्र--

खैर, तो मैं रजिस्ट्रेशन पर आता हूं। आप तीसरे पर बोले नहीं, मैं बोलूंगा। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां यह नहीं कहा गया हो कि भ्रष्टाचार नहीं है। मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं कि बार-बार यह कहूं। आप सिर्फ भाषणों को सुनते रहते हैं, मैं उसका आदी नहीं हूं कहने का और न मैं अधिकारियों पर आरोप लगाने वालों में हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि क्या बात कहां है। लेकिन यह कह सकता हूं इस नए मन्त्रालय के सम्बन्ध में, कि यह विभाग ऐसा मिला है कि इसमें जब देखेंगे तो काले सांप बहुत मिलेंगे। आप मेहरबानी करके उनको ढूंढिए। काले सांप काफी हैं इसमें . . . .

एक सदस्य--

सफेद सांप भी हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

पहले सफेद थे, अब काले हो गए और क्या फर्क हो सकता है? काले तो और खतरनाक होते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया अपने विषय पर आइये।

श्री श्यामधर मिश्र--

आज मूल्यांकन की बात है। रजिस्ट्री विभाग में आदेश यहां से है कि जमीनों की रजिस्ट्री जो होती है वह सिंचित की इतने रुपये पर, असिंचित की इतने रुपये पर।

10 हजार, 15 हजार, 5 हजार से लेकर 40 हजार तक है। यह प्रश्न आया था। यह प्रश्न ही गलत था, वह अधूरा प्रश्न था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 हजार से लेकर 50 हजार तक है और कुछ शहर के अलावा देहात में, मेरे देहात में पता नहीं कैसी कृपा है। आप पड़ोसी के नाते कृपा करेंगे। मेरे देहात में 25 हजार, 30 हजार खेती की जमीन बीघ, एकड़ नहीं, लेकर रजिस्ट्री कराते हैं। और नकल की बात उन्होंने कही। और एक बात बताऊं, बनारस में रजिस्ट्री के आफिसर जज होते थे अब तक। जो जज साहब थे वह रजिस्ट्री के इंचार्ज होते थे। अब पता नहीं क्यों, आदेश हो गया एक साल से, जिसका मैं बिल्कुल विरोधी हूं और वह बात क्या है कि उन्होंने हर जगह एक अतिरिक्त अधिकारी कायम कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, अन्य करों के लिए ए0 डी0 एम0 (वित्त)। मैं समझता हूं कि ए0 डी0 एम0 (वित्त) की वही स्थिति है जो सफेद हाथी की होती है—किसी ने बनाया हो। मैं कहता हूं कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस जितनी गलती करती है उनको काटिए। मैं कब कहता हूं कि कांग्रेस ने कुछ अच्छे काम किए थे। कांग्रेस सही नहीं करेगी तो जनता पार्टी करेगी। मेरी नाकिसराय में यह अनावश्यक रूप से वित्त विभाग में एक वित्त का आदमी रखा गया जोकि केवल, मैं नाम नहीं लेता हूं, मेरे जिले में एक अधिकारी हैं जो 15 हजार रुपया महीना लेते हैं, रजिस्ट्री विभाग से उनका बंधा हुआ है और जो नहीं देता है उसको कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर आई0जी0 से कह कर करा देंगे। मैं कभी ऐसा नहीं कहता लेकिन इनके लिए कहना पड़ा है। जब जज साहब के अन्डर था तो ऐसा नहीं था।

अन्तिम चीज मैं सेविंग्स के सम्बन्ध में कहूंगा जिस पर मैं समझता था कि माननीय मन्त्री जी कुछ बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उसको तो आप स्वयं ही मान लें। सेविंग्स के ऊपर क्या कहना है।

श्री श्याम धर मिश्र—

जितनी टोटल इन्कम हमारी है 2,500 करोड़ और पर-कैपिटा इंकम आज की प्राइस और सन् 61 की प्राइस पर है उसको देखने से मालूम होता है कि और भी मोबिलाइजेशन हो सकता है और हुआ, लेकिन रेवेन्यू आफिसर्स के जरिए मेहरबानी करके आप सेविंग्स कैम्पेन मत कराइए, ब्लाक स्टाफ और दूसरे स्टाफ के जरिए कराइए, तब होगा। रेवेन्यू स्टाफ वाले अपना काम तो खराब करते ही हैं आपका काम भी ठीक नहीं करेंगे। होता यह है कि मुझसे 5 हजार लिया, आपसे 1 हजार लिया और फिर 15 दिन के बाद डबल एन्ट्री करके पूरा किया। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव मैंने पेश किया है माननीय मन्त्री जी उसको स्वीकार करेंगे।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं माननीय संस्थागत वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे यह कहने में किंचित संकोच नहीं कि सन् 48 से लागू हुए बिक्री-कर में आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

पहली बार क्रान्तिकारी परिवर्तन दिखाई दिए हैं। बिक्री-कर की नीति, बिक्री-कर का कार्य-संचालन, उसकी प्रक्रिया, इन सबके सम्बन्ध में जितने विस्तार से विचार किया गया उसके लिए माननीय संस्थागत वित्त मन्त्री निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत भ्रष्टाचार का बहुत नाम लिया गया। अभी तक बराबर सरकार की एक नीति रही कि जो भी काम हो उसमें व्यापारी को चोर कहो, उसकी कठिनाइयों की ओर देखने की कोशिश मत करो। यह पहली बार जनता सरकार ने उसकी कठिनाइयों को देखने की कोशिश की है जिनके कारण करवंचना हो रही थी और जिनके कारण व्यापारियों और आम जनता में भी असन्तोष था। सरकार ने अपने इस कदम से यह प्रयास किया है कि व्यापारी पर विश्वास किया जाय। व्यापारी भी यह प्रयास करेगा कि वह सरकार और जनता की निगाह में एक ईमानदार नागरिक के रूप में खड़ा हो सके। सन 1974 में जब सेक्शन 3–ई जोड़ा गया बिक्रीकर कानून के अन्तर्गत, तो एक हाहाकार की स्थिति पैदा हो गयी, उद्योग बन्द होने लगे और छोटे-छोटे कारखानेदार थे उन्होंने बराबर इस बात की मांग की कि सेक्शन 3–ई को समाप्त किया जाय, इससे कच्चे माल पर भी परचेज टैक्स लगने लगा है, माननीय मन्त्री जी ने अल्यूमीनियम कारखाने का जिक्र किया। वही एक नहीं, सैकड़ों कारखाने उत्तर प्रदेश में सेक्शन 3–ई के कारण बन्द पड़े हैं या बन्द होने की स्थिति में हैं।

जहां मैं मन्त्री जी को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बधाई देता हूं वहां उनसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि जब उन्होंने यह फैसला ले लिया कि सेक्शन 3–ई को समाप्त करेंगे तो मेरा आग्रह है, कि उत्तर प्रदेश के बन्द पड़े हुए उद्योगों के उद्योगपतियों का यह आग्रह है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग वालों का यह आग्रह है कि मेहरबानी करके जब से यह लागू हुआ था 21 मार्च, 1974 को, तभी से रिट्रस्पेक्टिव एफेक्ट से ही इसको समाप्त करने की घोषणा करें। और अगर आपका यह निर्णय है तो और भी अधिक स्वागत योग्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज इस उत्तर प्रदेश के उद्योगपति, जो छोटे-छोटे कारखानेदार हैं इसको सुनेंगे तो जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देंगे।

मान्यवर, जो आपने अन्य तमाम सुधारों का जिक्र किया उन सबके लिए भी माननीय संस्थागत वित्त मन्त्री बधाई के पात्र हैं। आपने बिक्री-कर नीति का जो नामकरण सरलीकरण दिया, वास्तव में यह आपकी विचारधारा, आपकी नीति ही है, जो आज जन साधारण में, व्यापारियों में इस बात का भरोसा लिए हुए है। आज लाखों लोग टकटकी लगा कर, सारे उत्तर प्रदेश का व्यापारी आपकी घोषणा को सुनने और कल समाचारपत्रों में पढ़ने के लिए उतावला होगा। एक बात इस सम्बन्ध में निवेदन और कर दूं, आपने छूट का जहां पर जिक्र किया है, जहां आपने व्यापारियों पर विश्वास की घोषणा की है कि उनके रिटर्न स्वीकार कर लिए जायेंगे, मेरा ऐसा निवेदन है आपसे कि आपने सीमा में बहुत कोताही की है, थोड़ी सी और उदारता आपको बरतनी चाहिए। जिस तरह से आय कर विभाग ने आय-कर दाताओं पर विश्वास किया, उसी प्रकार से अच्छा होता, अगर आपने कर देय जिम्मेदारी ढाई हजार जिसकी है उसका रिटर्न स्वीकार करने की आपने घोषणा की है, तो दो लाख या ढाई लाख तक की जो टेक्सेबुल टर्न-ओवर हैं, उसका रिटर्न स्वीकार करने की घोषणा करें, जो ऐसी वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जो 10 प्रतिशत से ऊपर टैक्सेबुल हैं, उनके लिए

यह बहुत थोड़ा टर्न ओवर होगा। बहुत थोड़े लोग आपकी वर्तमान उदारता से लाभ उठा सकेंगे। इसलिए अच्छा हो कि इस सम्बन्ध में आप अपनी इस नीति को भी संशोधित कर दें, तो और भी लाभदायी बन सकेंगे।

मान्यवर, जहां आपने यह जिक्र किया कि 85 प्रतिशत व्यापारी जो टैक्स देते हैं, वह केवल 30 करोड़ है, और 15 प्रतिशत व्यापारी अधिकांश राजस्व देते हैं, लेकिन जो इस सरकार को चलाता है, यह बिक्री-कर राजस्व ही है, जिससे समूची सरकार का काम-काज 50 प्रतिशत चलता है। राज्य का आधा राजस्व बिक्री-कर मे प्राप्त होता है। जहां पर आपका बिक्री-कर सरलीकरण का निर्णय सराहनीय है, आप जिस दिन इसको समाप्त करेंगे, वह राजस्व कहीं न कहीं से आपको प्राप्त हो, इसका रास्ता आप निकालेंगे ही, व्यापारियों को जो उदारतापूर्वक सहयोग और विश्वास देने की बात कही आप उनका भी विश्वास प्राप्त करेंगे। उस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारी आपको और अधिक सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आप अपनी नीतियों को और व्यावहारिक बनाने की कोशिश करें।

उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आप जिस क्षेत्र में भी चले जाइए, अगर व्यापारी से 10 हजार रुपया वार्षिक टैक्स लिया जाता है, वह 15–20 हजार रुपया टैक्स देने के लिए तैयार है, केवल उसको इस बात से मुक्ति दिला दीजिए कि आए दिन सर्वेक्षण अधिकारी, एस0आई0बी0, फ्लाइंग स्क्वाड चला आ रहा है। आप यह विचार करें। सरकार अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे। केवल छापामार दलों और विजीलेन्स विभाग के खोलने से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होता, जैसा कि किसी सोए पड़े हुए राजा के होंठ पर मलाई लगा कर, उसके द्वारा एक के ऊपर एक नियुक्त विजीलेन्स कर्मचारी स्वयं दूध पीकर मूर्ख बना देते हैं, उसी प्रकार चाहे एक के ऊपर एक, चाहे कितने ही विजीलेन्स बैठाल दीजिए, बिक्री-कर राजस्व बजाय सरकारी खजाने में जाने के भ्रष्ट अधिकारियों की ही जेबों में जायगा।

आप केवल एक काम करें। वह यह है कि इस सिद्धान्त को स्वीकार करें कि "हायर द रेट आफ टैक्सेज, ग्रेटर द इवेजन, लोवर द रेट आफ टैक्सेज, लेसर द इवेजन।" आप जितना टैक्स बढ़ाते जायेंगे उतना ही इवेजन बढ़ता जायगा। आपने सरसों या तिलहन पर टैक्स लगाया। सरसों के तेल पर बिक्री-कर और एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक किलो तेल पर बिक्री-कर और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर लगभग सवा रुपए, डेढ़ रुपए हो जाती है। अब मान लीजिए किसी व्यापारी ने चुपके से 10 किलो तेल बेच लिया तो उसने करीब 14–15 रुपए बचा लिए। इससे यह होता है कि जो ईमानदार व्यापारी है, वह कम्पटीशन में नहीं टिक पाते हैं। इसलिए योजना इस प्रकार की बनाने की आवश्यकता है कि ईमानदार व्यापारी टिक सकें, कम्पटीशन में खड़े हो सकें। इसलिए आवश्यकता है कि माल के आने वाले स्रोत पर या जहां पहली बार माल का उत्पादन होता है उस स्रोत पर टैक्स लगाया जाय। तो इससे सरकार की कठिनाई दूर होगी और जो प्रक्रिया की कठिनाई है, वह दूर होगी और टैक्स का इवेजन भी बचेगा। मैं एक उदाहरण दूंगा। मण्डी समिति के द्वारा केवल

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

एक प्रतिशत का शुल्क लिया जाता है। अब जरा आप इससे राजस्व प्राप्ति देखें। इससे 12 करोड़ का राजस्व मिलता है। एक प्रतिशत टैक्स है और राजस्व प्राप्ति 12 करोड़ की होती है। दूसरी तरफ आपको आश्चर्य होगा कि बिक्री-कर गल्ले पर 4 प्रतिशत की दर से लगता है। उत्तर प्रदेश भर में पूरी राजस्व वसूली होती है, 14 करोड़ व्यापरियों से और 20 करोड़ एफ0सी0आई0 से। कुल 30 करोड़ लगभग प्राप्त होता है। एक तरफ केवल एक प्रतिशत से 12 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है दूसरी तरफ 4 प्रतिशत लगाने पर कुल 30 करोड़ मिलता है। तो कितना बड़ा इवेजन है। तो आप मन्डी शुल्क की तरह, निर्माण स्थल पर ही टैक्स लगा लीजिए। इससे राजस्व भी बढ़ेगा और व्यापारी का बजट भी कम होगा। आज व्यापारी चाहता है कि आप उसके सर से छापामार दलों का छाया हटा दें। इससे 4 गुना राजस्व की वसूली बढ़ जायगी। यह मैंने बिक्री-कर के सम्बन्ध में कहा।

अब मैं रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। जैसे मिश्रा जी ने कहा मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मेरे जनपद में यह बड़ी समस्या है। जमीन का बाजार भाव 2 हजार, तीन हजार रुपए एकड़ नहीं है। लेकिन जिलाधिकारी का निर्णय हुआ कि 10 हजार से कम मूल्य न किया जाय। आज 4 एकड़ जमीन खरीदने पर 40 हजार रुपए पर कोर्ट फीस ली जाती है। तो इससे बेइमानी भी बहुत बढ़ती है। आपने बिक्री-कर के संशोधन की बात कही, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही और व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कही। लेकिन मैं अफसोस के साथ यह कहता हूं कि आपने सब रजिस्ट्रारों के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात नहीं कही। कोई भी सब रजिस्ट्रार का दफ्तर ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मैं अभी समाप्त करता हूं। कोई ऐसा रजिस्ट्रार का दफ्तर नहीं है, आपने लेखकों की संख्या बढ़ा दी, अच्छा किया। लेकिन लेखक उनके दलालों का काम करते हैं और सब रजिस्ट्रार बैठकर निश्चित रकमों के रूप में कमीशन प्राप्त करता है। एक, एक सब-रजिस्ट्रार, एक जनपद में लखपती दिखाई देने लगता है, एक वर्ष में। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पिछली सरकार ने जो कुछ किया उस पर कड़ी निगाह रखने और भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता है। जहां-जहां भ्रष्टाचार के स्रोत हैं मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन स्रोतों को समाप्त करने की कोशिश करें। बिक्री-कर प्रक्रिया को सरल बनायेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल करेंगे तथा एक नीति बनायेंगे। आप व्यापारी पर भरोसा करें, व्यापारी निश्चित रूप से सरकार पर भरोसा करेगा। आज जिसका नाम बेईमान और भ्रष्टाचारी के रूप में है वही व्यापारी आपको अधिक राजस्व देगा। और इस प्रदेश को अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको बधाई देता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मिश्रा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि पहले भी मेरी यह मान्यता थी कि ईंट के भट्टे वालों को परेशान किया जाता है और मनमाने तरीके से उन पर टैक्स लगाया जाता है। सर्वे में भी धांधली की जाती है। मेरा कहना है कि एक चिमनी और दो चिमनी वाले जो भट्टे होते हैं उनको चलाने का टाइम होता है नवम्बर से दिसम्बर और जनवरी से मई तक। इन दोनों के लिए एक मुश्त स्टैंडर्ड बिक्री-कर फिक्स कर दें। इससे दो लाभ होंगे। जो छोटे कर्मचारी इसमें लगे रहते हैं उनसे छुटकारा मिल जायगा और आपको एक-मुश्त रकम मिल जायगी। सन् 1974 में, 1975 में भी मैंने यह कहा था लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहां बिहार बार्डर पर चेक-पोस्ट है। वहां बिक्री-कर की बहुत बड़ी चोरी होती है।

एक बात रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी हमारे उधर के माननीय सदस्य कह रहे थे और मिश्रा जी ने भी कहा था। मैं कहता हूं बनारस शहर में एक-एक सेक्टर में दो-दो सौ रजिस्ट्रेशन फर्जी नाम से किए गए। फर्जी फार्म 31 छपवाकर यह सारा काम हुआ। जो बड़े से बड़ा अधिकारी चेक पोस्ट पर नियुक्त किया गया वह इनको देता था। जो लोग कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो मैं कहता हूं बनारस जिले में 1971–72 से लेकर 1976-77 तक की जाँच करवा ली जाय। 900 से कम फर्जी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेंगे। कानपुर और मेरठ के लोगों ने नाम बदल कर फर्जी फर्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया जिससे कि बिक्री-कर को मार लिया जाय। जहाँ तक जमीन के रजिस्ट्रेशन के फीस की बात है वह तो आपने बढ़ा दी और यह जो बजट पेश किया है इसमें भी बढ़ने वाली है। जैसाकि मिश्रा जी ने कहा देहातों के लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। जो मालियत लगाई जाती है वह बहुत ज्यादा होती है। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपके रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार्स हैं। हमारे यहाँ तो रजिस्ट्रार हैं। कितनी आमदनी उनकी है। वह कितना भ्रष्टाचार का अड्डा है इसको भी देखना चाहिए। इसी तरह से छोटे-छोटे होटल्स में जहाँ बिल दिया जाता है सेल्स टैक्स लेते हैं। जो ऐसे छोटे होटल हैं जहां साधारण आदमी जाते हैं तो उस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक न्यायिक जज थे, मि० अरोड़ा या कोई साहब, अब वह वहाँ से हट गए हैं। जो माल पकड़ा जाता है उसका सही असेसमेंट न करके पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। कम असेसमेंट किया जाता है जिससे बिक्री-कर का ज्यादा नुकसान होता है। अब श्रीमन्, बिक्री-कर की छूट का सवाल आता है....

श्री अध्यक्ष—

ऊदल जी, श्याम धर मिश्र जी से पूछिए कि ये मदद करेंगे।

श्री ऊदल—

श्यामधर जी तो इतने बड़े व्यापारी हैं कि यह और वह निपटें। यह कालीन के बहुत बड़े व्यापारी हैं। मैं तो साधारण किस्म के व्यापारी की बात करता हूं। मैं तो उस दिन की तलाश में हूं जिस दिन माननीय मन्त्री जी अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार जो उसकी मन्शा है उसको पूरा करेंगे। उसमें कहा गया है कि बिक्री-कर समाप्त कर दिया जायगा, मैं उस दिन की तलाश में हूं। आपकी तभी वाह-वाही होगी। क्या माननीय मन्त्री जी यह नहीं जानते हैं कि डबल बहियां रखी जाती हैं, डबल एकाउन्ट रखे जाते हैं? छोटे व्यापारी तो परेशान किये जाते हैं लेकिन बड़े-बड़े व्यापारी ज्यादा से ज्यादा कितना सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का रुपया छिपा लेते हैं। इसका कोई अन्दाजा नहीं है।

आप जानते हैं कि अलसी के तेल में सेन्ट डालकर कड़ुवा तेल के नाम पर बेचा जाता है, काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाकर बेचा जाता है, क्या आप इसका हल निकाल सकते हैं? मैं देख रहा हूं कि महंगाई बढ़ती जा रही है वह अपनी चरम सीमा पर है। मैं यह देख रहा हूं कि किस दिन आपकी यह घोषणा होगी कि बिक्री-कर समाप्त कर दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि इससे छोटे-छोटे उद्योग प्रभावित होते हैं उनमें विकास नहीं हो पाता है। बहुत सा सामान ऐसा है जिस पर 3 परसेंट, 4 परसेंट या 7 परसेंट सेल्स टैक्स लगाया जाता है। हथ करघा उद्योग पर सेल्स टैक्स लगा है, चीनी के मिट्टी के बर्तन पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है। इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप सेल्स टैक्स खतम करें। मैं फिर इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपसे इन लोगों के बारे में पूछना चाहता हूं कि ये लोग सारे व्यापारियों का अपमान करते हैं और उन्हीं के पैसे से पलते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, आपने देखा, मेरा जो भाषण था करीब-करीब वही बात कही। इन लोगों ने हमारा तो अनुमोदन ही किया है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी हमारे प्रस्ताव का अनुमोदन कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

एक बात मुझे यह निवेदन करना है और जिसे माननीय मन्त्री जी कृपा करके स्पष्ट कर दें कि यह जो संस्थागत वित्त मन्त्रालय है और जितनी संस्थाओं से वित्त आता है, उनके विभागों की माँग दूसरा क्यों प्रस्तुत करता है और यह संस्थागत वित्त पुस्तिका क्या है? इस पुस्तिका में तमाम विभागों का दिया है। जैसे कोई संस्थागत वित्त को छूना चाहे तो कैसे छुए? यह संस्थागत वित्त मन्त्री हैं और संस्थागत मामले से उनका मतलब नहीं?

श्री अध्यक्ष—

यह पहली मर्तबा है। अगली मर्तबा आपको विवरण मिल जायेगा।

श्री श्याम धर मिश्र—

आप तो हमारी और इनकी दोनों की रक्षा कर रहे हैं, धन्यवाद।

मान्यवर, जैसे माननीय ऊदल और एक साथी ने कहा कि छोटे उद्योगों के लोग बहुत परेशान हैं और उन पर जो सेल्स टैक्स की व्यवस्था है उस पर देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था की जाय जिससे उनकी परेशानी दूर हो। हमारे प्रदेश में आज औद्योगीकरण की स्थिति क्या है? चाहे हैन्डलूम हो, चाहे हैन्डीक्राफ्ट हो। बहुत से आइटम्स हैं—जोकि हैन्डीक्राफ्ट इक्सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत आइटम्स जो एक्सपोर्ट नहीं करते, जो देश में बिकते हैं, उन पर भी टैक्स है। इनको देखना चाहिए कि जो हाथ से बना हुआ सामान है और जो मशीन से बना हुआ सामान है उन पर टैक्स लगाने से क्या नतीजा होगा। किस तरह से हम हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से और दिल्ली से मुकाबिला कर सकते हैं? होता यह है कि दिल्ली से मुकाबिला करना मुश्किल हो जाता है। समय नहीं है तो और भी चीजों के बारें में मान्यवर, बताता कि करीब 8–10 प्रतिशत का फर्क पड़ता है और इससे मुश्किल हो जाती है और यहाँ के व्यापारियों को परेशानी हो जाती है। यह बात सही है कि उद्योगपतियों के पक्ष से कोई बड़ा उद्योगपति यहाँ नहीं है। यह 10–15 बड़े उद्योगपति होंगे लेकिन सारे व्यापारी जिससे परेशान न हों वह व्यवस्था करनी चाहिए। वह चाहे सरलीकरण से हो या दूसरें तरीके से और सरलीकरण तो पहली स्टेज है। हम तो चाहते हैं कि बिक्री-कर को आप उत्पादन-कर लगाकर बिक्री-कर को समाप्त कर दें

*श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय श्यामधर मिश्र जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा, वह अब एक औपचारिकता की बात रह जाती है। जो विवाद में बात आई उसमें माननीय मिश्रा जी के प्रश्न की सफाई देना चाहता हूं। आपने कहा कि पहली अक्तूबर, 1977 से बिक्री-कर नया लगा दिया। मैंने इन्टरप्ट किया कि नया नहीं लगाया बल्कि दरों में और कमी हुयी। उन्होंने आइटम नं0 11 और 12—रा-बूल और देशी कट्टी के बारे में कहा की दरें बढ़ी हैं। लेकिन आँकड़े देखें तो पता चलेगा कि दरें इन दोनों आइटम पर बढ़ी नहीं, बल्कि घंटी हैं। और इन 12 आइटम्स में जिनका वित्त मन्त्री जी के भाषण में उल्लेख है दरें कम की गई हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि उत्तर प्रदेश का व्यापार दिल्ली और अन्य प्रदेशों में जा रहा है, यह एक मुख्य मुद्दा सरलीकरण समिति के समक्ष है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बिक्री की दरों को रेशनेलाइजेशन कैसे किया जाय ताकि उत्तर प्रदेश का व्यापार दूसरे प्रदेशों में न जाय और यहाँ की जनता के ऊपर बढ़ते हुए मूल्यों का बोझ न पड़े। बिक्री-कर की दरों का मूल्यों से सम्बन्ध है, व्यापार और उद्योग से भी सम्बन्ध है। मैं आप सब लोगों की भावनाओं का और रचनात्मक सुझाव देने का बहुत स्वागत करता हूं।

एक चीज मैं मिश्र जी को और बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि पी0 सी0एस0 और आई0 ए0एस0 बिक्री-कर अधिकारी होते हैं। ऐसी बात नहीं है। बिक्री-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]

कर सहायक अधिकारी, बिक्री-कर अधिकारी, सहायक आयुक्त, आयुक्त कोई भी अधिकारी नहीं होता है। बिक्री-कर के मुख्यालय पर आई0ए0एस0 अधिकारी होता है और उसकी सहायता के लिए कुछ आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारी होते हैं, लेकिन जो क्षत्रों में अधिकारी होते हैं वे सब एक अलग कैडर के होते हैं, उनकी एक सेवा है, बिक्री-कर की अलग आती है।

दूसरी चीज आपने कही विशेष रूप से छोटे उद्योग के बारे में। मैंने जो भी बात अपने भाषण में कही है उससे छोटे उद्योग और छोटे व्यापारियों को ही लाभ होगा। आपने सुझाव दिया कि सरलीकरण बिक्री-कर समाप्ति की दिशा में पहला कदम है। सरकार ने भी अब तक बिक्री-कर समाप्त करने की दिशा में इसे पहला कदम माना है और उस पहले कदम में कई तरह की व्यापारियों को सुविधा देने की बात कही गयी है।

श्री ऊदल जी ने ईंट भट्टों का जिक्र किया। यह सरलीकरण समिति के विचाराधीन है। जैसा मैंने कहा 31 अक्तूबर तक इसकी रिपोर्ट आ जायगी और उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मान्यवर, रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने और अन्य मित्रों ने अपने भाषणों में कहा। सिंचित और असिंचित भूमि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो नियम 330, 331 है उसमें परिवर्तन पिछली सरकार न किया था। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि पिछली सरकार की आलोचना ही आलोचना करूं। यह सूचना के आधार पर बता रहा हूं। परिवर्तन पिछली सरकार ने किया उसका परिणाम यह हुआ कि तमाम अव्यावहारिक दरें और बहुत ऊंची दरें रजिस्ट्रशन के लिए रखी गयीं। मुझे स्मरण है उसी सदन में एक प्रश्न आया थ। और मैंने कहा था कि पिछली सरकार की कृषि-लगान की नीति पर सरकार विचार कर रही है। लगान क्या होगा इससे असम्बद्ध रखते हुए रजिस्ट्रेशन विभाग इस पर विचार कर रहा है कि किस प्रकार हम इन जमीनों का, शहरों के मकानों और शहर की जमीन के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए ऐसी प्रक्रिया और सिद्धान्त अपनायें कि हम वास्तविक मूल्य निर्धारित करके उसके आधार पर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क लागू कर सकें। इस पर विचार हो रहा है और सम्भव है शीघ्र ही नई बात आप को सुनने को मिलेगी।

मान्यवर, श्याम सुन्दर जी ने भी सुझाव दिए हैं। बिक्री-कर के सरलीकरण के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि किस तरह भारत के दूसरे राज्यों में कैसे कर लगता है, किस वस्तु पर कर लगता है, कितना लगता है, इस पर सरलीकरण समिति विचार कर अपना प्रतिवेदन देगी। आपके सुझावों का स्वागत करते हुए एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं.....

सरलीकरण के बारे में सदन में बता चुका हूं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगेगा। डेढ़ दो साल इस की समाप्ति में लग जायेंगे। समाप्ति का कार्य केन्द्र सरकार और दूसरे राज्य सरकारों की सहमति से होगा। उत्पादन शुल्क लगेगा और इसके लिए अन्य प्रदेशों की सरकारों की स्वीकृति आवश्यक होगी। डेढ़ दो वर्ष लग जायेंगे। इन शब्दों के साथ....

श्री श्याम धर मिश्र––

श्रीमन्, मैंने संस्थागत वित्त विभाग की बात कही थी, क्यों नहीं आप के पास है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी––

संस्थागत वित्त के सम्बन्ध में बात करना चाहता हूं। अभी तक संस्थागत वित्त. .

(व्यवधान)

के रूप में कार्य करता रहा है और उसी कारण उसका सेक्रेटेरिएट की मांगों के साथ बजट माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया था। संस्थागत नया वित्त मन्त्रालय बनाया गया है और इन सब बातों पर विचारोपरान्त देखा जायगा कि किस तरह से किया जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

मुरादाबाद में जो बर्तन के कारखाने हैं उन पर 32 लाख रुपए का सेल्स टैक्स एरियर नान-रिकवरेबिल पड़ा हुआ है और सेल्स टैक्स कमिश्नर श्री निगम की भी राय है कि यह नान-रिकवरेबिल है तो क्या सरकार ने इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी––

यह एक विशिष्ट समस्या है। इस समय इसके सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है लेकिन मैं विभाग से दिखवा लूंगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)––

10 हार्स पावर के इंजिन तथा पम्पिंग सेट्स को कृषि यन्त्र मान कर क्या सरकार इन पर से बिक्री-कर हटाने की कृपा करेगी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी––

कृषि मन्त्रालय तथा छोटे उद्योगों सम्बन्धी जितनी वस्तुएं हैं उन पर से बिक्री-कर हटाने या कम करने का सुझाव विचाराधीन है।

श्री श्याम धर मिश्र––

मैं चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव रखा जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6––वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6––वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,65,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,39,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,51,60,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,51,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,51,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14—अल्पबचतों की प्रोन्नति

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,06,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,06,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 84,19,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 84,19,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,42,67,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,42,67,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,66,30,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,66,30,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 97—ऋण और अग्रिम-वित्त

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 97—ऋण और अग्रिम-वित्त के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,41,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 97—ऋण और अग्रिम-वित्त के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,41,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(विधेयक की प्रतियां सदन में वितरित की गयीं ।)

(कुछ रुक कर)

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, यह बजट अबकी साल 25 अरब 10 करोड़ का माननीय वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है । सन् 1947 में यह बजट केवल 12 करोड़ रुपए का था और श्रीमन, आपको मालूम होगा कि सन् 1962 में यह 85 करोड़ रुपए का था । अब हालत यह है कि यह बढ़ कर 2510 करोड़ रुपए का हो गया है । यह क्यों हुआ ? लगातार पिछले दौरान में जो नीतियां बनाई गयीं, अपनाई गयीं, उन नीतियों के कारण यह था कि लगातार मंहगाई बढ़ती गयी । इस सम्बन्ध में आप लोग तो कहेंगे कि पिछले 30 साल में कांग्रेस का शासन रहा और उसकी नीतियों के कारण मंहगाई बढ़ती गयी । लेकिन 6 महीने से आपकी सरकार बनी है उसमें आप की कौन सी नीतियां हैं, जिनसे आप इस मंहगाई को समाप्त करने जा रहे हैं । हमारे प्रधान मन्त्री जी बराबर मियाद बढ़ाते जा रहे हैं । कभी कहते हैं कि 4 महीने में यह समाप्त हो जायगी, कभी कोई अवधि बताते हैं और कभी कहते हैं कि जब अगला बजट आएगा तब मंहगाई खत्म हो जायगी और बजट आते-आते आम जनता की हालत बदतर हो जायगी । माननीय वित्त मन्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर तेल, कपड़ा, गुड़ और अन्य जरूरत की चीजों के दाम न बढ़ें इसके लिए आपकी सरकार क्या करने जा रही है ? एक तरफ लगातार मंहगाई बढ़ रही है दूसरी तरफ प्रदेश में भयंकर अराजकता फैल रही है ।

आए दिन देखते हैं इस सदन के माननीय सदस्यों की तरफ से लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि हमारे जिले में इतनी डकैतियां पड़ गयीं, इतने कत्ल हो गए । आपकी पुलिस क्या कर रही है ? आपके माननीय मन्त्री क्या कर रहे हैं ? आपने प्रश्न रखा था कि बनारस के अन्दर गुन्डागर्दी बढ़ गई है । माननीय शतरुद्ध प्रकाश कहते हैं कि हम करवा रहे हैं । आपकी पुलिस और सरकार क्या कर रही है ? लगातार इस सदन में प्रश्न आ रहे हैं हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं । जो जनता पार्टी के सदस्य हैं उनकी तरफ से लगातार शिकायत होती है । तो प्रदेश के अन्दर हरिजनों पर जुल्म बढ़ रहे हैं । यह हम ही नहीं कहते, आपके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

पार्टी के वरिष्ठ नेता केन्द्रीय सरकार के रक्षा मन्त्री बाबू जगजीवन राम लगातार अखबारों में बयान देते आ रहे हैं कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़ना शुरु हो गए हैं। जयप्रकाश जी का खुद का स्टेटमेंट है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप सर्व शक्तिमान हैं, आपको इतना प्रबल बहुमत प्रदेश की जनता ने दिया है। आप इतने दिनों में कौन सी समस्याएं हैं जिनको आपने हल किया है? मंहगाई की समस्या आप हल नहीं कर पा रहे हैं। ला एण्ड आर्डर की समस्या आप हल नहीं कर पा रहे हैं। मजदूरों की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर लोग हड़ताल पर हैं। बिजली कर्मचारी हड़ताल की राह पर हैं। पशु चिकित्सक हड़ताल की राह पर हैं। पी0ए0सी0 जिसने कमलापति की सरकार को उखाड़ फेंका था वही पुराने विद्रोह की तरफ फिर जा रही है। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप ने हल किया। लगातार इन समस्याओं को उलझाते जा रहे हैं जब प्रश्न मजदूरों का आता है, उनका प्रश्न हल नहीं होता है। कर्मचारियों का प्रश्न हल नहीं होता है। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष के रास्ते पर हैं। ऐसा लगता है कि हड़तालों का ताँता मच गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं। वह क्या करने जा रहे हैं? यह प्रदेश जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, हिन्दुस्तान का हृदय है, अगर यहाँ अराजकता हो गयी यहाँ असमाजिक तत्व जन-जीवन पर हावी हो गया तो देश का क्या होगा? मैं माननीय मुख्य मन्त्री से अदब से कहना चाहता हूं कि इन प्रश्नों के बारे में कृपया हल निकालने की कोशिश करें और इनका उत्तर दें।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जो उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उसको देखने से पता चलता है कि 2510 करोड़ की माँग है, कोई छोटी माँग नहीं है। अगर साल भर की 2510 करोड़ की आमदनी किसी सरकार की हो जाय तो वह दिवालिया सरकार नहीं कही जा सकती। हमारे मन्त्री और खास कर वित्त मन्त्री खास तौर से प्रदेश में घूम कर वक्तव्य देते रहे कि जब काँग्रेस यहां थी तो दिवालापन कर दिया। लेकिन आप देखें नेगी ने बताया 1950 में 85 करोड़ का बजट नहीं था आज 25 सौ करोड़ का बजट हो गया। हर बात के लिए उठ कर के, सुबह शाम पानी पीकर काँग्रेस को कोसने से काम नहीं चलेगा। अब काम चलेगा तो 'क्रान्ति लाने' से।

भाषण श्रीमन्, शुरु हुए राज्यपाल के अभिभाषण से और आज इनका अन्त हो रहा है, इसके स्वीकृत हो जाने से। मैं यह समझता हूं कि सही मायने मे जो वायदा इन्होंने किया है, गरीबों के सम्बन्ध में, मंहगाई के सम्बन्ध में, बेरोजगारी के सम्बन्ध में, अराजकता के सम्बन्ध में, जब आप क्रान्ति ला सकेंगे तो सही मायने में क्रान्ति हो सकेगी। दूसरों पर थोपने से या यह कहने से कि भारत सरकार को छः माह हुए या आपकी सरकार को 3 माह हुए, यह कहकर थोपने से काम नहीं चलेगा। काँग्रेस ने गल्ती की, यह हम मानते हैं। लेकिन हम आपकी योग्यता मानने के योग्य नहीं हैं। आपकी योग्यता को तो हम तभी मानेंगे जब आप थोड़ी सी योग्यता दिखाएं। हम तो आपकी योग्यता सदन में देखते हैं। सदन में हम आपकी योग्यता को तो नहीं मानते हैं। हम मानेंगे तभी जब आप योग्यता दिखा सकेंगे।

एक बात मान्यवर, मैं अवश्य कहूंगा कि यह जो 25 अरब रुपए का बजट है इसमें हर विभाग का बजट है। इसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता। तमाम अनुदानों पर बातें हो सकती हैं लेकिन मैं 3–4 चीजों की ओर आपका ध्यान अवश्य आकृष्ट करूंगा। वे हैं बिजली, सड़क, सिंचाई। मैंने उस समय भी कहा था जब मैं अन्य अनुदानों पर बोल रहा था कि इन तीनों के लिए अगर जरूरत हो तो वित्त मन्त्री जी कहीं से भी किसी फण्ड से, कान्टिजेंसी फण्ड से या और कहीं से अधिक रुपए की व्यवस्था करें क्योंकि हमने देखा है खासतौर से सिंचाई के लिए तो अधिक है लेकिन सड़कों के लिए खासतौर से ऋण बहुत कम है। मैं समझता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और इस अन्तिम क्षण में समय लेने की बात नहीं है क्योंकि समय सीमित है।

मैं निवेदन करूंगा कि 5 महीने के लिए जो अनुदान पास हो रहा है, बड़ी भारी जिम्मेदारी है सरकार की। इसको न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि पूरे तौर से खर्च करें और देखें कि एक-एक पैसा अवश्य खर्च हो और उसका अपव्यय न हो, जिससे गरीब आदमी को सही मायने में फायदा हो और अनुदान का जो भी हिस्सा खर्च हो, उसमें राजनीतिक बू न आए। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि हम लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर ध्यान अवश्य दिया जाय।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार प्रदेश की 10 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई का 25 अरब रुपया खर्च करने जा रही है। होता यह है कि फरवरी और मार्च में जल्द-बाजी में सारा रुपया खर्च किया जाता है। तो इस सम्बन्ध मे मेरा निवेदन है सरकार से। एक तो यह कि इस रुपए का सदुपयोग हो और दूसरे आप ऐसे कार्यक्रम बनाइए कि यह रुपया मार्च के अन्त तक खर्च हो जाय।

मान्यवर, आज प्रदेश की हालत बड़ी बदतर है। चारों तरफ अराजकता है, सरकार हरिजनों, अल्प संख्यकों को संरक्षण देने के वायदे को पूरी तरह से निभा नहीं पाई है। आपने देखा लखनऊ और कानपुर में दंगा हुए। रोज विधान सभा में कत्लों और डकतियों की चर्चा की जाती है। यहां तो विधान सभा के सदस्य और एम0 पी0 तक दर्खास्त देते हैं कि उनकी जान की सुरक्षा नहीं होती है। तो मेरा सरकार से निवेदन यह है कि जो रुपया है उसका ये सदुपयोग करें और समय के अन्दर खर्च करें, जो कार्यक्रम निर्माण के हैं चाहे वे सड़कों के हों, प्राइमरी स्कूलों के बनवाने के हों, चाहे बेरोजगारी दूर करने के हों, उनमें पूरी तरह से तेजी लावें। आज हजारों बी0टी0सी0 और 16 हजार के लगभग बी0एड0, एम0एड0 और एम0 ए0, एल0 टी0 लोग जो इनके प्रशिक्षण कालेजों से प्रशिक्षण पाए हुए बेकार पड़े हैं, उनकी समस्या को पूरी तरह से हल करें, तभी इस रुपए का सदुपयोग होगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, हम कुछ ही क्षणों में अपने वित्त मन्त्री जी को 25 अरब से अधिक रुपया खर्च करने की इजाजत देने जा रहे हैं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो 10 करोड़ रुपए की धनराशि हरिजनों के कल्याण के लिए रखी गयी है, यह बहुत ही कम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

मेरी प्रार्थना है कि इतनी धनराशि से काम नहीं चलने वाला है। इसको उन्हें बढ़ाना चाहिए।

इन बातों को कहकर मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इस बजट को तैयार कराया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं 2–3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह घाटे का बजट है, इस साल भी है और आखिर में देखने में यह मिला है कि घाटे का बजट हमेशा बचत में तब्दील हुआ है और इस साल भी यही होने वाला है, यह मेरी शंका है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इसका निराकरण करेंगे। दूसरी बात यह कहनी है कि जो वित्तीय नियम हैं वे बहुत कठोर हैं, उनमें तरमीम करने की जरूरत है ताकि इस रुपए का टाइम के अन्दर सदुपयोग हो सके और तीसरी बात यह है कि वित्तीय नियम कठोर होने के बावजूद भी करोड़ों रुपया हर साल का घपला होता है, दुरुपयोग होता है, अनियमितताएं होती हैं, लोग गबन भी कर लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वित्त विभाग इतना सक्षम हो कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन न हो। आए दिन हर विभाग में वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है। सन् 1947 से और अब तक बड़े पैमाने पर हर विभाग के लोगों ने किया है। इसी तरह से एक बात और कहना चाहता हूं कि टाइम के अन्दर यह रुपया आज जो वित्त मन्त्री जी ले रहे हैं, अगर इसका सदुपयोग प्रदेश को ऊंचा उठाने में, प्रदेश का विकास करने में और जो हमारी योजनाएं हैं, सिंचाई की, बिजली की, कृषि की और दूसरी जो योजनाएं हैं, उनको जल्द से जल्द अगर पूरा कर देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का कल्याण होगा।

अन्त में यह भी कहना चाहता हूं कि अगर पूरे प्रदेश में मजदूरों के अन्दर काफी असन्तोष रहा, छटनी हो रही है, भूख हड़ताल हो रही है, लोगों को बोनस नहीं मिल रहा है, कमाया हुआ पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार ने हड़तालों पर पाबन्दी लगाई है। मेरी प्रार्थना है कि आज जो मजदूरों के अन्दर असन्तोष है, उसको किस प्रकार से जल्द से जल्द समाप्त किया जाय, इस पर सरकार को तुरन्त विचार करना चाहिए।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, सामान्य चर्चा में और विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुदानों में विस्तार से सभी प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है। अब मैं बहुत आवश्यकता नहीं समझता हूं कि जिन प्रश्नों के बारे में यहां पर चर्चा हो गयी है, विभिन्न मन्त्रियों ने उनका विस्तार से जवाब दे दिया। लेकिन 2–3 बातें जो यहां पर उठाई गयी हैं, उनके सम्बन्ध में जरूर उल्लेख कर देना चाहता हूं।

मैं नेगी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो बात रह गयी थी पहले, उसकी चर्चा करने का मौका दिया। मैं माननीय नेगी जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि इनफ्लेशन कारण होता है महंगाई का। मेरे हाथ में वह तो ताकत नहीं है जिससे मैं इनफ्लेशन को समाप्त कर दूं, लेकिन यह बजट इनफ्लेशन को बढ़ाने में सहायता भी कर सकता था और उसको यदि घटाएं नहीं तो थामने का काम भी कर सकता है। मैं यह दावा तो नहीं करता

कि यह बजट इन्फ्लेशन घटाने का बेहतर काम कर पाएगा या नहीं, लेकिन उस तरफ कदम जरूर है। इतना निश्चित है कि मैंने जो कर भार नहीं बढ़ाया और जिन मदों पर पिछली सरकार द्वारा अनावश्यक तरीके से खर्चे किए जा रहे थे उस पर रोकथाम लगाकर मितव्ययता का रास्ता अख्तियार कर और उन मदों में ज्यादा खर्चा करने का प्राविधान करके जिसकी चर्चा माननीय उप नेता विरोधी दल श्री श्याम धर जी ने की उनका असर अवश्य ही पड़ा है। यदि बजट की पूरी चर्चा होने के बाद भी उनको इसका आभास नहीं हुआ तो मुझे आश्चर्य है। लेकिन जो प्राविधान है सिंचाई में, बिजली में और सड़कों के लिए, पुरानी जो सरकार थीं या जो प्राविधान होते रहे हैं उससे बढ़ा करके अन्य मुख्य जो विकास की दृष्टि से विभाग हैं उनको अधिक प्राविधान करने का काम मैंने किया है।

उसके साथ-साथ जो यहाँ चर्चा हुई मंहगाई की, मैं यह दावा तो नहीं करता कि मंहगाई नहीं बढ़ी, लेकिन जबसे बढ़ती चली आ रही थी और जो दूसरे राज्यों में जिस परिमाण में बढ़ी और विस्तार में बढ़ी, मैं दावा कर सकता हूं कि अपने प्रदेश में उस परिमाण में मैंने नहीं बढ़ने दिया—वह चाहे बजट का असर हुआ और कितना असर उस विभाग के मन्त्री द्वारा उठाए गए कदमों द्वारा हुआ, यह तो सबको अपना स्वयं तय करना है, दोनों की बात इसमें है। इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से चर्चा न करके केवल इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि जो आशंका निर्दलीय दल के नेता ने उठाया कि प्राविधान तो कर दिया गया है, लेकिन क्या यह खर्चा होगा, तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि मन्त्रि परिषद् ने अपनी एक सब-कमेटी इसलिए बना दी है कि यह जो प्राविधान हैं, इन पाँच महीनों के अन्दर उसका मानिटरिंग किया जाय। खर्चा किस तरह से होता है इसको देखा जाय और जो प्रायोजनाएं चल रही हैं उनको भी देखा जाय और इस बात की कोशिश की जाय कि जो विरोधी बेंचों पर बैठ कर मैं आलोचना किया करता था, उनका शिकार मैं न होने पाऊं, इसका ध्यान रखा जाय, इसका प्रयत्न मैंने किया है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि माननीय ऊदल जी ने एक बात कही है और वह यह है कि यह जो विभाग है, इस विभाग की एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है और वह यह है कि जो प्राविधान किए जाते हैं, जो खर्चे किए जाते हैं वह ठीक तरीके से हों। लेकिन इस विभाग की पहुंच केवल संगठन तक है। इनकी जानकारी की वजह से कुछ भूल सी हो गयी, जिस कारण से हो गया, लेकिन इस विभाग में कितना अधिक सरलीकरण किया जा सकता है, उन विभागों के ऊपर कन्ट्रोल कैसे रखा जा सकता है, साथ-साथ उनको इस प्रकार से कोई कठिनाई न हो और जो प्राविधान किया गया है वह प्राविधान उनको मार्च 31 के पहले खर्चा करने के लिए किसी तरह की कठिनाई न उत्पन्न हो, यह देखने का प्रयत्न किया जा रहा है। कठिनाई यह है कि 30 साल का कूड़ा साफ करना आसान काम नहीं है। उसकी काफी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन अब कूड़ा साफ तो हो ही रहा है, उसके साथ-साथ वहाँ पर जो अच्छा काम है वह भी काम शुरु हो गया है। मेरा बजट देखेंगे तो आपको मालूम हो जायगा। तो मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ. . . .

एक सदस्य—

वित्तीय नियमों का उल्लंघन।

श्री मधुकर दिघे—

वित्तीय नियमों के उल्लंघन करने की दृष्टि से यह विभाग की जिम्मेदारी है, वह नहीं होने देंगे। लेकिन जैसा मैंने विस्तार से कहा यह जो खर्चे होते हैं यह विभाग द्वारा किए जाते हैं। जो अनियमितताएं होती हैं वह बाद में ध्यान में लाई जाती हैं। पब्लिक एकाउन्टस कमेटी द्वारा जब वह अनियमितताएं बाद में ध्यान मे लाई जाती हैं तो उन पर कार्यवाही होती है और होगी।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामान्य चर्चा पर जो मैंने उत्तर दिया और अब जो विश्वास दिला रहा हूं उसके बाद उधर से 'न' की आवाज नहीं आएगी और सब लोग मिल कर 'हाँ' की आवाज लगायेंगे। इस विश्वास के साथ मैं विनियोग विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977

31 मार्च, 1978 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहृत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1977 कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से वर्ष 1977–78 के लिए 25,10,00,03,400 रुपए का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1978 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहृत निधिमें से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका योग कुल [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1977 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1977) तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 1977 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1977) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके अथवा, जैसी भी दशा हो, अतिक्रमित करके,] 25,10,00,03,400 रुपए (केवल पच्चीस अरब, दस करोड़ तीन हजार चार सौ रुपए) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1978 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	1,59,69,800	2,66,300	1,62,36,100
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	13,07,500	13,07,500
3	मन्त्रि परिषद् ..	51,78,600	..	51,78,600
4	न्याय प्रशासन ..	6,98,41,900	1,34,82,000	8,33,23,900
5	निर्वाचन ..	2,11,35,600	..	2,11,35,600
6	वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर	10,14,500	2,100	10,16,600
7	भू-राजस्व ..	36,68,32,200	9,75,31,800	46,43,64,000
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण ..	1,59,15,100	2,400	1,59,17,500
9	भूमि और भवन कर ..	27,900	..	27,900
10	राज्य आबकारी ..	1,48,56,400	7,200	1,48,63,600
11	बिक्री-कर ..	6,84,59,500	4,64,35,000	11,48,94,500
12	मोटर गाड़ियों पर कर ..	8,61,06,000	4,500	8,61,10,500
13	अन्य कर और शुल्क ..	1,47,66,100	2,100	1,47,68,200
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति ..	48,16,000	..	48,16,000
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	35,48,54,200	35,48,54,200
*16	ब्याज का भुगतान ..	..	1,09,92,79,300	1,09,92,79,300
*17	लोक सेवा आयोग ..	..	41,09,100	41,09,100
18	सचिवालय ..	7,24,77,700	4,100	7,24,81,800
19	जिला प्रशासन ..	10,04,29,700	20,000	10,04,49,700
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	1,89,74,300	2,100	1,89,76,400
21	पुलिस ..	68,07,50,400	6,000	68,07,56,400
22	कारागार ..	6,25,76,500	2,000	6,25,78,500

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
23	लेखन सामग्री और मुद्रण ..	5,33,14,200	..	5,33,14,200
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य ..	97,94,500	16,500	98,11 000
25	अन्य प्रशासनिक सेवाएं ..	4,99,47,300	2,400	4,99,49,700
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें ..	11,62,39,300	4,40,000	11,66,79,300
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं ..	6,75,79,700	2,500	6,75,82,200
28	शिक्षा ..	2,43,05,65,100	6,900	2,43,05,72,000
29	कला एवं संस्कृति ..	87,24,900	2,100	87,27,000
30	वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध ..	71,36,400	..	71,36,4 00
31	चिकित्सा ..	47,50,15,800	11,000	47,50,26,800
32	परिवार कल्याण ..	15,12,32,700	4,000	15,12,36,700
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	26,33,53,400	5,000	26,33,58,400
34	आवास भवन ..	95,74,500	2,43,700	98,18,200
35	नगर विकास ..	54,53,400	..	54,53,400
36	सूचना तथा प्रचार ..	1,73,77,300	2,100	1,73,79,400
37	श्रम एवं सेवायोजन ..	8,09,92,600	8,000	8,10,00,600
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण)	16,62,83,900	2,500	16,62,86,400
39	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं	5,22,34,000	31,300	5,22,65,300
40	दैवी आपदाओं के कारण सहायता	2,18,04,200	2,18,01,000	4,36,05,200
41	अन्य सामाजिक तथा समुदायिक सेवाएं	9,94,700	..	9,94,700
42	सहकारिता ..	7,96,28,400	2,500	7,96,30,900
43	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र ..	71,73,38,400	35,200	71,73,73,600
44	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,05,48,900	5,000	2,05,53,900
45	कृषि	31,27,44,900	41,000	31,27,85,900

विधान सभा उत्तर प्रदेश

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनाशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
46	औद्यानिक विकास ..	2,43,84,800	2,00,000	2,45,84,800
47	गन्ना विकास ..	9,03,30,900	2,100	9,03,33,000
48	सामुदायिक विकास ..	30,23,18,300	26,500	30,23,44,800
49	भूमि तथा जल संरक्षण ..	5,11,42,900	2,100	5,11,45,000
50	क्षेत्र विकास ..	25,28,86,000	..	25,28,86,000
51	खाद्य ..	5,07,31,000	50,000	5,07,81,000
52	पशुपालन ..	11,02,53,300	2,500	11,02,55,800
53	दुग्धशाला (डेरी) विकास	74,89,700	2,100	74,91,800
54	मत्स्य उद्योग ..	91,24,900	2,100	91,27,000
55	वन	7,09,49,400	40,000	7,09,89,400
56	उद्योग ..	5,19,87,700	4,500	5,19,92,200
57	ग्राम एवं लघु उद्योग ..	5,86,81,000	..	5,86,81,000
58	खानें तथा खनिज ..	68,02,500	2,100	68,04,600
59	विद्युत् विकास ..	2,00,01,100	..	2,00,01,100
60	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	75,77,63,700	2,100	75,77,65,800
61	सिंचाई अधिष्ठान ..	34,60,85,000	10,000	34,60,95,000
62	सिविल विमानन ..	12,27,300	..	12,27,300
63	संचार साधन ..	26,96,05,400	10,000	26,96,15,400
64	कार्यात्मक भवन ..	1,57,92,900	20,000	1,58,12,900
65	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	15,22,80,300	5,000	15,22,85,300
66	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान	5,14,45,900	..	5,14,45,900
67	सड़क तथा जल परिवहन ..	11,70,900	..	11,70,900
68	पर्यटन ..	26,87,200	..	26,87,200
69	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	10,59,89,900	..	10,59,89,900

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
70	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	10,21,03,500	1,00,000	10,22,03,500
71	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	1,80,12,600	3,25,000	1,83,37,600
72	चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	96,11,600	..	96,11,600
73	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	3,84,71,200	50,000	3,85,21,200
74	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	56,59,400	50,000	57,09,400
75	सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12,80,39,900	..	12,80,39,900
76	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	25,85,81,200	2,100	25,85,83,300
77	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	14,16,77,200	5,00,000	14,21,77,200
78	जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर	30,50,100	..	30,50,100
79	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	33,66,76,800	8,000	33,66,84,800
80	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7,24,10,100	..	7,24,10,100
81	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,93,39,00,000	..	1,93,39,00,000
82	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	6,69,700	..	6,69,700

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
83	वनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	9,87,300	2,100	9,89,400
84	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,68,49,73,000	2,000	1,68,49 75,000
85	बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	18,42,00,000	..	18,42,00,000
86	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	38,83,44,000	50,000	38,83,94,000
87	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,200	..	2,200
88	पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	17,34,000	..	17,34,000
*89	राज्य सरकार के ऋण ..	..	6,55,33,36,500	6,55,33,36,500
90	ऋण और अग्रिम—शिक्षा	94,00,000	..	94,00,000
91	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन	13,38,55,700	..	13,38,55,700
92	ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन	55,26,000	..	55,26,000
93	ऋण और अग्रिम—उद्योग	12,84,41,500	..	12,84,41,500
94	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	3,85,55,300	..	3,85,55,300
95	ऋण और अग्रिम—कृषि ..	2,13,75,100	..	2,13,75,100
96	ऋण और अग्रिम–विद्युत्	1,69,41,20,000	..	1,69,41,20,000
97	ऋण और अग्रिम—वित्त ..	1,57,00,100	..	1,57,00,100
	योग	16,90,52,16,200	8,19,47,87 200	25,10,00,03,400

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

श्री अध्यक्ष—

अब खण्डों पर विचार होगा। कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं सबको एक साथ ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं उनमें से किसी को आज मैंने स्वीकृत नहीं किया है।

बांदा जिले के ग्राम खोंपा के तीन हरिजनों की ठाकुरों द्वारा इलाहाबाद जिले के थाना पश्चिम शरीरा के पास गोली मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

1—इलाहाबाद (क) जिला इलाहाबाद में दिनांक 20-9-77 को घटित घटना।

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21 सितम्बर, 1977 को प्रातः 9—30 बजे श्री देवराज पुत्र कोदी (हरिजन), निवासी ग्राम खोंपा, थाना राजापुर (बांदा) ने थाना पश्चिम शरीरा (इलाहाबाद) पर इस आशय की सूचना दी थी कि उसके गांव के सुकरू हरिजन को उसी गांव के निवासी श्री गुलाब सिंह आदि ने लगभग 3 वर्ष पहले मारा पीटा था। इसके बारे में जनपद बांदा, थाना राजापुर पर अभियोग दर्ज हुआ था। इसी रंजिश के कारण उपरोक्त गुलाब सिंह ने भी ग्राम अलवारा, थाना पश्चिम शरीरा (इलाहाबाद) के निवासी श्री लक्षन (हरिजन) से सर्वश्री रामचरन उर्फ चन्ना, सुकरू, भागीरथ व सुधियवा के विरुद्ध थाना पश्चिम शरीरा, (इलाहाबाद) पर धारा 452/323/504/506 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम कराया था। उक्त मुकदमा स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है।

मुकदमें की पैरवी हेतु वादी तथा उक्त सभी लोग घटना की तिथि (20-9-77) को इलाहाबाद आये थ। मुकदमें की पैरवी के उपरान्त वे लोग लगभग 9 बजे रात्रि बस द्वारा ग्राम अजरौली आये और वहां से वे लोग पैदल ही

उक्त मृतक रामचरन उर्फ चन्ना के रिश्तेदार श्री बिहारी, निवासी ग्राम अलवारा के यहां जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में जब वे लोग ग्राम डगशरीरा के आगे लगभग 9-30 बजे रात्रि में पहुंचे तब वादी के गांव के निवासीगण सर्वश्री गुलाब सिंह पुत्र श्री सिया सिंह, रामनरेश सिंह पुत्र श्री गया सिंह, ग्राम पोर, थाना पश्चिम शरीरा (इलाहाबाद) निवासी अभयराज सिंह उर्फ बब्बू पुत्र रामेश्वर सिंह तथा अलवारा, थाना पश्चिम शरीरा (इलाहाबाद) निवासी श्री लक्षन पासी पुत्र तेजी पासी वहीं निकट ज्वार के खेत में छिपे हुए थे। उक्त चारों व्यक्ति ज्वार के खेत से निकलकर वादी व उसके साथियों को घेर लिये तथा बन्दूकों से फायर किया। फलस्वरूप सर्वश्री रामचरन उर्फ चन्ना, सुकरु तथा सुधियवा को गोली लगने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। उक्त तीनों मृतक हरिजन थे।

इस सूचना के आधार पर थाना पश्चिम शरीरा पर उपरोक्त चारों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक मुकदमा धारा 302, भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम करके वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण की व्यक्तिगत देखरेख में विवेचना आरम्भ की गयी तथा अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया।

विवेचना के दौरान उपरोक्त चारों नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया। अपराध से सम्बन्धित कथित चारों अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों सर्वश्री लक्षन (हरिजन), दिनांक 26 सितम्बर, 1977, राम नरेश सिंह व अभयराज सिंह उर्फ बब्बू, दिनांक 27 सितम्बर, 1977 को जिला इलाहाबाद की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा उन्हें दिनांक 27 सितम्बर, 1977 को जेल भेजा गया। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। चौथे अभियुक्त गुलाब सिंह का चालान मफरूरी में किया गया। श्री गुलाब सिंह ने दिनांक 11 अक्तूबर, 1977 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा उन्हें भी जेल भेज दिया गया। यह कहना सत्य नहीं है कि उक्त घटना के कारण इलाहाबाद की जनता में या हरिजनों में भय, असन्तोष या चिन्ता व्याप्त है। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण कुछ और कहना उचित न होगा।

सुकरु मृतक ने थाना राजापुर में दिनांक 28 जुलाई, 1974 को गुलाब सिंह आदि के विरुद्ध धारा 504/506 भा0द0वि0 की रिपोर्ट लिखाई थी। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर्वी ने इस रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमें की विवेचना की अनुमति नहीं दी। सुकरु ने पुनः 4 अगस्त, 1974 को गुलाब सिंह आदि के विरुद्ध धारा 147/452/374 भा0द0वि0 का मुकदमा दर्ज कराया जिसमें विवेचना के बाद 30 नवम्बर, 1974 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी। ग्राम खोंपा

[श्री लक्ष्मणसिंह]

के हरिजनों की ओर से थाना राजापुर में पिछले एक वर्ष से किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी और न किसी प्रकार का विवाद ही हरिजनों तथा ठाकुरों के बीच इस अवधि में उत्पन्न हुआ।

(ख) स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन वाद सं0 200/74 की वापसी :

स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में मृतक सुकरु, राम चरन, सुधियवा तथा श्री भागीरथ, निवासीगण, ग्राम खोंपा, थाना राजापुर, जिला बांदा के विरुद्ध विचाराधीन वाद संख्या 200/74 अन्तर्गत धारा 452/323/504/506 भा0द0वि0 की वापसी का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

2—फतेहपुर के सी0जे0 एम0 के न्यायालय से जारी जाली वारन्ट पर हरिजनों की गिरफ्तारी।

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम भदेदू, थाना राजापुर, जनपद बांदा, निवासी केवल तीन हरिजनों को जिला बांदा की पुलिस द्वारा जिला फतेहपुर के न्यायालय से जारी वारन्ट पर दिनांक 14 जून, 1977 व दिनांक 15 अगस्त, 1977 को गिरफ्तार करके दिनांक 16 अगस्त, 1977 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रट, फतेहपुर के समक्ष पेश किया गया। चौथा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ था। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रट, फतेहपुर ने जब वारन्ट देखा तो पाया कि वारन्ट जाली है। अतः उन्होंने तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया। इस सम्बन्ध में न्यायालय के आदेशानुसार थाना कोतवाली जिला फतेहपुर पर धारा 420/465/466/471/472/342 भारतीय दंड विधान के अधीन दिनांक 24 अगस्त, 1977 को अपराध पंजीकृत किया गया। अब तक की विवेचना से अभियुक्त का पता नहीं लग सका है। अभियुक्त का पता लगाने हेतु पुलिस तत्परता से प्रयत्नशील है।

3—जिला बांदा के कतिपय ग्रामों के हरिजनों को सवर्णों द्वारा परेशान करने की शिकायत।

ग्राम भदेदू के हरिजनों ने गत वर्ष एक राय होकर गांव के ठाकुरों का काम करना बन्द कर दिया। अतः ठाकुरों ने इस वर्ष हरिजनों से खेती आदि का काम नहीं कराया। इसके फलस्वरूप दुर्गा हरिजन ने ग्राम गोसाईपुर थाना राजापुर में बुता हरिजन ने ग्राम बुचौली में तथा राम अवतार हरिजन ने ग्राम विलास थाना कमासिन में हलवाही कर ली। इनके माता पिता तथा परिवार के अन्य लोग ग्राम भदेदू में ही अपने घरों में रह रहे हैं। अतः यह सही नहीं प्रतीत होता कि गांव के ठाकुरों के अत्याचारों के कारण उक्त तीनों हरिजन गांव छोड़ गए।

ग्राम भदेदू के सेवालिया हरिजन द्वारा पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच से की गयी शिकायत के आधार पर चन्द्रपाल सिंह आदि के विरुद्ध कम मजदूरी पर काम कराने के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मुकदमा कायम कर दिया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है। किसी हरिजन की जमीन छीनने की बात जांच से गलत पाई गयी।

ग्राम खोंपा के उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त बांदा जिले के अन्य ग्रामों के मामलों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

1—श्री दुर्गा निवासी ग्राम मवैई, थाना कोतवाली ने 13 सितम्बर, 1977 को कोतवाली में सूचना दी कि गांव के सुखवा चमार तथा बाबू सिंह सहित 11–12 बदमाशों ने वादी के घर में डकैती डाली जिसमें वादी के भाई दीन दयाल तथा एक अन्य व्यक्ति सियाराम मारे गये, दोनों नामजद अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों का पता लगाने और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। वादी ने जो लिखाया वही रिपोर्ट लिखी गयी।

2—दिनांक 16 सितम्बर, 1977 को ग्राम भदेदू, थाना राजापुर की श्रीमती शिवकलिया ने थाना कर्वी में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी फसल गांव के रामभवन सिंह ने चरा ली। इस सूचना पर थाना राजापुर में अपराध संख्या 87 के अन्तर्गत धारा 147/504/506/427 कायम होकर विवेचना की जा रही है।

3—ग्राम भगतपुर थाना कर्वी के हरिजन किशुन तथा देविया ने 24 सितम्बर, 1977 को आरोप लगाया था कि उनको पट्टे में मिली जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है। जांच से यह बात गलत पाई गई। दोनों हरिजनों का कब्जा उनकी जमीनों पर है। गांव के चार व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने एतिहातन धारा 107/116 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही भी कर दी है।

4—ग्राम वीर घुमाई सुरखी, थाना कमासिन के किसी हरिजन को पीटें जाने की पुष्टि जांच से नहीं हुई।

5—ग्राम गंगापुरवा थाना राजापुर में दिनांक 1 सितम्बर, 1977 को मदूराम धोबी ने चन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध धारा 323 भा0द0वि0 की रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें विवेचना के बाद 28 सितम्बर, 1977 को अभियुक्त का चालान किया जा चुका है।

6—ग्राम चौरा थाना पहाड़ी के महादेव धोबी ने गया प्रसाद व सीताराम की जमीन में खूंटे गाड़कर कब्जा कर लिया था जो अनुचित था फिर भी हरिजन होन के नाते गांव वालों के समझाने-बुझाने से महादेव को वह जमीन दिला दी गयी है। महादेव की चरही नहीं गिराई गई थी केवल उसके अनाधिकृत रुप से लगाए गए खूंटों को उखाड़ दिया गया था जिन्हें फिर से लगा दिया गया है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 107/116 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा चुकी है।

7—ग्राम सरधुवा के कुछ हरिजनों ने जमीनों पर कब्जा न मिलने की शिकायत की थी जिसकी स्थानीय पुलिस से जांच कराकर मौके पर हरिजनों को कब्जे दिला दिए गए थ।

जिला प्रशासन को हरिजनों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने के आदेश दे दिए गए हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, जैसा कि मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि बांदा जिले के राजापुर थाने के उस क्षेत्र में हरिजनों और ठाकुर लोगों का वाद-विवाद जमीनों आदि के बारे में चला आ रहा है। तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मुकामी तौर पर तो मुकदमे वगैरह चल रहे हैं लेकिन सामूहिक तौर पर एरिया में अमनो-आमान बना रहे इसके लिए सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, सामूहिक तौर से उस क्षेत्र में अमनो-अमान बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने जैसा कहा। एक तरफ वक्तव्य से स्पष्ट होता है, जैसा आपने भी सुना है वहाँ पर रिपोर्ट दोनों तरफ से दर्ज होती रहीं और मुकदमे होते रहे हैं और मर्डर भी हुए। मन्त्री जी का कहना है कि कोई वैसी हालत नहीं थी कि सामूहिक तरीके से विशेष प्रबन्ध किया जाय। तो मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर कोई मसला नहीं था, हम तो समझते हैं कि वहाँ सामूहिक हालत खराब थी, तो क्या सरकार इंक्वायरी के लिए कोई जुडिशियल बाडी बनाएगी जिससे चीजें स्पष्ट होकर सामने आएं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। यह जो घटनाएं हैं जो मैंने पढ़ीं यह अलग-अलग गाँव की घटनाएं हैं और अलग-अलग थानों की हैं। यह पुरानी रंजिश के कारण हुई थीं। अगर आप इनकी विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो मैं उसकी सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि सन् 1974 में कुछ हरिजनों और ठाकुरों की मुकदमेबाजी आरम्भ हुई थी जिस दल और जिस निर्देशन के तहत विधान सभा और विधान परिषद् में भी कई बार यह उठाने की कोशिश की जाती है कि हरिजनों पर अत्याचार बढ़ गए हैं तो मैं आपकी सूचना के लिए गुजारिश करना चाहता हूं कि सन् 1974 से यह मुकदमेबाजी होती रही और इलाहाबाद, बांदा और फतेहपुर में मुकदमे दायर होते रहे। एक आध जगह ज्यादती भी हुई और उस समय उचित रूप से इसको रोकने की कोशिश नहीं की गयी। सन् 1977 में आकर यह कत्ल हो गया। अब यह कहना कि सामूहिक रूप से हरिजनों पर ज्यादती की जा रही है यह निराधार है इस वक्तव्य में जो लिखा हुआ है अगर उसको पढ़ा जाय तो सारी पोजीशन साफ हो जाती है।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा कहना यह है कि इससे यह जाहिर होता है कि झूठे सच्चे मुकदमें हरिजनों की तरफ से और दूसरों की तरफ से होते रहे। अन्त उसका यह हुआ कि इलाहाबाद में जाकर हरिजनों का मर्डर किया गया, इसको आपने भी स्वीकार किया। मेरा प्रश्न यह है कि हरिजनों पर ज्यादती की या सवर्णों पर ज्यादती की और क्या तथ्य था ? इस कन्ट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए क्या कोई जुडीशियल बाडी एप्वाइन्ट करने के लिए आप तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर मन्त्री जी ने दे दिया। यह व्यक्तिगत दुश्मनी थी। इसका इलाज जुडीशियल नहीं अहिंसा का प्रचार हो सकता है।

श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने अभी कहा कि यह मामला सन् 1974 से पुराना है। बहुत कुछ सही बात भी है क्योंकि वह हारी बेगारी नहीं करते थे, वह मारे पीटे गए थे और दो बार रिपोर्ट भी की थी। उसमें फाइनल रिपोट लगा दी गयी थी। जब मारे-पीटे जाते थे तो रिपोर्ट होती थी और कुछ कार्यवाही हो जाती थी। आपके जमाने में तो मर्डर हो गया। तब में और अब में यह फर्क है। मैं पूछना चाहता हूं कि 19 नवम्बर, 1974 को डी0आई0जी0 हरिजन सेल, लखनऊ को मृतक सुकरू आदि ने दरख्वास्त दी। मैंने स्वयं 20–25 दिन पहले माननीय मुख्य मन्त्री राम नरेश यादव जी को पत्र लिखा था। जो दूसरे मन्त्री त्रिपाठी जी उत्तर दे रहे थे उन्होंने कहा भी था कि वह पत्र मिल गया है। तो उन पत्रों पर शासन ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? कारण क्या था कि हरिजनों पर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया और कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे हरिजनों की हत्या हो गयी?

श्री अध्यक्ष—

जहाँ तक सन् 1974 का सवाल है उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अब सन् 1977 आ गया। अब माननीय राम सजीवन जी का एक प्रश्न है कि उन्होंने पत्र लिखा उसके अनुसार जो आशंका प्रकट की कि इन व्यक्तियों का वध होने वाला है, उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने 1974 का हवाला इसीलिए दिया है कि इन हरिजन ने 28 जुलाई, 1974 को रिपोर्ट लिखाई थी।

श्री अध्यक्ष—

इसकी आवश्यकता नहीं है। जो इनका आखिरी उत्तर है कि मारने की आशंका हो सकती है, उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

14 सितम्बर, 1977 को माननीय सदस्य ने जो पत्र दिया है उसका उत्तर मैंने वक्तव्य में दिया है और मैं दुबारा दुहरा रहा हूं। हरिजनों पर जो मुकदमें दायर हुए थे उनको वापस उठाने की कार्यवाही की जा रही है। 20 सितम्बर, 1977 को जो घटना हुई है उसका सम्बन्ध सन् 1974 से चला आ रहा है। सुकरु ने दरख्वास्त दिया था कि हमारे ऊपर हमला किया जा सकता है। पुलिस तो कार्यवाही करती है, लेकिन यह सम्भव नहीं मालूम होता है कि व्यक्तिगत मुकदमें के सम्बन्ध में लगातार पुलिस या सी0आई0डी0 का मोहकमा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं समझा जाता था कि इतनी गम्भीर वारदात हो जायगी। दूसरी वारदातों की तरह यह भी एक साधारण वारदात थी।

श्री राम सजीवन—

वहाँ के हरिजनों पर बड़ी मुसीबत है, इसलिए क्या माननीय मन्त्री जी उनके परिवारों को पुनःस्थापित करने के लिए दूसरे गाँवों में भूमि देने की कृपा करेंगे ? क्या इस तरह का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। हर गाँव की समस्या है और वहाँ पर झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ पर भूमि उपलब्ध है वहीं पर बाँटी जा सकती है। माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि काश्तकारों से लैंड-लेस मजदूरों को भी अपने सम्पर्क रखने चाहिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य के पेज 3 पर क्रम-संख्या 2 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कौन सा प्रश्न ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

फतेहपुर के सी0जे0एम0 के न्यायालय से जारी जाली वारन्ट पर हरिजनों की गिरफ्तारी का है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर घटना हुई कि जाली वारन्ट जारी हुए और गिरफ्तारी भी हुई। मैं चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी इसकी सी0 आई0 डी0 से जाँच करायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इस घटना की जाँच कराई जा रही है। वारन्ट थाने पर चला गया और उस आदमी की गिरफ्तारी हो गयी। जब उसे अदालत में ले जाया गया तो अदालत ने कहा कि यह वारन्ट हमारे यहाँ से नहीं जारी हुआ है। उसके तुरन्त बाद थाने में मुकदमा दायर कर दिया गया। दो सिपाहियों का इस सम्बन्ध में तबादला कर दिया गया। इलाहाबाद के पी0 पी0 आफिस के श्री विजय बहादुर सिंह का तबादला कर दिया गया है और पंडित कुंज बिहारी का ट्रान्सफर उत्तरकाशी कर दिया गया है। इन दो व्यक्तियों पर शक है। इनमें दोनों की साजिश उसमें मालूम हो रही है, यह शक हो रहा है। इसके सम्बन्ध में पूरी जाँच वहाँ की जा रही है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए, लेकिन मान्यवर, न तो उचित मजदूरी दी जाती है और न आप उनके लिए कोई व्यवस्था करते हैं, तो अच्छे सम्बन्ध कैसे बनाए जा सकते हैं ? क्या माननीय मन्त्री जी इसके बारे में कोई विवेचना करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाथू राम शिक्षक—

मान्यवर, यह स्थान बाँदा जिले, इलाहाबाद जिले और फतेहपुर जिले—इन जिलों से 50–50 मील की दूरी पर है जहाँ घटना घटी है। मान्यवर, वहाँ पर आज भी सामंत-

वादिता का बोलबाला है। इस क्षेत्र से प्रायः हरिजनों की शिकायतें उठती हैं। लेकिन थाने के लोग और जिलाधिकारी ध्यान नहीं देते। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और शहर से बहुत दूर है, तो वहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे कि आये दिन जो वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, उनकी सूचना यहाँ मिलती रहे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य में पढ़ा था कि उनको पूरी मजदूरी नहीं दी गयी, उसके बारें में विवेचना की जा रही है। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे कोई शिकायतें आती हैं, तो जिला प्रशासन को हिदायत है कि वह तेजी से कार्यवाही करे और निर्बल, गरीब और हरिजनों को सुविधा दिलाने की कोशिश करे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, वक्तव्य के पृष्ठ 2 पर लिखा हुआ है कि सुकरू वगैरह ने बांदा के एस० पी० और इलाहाबाद के एस० पी० को और थानेदार को भी लिखित दिया था और रिपोर्ट भी किया था। उसके अलावा जो इलाहाबाद में मुकदमा चल रहा है, वह बताया कि फर्जी था। तो क्या सरकार फर्जी मुकदमें की भी जाँच कर रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह तो कहना कठिन है कि मुकदमा फर्जी था या सच। मुकदमें जो होते हैं, अगर अदालत में चले गये तो निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है और जुडीशियल निर्णय पर न तो सरकार का दबाव डालना ठीक है और न किसी अधिकारी का ही। लेकिन कठिनाई और शक को देखते हुए मुकदमें को उठाने की कोशिश की जा रही है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय मन्त्री जी के उत्त र से सम्बन्धित। मन्त्री जी ने पृष्ठ 4 पर पैरा 3 में बताया है कि :—

"ग्राम भगतपुर, थाना कर्वी के हरिजन बिशुना तथा देविया ने 24 सितम्बर, 1977 को आरोप लगाया था कि उनको पट्टे में मिली जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है। जाँच से यह बात गलत पायी गयी।"

तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जाँच किस अधिकारी ने की थी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इतनी सूचना, मान्यवर, मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मान्यवर, सरकार का यह ऐलान है कि जहाँ हरिजनों पर ज्यादतियाँ होगी, वहाँ, आतंकवादियों पर सामूहिक जुर्माना किया जायेगा, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जुर्माना करेंगे और दूसरा प्रश्न कि बाँदा में बहुत ज्यादा हरिजनों पर अत्याचार होता है, तो उसकी विशेष जांच के लिए एक डी०एस०पी० नियुक्त करके इन चीजों की जाँच करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह जो आपका प्रश्न है, इससे तो प्रश्न उठता नहीं। मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया है कि स्थिति सामान्य है। यह तो एक विशेष केस है इसलिए...

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

प्रश्न तो सामूहिक जुर्माने पर भी...

श्री अध्यक्ष---

सामूहिक जुर्माने पर तो उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

इस पर 25 मिनट हो चुके हैं रियासत साहब...

श्री रियासत हुसैन---

सिर्फ एक प्रश्न। जैसा मन्त्री जी ने बताया कि इस गम्भीर घटना की भूमिका सन् 1974 से चली आ रही थी जैसा कुछ था, तो क्या किसी समय भी पुलिस के अधिकार से यह आवश्यक समझा गया कि उस जगह की हालत खराब है वहाँ कुछ पी0 ए0 सी0 वगैरह को पांच चार दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, तैनात किया जाय? अगर समझी गयी तो किस समय की गयी?

श्री लक्ष्मण सिंह-

पी0 ए0 सी0 की आवश्यकता नहीं समझी गयी। एक बात आवश्यक थी कि हरिजनों को पहले से पुलिस द्वारा अधिक संरक्षण मिलना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष---

आइटम नं0 20

(श्री राम सजीवन के खड़े होने पर)

मैंने सदन का समय (व्यवधान)। अब इस पर प्रश्न नहीं होंगे राम सजीवन जी। मैंने दस मिनट समय बढ़ा दिया है आगे ढ़ाई घन्टे की चर्चा है। इस पर 25 मिनट हो गये हैं। माननीय शिक्षा मन्त्री जी (श्री राम सजीवन के खड़े होने पर) आप बैठिए, मैंने शिक्षा मन्त्री को बुला लिया है अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राम सजीवन---

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए...यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। आप बैठिए, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं....आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बांदा जिले के ग्राम खोपाँ के 3 हरिजनों की ठाकुरों द्वारा इलाहाबाद जिले के थाना पश्चिम शरीरा के पास गोलीमार कर हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री राम सजीवन--

अध्यक्ष जी, चूंकि यह मामला बहुत गम्भीर है। हरिजनों की रक्षा के लिए सरकार कोई समुचित कदम नहीं उठा रही है। हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने, उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसलिए मैं और पूरा दल सरकार की इस नीति के खिलाफ सदन त्याग करता है।

(श्री राम सजीवन कम्युनिस्ट दल सहित सदन त्याग कर चले गए)

व्यवधान

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहिए। कृपया आप लोग बोलें नहीं।

यू०पी० बोर्ड के आगामी हाई स्कूल परीक्षाफल कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराने एवं भारत सरकार के आदेश से आई०बी०एम० कम्प्यूटर कम्पनी के कार्य बन्द हो जाने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

मान्यवर, वर्ष 1978 की हाई स्कूल परीक्षा के परीक्षाफल सम्बन्धी कार्य कम्प्यूटर द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में अभी तक शासन अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शासन ने इस सम्बन्ध में परिषद् से प्रस्ताव मांगे थे जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। परिषद् ने यह सूचित किया है कि वह इस सम्बन्ध में अभी विचार कर रही है।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने सूचित किया है कि जहां तक आई० बी० एम० को भारत के उद्योग मन्त्री द्वारा देश में कार्य बन्द करने की चेतावनी का प्रश्न है, आई० बी० एम० ने टेलीफोन पर यह सूचना दी है कि उन्होंने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे भारत में ही एक नई कम्प्यूटर कम्पनी की स्थापना करने को तत्पर हैं तथा यह कम्पनी 60 प्रतिशत इक्वीटी भारत सरकार को देने को भी तत्पर है आई० बी० एम० के सभी कम्प्यूटर और अन्य संयंत्र तथा समस्त सेवारत कुशल और उत्तरदायी कर्मचारी अविराम रूप से सेवा में लगे रहेंगे और भारत को उन संस्थाओं की जो आई० बी० एम० से कार्य करा रहे हैं उनकी अविरल सेवायें प्राप्त होती रहेंगी। आई० बी० एम० ने यह आशा व्यक्त की है कि भारत सरकार अपने द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों को कम्पनी द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त इस नयी कम्पनी को कार्य करने के लिए अपनी अनुमति दे देगी। सचिव परिषद् ने बताया है कि उपर्युक्त सूचना लिखित रूप में आई० बी० एम० से प्राप्त हो जाने पर ही और यह सुनिश्चित हो जाने पर कि आई० बी० एम० की सेवायें माध्यमिक शिक्षा परिषद् को अविरल रूप से प्राप्त हो जायेंगी, इस कम्पनी के द्वारा कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

वर्ष 1977 की हाई स्कूल परीक्षा का परीक्षाफल सम्बन्धी कार्य कम्प्यूटर से आई० बी० एम० के माध्यम से कराया गया था। वर्ष 1978 की हाई स्कूल परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ एक डेटा शीट कतिपय सूचनायें अंग्रजी में प्राप्त करने हेतु लगाया गया है। इसका उद्देश्य केवल यह है यदि 1978 की हाई स्कूल परीक्षा का कार्य कम्प्यूटर से कराये जाने का निर्णय भविष्य में लिया जाय तो कम्प्यूटर द्वारा कार्य कराए जाने में

[श्री काली चरण]

किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो। इस दिशा में प्रथम चरण के रूप में यह डेटा शीट परीक्षार्थियों से भरवायी जा रही है। हाई स्कूल परीक्षा का मूल आवेदन-पत्र हिन्दी में ही भरवाया जा रहा है। आवेदन-पत्र का निर्माण कम्प्यूटर की अपेक्षाओं तथा परम्परागत रीति से परीक्षाफल तैयार कराने की अपेक्षाओं अर्थात् दोनों प्रकार के अनुरूप किया गया है ताकि यदि यह कार्य कम्प्यूटर द्वारा न कराया जावे तो परम्परागत रीति से किया जा सके और परीक्षार्थियों तथा संरक्षकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

जो डेटा शीट अंग्रेजी में छपी है और उसका फार्म भरने की ट्रेनिंग प्रत्येक शिक्षालय के अध्यापक को दी गयी है तो यह निर्णय किस ने लिया है कि डेटा शीट अंग्रेजी में छपे ?

श्री काली चरण--

1977 की परीक्षा में मेरठ तथा इलाहाबाद मण्डलों द्वारा हाई स्कूल परीक्षा-फल कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराया गया था। चूंकि उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है इसको ध्यान में रख कर भविष्य में संभव है कि कम्प्यूटर से ही कराया जाय या परम्परागत रीति से कराया जाय निर्णय लेना था। अगर परिषद् निर्णय करती है कि कम्प्यूटर से कार्य करायेंगे और उसके पूर्व तैयारी नहीं होती तो कार्य नहीं कराया जा सकता। इस बात को ध्यान में रख कर कि सम्भव है कार्य कम्प्यूटर से कराना पड़े डेटा शीट माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने तैयार कराई है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मेरा बहुत सीधा सवाल था कि यह निर्णय किसने लिया कि डेटा शीट अंग्रेजी में तैयार कराई जाय और अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाय ?

श्री काली चरण--

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव के आदेश से यह हुआ है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा निर्णय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने लिया हो कि कम्प्यूटर से डेटा शीट तैयार कराई जाय....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव ने निर्णय लिया था।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

15 अक्तूबर तक प्राइवेट छात्रों के फार्म भरन की जो डेट थी वह अब 31 अक्तूबर कर दी गयी है लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स के फार्म्स भरन की अभी तक कोई डेट नहीं आई है, तो रेगुलर स्टूडेंटूस के फार्म भरने के लिए देरी इसलिए की जा रही है क्योंकि कम्प्यूटर के रिजल्ट तैयार करने का अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री काली चरण--

यह परिषद् का अपना निर्णय है। पहले परिषद् आजकल व्यक्तिगत परीक्षार्थी के आवेदन भराती है बाद में रेगुलर का। पहले यह नियम था कि रेगुलर का भरा जाय

और बाद में व्यक्तिगत परीक्षार्थी का। यह उसका अपना काय और विधि है और इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

यदि आई0 बी0 एम0 भारत सरकार की शर्तों को पूरा करे और शासन की रुचि है कि कम्प्यूटर प्रणाली अख्तियार करे तो क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने कम्प्यूटर से काम लिए जाने का विरोध किया था ?

श्री काली चरण—

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मन्त्री महोदय ने अपने बयान में कहा कि शासन ने इस सम्बन्ध में परिषद् से प्रस्ताव माँगे थे। शासन ने इस प्रस्ताव को मंगाने के लिए किस तारीख को पत्र लिखा था और क्या प्रस्ताव भेजने के लिए परिषद् के लिए कोई सीमा निर्धारित की थी कि कब तक वह उस पर विचार करेंगे ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, इसकी निश्चित तारीख के लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, कम्प्यूटर से शिक्षा परिषद् का रिजल्ट बनाने में जो व्यय भार परिषद् पर पड़ेगा उसका लाभ एक ऐसी संस्था को होगा जिसका विदेशों से सम्बन्ध है और पूंजीपतियों की यह संस्था है और दूसरी ओर जो हजारों हजार शिक्षकों को पारिश्रमिक मिलता है टेबुलेशन में उससे वे वंचित हो जायेंगे। तो क्या शिक्षा मन्त्री व्यापक हित को देखते हुए शिक्षा परिषद् को निर्देश देंगे कि टेबुलेशन का काम कम्प्यूटर से न कराकर परम्परागत ढंग से कराया जाय ?

श्री काली चरण—

श्रीमन् इस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद् में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट को मिलाकर लगभग 12 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं। आगे आने वाले वर्षों में इस संख्या में वृद्धि ही होगी घटने का प्रश्न नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है जिस पुराने नियमानुसार कार्य होता रहा है उसमें बहुत से परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अपूर्ण होते हैं, बहुत परीक्षा फलों में गलती रह जाती है। यही नहीं उनका सर्टिफिकेट हाई स्कूल का जो सेवा में अनिवार्य होता है 5-5- और 6-6- वर्ष तक नहीं मिल पाता है और अस्थायी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है ? कम्प्यूटर से कार्य कराने में अधिक दक्षता प्राप्तांकों के सम्बन्ध में और सर्टिफिकेट देने में होती है। जहाँ तक परीक्षार्थियों की कठिनाई का सम्बन्ध है वह उनको जल्दी प्राप्त होने चाहिए। इसलिए उनके लिए कम्प्यूटर प्रणाली ठीक है।

[श्री काली चरण]

जहाँ तक अध्यापकों का प्रश्न है इसमें उनका कोई अहित नहीं है। अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। यह उनके कार्य के अन्तर्गत नहीं आता है। अपने कार्य के लिए उनको वेतन मिलता है। उसके अतिरिक्त जो वह करते हैं उसके लिए उनको पारिश्रमिक मिलता है। इसलिए उन पर कोई असर पड़ने का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर समय समाप्त हो गया है। मैंने 10 मिनट बढ़ाया था। अब इस पर प्रश्न सम्भव नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

एक बहुत आवश्यक प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष—

5 मिनट समय और बढ़ाया जाता है।

श्री ऊदल—

क्या यह बात सही है कि इस साल जो कम्प्यूटर से परीक्षाफल निकलवाये और पहले जो अध्यापकों द्वारा परीक्षाफल बनवाये जाते थे उसके मुकाबले में 80 पैसा फी रिजल्ट के हिसाब से कम्प्यूटर से ज्यादा खर्च आया है?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, आज वह सूचना तो नहीं है। मैंने एक दिन इसी सदन में बताया था कि परम्परागत प्रणाली से कम्प्यूटर द्वारा जो खर्च आया है, वह कम है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं नोटिस देता हूं विशेषाधिकार की।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आपने अपनी बात कह दी।

श्री ऊदल—

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि ज्यादा आया है।

ग्राम मोबाना, जिला रामपुर में बहुसंख्यकों द्वारा हरिजनों के घरों पर कब्जा करने, आग लगाने तथा मुसलमानों की ईदगाह तोड़ने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

अब यह 21वाँ आइटम है रियासत हुसैन जी का, इसमें मुख्य मन्त्री जी ने मुझे लिखित सूचित किया है कि अभी तक इस सम्बन्ध में सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए स्थगित किया जा रहा है और यह 2 नवम्बर को ही लेना सम्भव होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

बड़े खेद की बात है सरकार के पास वायरलेस भी है, टेलीफोन भी है तब भी सूचना नहीं मिल रही है। इसे कल के लिए रख दिया जाय। बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैंने भी इसीलिए स्वीकार किया था। लेकिन मुख्य मन्त्री जी का कि रामपुर जिले के ग्राम मोबाना, थाना टाँडा, तहसील स्वार, में घटनाओं के सम्बन्ध में और कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री रियासतहुसैन की नोटिस पर आज दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को विधान सभा में सूचना उपलब्ध न होने के कारण आज वक्तव्य देना सम्भव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

कल दें दें। कौनसी चीज की कमी है वायरलेस है, टेलीफोन है और रामपुर कौनसा दूर है 4 घन्टे में वहाँ से आदमी आता है।

श्री अध्यक्ष—

अगर सम्भव हो तो जो वक्तव्य आज मुख्य मन्त्री जी को देना है, उस पर आप मुख्य मन्त्री जी से बात कर लीजिएगा, कल अगर दे सकते हों, तो दे दें।

श्री रियासत हुसैन—

आपने कल के लिए कर दिया ?

श्री अध्यक्ष—

सम्भव होगा तो हो जाएगा।

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)—

आपने जो वक्तव्य के लिए आदेश दिया है, उसको मैं मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब सूखे के विषय में चर्चा होगी।

(एक सदस्य के कुछ कहने पर)

यदि सम्भव हो, यह मैंने कहा है।

प्रदेश में सूखे, बाढ़ व कटाव के सम्बन्ध में चर्चा

एक सदस्य—

श्रीमन्, इसकी प्रतियाँ हम लोगों को नहीं मिली हैं।

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)—

मैंने आपको 14 अक्तूबर को दफा 51 के लिए एक विषय दिया था, उस पर आपने आदेश दिया है कि दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 को उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा में इसे शामिल कर लिया जाये। तो आपने इस होने वाले वक्तव्य में स्वीकार किया है। इस पर दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 की तिथि निश्चित की गई है, तो कापी हमको मिलना है।

श्री अध्यक्ष—

आज जो वक्तव्य देना है, उसकी क्या सायक्लोस्टाइल प्रतियाँ छपी हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

माधव जी का प्रश्न भी भेज दिया गया था, चूंकि वह भी सूखा, कटाव व बाढ़ से सम्बन्धित था।

पहले आपने (राजस्व मन्त्री) वक्तव्य दिया था, आज आप इस सम्बन्ध में और कुछ प्रकाश डालेंगे राजस्व मन्त्री जी ?

(राजस्व मंत्री के खड़े होने पर)

वक्तव्य के अलावा कुछ बात कहना चाहते हैं या सुनने के बाद आप अपनी बात कहना चाहते हैं ? जो बात है, वह आप बता दें। आपने जो पहले वक्तव्य दिया है, उसके बाद की अन्तिम स्थिति पर जो आज तक है, पुनः आप इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे ?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है, मैंने एक विस्तृत वक्तव्य इसी सदन में पहले दे दिया था और उस पर थोड़े-बहुत जो स्पष्टीकरण मांगे गए थे, मैंने दे दिए थे। जहां तक सूखे का सवाल है उस सम्बन्ध में भी मैं एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो चर्चा की मांग की गई है, उस सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य कोई प्रकाश डालेंगे तो आवश्यकता होगी तो उस पर भी मैं अपना वक्तव्य दूंगा।

"प्रदेश में आमतौर से 6 जिलो में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है .... यह जिले हैं:—

(1) वाराणसी जिले की चकिया तहसील,
(2) इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसील,
(3) बांदा जिले की मऊ करबी और कुछ हिस्सा नरैनी तहसील का,
(4) हमीरपुर जिले के 5 विकास खण्ड,
(5) जालौन जिले की कालपी और उरई तहसील तथा
(6) मिर्जापुर का कुछ भाग।

इन क्षेत्रों को सूखे से बचाने के लिए योजनायें बनती रही हैं और पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 28 करोड़ रुपए खर्च करने का कार्यक्रम था। वर्ष 1974-75 में करीब 3.19 करोड़ रुपया 1975-76 में करीब 2.32 करोड़ रुपया और 1976-77 में करीब 6.77 करोड़ रुपया भिन्न-भिन्न योजनाओं में खर्च किए गए। वर्ष 1977-78 में 7.09 करोड़ रुपए के उपयोग का प्राविधान है।

इस वर्ष इस क्षेत्र मे सूखा नहीं पड़ा बल्कि दूसरे जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। सूखे से प्रभावित क्षेत्र में गोरखपुर मन्डल के सभी जिले तथा उनके अतिरिक्त जौनपुर, फैजाबाद तथा गोन्डा जनपद भी हैं।

1—गोरखपुर—गोरखपुर जिले में सूखे से 4,698 गाँव तथा 22.18 लाख जन संख्या प्रभावित हुई है। इस जिले में 8.82 लाख एकड़ जमीन में खरीफ की फसल बोई

गई। अनुमान है कि भदई तथा जड़हन दोनों ही धान को क्षति 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक हुई है। सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के कारण यह है कि अगस्त के महीने में वर्षा सामान्य की तुलना में 80 प्रतिशत हुई। सितम्बर में भी वर्षा सामान्य वर्षा का केवल 32 प्रतिशत ही हुई है।

2—देवरिया—देवरिया जिले में सूखे से 2,561 गाँव तथा लगभग 17 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है। इस जिले में 6 लाख एकड़ जमीन में खरीफ की फसल बोयी गयी और अनुमान है कि सूखे से 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक हानि हुई है, अगैती धान को अनुमानित क्षति 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है। पिछैती धान को क्षति लगभग 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत है। मक्का की क्षति 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक हुई है। सूखे का कारण यह है कि जून से लेकर सितम्बर तक प्रत्येक महीने में ही वर्षा सामान्य की तुलना में कम हुई है। अगस्त के महीने में वर्षा सामान्य तुलना में 66 प्रतिशत तथा सितम्बर में सामान्य वर्षा का केवल 29 प्रतिशत वर्षा हुयी है।

3—बस्ती—अगस्त के महीने में वर्षा सामान्य की तुलना में 68 प्रतिशत हुई तथा सितम्बर में वर्षा सामान्य वर्षा का केवल 52 प्रतिशत हुई है। इस जिले में सूखे से 7,103 गांव तथा 24 लाख जन-संख्या प्रभावित हुई है। जिले में 9.63 लाख एकड़ जमीन में खरीफ की फसल बोई गई थी। अनुमान है कि इसमें 25 से 75 प्रतिशत तक हानि हुई है। अगैती धान की फसल को क्षति 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक है तथा पिछैती धान को 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक क्षति हुई है। अन्य फसलों को क्षति लगभग 60 प्रतिशत हुई है।

4—आजमगढ़—आजमगढ़ जिले में सूखे से 5,623 गांव तथा 29 लाख जन-संख्या प्रभावित हुई है। इस जिले में खरीफ की फसल में इस वर्ष 8.12 लाख एकड़ जमीन में फसल बोई गई। अनुमान है कि इसमें 33 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक क्षति हुई है। अनुमान है कि धान भदई को 35 प्रतिशत से 39 प्रतिशत तक, धान जड़हन को 37 प्रतिशत और गन्ने को 34 प्रतिशत से 39 प्रतिशत तक क्षति पहुंची है। इस जिले में सूखे का कारण यह है कि अगस्त महीने में केवल 37 प्रतिशत वर्षा हुई और सितम्बर के महीने में भी वर्षा मास की कुल वर्षा का केवल 43 प्रतिशत हुई है।

5—जौनपुर—अगस्त में वर्षा सामान्य की तुलना में केवल 45 प्रतिशत हुई और सितम्बर में भी वर्षा सामान्य का कुल 47 प्रतिशत ही हुई है। इस जिले में सूखे से 3,452 गांवों तथा 18 लाख जन संख्या प्रभावित हुई है। इस जिले में 5.42 लाख एकड़ जमीन में खरीफ की फसल बोई गई। अनुमान है कि सूखे से हानि 50 प्रतिशत तक हुई है। अगैती तथा पिछैती दोनों ही धानों को 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक क्षति हुई है। मक्के की फसल को भी 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक क्षति हुई है।

6—फैजाबाद—इस जिले में अगस्त के महीने में सामान्य की तुलना में केवल 57 प्रतिशत वर्षा हुई और सितम्बर में वर्षा सामान्य का केवल 48 प्रतिशत हुई है। सूखे के 2,698 गाँव तथा लगभग 19 लाख जन-संख्या प्रभावित हुई है। इस जिले में 4.77 लाख एकड़ जमीन में खरीफ की फसल बोई गई। अगैती धान को 30 प्रतिशत क्षति का अनुमान है। कुंआरी धान को क्षति 30 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हुई तथा

[श्री शारदा भक्त सिंह]

अगैती धान की क्षति 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक अनुमानित है। अन्य फसलों की क्षति 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हुई है।

7--गोंडा--सितम्बर के महीने में इस जिले में सामान्य का केवल 32 प्रतिशत वर्षा हुयी है। जिले में सूखे से 1,921 गांवों तथा 14 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है। इस जिले में सात लाख एकड़ क्षेत्रफल में खरीफ की फसल बोई गई। अनुमान है कि क्षति 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक हुयी है। जिले की तीन तहसीलें अधिक प्रभावित हैं। अगैती धान में क्षति 35 प्रतिशत हुई है तथा पिछैती धान में क्षति 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हुई है।

1--सहायता कार्य--सूखे और सैलाव से प्रभावित काश्तकारों को सहायता देने के लिए शासन ने यह निर्णय ले लिया है कि एक एकड़ की जोत वाले कृषकों को निःशुल्क रबी के बीज और उर्वरक दिए जायेंगे। एक एकड़ से बड़े काश्तकारों को अल्प-कालीन ऋण और तकावी दी जाएगी ताकि काश्तकार रबी की फसल को ठीक से बो सकें।

2--जहां कहीं चारे की समस्या होगी वहां भूसा का प्रबन्ध किया जाएगा।

3--जो जिले प्रभावित हुए हैं उनमें से कई जगहों पर सिंचाई का पूरा प्रबन्ध नहीं है। इनके प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कहां-कहां पर नहरें माइनर और गूलें बनाई जा सकती हैं, कहां पर नलकूप लगाए जा सकते हैं ताकि नहरों और नलकूपों का विस्तृत प्लान बनाया जा सके और भविष्य में कम वर्षा होने पर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।

4--जहां कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है और जीवन निर्वाह में कठिनाई हो रही है वहां पर टेस्ट वर्क्स खोले जायेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और जब तक रबी की फसल तैयार न हो जाए उनको कठिनाई न हो। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को आवश्यक आदेश भेज दिए गए हैं।

5--जहां-जहां आवश्यकता होगी भूमि संरक्षण ड्राई फार्मिंग डेवलपमेन्ट एवं एफोरेस्टेशन की योजनायें बनाने पर विचार होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है और भारत सरकार से 40 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए अनुरोध किया है और यह भी निवेदन किया गया है कि वह अपने अधिकारियों का एक अध्ययन दल शीघ्र इस प्रदेश में भेज दें जो बाढ़, जलप्लावन तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रफल को देख कर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे सकें। भारत सरकार को लिखा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर सहायता और राहत का कार्य अकेले राज्य के संसाधन से सम्भव न होगा और भारत सरकार इस प्रदेश की पूरी सहायता करें।

सभी प्रभावित जिलों के आंकड़े संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 178-180 पर।)

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील कुन्डा और तहसील सदर का क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है। तहसील पट्टी में सूखे से क्षति नहीं पहुंची

है। सितम्बर में वर्षा कम होने के कारण तहसील सदर में धान की फसल को 25 प्रतिशत क्षति हुई है। तहसील कुन्डा में कुवरी धान, अगहनी धान, ज्वार तथा बाजरा आदि को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक क्षति हुई है। तहसीलवार क्षति का विवरण निम्नलिखित है :—

1—तहसील सदर—इस तहसील में सितम्बर के महीने में 126.5 मि0 मी0 वर्षा रिकार्ड की गई। 27 सितम्बर से 29 सितम्बर तक व्यापक रूप से वर्षा नहीं हुई है। धान की फसल को क्षति पहुंची है। क्षति का अनुमान 25 प्रतिशत है। गाँव में लगे नलकूपों तथा अन्य साधनों से फसल की सिंचाई हो रही है। धान के अलावा अन्य फसलों को इस तहसील में क्षति नहीं पहुंची है।

2—तहसील कुन्डा—इस तहसील में सूखे की पूर्ण स्थिति व्याप्त है। जिलाधिकारी के अनुसार जून से सितम्बर तक यहाँ की सामान्य वर्षा लगभग 1,000 मि0 मी0 है किन्तु इस वर्ष केवल 546.09 मिलीमीटर वर्षा हुई जो सामान्य वर्षा का लगभग 50 प्रतिशत है। जून और जुलाई में वर्षा थोड़े-थोड़े समय में या समान्य रूप से हुई जिसके कारण खरीफ की फसल की बोवाई और धान की रोपाई का कार्य हो गया। किन्तु अगस्त के महीने में विशेषकर 15 अगस्त के बाद वर्षा की मात्रा और वर्षा होने में काफी अन्तर रहा जिससे खरीफ की फसल का बढ़ना अवरुद्ध हो गया। सितम्बर के महीने में बहुत कम वर्षा होने के कारण फसल को काफी क्षति पहुंची है। इस तहसील में सिंचाई के मुख्य साधन नहर, तालाब, पोखरे तथा कुछ निजी पम्पिंग सेट हैं। नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। उन्हीं क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है जहाँ पम्पिंग सेट हैं। असिंचित क्षेत्रों में धान की फसल को 50 प्रतिशत क्षति पहुंची है। बाजरा और ज्वार में क्षति 30 प्रतिशत है। अन्य फसलों में भी 40 प्रतिशत क्षति हुई है। इस तहसील में सूखे से प्रभावित फसल का रकबा लगभग 1,57,500 एकड़ है। क्षति का रुपए में मूल्यांकन लगभग 31.49 लाख रुपए है। प्रभावित गाँवों की संख्या 792 तथा प्रभावित जनसंख्या 5,04,621 है। सूखे के कारण कोई जीवन हानि नहीं हुई है।

(2) जहां कहीं चारे की समस्या होगी वहाँ भूसा का प्रबन्ध किया जाएगा।

(3) जो जिले प्रभावित हुए हैं उनमें से कई जगहों पर सिंचाई का पूरा प्रबन्ध नहीं है। इनके प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कहाँ-कहाँ पर नहरें माइनर और गूलें बनाई जा सकती हैं। कहां पर नलकूप लगाए जा सकते हैं ताकि नहरों और नलकूपों का विस्तृत प्लान बनाया जा सके और भविष्य में कम वर्षा होने पर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।

(4) जहां कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है और जीवन निर्वाह में कठिनाई हो रही है वहाँ पर टेस्ट वर्क्स खोले जायंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और जब तक रबी की फसल तैयार न हो जाए उनको कठिनाई न हो। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को आवश्यक आदेश भेज दिए गए हैं।

(5) जहाँ-जहाँ पर आवश्यकता होगी भूमि संरक्षण, ड्राई फार्मिंग डेवलपमेन्ट एवं एफारेस्टेशन की योजनायें बनाने पर विचार होगा।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है और भारत सरकार से 40 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए अनुरोध किया है और यह भी निवेदन किया गया है कि वह अपने अधिकारियों का एक अध्ययन दल शीघ्र इस प्रदेश में भेज दे जो बाढ़, जल प्लावन तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रफल को देखकर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे सकें। भारत सरकार को लिखा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर सहायता और राहत का कार्य अकेले राज्य संसाधन से सम्भव न होगा और भारत सरकार इस प्रदेश की पूरी सहायता करे।

सभी प्रभावी जिलों के आंकड़े संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 178–180 पर।)

*श्री बेनी प्रसाद माधव—

जैसा कि आपने आदेश दिया था कि मन्त्री जी का वक्तव्य आना चाहिए था। अब किन कारणों से लिखित वक्तव्य नहीं दे सके, यह मैं नहीं जानता। इस बात की अच्छी तरह से आपको जानकारी होगी कि खुर्जा तहसील के 165 गांवों में भारी वर्षा से शत-प्रति-शत फसल नष्ट हो गयी और जेवरा ब्लाक में 95 गांव हैं जिनमें से 68 गांव यानी 85 से 100 प्रतिशत नुक्सान की रिपोर्ट भेजी गयी। तथा इससे 20 गांवों में 50 से 70 फीसदी फसल का नुकसान हुआ है तथा खुर्जा विकास क्षेत्र के 65 गांवों की फसल का इस प्रकार से नुकसान हुआ। इस तरह से आप देखें कि इस तहसील के 165 गांवों की फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है।

इसके साथ ही साथ लगभग एक हजार मवेशी मर चुके हैं जिसके बारे में समय-समय पर मैंने शासन से तथा जिलाधिकारी से भी निवेदन किया था। जब मैं विकास क्षेत्र जेवरा के मुख्यालय पर वहाँ के पशु-चिकित्सक से मिला तो उन्होंने बताया कि इस विकास क्षेत्र में सात मवेशी मरे हैं। मुझे नहीं मालूम शासन ने सरकार के पास कितने जानवरों के मरने की रिपोर्ट भेजी। इसी प्रकार से न सिर्फ मवेशी मरें हैं बल्कि रबी में पूरा पानी भर जाने से जो बीज भीग गए हैं उनको बोया नहीं जा सकता. अत : किसानों को बीजों की बड़ी कठिनाई है। इस जबरदस्त बाढ़ के सम्बन्ध में मैंने सिंचाई मन्त्री जी से जिलाधिकारी को लिखवा दिया था, लेकिन पम्पिंग सेट जो भेजे गए वह भी एक महीने बाद और पता नहीं उनका कार्य शुरू भी हुआ था नहीं यह कहा नहीं जा सकता। ऐसा तो होता था कि फसल बारिश से नष्ट हो गयी लेकिन साथ-साथ इतनी मुसीबतें पहले कभी नहीं आयीं जैसे फसल भी मारी गयी, मवेशी भी मारे गए, मलेरिया भी जोरों पर है, बीज बोने के लिए नहीं है इस तरह से जो स्थिति हमारे यहाँ विकास क्षेत्र जेवरा और खुर्जा तहसील के गांवों की है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या बात हो सकती है अत : सरकार इस पर विचार करें। जिस समय माननीय कृषि मन्त्री जी भाषण दे रहे थे उस समय मैंने याद दिलाया था कि कांग्रेस सरकार और हमारी सरकार में इस बात का फर्क होना चाहिए यदि किसानों के ऊपर कहीं आपदा आती है तो हम केवल सरकारी रिपोर्ट,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर ही मुनहसर न करें बल्कि वहाँ जाकर स्वयं देखें क्योंकि इससे किसानों को अगर हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो उन पर यह प्रभाव तो पड़ता है कि मन्त्रिगण हमारी मुसीबत में यहाँ आए हैं और स्वयं अपनी आँखों से देखा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो रेवन्यू मिनिस्टर हैं, उनको, जब कहीं पर 75 से 100 प्रतिशत तक नुक्सान हुआ है, लगान और जो सरकारी देय हैं, उनका सस्पेन्शन ही नहीं बल्कि उनको माफ करना चाहिए। ऐसा सरकारी नियम भी है और जिन गाँवों में 50 से 75 प्रतिशत तक नुक्सान हुआ है, बीज आदि का प्रबन्ध होना चाहिए। आज स्थिति क्या है? पानी भरा हुआ है, खरीफ की फसल पूरी नष्ट हो गयी है, रबी की फसल को बोने की स्थिति में किसान लोग नहीं हैं। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आवश्यकता पड़े तो विशेष रूप से जैसे 1/2 एकड़ वाले किसानों के लिए बीज और खाद दिए जाने की बात माननीय मन्त्री जी ने कही, उसी प्रकार से जहाँ पर इस प्रकार की दैवी आपदा हुई है यह सरकार भी बंधी रहेगी। यह कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार का काम तो काँग्रेस सरकार भी करती थी कि 1/2 एकड़ से कम जोत वाले किसानों को खाद और बीज देती थी, तो क्या जनता सरकार उनको यह एहसास कराएगी कि जहाँ पर विशेष दैवी आपदा आई है, उसमें पीड़ित हुए किसानों को कुछ खाद और बीज विशेष रूप से दिया जायगा तकावी के रूप में। हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि आप बहुत बड़ी तादाद में दें लेकिन कुछ विशेष रूप से तकावी का प्रबन्ध करें और उनके लिए खाद और बीज का भी प्रबन्ध करें।

एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि आपके पास ठीक आँकड़े आने चाहिए कि किस जिले में कितने मवेशी मरे और अगर ज्यादा तादाद में मवेशी मरे हों तो किसानों को बैलों के खरीदने के लिए विशेष तकावी का प्रबन्ध होना चाहिए।

हमारे यहाँ पर अधिक वर्षा के कारण काफी तादाद में मकान भी गिर गए हैं। जाड़े का मौसम आने वाला है। अगर साधारण तरीके से उन्हें मदद दी गयी, 40-50 रुपए की तो उससे कोई काम नहीं चलने वाला है क्योंकि इस धनराशि में तो फूस का छप्पर भी नहीं पड़ सकता है। मकानों के लिए विशेष सबसिडी दी जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे कृषि मन्त्री, राजस्व मन्त्री और सिंचाई मन्त्री तीनों मन्त्रियों का किसानों से सम्बन्ध है, इन तीनों के तीनों को किसानों की स्थिति को देखना चाहिए और उन्हें इस बात का सबूत देना चाहिए कि जनता पार्टी की सरकार ने और इसके मन्त्रियों ने दिलचस्पी ही नहीं ली बल्कि उसको कार्य के रूप में परिणत भी किया और जो पुराने काँग्रेस वाले काम करते थे, उन की लकीर को मिटाकर अपने ढंग से कार्य किया है जिससे किसानों को यह एहसास हो सके कि जनता सरकार वास्तव में उनकी हितैषी है। यह यों भी जरूरी है क्योंकि अगर हम किसानों से कोई मदद चाहे, चाहे वह हमारी पंचवर्षीय योजना हो या और कोई योजना हो तो हमें किसानों की साइकोलोजी को बदलना होगा और वह तभी बदली जा सकती है जब हम अपने काम को पूरा करके उनको दिखायें।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बाढ़ एवं सूखा के सम्बन्ध में विचार रखने का मौका दिया है, मैं आपका आभारी हूं। मेरा जनपद गंगा, घाघरा और टोंस नदियों के बीच में स्थित है। हर साल मेरे जनपद में बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है तो हर

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

साल 75 प्रतिशत क्षेत्र जनपद का डूब जाता है। कटान की बात है तो मझगवां से प्रारम्भ किया जाय, माननीय मैनेजर सिंह के इलाके से गंगा और घाघरा का जहाँ मौहना पड़ता है वहीं से कटान शुरू हो जाता है। जब पीछे के इलाके में आते हैं तो बलिया चुनाव क्षेत्र के अन्दर गंगा रगड़ती हुई बहती है और वहाँ का पूरा क्षेत्र कटान से बुरी तरह से प्रभावित होता है। मैं विशेष रूप से अपने क्षेत्र की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र की यह बहुत बड़ी समस्या है। वह क्षेत्र गढ़ा के नाम से विख्यात है। गंगा और टोंस में बाढ़ आती है तो पूरा जनपद पानी से भर जाता है और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में बवेजी, चेरुहया, बड़काखेत में बभनौली इत्यादि सारे गाँव कटान से बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि इन गाँवों में पूरी सहायता देने के सन्दर्भ में शासन की तरफ से पूरा-पूरा प्रयास किया जायगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन की तरफ से जो भी बचाव कार्य होते हैं वह आँसू पोंछने के बराबर ही कहे जा सकते हैं। निश्चित रूप से जितनी बाढ़ में क्षति होती है जल-जमाव में क्षति होती है, उसके आँकड़े उपलब्ध नहीं होते। जल-वृष्टि से जो गाँव डूब जाते हैं उससे लाखों रुपए की फसल बरबाद हो जाती है। आदमी और जानवरों के भोजन और चारे की समस्या भीषण रूप से उत्पन्न हो जाती है उसका निश्चित निदान सरकार को निकालना चाहिए।

हमारे क्षेत्र में गंगा और टोंस नदियाँ आपस में मिलना चाहती हैं इन्द्रपुर गाँव के पास। जब दोनों मिल जायगी तो रातो-रात हजारों एकड़ कृषि भूमि गंगा और टोंस के संगम मे विलीन हो जायंगी और 8-9 गाँव की 15-20 हजार आबादी बरबाद हो जायगी। अब तक सिंचाई विभाग और बाढ़ नियन्त्रण आयोग के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। कोट अंजीरपुर के नजदीक गंगा नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 20 ठोकरे बनायी गयीं थीं। गलत ठेकेदारी के कारण निर्माण कार्य भी ठीक नहीं हुआ, 8-10 ठोकरें तो गंगा नदी में बह गयी हैं और बाकी हिल-डुल रही हैं। यह पूरी आशंका है कि बाढ़ आने पर ये ठोकर गंगा की धारा में विलीन हो जायगीं और गंगा के कटान के कारण बघेजी, गंगेहरा आदि सब गाँव बह जायेंगे।

मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में मेरा चुनाव क्षेत्र विशेष रूप से बरबाद हुआ है। जो लोग वहाँ खेती करते हैं मैं कहना चाहता हूं कि उनको लगान माफी कर दी जाय, जो टैक्स देते हैं उनको स्थगित कर दिया जाय ताकि जब उन्हें पुन: खेती-बाड़ी करने का रूप देने की स्थिति उनमें पैदा हो तो वह इसे दे पायें। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमने अनुरोध किया था मन्त्री जी से कि हमारे जनपद में अधिकतर पढ़ने वाले लड़के बाढ़ के इलाके से सम्बन्धित हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहाँ हर साल 75 प्रतिशत भाग पानी से डूब जाता है। नदियाँ छोटा सा संगम बना देती हैं वहां कोई सर्वेक्षण कराने की जरूरत नहीं है वहाँ अविलम्ब लड़कों की फीस माफ की जानी चाहिए। मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा कि कुछ गाँवों को जो पूरी तरह से विलीन हो चुके हैं उनको 2-3 सौ रुपए केवल बाँट दिए गए हैं।

जिन के घर डूब गये हैं ढह गए हैं, उनकी जीविका की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जिन के घर गंगा में विलीन हो गए हों, जिनकी जमीन बह गयी हो यदि उनकी रोजी-रोटी की समस्या का तुरन्त प्रबन्ध नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायगी। पता नहीं किसके आसरे पर इन लोगों को छोड़ दिया गया है। या तो वे चोरी करें या दूसरा ऐसा पेशा करें। सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। इस लिए या तो कोई टेस्ट वर्क चालू किया जाय जो अभी तक नहीं किया गया है या अन्य कोई प्रबन्ध करे जिससे लोग अपनी आजीविका उपार्जित कर सकें। मैं आपके माध्यम से पुन: कहना चाहता हूं कि बलिया जनपद में अविलम्ब टेस्ट वर्क चालू किए जाय और छोटी-मोटी योजनायें चालू की जायें। ताकि जो कटान से प्रभावित हैं वह और उनके बच्चे काम करके भोजन कर सकें। एक और बात है वह यह कि हमारे यहाँ जिनके गाँव कट गये हैं वे लोग सड़कों पर बस गए हैं। उनके बच्चे सड़कों पर खेलते हैं और जानवर सड़क पर बाँध जाते हैं। काँग्रेसी शासन का भी और इस शासन का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया था.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप गौरी भाई समाप्त कीजिए।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

जो 10 वर्ष पहले गाँव कटे थे वे भी सड़क पर बसे हुए हैं और जो इस साल कटे हैं वे भी सड़क पर बसे हुए हैं। अत: अनुरोध है कि शासन अपना ध्यान इस ओर दे और उनको बसाने का काम करें और हमारे क्षेत्र में जो कटान हो रही है उसको बचाने के लिए ठोकर का निर्माण कराए।

श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से और, मुख्य मन्त्री जी तो मौजूद नहीं हैं, सिंचाई मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जहाँ मानवता चीत्कार करती हो सूखे की वजह से, अन्न संकट उत्पन्न हो गया हो, सिंचाई का कोई साधन न हो वहाँ पर मन्त्री लोग देखने तक नहीं जाते हैं कि उस इलाके की क्या दशा है। न राजस्व मन्त्री पहुंचे, न मुख्य मन्त्री पहुंचे। इन लोगों को सूखे से पीड़ित क्षेत्रों को देखने के लिए फुर्सत नहीं है यह मेरी शिकायत है। देवरिया जिले की आबादी 30 लाख के करीब है और साढ़े 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर वितरण कर दी जाय तो 7-7 डिसिमल प्रति व्यक्ति अटेंगी। भारत सरकार ने अनेक बार कहा है कि हिन्दुस्तान में सब से गरीब कोई जिला है तो देवरिया है, घनी आबादी के कारण। देवरिया के लोगों को तलाशा जाय तो हिन्दुस्तान के हर कोने में अपने पेट के धन्धे की वजह से मिलेंगे। देवरिया जिले में सिवाय चीनी मिलों के दूसरा कोई उद्योग नहीं है। न पेपर मिल है, न जूट मिल और न कोई कल कारखाना है। हम लोग गन्ने की पैदावार ज्यादा करते हैं लेकिन गन्ने का पैसा मिल मालिक देते नहीं हैं। इस सूखे संकट में भी करोड़ों रुपया देवरिया जिले के गन्ना किसानों का मिलों के ऊपर बाकी है। मिलों को पहले चलवाते नहीं हैं। मैं तो मन्त्री और मुख्य मन्त्री से कहूंगा कि देवरिया जिले की सारी मिलों को चलवा दें ताकि सूखे में कुछ सहायता हो सके गन्ने के पैसे से।

[श्री बांके लाल]

दूसरे, सूखा और बाढ़ ये दो चीजें तो हमेशा आयेंगी। लेकिन सूखे से बचाने के लिए कोई मुस्तकिल इन्तजाम होना चाहिए। सिचाई मन्त्री से मैं निवेदन करूंगा कि नहरें तो हैं हमारी तरफ लेकिन कुलाबों की कमी है जिसके कारण पानी नदियों में चला जाता है अगर किसान अपने फावड़े से नहर को काट कर पानी लेता है तो सिचाई विभाग द्वारा प्रति एकड़ दो सौ रुपये तावान वसूल किया जाता है। आज उस सूखे इलाके में जहाँ लोगों ने नहर को काट कर सिचाई की है पतरौल द्वारा वसूली की जा रही है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि नियम में परिवर्तन करें। जहाँ पानी की आवश्यकता है अगर आप कुलाबा नहीं देंगे तो नहर काट कर किसान निश्चित रूप से पानी लेगा, आपके सारे कानून को तोड़ देगा। परसों मैं अपने इलाके में पहुंचूंगा और एक भी वसूली नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि तावान की प्रथा को आप बन्द करें और यह भी आज कहता हूं कि बहुत दर्द है हमारे दिल में इन मन्त्रियों की हरकतों को देख कर। जितने मन्त्री हैं ये दावतें खाते हैं, हम लोगों के विरोधियों से मिलते हैं और क्षेत्र में जाते है तो किसी एम0एल0ए0 को सूचना नहीं देते ताकि वह उनके साथ जाय और अपनी परेशानियों को कहे। काँग्रेस को तो जनता ने बर्खास्त कर दिया लेकिन इन लोगों को जनता किसी और तरीके से कुर्सियों से खींच कर फेंकेगी।

मैं आज बता रहा हूं, इस सूखे के समय कोई पूछने वाला नहीं है किसानों को। देवरिया जिले के यह शाही जी मन्त्री हुए हैं, वे भूमिहार तलाश रहे हैं, लेकिन सूखे से पीड़ित जिलों में नहीं जाते हैं, किसानों से बात नहीं करते हैं। किसान दुखी है, परेशान है, बीज नहीं है उसके पास, पानी नहीं है, खाद नहीं है, राजस्व मन्त्री जी कह रहे हैं कि एक एकड़ के नीचे के लोगों की हम सहायता करेंगे और बाकी लोग क्या करेंगे? आपने सवा तीन एकड़ तक तो लगान माफ कर दिया, तो सवा तीन एकड़ तक के लोगों को आप खाद और बीज दीजिए, वरना यह काम चलने वाला नहीं है। कितने दिन तक यह चलेगा? मुझे मजबूरन कहना पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं, पूरे सदन के सदस्यों से मांग कर रहा हूं, मन्त्री लोगों से मांग करता हूं, आपसे कि इस सूखे के संकट में देवरिया जिले कीआप सहायता करें।

(श्री सुखपाल पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, गोंडा को आप भूल जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको समय मिलेगा।

एक सदस्य—

टाइम निश्चित कर दें, मान्यवर—

श्री अध्यक्ष—

टाइम फिक्स्ड है, 5 मिनट में कृपया समाप्त करें। यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है। जिन सदस्यों ने पहले लिख कर दिया मैं उनको स्वयं विशेष रूप से समय दे रहा हूं।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष जी यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि डेढ़ महीने से यह सूखे के विषय की चर्चा टल रही थी और आज आपने इस पर चर्चा करने की अनुमति दी इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। मान्यवर, बस्ती जिले में, गोरखपुर कमिश्नरी में, गोंडा जिले में जिधर भी जाइए, अगर वहां की वास्तविक स्थिति आप देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां की सारी फसलें सूख गयी हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जो मैंने रिपोर्ट देखी है, उस रिपोर्ट में इस रेवेन्यू विभाग के मन्त्री जी पर गुस्सा था, मैं चाहता था कि सारी बात कहते, लेकिन कल मीटिंग थी, तो उन्होंने कुछ अपनी समस्यायें रखा और कुछ जिम्मेदारी अन्य मन्त्रियों पर भी डाली, शिक्षा मन्त्री, सिंचाई मन्त्री पर भी डाली। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, यह जो रिपोर्ट आई है, मैं जानता हूं कि राजस्व मन्त्री जी, जिलाधिकारी या हाकिम परगना के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, उनका अधिकार ही नहीं है। मैं जानता हूं कि चाहे जितनी झूठी रिपोर्ट दे दें, वह फटकते रह जायेंगे, वह कुछ कर नहीं पायेंगे। यह तीस साल की कांग्रेस हुकूमत ने जिस तरह से रवैया बना रखी है वही रवैया आज भी चला आ रहा है। हमारे अन्य साथी और मित्र भी दुःखी हैं।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि हमारे पिछड़े हुए जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में घाघरा की कटान से ढाई सौ गांव कट गए। बस्ती जिले के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 96 किलो मीटर लम्बी कटान घाघरा के किनारे हो गयी है। यह प्राकृतिक कटान नहीं है, यह पी0 डब्ल्यू0 डी0 के माध्यम से कटान पैदा की गयी है।

(व्यवधान)

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष जी, सारा जिला डूब गया गोंडा में।

श्री अध्यक्ष--

गोंडा नहीं है, बस्ती है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि समय बहुत कम है इसलिए मैं कुछ अपनी बातों को आपके सामने कहना चाहता हूं। माननीय राजस्व मन्त्री 15 सितम्बर को बस्ती जिले में गए थे। तो वहां कम से कम 15 दिन पहले सूखा जरूर था। हमारे पांडे जी, और लोगों ने और माननीय सदस्यों ने, सब लोगों ने मामले को उठाया था। माननीय राजस्व मन्त्री वहां पर गए, वहां देखा कि क्या हालत है और जब गन्ने की बात आई तो कहा कि जो कलेक्टर की रिपोर्ट आई है वह ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट झूठी है। 7,103 गांवों में सूखा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक सुझाव है मेरा कि टेस्ट वर्क वहां पर शुरू किया जाय। ग्राम्य विकास, पी0 डब्ल्यू0 डी0, ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) सबको लगा दिया जाय और युद्ध स्तर पर कार्य किया जाय तो कुछ राहत मिल सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

मान्यवर, आज तक कोई काम बस्ती जिले में टेस्ट वर्क के सम्बन्ध में नहीं किया गया है। इसके बाद अब बुवाई का अवसर आयेगा तब टेस्ट वर्क चालू किया जायगा। लोग अपने काम में लगे होंगे तो रिपोर्ट आएगी कि टेस्ट वर्क नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार आपको सहायता देना चाहती है। हमारे जिले के केन्द्रीय राज्य मन्त्री जी से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुझसे पैसा चाहेगी तो पैसा नहीं लेकिन गेहूं तो मैं 100 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश को दे सकता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह देने के लिए तैयार हैं तो आप उसको लेकर गांवों में पी0 डब्ल्यू0 डी0, ग्राम्य विकास, सिंचाई विभाग, आपके जितने भी विभाग हैं उनको इसमें लगा दीजए कि सड़कों का निर्माण किया जाय। वहां पर हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 5 स्थानों पर टेस्ट वर्क चालू किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हम तो पहले से तैयार थे। एक और निवेदन करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मन्त्री जी आज ही घोषणा करेंगे और वायरलेस भेजें कि हर जगह छात्रों की फीस माफ कर दी जायगी। इस तरीके से राजस्व मन्त्री के देखने के बाद भी आज तक आदेश प्रसारित नहीं किया गया है, इसके लिए हार्दिक कष्ट है। मैं निवेदन करूंगा कि बस्ती जिले की जो हालत है उसको देखते हुए उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता की व्यवस्था की जाय।

*श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय . . . . .

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

एक सदस्य—

मान्यवर, इधर ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका तो सबसे ज्यादा प्रिविलेज है।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

श्रीमन्, मुझे तो इस बात की उम्मीद थी कि आज सूखे से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट सदन में पेश होगी। यद्यपि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कल एक रिपोर्ट पेश किया था और उन्होंने इस बात को कहा था कि यह रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है। झूठी है। दुरुस्त करके कल तक रिपोर्ट आ जायगी लेकिन वह रिपोर्ट नहीं आई। आज कोई रिपोर्ट मिली नहीं है, यह ठीक नहीं है। और ठीक हो भी नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी बेहतर होगा कि आप अपने क्षेत्र की बात बतलायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

तो मेरा कहना है कि जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है तो मैं समझता हूं कि यह रुख जो है सरकार का, संजीदा नहीं है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि जन विरोधी रुख है और इस तरह से जनता की समस्याओं के प्रति रुख किया गया तो यह जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी। मेरा कहना है कि आप तो वायदा करके आए हैं। इस तरह से जनता की भावना को ठेस पहुंची तो निराशा पैदा होगी अगर इस बार यह बात हुई तो बुरी बात होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जनता के इन सवालों पर सरकार का रूख सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।

माननीय मन्त्री जी दौरे पर गए थे, तो वह रात्रि में पहुंचे। रात्रि में दिखलाई क्या पड़ता है। मेरा कहना है कि सूखा है, वह चाहे कम है या ज्यादा यह 2 चीजों पर निर्भर है—एक तो यह कि कितनी वर्षा हुई और दूसरे यह कि सिंचाई के कितने साधन उपलब्ध हैं। जहां तक वर्षा का सवाल है, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 3 महीने से कोई वर्षा नहीं हुई, केवल अगर जहां पर हुई भी है तो फुहारे की तरह हुई है। इससे खरीफ की तो फसल हो सकती है लेकिन धान की फसल नहीं हो सकती है। इस बात का अनुमान रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। जहां तक सिंचाई के साधनों की उपलब्धि का सवाल है सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि सिंचाई का विस्तार 22 परसेंट है। वह भी विषम है, सम नहीं है। मैं सिंचाई विभाग का एक नक्शा आपको दिखाना चाहता हूं। इसको देखकर आप स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि गोरखपुर के फरेन्दा क्षेत्र में सिंचाई की क्या व्यवस्था है।

(श्री तिवारी ने नक्शा दिखाया)

यहां पर नलकूप नहीं हैं तो सूखा नहीं होगा तो क्या होगा? आप इसे राजनीतिक प्रश्न न बनावें आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इसे सूखा-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। पिछले 2 महीने से टालते आ रहे हैं, आज चर्चा करवाया है। सरकार का यह रुख ठीक नहीं है। इससे जनता तबाह होगी।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। आप समझते हैं कि आज सूखा की चर्चा कराकर इस विषय को बन्द करवा रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह शुरुआत है। अगर राहत का कार्य शुरू नहीं किया गया, फीस माफ नहीं की गयी और वसूली बन्द नहीं हुई तो जनता की आवाज सदन में और उसके बाहर गूंजती रहेगी। आपकी सरकार के इस गैर संजीदा रुख के खिलाफ सख्त एतराज प्रकट करते हुए मैं सदन से वहिर्गमन करता हूं।

(श्री तिवारी सदन से बहिर्गमन कर गए।)

*श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुख में साथी न रहे लेकिन दुख में जरूर रहे। मैं देख रहा हूं सूखा जैसे अहम मसले पर विचार हो रहा है। जहां पर इतने सदस्य इस विषय पर जानकारी करने के लिए उत्सुक हैं वहीं पर माननीय मन्त्री जी शून्य हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी गायब हैं। केवल उनके जैसे जिम्मेदार व्यक्ति पर हर व्यक्ति के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दशरथ सिंह]

जीवन-मरण की जिम्मेदारी है और वह सदन से गायब हैं। यह बड़े दुख की बात है। गोंडा जिले की रिपोर्ट में वर्षा 32 प्रतिशत बतायी गयी है। जो नुकसान हुआ है वह 25 से 50 प्रतिशत के बीच बताया गया है। बस्ती जिलें में 68 प्रतिशत वर्षा दिखायी गयी है। और नुक्सान दिखाया गया है 75 प्रतिशत। यह जो मन्त्री जी का वक्तव्य है उसी से सिद्ध होता है कि गोंडा के डी0 एम0 ने कितनी झूठी रिपोर्ट दी है और हमारे मुख्य मन्त्री जी ने उस भ्रष्ट अधिकारी की रिपोर्ट को मान लिया और अब उसको सुनने और जानने के लिए वह गायब हैं। अब किस तरह से हमको संरक्षण मिल सकता है, किस तरह से इस देश की जनता को संरक्षण मिल सकता है। मैं तो समझता हूं कि हमारे मन्त्रिमण्डल का दिवाला निकल गया। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने सूखा के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है उससे तो हमारी आत्मा सूख रही है। मैं जब अपने क्षेत्र में जाऊंगा तो वहां की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। सम्पूर्ण गोण्डा त्रसित है।

हमारा क्षेत्र तो सूखे से केवल प्रभावित ही नहीं है बल्कि वहां सिंचाई का कोई साधन ही नहीं है। 40 किलोमीटर लम्बा मेरा क्षेत्र हैं। 9 राजकीय नलकूप हैं और दूसरा कोई सिंचाई का साधन नहीं है। बड़ी जरखेज जमीन है लेकिन सिंचाई की सुविधा न होने से वह रेगिस्तान हो रही है। अब राजस्व मन्त्री यदि चाहें तो भी इतनी जल्दी पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। जब सुविधा देने की बात है तो हमारे अधिकारी इस तरह की रिपोर्ट दे देते हैं और जब यहां से पैसा जायेगा भी तो कोई उम्मीद नहीं है कि वह खाने के लिए दे पायेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री, खाद्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री, बिजली मन्त्री और राजस्व मन्त्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए था। ज्यादा न कहकर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है। कोई पानी का साधन नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह डी0एम0 को इंस्ट्रक्ट करें कि इस तरह की गलत रिपोर्ट न भेजें और अगर भेजते हैं तो मैं उनको और राजस्व मन्त्री को इनवाइट करूंगा कि हमारे क्षेत्र में आयें और देखें। मेरी यह मांग है कि बच्चों की फीस माफ की जाय, सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं। लोगों को राहत देने का यथासम्भव जितना प्रयास कर सकते हैं वह किया जाना चाहिए। आगे के लिए वहां अधिक से अधिक नलकूप दें। विकास खण्ड में एक भी नलकूप नहीं है। टेस्ट वर्क खोलकर लोगों को काम दें।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

आप पांच मिनट का समय देते हैं। दो मिनट भी सदस्य बोल नहीं पाता कि पूरा सदन खड़ा हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शान्त बैठें। मैं इसकी व्यवस्था करूंगा।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा सितम्बर ही में हो जानी चाहिए लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय किन्हीं कारणों से टलता रहा और आपकी स्वीकृति मिलने के बाद भी टलता रहा, मथुरा जनपद राजस्थान और हरियाना की सीमा पर बसा हुआ है और दूसरा हिस्सा

अलीगढ़ और बुलन्दशहर से मिला हुआ है। राजस्थान और हरियाणा से पानी आता है और मथुरा और छाता तहसील के लगभग साढ़े 400 गांव उससे प्रभावित होते हैं। मांट और सादाबाद के गांव बुलन्दशहर से पानी आने से तबाह होते हैं। अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। हमने सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध किया कि 6 अगस्त को मथुरा आयें।

मान्यवर, उन्होंने अपनी आंखों से सारा हाल देखा। 6 अगस्त से आज की तारीख तक अन्दाजा लगाए तो चार गुना हानि हो चुकी है। मथुरा जनपद में 10 लाख एकड़ भूमि जिसमें से 8 लाख से ऊपर भूमि ऐसी है जिसमें 2 फिट से 5 फिट तक पानी भरा हुआ है। मथुरा जनपद से आपका बड़ा सम्बन्ध रहा है, मान्यवर। वहां की भूमि को आपने देखा है। वहां लाश जलाने तक की जगह नहीं और मीलों दूर लाश को ले जाना पड़ता है दाह संस्कार के लिए। पिछले 3 वर्षों से इस जनपद का लगान मुल्तवी होता रहा। अब तक 4 फसलों का लगान मुल्तवी हो चुका है। अगर मुल्तवी किए लगान को माफ नहीं किया गया तो मथुरा जनपद के किसान की हैसियत नहीं है कि उस लगान को दे सके। शासन से 110 पम्पिंग सेट्स की मांग की गयी थी। 6 विधायकों ने सरकार से इसके लिए अनुरोध किया, अनेकों पत्र लिखे और मथुरा जनपद के निवासियों और विधायकों ने 110 पत्र लिखे कि इस जनपद में जो 8 लाख एकड़ भूमि में पानी भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए पम्पिंग सेट्स लगाए जायं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता पार्टी की सरकार जो किसानों के चिन्ह पर जीत कर आई, चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा मानकर उनके नाम से जीत कर आई वह किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रही कि उनकी क्या आज दुर्दशा हो रही है। अगर वहां यही स्थिति रही, तो मान्यवर, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मथुरा जनपद जो विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है, वहां की स्थिति काबू के बाहर हो जायगी।

मान्यवर, कृषि, बिजली और कोआपरेटिव आदि के जितने ड्यूज ह, उन सभी को माफ किया जाय और जितने भी दूसरे ड्यूज हैं, उनको मुल्तवी करने की कृपा करें। मान्यवर, इस जनपद में 700 जानवर मारे गए जिनकी कीमत 20 लाख होती है। 280 परिवार पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं जिनके लिए न कोई छाया है, न रहने के लिए जगह या मकान है। मान्यवर, 1968 में जब लखनऊ में बाढ़ आई, तो साढ़े चार करोड़ विकास प्लान से काटकर लखनऊ को दे दिया गया। जबकि लखनऊ से कई गुना आबादी मथुरा जनपद की है और बहुत बड़ा रेवेन्यू जो जनपद देता है, उस मथुरा जिले की तरफ आज ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मथुरा जनपद की चारों तहसीलें नष्ट हो चुकी हैं और विनाश के कगार पर खड़ी हैं। जीवन की कोई आशा नहीं है। इसलिए अनुरोध करता हूं कि वहां की ओर ध्यान दिया जाय और सरकार अधिकारियों को चेतावनी दे कि इस जनपद केलिए शीघ्रातिशीघ्र समुचित व्यवस्था की जाय क्योंकि यहां सारे सहारे नष्ट हो चुके हैं।

मथुरा जनपद के विद्यार्थी कक्षाएं छोड़ चुके हैं और उनके आगे पढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसलिए शिक्षा मन्त्री जी, राजस्व मन्त्री जी और सिंचाई मन्त्री जी संयुक्त रूप से मिलकर विद्यार्थियों की फीस, जितने ड्यूज और लगान हैं, उनको पूर्ण रूप से माफ करने की कृपा करें।

[श्री हुकम चन्द्र तिवारी]

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोण्डा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला गोण्डा में 3 तहसीलों की जो स्थिति है, उसका क्या बयान करूं ? सूखा से पीड़ित लोग वहां दाने-दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। जो हरिजन, गरीब और कमजोर लोग हैं, उनके लिए कटाई मजदूरी का कोई साधन नहीं है, खाने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वे फार्म्स पर जाते हैं, जहां वे काम करते हैं, तो देखकर लौट आते हैं। क्या मजदूरी पायेंगे, जब वहां कुछ काटने को है ही नहीं। तीन तहसीलें इतना प्रभावित है, कि क्या कहे। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह गोंडा जिले को अपने हाथ में ले लें। मन्त्री जी वहां देखें कि किस तरह से गरीब वहां भूखों मर रहे हैं। और जिले से हजारों व्यक्ति बम्बई वगैरह नौकरी की तलाश में भाग रहे हैं। तीन तहसीलें हैं—तरबगंज, गोण्डा और उतरौला।

तीनों तहसीलों में यह हालत है तो मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां जायं और देखें कि किस तरह की हालत हमारे यहां हो रही है। हमारे साथी दशरथ सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम लोगों ने एक मीटिंग में कहा था लेकिन वहां के अधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो या लेखपाल तक ने जो इसकी रिपोर्ट दी है वह गलत दी है। सोलह आने गलत। हमारे यहां जड़हन की फसल की जाती है। जहां पानी नहीं बरसता वहां सूखा पड़ा हुआ है। 50 फीसदी से 75 फीसदी तक हमारे यहां जो धान की फसल है वह मारी गयी है। किसी के पास थोड़ा बहुत धान हो गया है जो पुराने किस्म का धान था लेकिन जो नई वेराइटी का धान है वह बिल्कुल सूख गया है। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां मनिकपुर और छतियापुर में 6 नलकूप लगे हुए हैं लेकिन पूरे क्षेत्र में सूखा है। इसी तरह से महादेवा परगना, नवाबगंज, परगना में पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है। इस सूखे का मुकाबला करने के लिए माननीय सिंचाई मन्त्री जी शीघ्र जो नहर बहराइच—गोण्डा—बस्ती जाने वाली है उसका काम चालू कर दें जिससे वहां पर पानी का प्रबन्ध हो सके और भूखे गरीब लोग रोजी पा सकें।

दूसरी चीज आपके ध्यान में यह लानी है कि हमारे यहां नलकूप...

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोण्डा)—

दो मिनट और दे दें। हमारे यहां जहां नलकूप नहीं हैं वहां शीघ्र से शीघ्र नलकूप लगाए जायं। दूसरे हमारे यहां टेस्ट वर्क पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र सस्ते गल्ले की दुकान वहां स्थापित करने की चेष्टा करें।

श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

(तालियां)

अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार आधा बाढ़ का क्षेत्र है और आधा भूड़ का क्षेत्र है। बाढ़ की एरिया में जो बाढ़ आती है तो सब बालू खड़ा हो जाता है और उस बालू की कोई व्यवस्था साफ करने की वहां पर नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं। इसके कारण वहां पर फसल नहीं होती है। वहा के लोग भूखों मर रहे हैं। हम लोग वहां पर जाते हैं तो वहां के लोग हमसे कहते हैं कि हम क्या करें। आप लोग मुण्डेरा बाजार क्षेत्र की व्यवस्था कराइए। हमारे क्षेत्र मुण्डेरा बाजार में सारे बन्ध कट गये हैं। दो बन्ध मरम्मत किए जा चुके हैं। बाकी सब वैसे ही पड़े हुए हैं। मन्त्री महोदय, बांधों की मरम्मत आप लोग कराइए। हमारे क्षेत्र में टूटी सड़कें हैं' वहां की सड़कों की मरम्मत की जाय, वहां पर काम किया जाय और मजदूरों को काम दिया जाय जिससे उनकी रोजी-रोटी चले। आज भी वहां बहुत गरीबी है और लोगों की गरीबी हालत को हमारे क्षेत्र में आप दूर करें, हमारे क्षेत्र में उपवास हो रहा है। वहां पर गल्ला भिजवाया जाय। लड़कों की पढ़ाई के लिए फीस माफ कराई जाय। गरीब लड़कों की फीस माफ कराई जाय।

श्रीमती शशि प्रभा (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया है मैं हृदय से आपकी आभारी हूं। श्रीमन्, प्रतापगढ़ जनपद में कुण्डा जो एक तहसील भी है वहां से निर्वाचित हुई हूं। मेरा क्षेत्र कुण्डा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। वहां न कोई उद्योग धन्धा ही है और न कोई अन्य साधन ही जीविकोपार्जन के लिए खेती को छोड़कर है। खेती एक मात्र वहां का उद्योग है, जीविका है। वहाँ कुछ नहरें हैं लेकिन जब उनमें पानी ही न हो तो उनसे क्या फायदा? वहां की हालत यह है कि जब वर्षा होती है तभी नहरें चलती हैं। मैंने कई मर्तबा वहां के अधिकारियों से कहा इस विषय में और विभिन्न स्थानों से जनता की ओर से आई हुई एप्लिकेशन्स भी दी गयी कि अमुक स्थान में पानी की आवश्यकता है लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रीमन्, कुछ उस क्षेत्र की विडम्बना ही कहिए या ईश्वर का प्रकोप कि इस साल अल्पवृष्टि के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। खरीफ की फसल करीब-करीब चौपट हो चुकी है और इसका प्रभाव रबी की फसल पर भी पड़ेगा। परिणाम स्वरूप मेरे क्षेत्र की जनता भुखमरी की स्थिति में आ गई है।

मान्यवर आपके द्वारा मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि कुण्डा क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय और समस्त वसूली को स्थगित करने की कृपा की जाय। गरीब जनता को अपने परिवार को तथा उनके पास जो सीमित पशु हैं उनको पालने में उसे अत्यन्त कठिनाई होगी। जब नहरों के द्वारा धान के लिए पानी समयानुसार नहीं मिला है जिससे वहां की फसल सूख गयी है तो नहर विभाग को निर्देश दे कि खरीफ की फसल पर पानी का शुल्क न लगे। लिहाजा नहर विभाग को निर्देश दिया जाय कि खरीफ की फसल का लगान न लिया जाय और साथ ही साथ यह व्यवस्था की जाय कि रबी की फसल पर नहर की सुविधानुसार पानी मिल सके। ये गड़बड़ियां नहर की 4-5 साल से चल रही है। ऐसी व्यवस्था वहां नहीं है कि सबको टर्न बाई टर्न पानी मिल सके। अब स्थिति यह है कि कहने पर भी वहां का विभाग कोई ध्यान नहीं देता, इधर-उधर हीला हवाला करता है। नहर के अलावा वहां गंगा मानिकपुर पर 5 पम्पिंग लिफ्ट भी लगे हैं।

[श्रीमती शशि प्रभा]

अगर पांचों को चलाया जाता तो बहुत कुछ सूखे से बचाव हो जाता लेकिन एक आध पम्प को चलाया गया और वह भी नहीं के बराबर था। इस प्रकार इधर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं है। मान्यवर, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं इन गरीबों की हालत का, जिन्होंने कर्ज लेकर बीज और खाद खरीद कर, खून-पसीना बहा कर किसानी की, लेकिन जब महज पानी के अभाव में अपनी फसल को नष्ट होते देखते होंगे तो उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। जो किसान भाई होंगे वह इसका अनुमान लगा सकते हैं। पुनः आप से अनुरोध है कि कुण्डा को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। (धन्यवाद)।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, आज आपने पहले महिला वर्ग पर जो महान कृपा की है इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष--

धन्यवाद, आप सदन को दीजिए कि सब लोग आपको सुनना चाहते हैं।

श्रीमती रामरति देवी--

मेरा क्षेत्र फैजाबाद जिला, ब्लाक जहांगीरगंज है। इस वक्त यह क्षेत्र दोनों सूखे और बाढ़ से ग्रस्त है और दोनों के चपेट में मेरा क्षेत्र आ गया है। जहांगीरगंज के आगे का जो क्षेत्र है वहां पर बाढ़ अक्सर आती है लेकिन इस वर्ष वहां घाघरा के कटान के कारण अत्यधिक बाढ़ आई। हर वर्ष वहां हजारों मन गल्ला बांटा जाता है। किसान घर छोड़कर भाग जाते हैं और आए दिन हर वर्ष की वहां की यह कहानी है। पिछले वर्ष बजट के अवसर पर भी मैंने यह मांग की थी कि वहां पर एक रिंग बांध की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाय। इस वर्ष भी हमने सिंचाई के बजट पर यह मांग रखी थी कि रिंग बांध की व्यवस्था की जाय। तो मेरी पहली मांग तो यह है कि हजारों एकड़ फसल जो जल-मग्न हो जाती है और प्रतिवर्ष जो किसानों की तबाही होती है उनको अपने घरों से सामान लेकर दूसरी जगह को भागना पड़ता है। उनकी कठिनाई को देखते हुए मैं सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि शीघ्रातिशीघ्र रिंग बांध की व्यवस्था की जाय। यह तो मान्यवर माझा कमरियागंज क्षेत्र है जिसमें 25 गांव आते हैं। माझा कमरियागंज के पश्चिम में जहां जहांगीरगंज ब्लाक है उसके इर्द-गिर्द नहरें दौड़ाई गई हैं लेकिन उत्तरी सीमा पर यानी घाघरा के किनारे जो गांव हैं वहां ट्यूबवेल बहुत कम हैं। इस सदन में हमने बराबर मांग की है और पहले भी करते रहे, इस समय भी हमारी मांग है कि वहां पर ट्यूब वेल लगाए जायं। नहरें वहां पर लगाई गई हैं। सन् 1954 से आज तक वह केवल कागज में ही हैं। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पुलिया बना दी गयी है एक लाईन के रूप में वह बना दी गयी हैं और हदबन्दी कर दी गयी है। उनकी खुदाई नहीं हुई है। दक्षिण में जहां पर नहरें जाती हैं वहां पर पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए बराबर मांग हो रही है। पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है, इसका कारण यह है कि आगे की जमीन ऊंची है तो इन जगहों का सर्वेक्षण किया जाय और सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई कराई जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जहांगीरगंज के पश्चिम में हालत बड़ी दयनीय है। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहती हूं कि वहां 85 प्रतिशत नहीं तो 75 प्रतिशत फसल सूख गयी है। अभी हाल में वर्षा हुई है, यह शुभ लक्षण है। कम से कम जो खरीफ की फसल नष्ट हुई है उसके बाद रबी की फसल की बुआई अच्छी तरह हो जायगी। मान्यवर, जो खरीफ की फसल नष्ट हुई है, मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगी कि वहां न तो कोई कुटीर उद्योग है और न कोई बड़े-बड़े उद्योग हैं। वहां के किसानों को हमेशा रोजी-रोटी का प्रश्न रहता है। 75 प्रतिशत किसान ऐसे ही हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती रामरति देवी--

एक मिनट में समाप्त करती हूं। वहां पर 75 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनकी फसल नष्ट हो गयी है और उनकी रोटी-रोजी की समस्या इससे चली गयी है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि वहां पर सड़कों का अभाव है उसकी पूर्ति के लिए वहां टेस्ट वर्क चालू कर दिया जाय तो इससे गरीबों को मजदूरी मिल जायगी। सड़कें भी इस तरह से बन जायंगी और गरीबों को रोटी मिल जायगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, पानी ही किसान के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए दौलत है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि उसी पानी से कहीं बाढ़ आती है और कहीं सूखा पड़ता है। कई बार इसके ऊपर इसी सदन में चर्चा हो चुकी है और आज फिर हो रही है। मैं समझता हूं कि उसका मुख्य कारण यह है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कई बार बड़े-बड़े कमीशन इस सूबे में आए, उनकी रिकमेन्डेशन भी हुई, परन्तु पिछले 30 सालों में उसका कोई मुस्तकिल हल नहीं सोचा गया जिससे कि पानी को सही रूप से रेगुलेट किया जा सके। श्री अशोक मेहता, डिपुटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन 1964 में यहां आए इसके अलावा कई और कमीशन आए पूर्वी जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब बाढ़ आती है चाहे वह हरियाणा में बारिश होने के कारण हो या राजस्थान में बारिश होने की वजह से हो या काली नदी में बुलन्दशहर में बाढ़ आए या गण्डक अथवा घाघरा जमुना की वजह से बाढ़ आए तो जो बाढ़ आती है, उस वक्त तो हेलीकाप्टर का भी दौरा होता है और खूब उसकी जांच पड़ताल होती है। किन्तु उसके बाद पानी की बाढ़ और सूखे को रेगुलेट करने के लिए कोई मुस्तकिल कार्यवाही सरकार नहीं करती है। इसके सामने यह एक बड़ी प्राबलम है।

सन् 1972 में मुरादाबाद में रामगंगा में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और उस समय गवर्नर श्री अकबर अली और मन्त्री श्री बल्देव सिंह आर्य जी वहां गये थे। इन्होंने बाढ़ की स्थिति देखी और पाया कि जैसी यह बाढ़ है, वैसी आज तक कभी नहीं आई। उसके बाद श्री आर्य जी ने कुछ सिफारिशें भी की थीं जो आज भी रेवेन्यू विभाग में किसी फाइल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

में दबी पड़ी होंगी। उनका एक सुझाव यह था कि कोसी नदी के पास जो तीन गांव हैं—धतुरूरा—मेवा—नगला, नव्वानगला और पानपुर, पट्टी जिनमें रामपुर में होकर आना होता है इनको मुरादाबाद से काटकर रामपुर में मिला दिया जाय किन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसने यह भी सिफारिश की थी कि लालटीका महेश नगली की पूरी पंचायती अदालत, जिसमें रामगंगा की बाढ़ से भयंकर दिक्कत होती है और जिसमें जाने के लिए तहसील बिलारी के ग्राम सुल्तानपुर होकर जाना पड़ता है उसको काटकर तहसील बिलारी में मिला दिया जाय। किन्तु इन सिफारिशों पर कोई अमल नहीं हुआ जिससे भविष्य में वहां बाढ़ का खतरा कम हो सकता। नतीजा यह है कि हर जगह पर जब कोआर्डिनेशन नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होती है तो स्थिति यह होती है कि रास्ता बन गया है, पुलिया नहीं बनी है लाईन बन गयी है लेकिन पुलिया नहीं बनी है, कहीं पी0डब्लू0डी0 की सड़क बन गयी है, लेकिन पुलिया नहीं छोड़ी गयी है। इस तरह से पानी का भारी घिराव होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितने भी कांस्ट्रक्शन वर्क्स हैं चाहे वे इर्रीगेशन के हों, पी0डब्लू0डी0 के हों या रेलवे कांस्ट्रक्शन वर्क के, पहले यह देखा जाय कि पानी कहां से कहां जाय। तो पानी का कोआर्डिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए तब कांस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कांग्रेस के जमाने में भी बाढ़ आती थी तो उसके ऊपर भी रुपए-पैसे की मदद की जाती थी और आज भी वही स्थिति है, लेकिन यह बात मेरे समझ में नहीं आती कि जो नेचुरल कलामेंटीज होती हैं उन पर जो लोन लेते हैं वह मदद करने के लिए दी जाती है या तिजारत करने के लिए दी जाती है? मैं समझता हूं कि वह मदद के लिए दी जाती है। तो फिर आप उस पर इन्ट्रेस्ट क्यों लेते हैं, मुनाफा क्यों लेते हैं, तो मेरा सुझाव है कि उस मदद की धनराशि पर कोई इन्ट्रेस्ट यानी सूद नहीं लगना चाहिए।

दो सुझाव और दूंगा। आपके रेमिशन का जो तरीका है जो नियम के अनुसार इस प्रकार है कि अगर खरीफ की फसल में नुकसान होगा तो रेमिशन नहीं मिलेगा जब तक कि रबी की फसल में भी 10 आने से ज्यादा नुकसान न हो। दोनों को जोड़कर न हो, आप उसे खत्म कर दीजिए। यह हो कि हर फसल में 10 आने से ज्यादा नुक्सान होगा तो रेमिशन दिया जायगा।

टेस्ट वर्क के बारे में भी आपने कहा है—साढ़े पांच रुपया। तो इसको भी साढ़े पांच रुपया पूर्व में और साढ़े छः रुपया पश्चिम में प्रति आदमी मिलना चाहिए, तभी आपके यह कार्यक्रम सफल होंगे। जिन आवश्यक वस्तुओं को आप इनसे पीड़ित लोगों के लिए सप्लाई करते हैं, जैसे किरोसीन आयल वगैरह, इसके बारे में देने से पूर्व सावधानी से यह देख लिया जाया करे कि वाकई में वह गरीब आदमी को, जो भूखा है, उसके पास सही मायने में पहुंच जाय। इससे कोई फायदा नहीं है कि तेल का पीपा लेकर बांटने के लिए किसी आदमी को दे दिया जाय। इस बात की जांच-पड़ताल आप अच्छी तरह से कर लीजिए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में पानी को रेगुलेट करने के लिए आपकी योजना ऐसी हो जो पूरे सूबे में पानी को दौलत समझकर सूखे और बाढ़ से प्रदेश को बचा सके।

ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, दुनिया में सूखा और बाढ़ दोनों ही की आवश्यकताएं हैं- परन्तु हमें यह देखना है कि किस समय पानी की आवश्यकता है और किस समय सूखे की आवश्यकता है। देखा यह जा रहा है कि पिछली हुकूमत ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं केवल जनपद मुजफ्फरनगर थाना भवन क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। यह क्षेत्र हरियाणा से मिला हुआ है। जमुना जो है, वह जनपद मुजफ्फरनगर और हरियाणा की सीमा है। इसके लिए सिंचाई मन्त्री और राजस्व मन्त्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां जाकर दौरा करें ताकि जो वहां की समस्याएं हैं उनकी जो दिक्कतें, उनको प्रत्यक्ष रूप से मालूम हो जायं। इस वर्ष वहां इतनी बारिश हुई कि जमुना अपना रास्ता छोड़ कर मुजफ्फरनगर की तरफ चली गयी, जिससे वहां की जमीन हरियाणा में चली गयी। मुसीबत यह है कि राजस्व मन्त्री जी उनके लिए जो लगान है वह ले रहे हैं और जमीन हरियाणा में गयी हुई है। इसके लिए 1976 में यह बात चली और वहां के माननीय मुख्य मन्त्री ने कुछ आर्डर भी दिए थे। तहसीलदार ने वहां की भूमि भी नापी जिसमें उत्तर प्रदेश के थाना भवन क्षेत्र के सीतलगढ़ी और उसके आसपास के कुछ ग्राम है जिनकी जमीन कट कर हरियाणा में बतलाई गयी। वह उसको बो रहे थे, लेकिन इस साल इतना झगड़ा हो रहा है।

अभी मेरे पास क्षेत्र के लोग आए थे। उन्होंने बताया कि अब वहां पर हमारी फसल काट रहे हैं और हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इस लिए मैं राजस्व मन्त्री से आग्रह करूंगा कि इसका प्रबन्ध तुरन्त कराया जाय ताकि झगड़ा न बढ़े। इसके अलावा सिंचाई मन्त्री जी देखें, वहां पर जल इतना आ रहा है कि वहां जो बांध बनाया जा रहा है उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और दुर्भाग्य है कि जिस समय पानी बरस रहा था उसमें ट्रांस्फर स्कीम चल रही थी। वहां के इंजीनियरों आदि ने कोई ध्यान नहीं दिया जिससे बहुत से गांवों में पानी अधिकता से बढ़ गया और वहां के बहुत से गांव में पानी फैल गया। इसी तरह से इतना पानी वहां भर जाता है कि लोग बरसात के मौसम में एक गांव से दूसरे गांव को नहीं जा सकते। चूंकि वहां पर न पुल है न रास्ते बनाए गए हैं, कुछ में पानी कटान का भर जाता है, वहां की स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए सारी मुसीबत यदि माननीय मन्त्री जी जाकर देखें तो उनका निवारण हो सकता है। अभी मैंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की लिस्ट में देखा मुजफ्फरनगर जिला जो पश्चिमी जिला कहलाता है, लिस्ट के अन्दर रिपोर्ट पूर्णतया सत्य नहीं दिखाई गयी है। दिखलाया गया है कि मुजफ्फरनगर में 126 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए और .09 लाख एकड़ वहां की जमीन खराब हो गई। जिसके फलस्वरूप .07 लाख जनता प्रभावित हुई और दो मनुष्य मर गए। तो इस पर मैं चाहूंगा कि जो ऐड वहां दी गयी है उसको बढ़ाया जाय और वहां के रास्तों की दिक्कतें और जितनी भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाय।

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे इस पूरे सदन में पहली बार बोलने का अवसर दिया है। मेरा अनुरोध है कि मुझे दो मिनट का समय और देने की कृपा करें।

[श्री दयाराम भास्कर]

जहां तक सूखे का प्रश्न है पूरा आजमगढ़ जनपद सूखे मे त्राहि-त्राहि कर रहा है विशेष करके तहसील फूलपुर सदर और लालगंज उसरीले मांग है। वहां की धान की फसल 80 मे 85 प्रतिशत सूख गयी है और इसके पहले जो फसलें थीं सनई, कोंदों, मक्का आदि वर्षा होने के कारण 30 प्रतिशत भी नहीं हो पायीं। इधर हालत इतनी खराब हो गई कि फसल सूख गयी, ऐसी स्थिति में उस मजदूर और कमजोर वर्ग के जो लोग मेहनत करके खाते-कमाते हैं आज उनको मजदूरी मिलने, काम मिलने की समस्या हो गयी है। ऐसी स्थिति में मैं आपकी सरकार से मांग करूंगा कि वहां टेस्ट वर्क खोला जाय ताकि गरीबों को रोजी मिल सके और वह रोजी कमा करके तब तक जिन्दा रह सकें जब तक रबी की फसल पैदा न हो जाय। उसके लिए टेस्ट वर्क का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही साथ पूरे इलाके की हालत खराब है तो यह लाजमी हो गया है कि जो लगान की धनराशि किसानों से वसूल होनी है, तत्काल रोकी जाय जब तक रबीं की फसल कट न जाय। छात्रों के लिए फीस माफ कर दी जाय और इस अवधि की खरीफ का फसल का पूरा लगान माफ कर दिया जाय, साथ ही मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि समस्त जनपद की 3 एकड़ से नीचे के छोटे किसानों को खाद और बीज प्रदान किया जाय ताकि वह लोग खेतों में बीज और खाद डालकर अन्न उत्पादन कर सके ताकि गाड़ी आगे चल सके। श्रीमन्, पांच एकड़ से ऊपर के सभी किसानों के लिए वृहद रूप में तकावी का पैसा दिया जाय ताकि उनको खाद और बीज के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके और अपनी खेती में सुधार कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बार-बार लिखने के बावजूद, दरखास्त देने के बावजूद, नहरों में गूलें नहीं लगाई गयीं, किसानों की फसल सूख गयी। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने बार-बार दरखास्त देने के बावजूद भी जहां नहरों में पानी नहीं दिया, गूलें नहीं दी, जिसके कारण फसल सूख गयी, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, इसकी मैं मांग करता हूं।

इस तरह की स्थिति अध्यक्ष महोदय, नहर विभाग के कर्मचारी जानबूझ कर पैदा कर रहे हैं कि जो कुलाबे बन्द हो गए उनके लिए काश्तकारों ने जब मांग की तो उल्टे इन लोगों ने धमकी दी कि अगर कुलाबे खोलोगे तो जेल भिजवा देंगे। इस तरह से बराबर परेशान किए हुए हैं और आज भी परेशान करने की नियत है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जबतक उन किसानों से घूस नहीं मिल जाती तब तक कुलाबे नहीं खोलते। यह क्या है? मै कहना चाहता हुं कि माननीय मन्त्री जी, जनता पार्टी से जनता को भारी उम्मीद है कि उनकी मदद करने की और सरकार पूरा-पूरा ध्यान दे और निश्चित रूप से आप यह विचार करें कि हम उन लोगों की, गरीब किसानों की, तकलीफें दूर करेंगे और उनके लिए खाद, बिजली, बीज और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। इस बात की आज आवश्यकता है कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए खाद के दाम कम किए जायं, बिजली के रेट कम किए जायं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 3–3 साल से बिजली के कनेक्शन कटे पड़े हैं, ट्रान्सफार्मर जले पड़े हैं, किसानों ने रिपोर्ट भी की, लेकिन इसके बावजूद भी रजिस्टर में दर्ज होने के बावजूद भी किसानों के ऊपर बिजली का चार्ज बढ़ता जा रहा है और वे परेशान किए जा रहे हैं।

सरकार कहती थी कि जो बड़े लोग हैं, बड़े बनिए हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वे गरीबों को कर्ज देते हैं और उनसे 3 गुना वसूल करते हैं। जो तकावी, जो कर्जा वित्तीय संस्थाओं से, भूमि विकास बैंक से या अन्य बैंकों द्वारा दिया जाता है उसमें जितना मूलधन नहीं होता, उससे दुगुना ब्याज और कलेक्शन का चार्ज हो गया है। उनसे 8 हजार रुपया मूल ब्याज है तो 18 हजार सूद दर सूद और 4,120 रुपया कलैक्शन का चार्ज वसूल हो रहा है। इससे किसानों को बेहद कष्ट हो रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिस दर पर अर्थात् 9 प्रतिशत ब्याज पर जिस पर कर्जा दिया गया था संस्थाओं द्वारा या बैंकों के द्वारा उसी दर पर उनसे वसूल किया जाना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है बढ़े हुए ब्याज और कलैक्शन चार्ज को समाप्त किया जाय तब जाकर किसानों का भला हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी सवा घंटे का समय है थोड़ी चाय पी लें। आप सबको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, बस्ती जिले के उत्तरी हिस्से तहसील नौगढ़ में भयंकर बाढ़ और सूखे की स्थिति है। विशेष रूप से शोहरतगढ़ मे, जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां पर सरकारी रिपोर्ट में भी बाढ़ के बारे में लिखा है जिसको दिखाया गया है। वहां पर एक आदमी डूब कर मरा है। राप्ती नदी के दक्षिण की ओर एक बांध है। वह दक्षिण का बांध उत्तर की ओर जनता को पानी से डुबा रहा है और उस इलाके के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। मान्यवर, उत्तर की ओर हमारे माननीय राजस्व मन्त्री 15 सितम्बर को गए थे और वहां पर उत्तर की ओर बाढ़ की भयंकरता को देखकर आश्वासन दिया था, और वहां के जिलाधिकारी और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से यह पूछा था कि उत्तर की ओर बन्धा कितने किलोमीटर में बनाना होगा। उन्होंने बताया कि 35 किलोमीटर में। उसके वहां न बनने के कारण उस निर्वाचन क्षेत्र की जनता समझती है कि हमारी आजादी नहीं आई। 30 साल के कांग्रेस शासन में भी कुछ नहीं किया गया, न तो बंधा ही बना और न कुछ और कार्य हुआ। जनता, जनता पार्टी की सरकार में सोचती है कि क्या हम बाढ़ से डूबेंगे? माननीय राजस्व मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि 35 किलोमीटर लम्बा बंधा बनाया जायगा और जनता को बाढ़ के संकट से बचाया जायगा। मेरा सुझाव है कि वहां के लोगों को राहत कार्यों में लगाकर रोजी-रोटी देनी चाहिए। वहां पर मालगुजारी माफ की जाय। लगान और हर प्रकार की वसूली माफ की जाय और टेस्ट वर्क खोले जाय। इलाहाबाद में एक दुबरी दुबे नाम के जिला अधिकारी थे, उन्होंने बढ़नी ब्लाक के लिए कुछ बम्बे खरीदे थे, लेकिन उस ब्लाक में एक भी नहीं लगा। कई लाख के बम्बे आए। आज भी जगह-जगह जिले में पड़े हैं कोई अधिकारी उनको देखता नहीं। राजस्व मन्त्री जी इन बम्बों का हिसाब देखें और जहां आवश्यकता हो उनको लगायेंगे।

नौगढ़ तहसील भयंकर बाढ़ का शिकार रही है। यह नेपाल के बार्डर पर है, पानी वहीं से आता है। एक बान गंगा नहर थी, वह पानी नहीं देती। लछमन घाट की जगह नेपाल सरकार ने बांध बांध दिया है। सिंचाई के साधन नहीं रह गए हैं, शोहरतगढ़

[श्री शिवलाल मित्तल]

निर्वाचन क्षेत्र और नौगढ़ में बाढ़ और सूखा दोनों से परेशानी है। दक्षिण का बन्धा बनने से और भी संकटमय जीवन हो गया है। उत्तर का कोई देखने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को इधर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए वहां बड़ा संकटमय जीवन लोगों का है। वहां के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती यह तो बड़ा ही गलत कार्य है।

मान्यवर, राजस्व मन्त्री जी को उस क्षेत्र में भेजें, सिंचाई मन्त्री जी को भेजे, बिजली मन्त्री जी को भेजे, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को भी भेजें तो वह देखेंगे कि वह क्षेत्र कैसा है। उसका संकटमय जीवन कैसा है। तब राहत कार्य, सड़कें, ट्यूबवेल, बिजली आदि मिलने के बाद जनता समझेगी कि हमें भी आजादी मिली। 30 साल में श्यामधर जी बतलाते हैं, मथुरा प्रसाद पाण्डेय कहते थे कि जेल में रोटी नहीं मिली, फटा कम्बल मिला, लेकिन 30 साल में आपने शासन में क्या किया? मथुरा प्रसाद बोलना चाहते हैं, वह बतलायें कि क्या किया शासन ने? आज जनता आशा लगाये बैठी है...

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

हमने हार के आपको एम0 एल0 ए0 बना दिया।

श्री शिवलाल मित्तल--

उत्तर की तरफ का बंधा बनना चाहिए और दक्षिण के बन्धे के कारण जहां का पानी उत्तर तक जाता है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कमला प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे जौनपुर जनपद में पहले बहुत काफी बरसात हुई। बरसात के बाद तमाम फसल नष्ट हो गयीं। उसके बाद इतना भयंकर सूखा पड़ा कि सूखा की वजह से खरीफ की फसलें नष्ट हो गयीं और न तो नहरों में पानी था और जितने भी ट्यूबवेल थे उनमें अधिकांश में बालू आ रहा था या अधिकांश खराब थे। किसान अपनी खड़ी फसलें भी नहीं बचा सके। मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे जनपद में इतनी परेशानी बिजली की होती है कि न तो ट्यूबवेल्स को चालू करके सिंचाई की जा सकी और न नहरों से पानी मिल सका जिससे फसल को बचाया जा सके। आज भी उन लोगों पर उस पानी के लिए जो नहरों में पानी बहता था। गलत ढंग से उसकी पड़ताल करके बिला वजह वसूली की जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। वह बन्द होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने जो कर्ज लिया था सूखे की वजह से उसकी वसूली हर तरह की बन्द कर देनी चाहिए और जितनी परेशानियां सूखे से हो रही हैं उनकी राहत के लिए हमारे यहां कोई कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी जीविका को चला सके। उसमें टेस्ट वर्क के लिए कोई काम कराना शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोग कम से कम मजदूरी करके जीविका उपार्जन कर सकें। थोड़ा सा पानी आ जाने से गोमती में हमारे यहां तुरन्त बाढ़ आ जाती है और बाढ़ तो इस समय नहीं आई, लेकिन नाले-नाले इतना पानी आ गया कि बहुत-सा क्षेत्र उससे भी प्रभावित हुआ है।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो क्षेत्र बाढ़ और सूखे से प्रभावित हुए हैं उस ओर उनको ध्यान देना चाहिए और जो लोग परेशान हैं उनके लिए कोई रोजगार-

धन्धा वहां पर शुरू कर देना चाहिए ताकि वे अपना और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। कल भी मैंने कहा था कि वहां जब बिजली रहती भी है तो बहुत से लाइनमैन बिजली को अस्त-व्यस्त कर देते हैं क्योंकि वे पैसा चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में कई स्थान ऐसे हैं जहां महीनों बिजली नहीं मिली है और लोग बहुत परेशान थे। जब उनको पैसा दे दिया जाता है तो कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। हमारा जौनपुर जनपद सूखे की लपेट में चल रहा है। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, वहां कोई ऐसा कार्यक्रम चलायें, जिससे वहां के लोग अपने जीवन को ठीक ढंग से चला सकें।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

एक व्यवस्था चाहता हूं ?

बहराइच जिले से मैं अकेला उपस्थित हूं ....

श्री अध्यक्ष—

तो यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, इस समय बाढ़ और सूखे पर चर्चा चल रही है। मैं आपके माध्यम से फर्रुखाबाद जिले के उस सम्भाग की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं जिसकी तरफ मैं समझता हूं कांग्रेसी शासन का भी ध्यान उसकी बाढ़ की विभीषिका और सूखे की बरबादी की ओर नहीं गया। जो रिपोर्ट आज मुझे देखने को मिली है उससे प्रकट होता है कि इस सम्भाग के साथ आज भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं हवा में गांठ न लगाकर कुछ आंकड़ों के आधार पर अपनी बात की पुष्टि करना चाहता हूं। जब बाढ़ की बात आती है तो जो आंकड़े प्राप्त हैं उसके हिसाब से पूर्व में बलिया में सबसे अधिक 86 हजार हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती थी किन्तु फर्रुखाबाद जिले की, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, एक लाख से सवा लाख हेक्टेयर तक भूमि प्रति वर्ष प्रभावित होती है। सन् 1976 की बाढ़ में 1,34,763 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन प्रभावित हुई थी, 417 लाख की फसलें नष्ट हुई थीं, 8 लाख 63 हजार रुपए की लागत के मकान नष्ट हुए थे और 15,125 एकड़ कृषि योग्य भूमि सदा के लिए गंगा और रामगंगा में विलीन हो गयी थी। यदि इसकी कीमत ढाई हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लगायें तो साढ़े चार करोड़ रुपया होता है।

फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर ब्लाक में एक ओर गंगा और दूसरी ओर रामगंगा है। इसकी चौड़ाई 6 से 7 मील और लम्बाई 55 से 60 मील तक है। सन् 1976 की बाढ़ में उस क्षेत्र का करीब 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जब मैं सरकार की सहायता को देखता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है। केवल 19,898 रुपए की सहायता दी गयी जो नुक्सान का 01 प्रतिशत भी नहीं आता है। और इस प्रकार 1975 की बाढ़ भी मैंने देखा। मान्यवर, एक लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी। इस वर्ष के आंकड़े जो भी मुझे मिले हैं उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं फर्रुखाबाद की रिपोर्ट है 311 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, 98 हजार जनता प्रभावित हुई है, 83 हजार एकड़ भूमि प्रभावित हुई है और उसके पश्चात् सहायता के नाम पर मात्र 16 हजार रुपया दिया गया है। हरदोई क्षेत्र का वह हिस्सा जो गंगा और राम गंगा नदी के बीच में आता है, वहां सरकारी आंकड़े के अनुसार केवल 17 गांव प्रभावित हुए हैं, दो हजार एकड़ भूमि प्रभावित हुई है, किन्तु

[श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी]

जो सरकारी सूत्रों से सहायता की गयी है वह 1 लाख 47 हजार रुपया है। बलिया की तरफ जब ध्यान जाता है, वहां 4 लाख 61 हजार की सहायता हुई है।

जहां तक फर्रुखाबाद में बाढ़ नियन्त्रण की योजना है, कोई भी सरकारी योजना बाढ़ नियन्त्रण की वहां पर नहीं है, जबकि 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ का नुकसान हर साल हो जाता है। आज तक वहां पर कन्स्ट्रक्शन डिवीजन तक नहीं है। कोई भी, किसी प्रकार की सिंचाई विभाग की बाढ़ नियन्त्रण की योजना नहीं है। बड़ी मुश्किल के बाद जब वहां की जनता ने संघर्ष किया, जो योजना हमारे यहां की राजस्व विभाग में प्राप्त हुई है, वह 22 जुलाई, 1977 को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें राम गंगा और गंगा की बाढ़ को रोकने की योजना है। शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील जो बाढ़ से प्रभावित होती है वह भी इस योजना से बाढ़ रुकेगी। बदायूं की उसाक दातागंज तहसील की फसल का बाढ़ से नुकसान होता है, वह भी इस योजना से रुक सकेगी। लेकिन बड़ा आश्चर्य है जब मैंने माननीय राजस्व मन्त्री जी से जानकारी चाही थी तब उन्होंने बताया था कि उक्त योजना स्वीकार हो चुकी है। किन्तु माननीय बाबूलाल वर्मा जी जब फर्रुखाबाद में पधारे, लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन न थी, न है। कल ही मुझे सिंचाई मन्त्री महोदय द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि इस योजना पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और उसके टेक्निकल पहलू पर विचार किया जा रहा है जिस जनपद का 8–9 करोड़ का नुकसान हो चुका है।

अब तक राम गंगा व गंगा नदी में बहुत से गांव विलीन हो चुके हैं जिनकी संख्या पचास से भी अधिक है। अरबों रुपया नुकसान हो चुका है, सहायता के नाम पर एक प्रतिशत रुपया भी नहीं दिया गया, कभी विद्यार्थियों की फीस माफी नहीं दी गयी, लगान कभी माफ नहीं किया गया, जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान प्रति वर्ष का होता हो। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है, अन्न वहां पर बहुत पैदा होता है परन्तु एक-एक वर्ष में 15–15 हजार एकड़ जमीन कट जाती है, वहां पर इस योजना को लागू तुरन्त किया जाय। वहां पर हमेशा-हमेशा के लिए बाढ़ की विभीषिका को बचाया जाय। वहां पर न कोई स्टेट ट्यूबवेल की, न नहरों की स्कीम है। वहां पर लोकल स्तर पर भी कोई ट्यूबवेल्स नहीं है, दूसरी तरफ काफी क्षेत्र बाढ़ से बरबाद होता जा रहा है और वहां पर जब कभी पानी नहीं जाता है, तो वहां पर सिंचाई की कोई सुविधा न होने के कारण, हमेशा-हमेशा के लिए सूखे के कारण फसल बरबाद हो जाती है। इसलिए अरबों रुपयों के नुकसान से बचने के लिए साढ़े चार करोड़ की योजना स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र के लिए एक सुखद स्थिति पैदा होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, शायद इस माननीय सदन के सभी सदस्य इस क्षेत्र को जानते हैं। मेरे क्षेत्र का नाम फतेहपुर सीकरी (आगरा) है। फतेहपुर सीकरी (आगरा) क्षेत्र की दुर्दशा और प्रगति प्रतिवर्ष बाढ़ और गर्मी से होती है। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य चूंकि मेरे क्षेत्र को देख चुके हैं इसलिए मेरी मांगों की सिफारिश करेंगे। मेरे क्षेत्र में राजस्थान के अजान,

कोनी, खानुआ बांधों के टूटने पर बाढ़ आती है। फतेहपुर सीकरी राजस्थान से बहुत नीचे है और राजस्थान का एक-एक बूंद पानी फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में आकर हमारे सिर पर गिरता है। इस वर्ष जो बाढ़ आई उस बाढ़ के कारण फतेहपुर सीकरी ब्लाक के तमाम गांव डूब गए और टापू बन गए। जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया और सड़कें तथा मार्गों से सम्बन्ध विच्छेदित हो गया।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बाढ़ अछनेरा तथा किरावली में, गोवर्धन ड्रेन टूटने पर आती है। लेकिन इस वर्ष यह बांध नहीं टूटा। मान्यवर, यह क्षेत्र गर्की से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र को बचाने के लिए मैं यह सुझाव देता हूं कि वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन को गहरा और चौड़ा जब तक नहीं किया जायगा तब तक अछनेरा और किरावली क्षेत्र को गर्की से बचाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में गर्की है। वहां पर जो गवन्स ड्रेन हैं उसको जब तक गहरा नहीं किया जायगा तब तक फतेहपुर सीकरी क्षेत्र को बचाया नहीं जा सकता है। श्रीमन्, इस क्षेत्र में डेढ़ लाख एकड़ भूमि पड़ती है। इसमें 2 लाख लोगों का जन जीवन प्रभावित हुआ है। 78 हजार एकड़ बोई हुई क्षेत्र में खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है। एक हजार मकान गिर गए हैं। 3 हजार मकान क्षति ग्रस्त हो गए हैं। अनुमानतः 3 करोड़ रुपए की हानि हुई है। श्रीमन्, मैं सिंचाई मन्त्री जी से और राजस्व मन्त्री जी से यह मांग करता हूं कि उस क्षेत्र में पशुओं के लिए चारा नहीं है, बोने के लिए बीज नहीं है, इसलिए चारे और बीज की व्यवस्था करने के लिए सरकार ध्यान दे। इसके अलावा वहां पर पढ़ने वाले छात्रों की फीस माफ की जाय।

श्रीमन्, मैं इस क्षेत्र के लिए मांग करता हूं कि हंसेला आदि गांवों का अगर इनका पानी नहीं निकाला गया तो हजारों एकड़ भूमि में रबी की फसल नहीं बोई जा सकेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो प्रति वर्ष की समस्या है इसके लिए कोई स्थायी उपाय निकाला जाय। श्रीमन्, बाढ़ को रोकने के लिए जब तक स्थायी उपाय नहीं किए जायेंगे तब तक इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। मैं शासन से मांग करता हूं कि बाढ़ निरोध का कोई स्थायी हल निकालना पड़ेगा तभी हमारे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र को बचाया जा सकता है। नालों के विषय में जैसा मैंने कहा कि इन नालों को बरसात के पहले ही साफ करवा देना चाहिए। साइफन और पुलियों को भी देख लिया जाय। अन्त में मैं माननीय सदन के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारी इन मांगों की सिफारिश करेंगे।

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक तो हमारा जनपद पिछड़ा जनपद है और इसमें भी हमारा क्षेत्र विधूना सब से उपेक्षित रहा है। पिछले 30 सालों से इसकी उपेक्षा की गयी है। यहां की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले 10 सालों से हमारे क्षेत्र की स्थिति सूखे से खराब रही है। आज स्थिति यह है कि बाढ़ के कारण वाटर लागिंग की अजीब समस्या है। इसके कारण हमारा क्षेत्र तबाही के कगार पर पहुंच गया है और भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। खाने के लिए दाना नहीं है, मवेशियों के लिए चारा नहीं है। बच्चों के लिए तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। बच्चे नंगे बदन और नंगे पैर स्कूल जाते हैं। यहां तक कि भूखों मर रहे हैं। यहां तबाही की हालत हो गयी है। 190 परिवार

[श्री औसान सिंह]

बे घर-बार हो गए हैं। एक मास पूर्व मैंने नियम 51 में भी इसकी सूचना दी थी। राजस्व मन्त्री जी से मिला भी था। जिलाधिकारी ने 5 हजार रुपया यहां के लिए स्वीकृत किया। पांच हजार रुपये में क्या होगा। 20-20, 25-25 रुपया पड़ेगा। मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन वह दूसरी तरफ मुखातिब हैं।

श्री अध्यक्ष--

राजस्व मन्त्री जी आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री औसान सिंह--

स्थिति यह है कि मवेशी भूखों मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं। हमारे यहां वाटर लागिंग की अजीब समस्या है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार हमारे क्षेत्र को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करे और युद्ध स्तर पर वहां योजना चलाई जाय और राहत कार्य शुरू किए जायं। लगान, आबपाशी और कर्जे माफ किए जायं। वाटर लागिंग का स्थायी हल निकाला जाय। अगर स्थायी हल न निकाला गया तो एक ऐसा दिन आएगा कि सारा क्षेत्र सुनसान हो जायगा। लोग क्या खायेंगे और कहां रहेंगे। स्थिति यह है कि रहने के लिए मकान नहीं हैं, बिस्तर नहीं हैं, बर्तन नहीं है, अजीब हालत हो गयी है। 200 गांवों की भुखमरी की हालत हो गयी है। उनकी तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं गया है। जिलाधिकारी शासन को फर्जी आंकड़े दे रहे हैं जैसे कागज पर हमेशा योजनाएं बनाई जाती रही हैं। उसी मनोवृत्ति से आज भी काम हो रहा है। वस्तुस्थिति से शासन को अवगत नहीं कराया जाता है। अगर यही स्थिति रही तो हम जो जनता से वायदा करके आए हैं वे वायदे पूरे नहीं होंगे और कांग्रेस की तरह ही जनता पार्टी की भी हालत होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां विधूना क्षेत्र को विशेष लिस्ट में शामिल करें। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां सिंचाई के मामले में, सड़कों के मामले में, सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है और किसी योजना में भी इस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है और इस तरह का सौतेला व्यवहार हमारे क्षेत्र के साथ क्यों किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि अभी तक जैसे सरकार परिस्थितियों से वाकिफ नहीं रही उसी तरह से हमारी लोकप्रिय सरकार भी अंधेरे में रखी जा रही है।

अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां सड़कों का काम कराया जाय और दूसरे राहत के कार्य शुरू किए जायं। वाटर लागिंग की समस्या को समाप्त किया जाय। पानी निकालने की व्यवस्था की जाय। आज भी वहां दो-दो, तीन-तीन फुट पानी भरा हुआ है। फसलें नष्ट हो गयी हैं। ज्वार, मक्का, बाजरा समाप्त हो गया है। धान भी 25 प्रतिशत रह गया है, कहीं डूब गया और कहीं लगाया ही नहीं गया। रबी की फसल भी नहीं बोयी जा सकती है। दिसम्बर और जनवरी तक यह स्थिति रहेगी कि पानी भरा रहेगा और खेत खाली नहीं होंगे। जब जनवरी में खाली होंगे तो उसके बाद बुवाई नहीं हो सकती। मैं राजस्व मन्त्री जी से चाहता हूं कि जहां पानी भरा हुआ है वहां पम्पिंग सेट द्वारा उसको निकलवाया जाय और वाटर लागिंग की समस्या का कोई स्थायी हल किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

सभी जिलों का नम्बर आना चाहिए ।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद की 19 लाख जनता सूखे की लपेट में है। पूरे जनपद में व्यापक दौरा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 75 फीसदी फसल सूख गयी है। सूखा की स्थिति के होते हुए भी यहां पर बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं रही। सारे ट्यूबवेल बन्द रहे। कई बार मैंने शासन का दरवाजा खटखटाया। माननीय मन्त्री जी से भी मिला और जिला अधिकारी से भी मिला और सभी को सूखे की स्थिति से अवगत कराया।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे फैजाबाद जिले को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये। वहां पर राहत के कार्य तत्काल किये जायें। टेस्ट वर्क में जो सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं उनको पूरा किया जाये और मिट्टी डालने का काम तत्काल शुरू किया जाए। इसी सन्दर्भ में मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं कि मालगुजारी है और अन्य देय हैं, जबकि सारी फसल नष्ट हो गयी है, उनको फौरन स्थगित कर दिया जाना चाहिए। मैं तो यह चाहता हू कि उनको स्थगित करने के बजाय माफ कर देना चाहिए। हमारे इलाके की हालत बहुत खराब है। बीकापुर तहसील में बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है -जानवरों को चारा नहीं मिल पा रहा है। लोगों की जिन्दगी परेशानी में है। छात्रों की फीस नहीं माफ की गयी है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि छात्रों की फीस तुरन्त माफ करने की घोषणा करें जिससे जो हालत बताई गई है, उसका निदान हो सके। मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़, सूखा और कटाव की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

सूखा और बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए निश्चित रूप से प्रभावशाली कदम उठाये जायें ।

श्री चन्द्र पाल (जिला उन्नाव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, उन्नाव जनपद कटान से प्रभावित है। गंगा का कटान इतनी तेजी से हो रहा है जिसके बारे में अगर ध्यान न दिया तो बड़ी भयंकर स्थिति आ सकती है। 12 हजार एकड़ जमीन प्रभावित है। कटान के कारण रेलवे लाइन केवल 200 मीटर की दूरी पर रह गयी है और राज मार्ग जो लखनऊ से कानपुर को जाता है वह भी अति निकट है। नया बाई-पास जो बनाया गया है और गंगा का नया पुल जो जाजमऊ के पास है वह भी बेकार हो जायेगा, अगर शासन ने इस ओर ध्यान न दिया। मैंने माननीय राजस्व मन्त्री जी से वहां पर निरीक्षण करने के लिए भी कहा परन्तु वह अभी तक

[श्री चन्द्रपाल]

नहीं गये। मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां हजारों किसान बेघर-बार हो चुके हैं। उनके पास कोई व्यवसाय नहीं रह गया है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां के बच्चों की अविलम्ब फीस माफ की जाय। इसके साथ-साथ कटान से प्रभावित व्यक्तियों की मांग की तरफ काफी ध्यान दिया जाय।

देखने में, मान्यवर, उन्नाव में तमाम उद्योग-धंधे खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन चालू होने के नाम पर कुछ भी नहीं है। बड़ी-बड़ी बाउन्ड्री दीवाल खड़ी है, लेकिन कोई काम नहीं होता। उन्नाव में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है जिसमें गंगा के कटान का क्षेत्र तो बुरी तरह से प्रभावित है। नतीजा यह है कि वहां के किसान भूखों मरने की हालत में पहुंच चुके हैं। मैं, मान्यवर, अपने भाषण में विशेष रूप से उन लोगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो कटान से पीड़ित हैं। उनको जमीन तक उपलब्ध नहीं कराई गई जहां वे छप्पर बना सकें। तो उनको शीघ्र जमीन देने का प्रबन्ध किया जाय ताकि वे छप्पर इत्यादि बना सकें। इसके साथ यह भी चाहूंगा कि माननीय उद्योग मन्त्री महोदय वहां अधिक से अधिक उद्योग चलावें ताकि वहां के लोगों की बेकारी दूर हो सके और कटान के क्षेत्र के जो प्रभावित किसान हैं उनको उसमें काम करने का अवसर मिल सके ताकि वे अपने बच्चों का भरण-पोषण अच्छी प्रकार से कर सकें।

इसके साथ यह भी बताना चाहूंगा कि गंगा से लेकर परियर 10 मील लम्बा बांध न बनाया गया तो निश्चित है कि रेलवे लाइन और बाईपास यह सब गंगा की गोद में चला जायगा। कानपुर जाकर देखें तो रानीघाट से गंगा नदी 6 किलोमीटर की दूरी पर चली गई हैं और बुलड्रोजर और छोटी नहरों से पानी लाया जाता है और पम्प में पानी पहुंचाया जाता है। वहां पीने की समस्या गर्मी में व्यापक रूप से परेशान करेगी। नतीजा यह है कि बुलड्रोजर से जो बालू का ढेर बनता चला जाता है वह बालू उन्नाव जनपद की ओर बढ़ती चली जाती है जिससे हर साल बाढ़ का पानी उन्नाव की तरफ ज्यादा बहता है उस दिन सिंचाई मन्त्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वहां की मिट्टी बड़ी मुलायम है इसलिए कटान होती है। मगर ऐसी बात नहीं है। कटान तो इसलिए होती है कि बुलड्रोजर से जो बालू का ढेर बढ़ता चला जा रहा है, वह बालू का ढेर ज्यों-ज्यों उन्नाव की तरफ बढ़ता चला जाता है, कटान तेजी के साथ उन्नाव की तरफ बढ़ती चली जाती है।

इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह बाईपास और रेलवे लाइन को बचाने का तत्काल प्रबन्ध करें।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

मान्यवर, बाढ़ और सूखा ये अब राजनैतिक समस्या न होकर मानवीय समस्या बन गयी हैं। इनके ऊपर हमें इससे ऊपर उठकर विचार करना होगा। मान्यवर, प्रति वर्ष हम देखते हैं कि बाढ़ें आती हैं। जन-धन की तबाही होती है। अखबारों में सुन्दर फोटो खिंचता है और हवाई जहाज के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। कम्बल आदि बांटे जाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। यही आज तक के 30 साल का इतिहास रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग तबाह होकर बर्बाद हो गए, इससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन इसके बारे में आज तक गहराई से सोचा नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ के मूल कारणों की ओर ले जाना चाहता हूं। अपने उत्तराखण्ड की सब से बड़ी लम्बी नदी अलखनन्दा है। अलखनन्दा जिसकी छोटी-छोटी कई अन्य शाखाएं हैं वहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक विनाश का दृष्य उपस्थित करती है। सब से पहले अलखनन्दा में बाढ़, जो रिकर्ड मिलता है उसके अनुसार, 1868 में आई जिसमें 76 आदमियों की जानें गयीं। दूसरी बाढ़ 1896 में आई जिसमें तत्कालीन टेहरी नरेश की राजधानी श्रीनगर बह गयी। फिर 1930 में बाढ़ आई और उस के बाद 1972 में बाढ़ आई जिसमें बेलाकूची के कई घर तबाह हो गए। पहले तीस वर्ष के बाद बाढ़ आती थी लेकिन अब प्रति वर्ष बाढ़ आती है। उसका कारण क्या है? सारे हर्जाने का उत्तर प्रदेश को मुकाबला करना पड़ता है। पहाड़ के ढलानों पर जो शानदार वन थे उनको तबाह कर दिया गया है, उनको काट दिया गया है और वनों की तबाही के कारण आज वहाँ की मिट्टी में जल से संघर्ष करने की ताकत समाप्त हो गयी है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान, अपने मन्त्री महोदयों का ध्यान, अपने शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वनों का विनाश जिस तरह से हो रहा है उसको रोका जाय।

आपको याद होगा दो साल पहले रेणी जंगल के कटाव से अलखनन्दा में भीषण बाढ़ आई और उसके द्वारा आपके अपर गंगा नहर में जो मिट्टी भरी उस को हटाने में सरकार का एक करोड़ रुपया खर्च हुआ जबकि रेणी जंगल को बेचने में केवल 14 लाख रुपए का लाभ हुआ। मैं कह देना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को विनाश से बचाएं, तबाही से उत्तराखण्ड को बचाएं, तो उन शानदार जंगलों को बचाएं, धरती को बचाएं, मिट्टी को बचाएं तब उत्तर प्रदेश की किस्मत सुरक्षित रह पायगी।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, आज सदन में जब सूखे की स्थिति पर विचार हो रहा है और सरकार का ध्यान आगे पूरब की तरफ है तो कहीं पीछे से चोट न हो जाय इसलिए मैं सरकार का ध्यान अपने बुन्देलखण्ड की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसको कि स्वयं सरकार ने सूखा क्षेत्र घोषित किया है। हमारे बुन्देलखण्ड के जो जिले हैं वे अधिकांश सूखे से पीड़ित रहते हैं। आप की जो डी0पी0ए0पी0 योजनाएं हैं उनकी शुरुआत तो वहाँ पर हुई उसके लिए हम सरकार को मुबारकबाद देना चाहते हैं, लेकिन इस समय जब हमारे प्रदेश के अन्य अंचलों में सूखे की स्थिति है हमारे यहाँ भी कुछ सूखे से सम्बन्धित, वर्षा से सम्बन्धित समस्याएं हैं। श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में खास तौर से जालौन, कालपी तहसीलों का जिक्र करना चाहता हूं। वहाँ पर एक ही फसल होती है। एक फसल एक साल में, चाहे रबी की ले लें, चाहे खरीफ की ले ले। हमारा क्षेत्र श्रीमन् जमुना, बेतवा से घिरा हुआ है। वहाँ जमुना और बेतवा का बीहड़ पड़ता है। खरीफ की फसल से ही वहाँ पर साल भर लोगों की रोजी-रोटी चलती है। इस वर्ष पानी बरसना शुरू हुआ तो रुका नहीं और खरीफ नहीं बोई जा सकी। श्रीमन्, साल भर की रोजी-रोटी तो गयी लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे किसानों के सामने पैदा हो गई है चारे की। चारे का वहाँ पर कोई साधन नहीं है।

[श्री शंकर सिंह]

श्रीमन्, सबसे पहले सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मवेशी ही वहाँ पर लोग ज्यादा पालते हैं और कोई दूसरा धन्धा नहीं है लेकिन चारे की बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। हमारे यहाँ गेहूं की बोआई शुरू होने वाली है। तो जो सुविधा सरकार ने दूसरे क्षेत्रों को देने की घोषणा की है जैसे छोटे किसानों को बीज मुफ्त देना, खाद मुफ्त देना, लगान माफी वही इस क्षेत्र में भी दी जाय। वह उन क्षेत्रों में भी लागू की जाय। इसके साथ जो दूसरे किसान हैं उनका अपना गेहूं भी बोने लायक नहीं होता। गेहूं चाहे साफ न हो लेकिन पानी से बचा हुआ हो तो उसे बोया जा सकता है लेकिन वह बीज किसी काम का नहीं रहता अगर उस पर पानी पड़ गया हो। गर्मी में खलियानों में बराबर पानी पड़ता रहा और किसान के पास जो बीज है वह पानी से भीगा हुआ है। ऐसा सरकार कर दे कि किसान को बीज उपलब्ध करा दे।सरकार के ऊपर मैं कोई बोझ भी नहीं डलवाना चाहता। वह इस तरह से कि किसान के पास जो गेहूं है उसको सरकार ले ले और उसके बदले अच्छा बीज किसान को वह दे दे और जो थोड़ा बहुत मार्जिन निकलता हो उससे वह ले ले। इस तरह से सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और किसान को अच्छा बीज भी मिल जायेगा।

तीन, चार साल पहले भी यही हाल हुआ था कि गेहूं जो खासा बीज लगता था गर्मियों में उस पर पानी पड़ चुका था और बोने पर उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाया और किसान मारा गया। किसान सीधा-सादा होता है। जर्मिनेशन टेस्ट करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं होता। न सरकारी मशीनरी उसको उपलब्ध है जो जर्मिनेशन टेस्ट कर सके। किसान के लिए यह सहूलियत की जाय कि किसान को अच्छा बीज मुहइया करा दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आगे चलकर सूखे की स्थिति पैदा न हो इसके लिए दो योजनाएं हैं जिनके सम्बन्ध में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। एक तो वहाँ जो सरकारी नलकूप लग रहे हैं उनका एक डिवीजन और बढ़ा दिया जाय ताकि वे तेजी से बन सकें। दूसरे बेतवा नदी पर और जमुना नदी पर जो बाँध बन रहे हैं, सरकार जल्दी से जल्दी उन पर काम कराए, बेतवा पर राजघाट और जमुना पर पंचनन्दा जिससे बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत झांसी तथा जालौन जिलों की पानी की समस्या समाप्त हो जायगी और सूखे की स्थिति आगे नहीं हो पाएगी।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विवाद 7.42 पर समाप्त होना है और उससे आगे समय नहीं बढ़ सकता है। आप लोग यह भी चाहेंगे कि माननीय राजस्व मन्त्री की बात भी सुनें। अब तक 22 आदमियों ने भाग लिया है। अब आप माननीय राजस्व मन्त्री की बात सुनेंगे या केवल आपके ही सुझाव हो जायं और माननीय राजस्व मन्त्री कोई बात न कहें, यह आप चाहते हैं ?

अनेक सदस्य—

दो, दो मिनट दे दिए जायं।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें और माननीय राजस्व मन्त्री को

(व्यवधान)

अब आप लोग सुनें। बड़ी अव्यवस्था हो रही है।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य-सूची में यह अन्तिम आइटम था जिस पर अभी तक यह बहस चल रही है। मैं इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि इसमें आपने जो घोषणा की बाढ़, कटाव और सूखे पर माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की बातें कहेंगे और उन्होंने कही। लेकिन मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने एक रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कहीं बाढ़, कटाव नाम की कोई चीज नहीं है। यह केवल सूखे के बारे में है और यह रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा बनाकर दी गयी है मन्त्री जी की यह रिपोर्ट नहीं है। अधिकारियों ने अपने ढंग से दी है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप बाढ़, कटाव और सूखे पर मन्त्री जी से बयान दिलाएं।

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत समय ले रहे हैं, व्यवस्था पर इतना समय थोड़े लगता है।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

बाढ़ और कटाव की चर्चा इसमें नहीं है। दूसरा मेरा कहना यह है कि यह जो रिपोर्ट है इसमें लहलहाती फसल जो जमीन में गिर गई है, मक्की में दाने नहीं लगे. . .

श्री अध्यक्ष—

अब आपका भाषण तो हो गया, व्यवस्था अब नहीं है, आप बैठें . . .

(व्यवधान)

माननीय हरिकेवल जी ने जो प्रश्न किया है मैंने कहा था कि माननीय सदस्यों के सूखा, बाढ़, कटाव पर सुझाव आयें और बाद में मन्त्री जी वक्तव्य दें। माननीय सिंचाई मन्त्री जी बैठे हुए हैं, वह खुद चाहते थे कि बाढ़ पर, कटाव पर, बात करूं लेकिन माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की जानकारी देना चाहते थे और वह जानकारी बेकार नहीं जायेगी। जहां पर बाढ़, है, सूखा है या कटाव है उस पर जो सुझाव आपने दिए हैं अगर इस समय उत्तर न भी मिला तो माननीय सिंचाई मन्त्री जी उन तमाम सुझावों पर गौर करेंगे और उनको कार्यान्वित भी करेंगे। लेकिन इस समय ढाई घंटे से ज्यादा विवाद नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप बैठिए, राम नरेश जी आप बैठिए।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

अगर हम लिखकर दे दें तो उस पर मन्त्री जी गौर करेंगे ?

(श्री कमला प्रसाद सिंह के खड़े होने पर)

नोट :—[× × × ×[यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप कमला प्रसाद जी बैठिए।

(व्यवधान)

आप लोग अव्यवस्था कर रहे हैं। राम नरेश जी अब सम्भव नहीं है। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अब मैं नियम को निलम्बित करता हूं जो सदस्य खड़े होकर बोलना चाहते हैं एक साथ सब बोलें। चूंकि समय नहीं है और आप बोलना चाहते हैं इसलिए नियम निलम्बित करता हूं। जो बोलना चाहें, बोलें इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैं यह चाहता था कि राजस्व मन्त्री जी बोलें।

(व्यवधान)

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने कहा जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। उन पर मन्त्री जी गौर करेंगे - मैं कहना चाहता हूं कि जो सूची दी गयी है जिलों के सूखे की और बाढ़ की उसके अलावा कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां भुखमरी से मौत हो गयी है। लेकिन ऐसे जिलों का नाम नहीं आ सका है क्योंकि सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला है क्या उस पर भी मन्त्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए--

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मन्त्री जी को उनके कमरे में मिल कर बता दें उसके लिए वह समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त 54 जिलों के नाम तो नहीं आ सकते हैं--

(व्यवधान)

देखिए, इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

अच्छा, फिर मैं नियम निलम्बित किए देता हूं, 12 मिनट का समय बाकी है,जो-जो बोलना चाहें बोलें--

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गए।)

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि मेरी अस्वस्थता के कारण आपको इस चर्चा को कई दिन स्थगित करना पड़ा। आज भी, मैं बलरामपुर अस्पताल से ही आया हूं, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता था कि माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हो रही हैं उनके क्षेत्र में, उनसे अवगत कराने की उनकी इच्छा होना भी स्वाभाविक है। मैं स्वयं यह अनुभव करता हुं कि सूखा, बाढ़ और कटाव इन तीनों से इस प्रदेश को बहुत बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी है। माननीय सदस्यों ने कहा कि शायद आज की रिपोर्ट में बाढ़ की बात नहीं कही

मैंने। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि बाढ़ के सम्बन्ध में लगभग 15 पेज की रिपोर्ट मैंने रखी थी, जो पढ़ी हुई मान ली गयी थी। उसके बाद जब तक हम बाढ़ की स्थिति को हल कर सकें तब तक सूखे की भी समस्या हमारे सामने, प्रदेश के सामने आ गई। कटाव के सम्बन्ध में भी पहले मैंने रिपोर्ट दे दी थी। यह हमारा अभाग्य है कि हर वर्ष, सूखा, बाढ़ और कटाव की समस्याओं से राजस्व विभाग को निपटना पड़ता है और आज मैं इसे अनुभव करता हूं कि इस ओर के सदस्यों ने इस चर्चा में काफी भाग लिया।

30 वर्षों के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कांग्रेस ने कितनी योजनाएं क्यों न बनाई हों, लेकिन 30 वर्ष के शासनकाल के बाद भी हम जिस स्थिति में खड़े हैं, हम ऐसा अनुभव करते हैं कि सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। यह तब जब पानी बरस जाता है, नदियों का वेग बढ़ता है, तो सैकड़ों–हजारों आदमियों की जानें खतरे में पड़ जाती हैं, भारी क्षति हो जाती है और हम जब तक उससे निपटने का प्रयत्न करते हैं, तब तक पानी नहीं बरसता है तो सूखे का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। यह उत्तर प्रदेश के लिए कलंक की बात है। उत्तर प्रदेश ऐसा खेतिहर प्रदेश, जहां 80 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है, जहां गांवों की समस्या हल होने से पूरे प्रदेश और देश की उन्नति है और उनके कारण ही पूरे प्रदेश और देश की अवनति है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जब पानी बरसता है और वर्षा अधिक हो जाती है, तो भी हम चिल्लाते हैं। यह समस्या जिस रूप में है, उस पर व्यापक रूप से विचार करना चाहिए था कि प्रदेश को बाढ़ और सूखे की चपेट से कैसे बचाया जाय। इस प्रदेश के लिए कोई ऐसी स्कीम बनती कि हम इस प्रदेश को इन समस्याओं से बचा रहे हैं, तो मैं बड़ा सुखी होता। लेकिन शायद पिछले शासन वाले अनुभव करते होंगे कि 30 साल के शासन के बाद भी यह स्थिति है कि हम केवल वर्षा पर अपना कब्जा नहीं कर सके हैं। बाढ़ आई और उससे जो स्थिति है, वह अध्यक्ष महोदय, आपके सामने है और आपको मालूम है, माननीय सदस्य स्वयं उसके भुक्तभोगी हैं। बाढ़ से ही हम पीड़ित थे कि यह स्थिति भी आई।

मैं लगभग 6–7 दिन उन क्षेत्रों का दौरा करने भी गया था, उस समय जो लोग समस्या से जूझ रहे थे, उनको देखकर जो भी एक मानसिक कष्ट होता है, वह सभी माननीय सदस्य अनुभव करते होंगे। जो हमारी वित्तीय स्थिति है, वित्तीय साधन है, उनसे जो हम सहायता कर पाते हैं, करते हैं। आज जो चर्चा हुई, उसमें बाढ़ के बारे में और सूखे के बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई है कि हम सिंचाई का प्रबन्ध नहीं कर सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक राजस्व विभाग का प्रश्न है हम केवल राहत देने का काम करते हैं। लड़ाई हो जाय, अस्पताल में लोग भरती हो जायं, हम मरहम लगाते हैं। हम नहीं बता सकते कि क्यों लड़ाई हुई, क्यों जूझे, क्यों गोली चलाई गयी। लेकिन यह जरूर सच है कि राजस्व विभाग को यह उत्तरदायित्व मिला है कि अगर कष्ट होता है तो जो भी व्यवस्था कर सकते हैं, यथासम्भव करते हैं। लेकिन हम उससे कोई सन्तुष्ट नहीं हैं सूखे की स्थिति पैदा हो गई बाढ़ से निपट नहीं पाए। उसके बारे में स्थिति आपके सामने है। काफी गांव ऐसे हैं जहां पर फसल नष्ट हो गयी। जहां पर हमने लगान माफ किया। अगर घर उनके खत्म हो गए तो मकान बनाने के लिए जो कुछ थोड़ी बहुत वित्तीय साधनों के अनुसार सहायता दे सकें, दें।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

अभी कहा गया कि नियम में 100 रुपए से अधिक नहीं भेजते थे लेकिन फिर भी नियम बदल कर 300, 400 रुपए तक बढ़ाने की कोशिश की जिससे कम से कम घर ऐसा बना सकें कि बरसात में कोठरी में बैठ सकें। तो जैसा मैंने कहा बाढ़ की चपेट से निकल नहीं पाए, शायद अभी वह हमसे आशा कर रहे हैं, उनकी सहायता और कर सकें, तब तक सूखे का सवाल फिर पैदा हो गया। सूखे की सब अपने-अपने क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात मैं समझता हूं जो जिले प्रभावित हुए हैं, जहां सूखा कुछ अंश में भी हैं ऐसे 18 जिले हमारे सामने आए हैं—देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, फैजाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, मथुरा, आगरा, फर्रुखाबाद, बलिया, मुरादाबाद आदि हैं। जैसी कि बराबर मांग हो रही है,माननीय सदस्यों से बातचीत हमारी हमेशा रही है उससे एक बात अनुभव की कि लगान की वसूली हो रही है पहली अक्तूबर तक इन सारे जिलों की रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं जान सका हूं कि कितनी क्षति हुई है, पचास फीसदी से अधिक या कम हुई है, उसकी सूचना बराबर मंगा रहा हूं। लेकिन फिर भी आदेश भेज दिए हैं जब तक पूरी जानकारी न मिल जाय, इससे बिलकुल निश्चिन्त न हो जायं, लगान की वसूली एक दम रोक दी जाय।

जहां तक लगान की वसूली का सवाल है स्थगन के आदेश पहले दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले जहां इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है, अगर सूखे में हम थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं दें, कठिनाई हमारे सामने यह है कि रबी बो नहीं सकते। हमारे वित्तीय साधन सीमित हैं। इसलिए हमारी कोशिश इस बात की है कि जहां सूखे में लगान का स्थगन कर सकें वहीं रबी की किसी तरह से बोवाई हो सके, इसके लिए कुछ सहायता दे सकें, लोग सिंचाई कर सकें, कुछ उपाय कर सकें, जिससे फसल वे अपनी बो सकें और आने वाले जमाने में दूसरे पर निर्भर न करें। इसलिए आज भी मीटिंग बुलाई थी। हर विभाग को लिख दिया है कि इस बात की कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे ट्यूबवेल हैं 24 घंटे चलाने के लिए बिजली विभाग से भी बातचीत की है उन्होंने आश्वासन दिया है। जो सूखा क्षेत्र है जहां पर पानी की आवश्यकता है, वहां पर फसल बो नहीं सकते, अगर कोई नहीं भी सींचना चाहता है, तो भी 24 घंटे ट्यूबवेल चलाने की व्यवस्था करें। कुएं चलाए जायें। दूसरे नहर विभाग के चीफ इन्जीनियर से प्रार्थना की कि ऐसा समय आया है जब कि एक बूंद पानी भी जो दे सकते हैं वह ज्यादा से ज्यादा नहरों को चला कर दें और जितने कुलाबे ज्यादा से ज्यादा चला सकें चलाएं, ताकि पानी पहुंचा सकें और काश्तकार अपनी रबी बो सके। उसके अतिरिक्त यह भी सोचना जरूरी है कि जिनके पास खाने को है नहीं उनको हम थोड़ा बहुत पैसा टेस्ट वर्क में लगा कर दे सकें, जिनके पास बीज नहीं है, जिनके पास कम जमीन है, ऐसे लोगों को अच्छे बीज और पानी तथा खाद देने का मतलब यह था कि जो गरीब किसान पैसे का इन्तजाम नहीं कर सकते थे उनको अगर हम सींच कर जमीन दें और फिर वह बो सकें और इस तरह से उनका थोड़ा बहुत कष्ट दूर हो, इसके लिए हम उनको अल्पकालीन तकावी भी देने का तुरन्त प्रबन्ध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा जो पैसा हम देते हैं लगभग 8 करोड़ रुपये तकावी के रूप में जिसमें से 5 1/2 करोड़ रुपया बीज और खाद के लिए दें। हमारी कठिनाई यह है कि हमारे ऊपर शासन से सीलिंग की गयी है कि दो करोड़ रुपया हम खर्च कर सकते हैं और बाकी रुपया हमें प्लान में मिल सकता है इसलिए हमारे प्लान के होते हुए भी हमने इस बात का खतरा उठाया और कहां से पैसा निकालें कि ऐसा न हो जाय कि आज हम इस कठिनाई में हैं कि रबी भी बो न सकें और आगे भी हमें हाथ फैलाना पड़े।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
17 अक्तूबर, 1977

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर।)

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	कृषक का नाम	ग्राम	संयंत्र की क्षमता	दी गई अनुदान की धनराशि (रु0)
1	2	3	4	5	6
				घ0मी0	(रु0)
1	चित्तौर	1—श्री सुरेश कुमार अग्रवाल	झिंगहा घाट, बहराइच	6	835.00
		2—श्री एस0 एल0 रासमन	मिशन हाउस, बहराइच	8	1000.00
		3—श्री रामनरायन अग्रवाल	बघोड़ा	10	1220.00
		4—श्री विजय कुमार जायसवाल	सिसई सलोन	3	603.00
		5—श्री राम आधार	सिसई सलोन	6	835.00
		6—श्री धर्मपाल	बहराइच	6	835.00
2	पयागपुर	7—श्री राम सरन सिंह	मोहनापुर	4	671.80
		8—श्री पूर्ण चन्द	परना	8	1000.00
		9—श्री बाबादीन शुक्ल	शिवदहा	3	603.00
		10—श्री तेज बहादुर सिंह	रवजुरी	6	835.00
		11—श्री रामनरेश पाठक	अमदापुर	6	835.00
3	मिलौला	12—श्री रामेश्वर प्रसाद पाण्डे	सोनवा	3	603.00
		13—श्री राम मिलन	तुलसीपुर	6	835.00
		14—श्री सिया राम दास	तुलसीपुर	8	1000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		15—श्री मेवालाल	तुलसीपुर	8	1000.00
		16—श्री मुनेश्वर प्रसाद	लंगड़ीगूलर	4	671.00
		17—श्री योगेन्द्र सिंह	केशवापुर पंजावा	6	835.00
		18—श्री कामता प्रसाद पाण्डे	शाहपुर कठौतिया	10	1220.00
4	शेसगंज	19—श्री बच्चू सिंह	गांगूदेवर	6	835.00
		20—श्री कृष्ण कुमार सिंह	गांवल	10	1220.00
5	इकौना	21—श्री श्रीराम त्रिपाठी	इटौंजा	6	835.00
		22—श्री लालजी मिश्र	इकौना	4	471.80
		23—श्री छेदी राम	बिन्दुहनी	3	603.00
		24—श्री श्यामा प्रसाद चौधरी	कटरा	3	603.00
		25—श्री बलबीर सिंह	सौंरुपुर	3	603.00
		26—श्री सन्तदास	रवरगौरा	4	671.00
		27—श्री शिवकुमार रवरे	गुनेरा इकौना	6	835.00
		28—श्री शेषदत्त पाण्डे	बिदुहनी	4	671.80
		29—श्री शिव कुमार मिश्र	पूरेदीनमगढ़	4	671.80
6	हरिहरपुर रानी	30—श्री सरदार करतार सिंह	अशरफा	6	835.00
7	सिरसिया	31—श्री सालिक राम द्विवेदी	दुर्गापुर	4	671.80
8	जमुनहा	32—श्री केशव राम	फुलवारिया शाहपुर (मिसरी)	4	671.80
		33—श्री धर्मदास	फुलवरिया शाहपुर (मिसरी)	6	835.00
9	रिसिया	34—श्री राजेन्द्र कुमार रिसिया लाठ	रिसिया	2	466.00
		35—श्री बासुदेव	रिसिया	3	603.00
		36—श्री सन्तोष कुमार	रिसिया	3	603.00
		37—श्री चन्द्र पाल भैंसहा	भैंसहा	6	835.00
		38—श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल	रिसिया	6	835.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
				ब0मी0	रु0
10	बलहा	39—श्री जिमीदार	बलहा	6	835.00
		40—श्री प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव	नानपारा	6	835.00
		41—श्री अब्दुल समद	नानपारा	6	835.00
		42—श्री रामचन्द्र लाल श्रीवास्तव	सिसवारा	4	671.80
		43—श्री आत्मा राम अग्रवाल	नानपारा	4	672.80
11	बाबागंज	44—श्री माता प्रसाद सिंह	मोहम्मदपुर	6	835.00
12	मिहीपुरवा	45—श्री जवाहर लाल सिंह	मगडिया	6	835.00
13	शिवपुर	46—श्री बोरी लाल	शंकरपुर	6	835.00
		47—श्री सावित राम	शंकरपुर	6	835.00
		48—श्री कृष्णनाथ चौरसिया	धनौली	6	835.00
		49—श्री कैलाश नाथ	नाकहा	6	835.00
14	कैसरगंज	50—श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	नौगइयां	4	671.80
		51—श्री बमबहादुर सिंह	देवलरखा	4	671.80
15	जरवल	52—श्री गनेश बक्स सिंह	नासिरगंज	4	671.80
		53—श्री मुजीब हसन	आदमपुर	..	671.80
16	हुजूरपुर	54—श्री चन्द्रपाल सिंह	बसन्तपुर	..	671.80
		55—श्री मयहरन सिंह	शिवनहा	6	835.00
17	महसी	56—श्री सतेन्द्र कुमार मिश्र	रायपुर	4	671.80
18	फरवरपुर	57—श्री ज्वाला प्रसाद	बुसकापुर	4	671.80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

19 बहराइच शहर	..	58—मेसर्स विश्वनाथ कैलाश नाथ दाल, आयल एण्ड राइस मिल ।	डालमियां	..	8	1000.00
		59—श्री गौरीशंकर मनीराम का दाल आयल एण्ड राइस मिल ।	दरगाह रोड	..	8	1000.00
		60—श्री राम अग्रवाल	छावनी बाजार	..	4	671.80
		61—श्री चन्द्र प्रताप सिंह	सिविल लाइन्स	..	4	671.80
		62—श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, ...	भिनगारोड	..	4	671.80
		श्री लक्ष्मी दाल मिल	,,			
		63—श्री आनन्द मातनहेलिया	डिबिया	..	6	835.00
		64—श्री काशी राम मातनहेलिया ..	डिबिया	..	8	1000.00
		65—श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	दरगाह रोड	..	4	671.80
		66—श्री रामगोपाल श्री अमरनाथ दाल मिल ..	गुलाम अली पुरा	..	6	835.00
		67—श्री गिरधारी लाल	गुदडी	..	4	671.80
		68—श्री आर० सी० मिश्र, सिविल लाइन्स ..	जटेशर	..	8	1000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

सदस्य विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

श्री धीरेन्द्र सहाय,
राज्य कृषि मन्त्री,
उत्तर प्रदेश शासन ।

84-बी, दारुलशफा
लखनऊ ।

महोदय,

वाराणसी के उप निदेशक, उद्यान, श्री अवधेश बिहारी लाल द्वारा किए गए घोटाले तथा गड़बड़ी के सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र संलग्न है । कृपया इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अविलम्ब जांच कराएं और सम्बन्धित अधिकारी को दंडित करें ।

धन्यवाद ।

14 जुलाई, 1977

आपका

(ह0) शतरुद्ध प्रकाश ।

राज्य मन्त्री,
उत्तर प्रदेश ।

विधान भवन,
लखनऊ, 15 जुलाई, 1977

निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग,

श्री अवधेश बिहारी लाल, उप निदेशक, उद्यान, वाराणसी के खिलाफ एक शिकायती-पत्र श्री शतरुद्ध प्रकाश, विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । कृपया आप इसकी जांच करके अपनी आख्या दें ।

धीरेन्द्र सहाय,
राज्य मन्त्री, कृषि
उत्तर प्रदेश ।

15 जुलाई, 1977

वाराणसी उप निदेशक उद्यान, वाराणसी, श्री अवधेश बिहारी लाल, द्वारा की गयी गड़बड़ियों की सूची

1--भूतपूर्व निदेशक उद्यान, वाराणसी ने आराजी लाईन प्रक्षेत्र पर खाद के तेईस हजार रुपए के फर्जी बिल आहरण किए थे उसे वर्तमान उ0 नि0उ0 ने अनुमानतः 5,000 रु0 लेकर केस दबा दिया।

2--प्रक्षेत्र पर कुछ अपने खास व्यक्तियों को लेबर में रखवाए जो काम नहीं करते थे केवल पैसा लेते थे और इंचार्ज को धमकाते व गाली देते थे, जिससे सरकारी कार्य प्रभावित हुआ और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।

3--उप निदेशक उद्यान इंचार्ज को हमेशा परेशान करते रहे हैं और इस लड़ाई में इस वर्ष कई एकड़ आलू समय से नहीं खोदा गया और धूप में खेत में ही सूख गया जो पूरा सड़ जाने की स्थिति में ही कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है जिसके सड़ने पर कई हजार का नुकसान शासन को होने वाला है। सड़ने वाला आलू नए इंचार्ज द्वारा बुआई में अधिक स्वइंग दिखाकर ऐडजेस्ट होना तय हुआ है।

4--उप निदेशक उद्यान इसके पहले गोरखपुर में स्टेपनी चोरी करवाए थे। वही धन्धा यहां आते ही चालू करवा दिए। यहां उनके निवास से स्टेपनी चोरी हुई व जिला उद्यान अधिकारी के निवास से गेयर बक्सा ऐक्सल आदि आदि 14,000 रु0 का सामान उक्त गाड़ी उ0नि0उ0 के चार्ज में होते हुए भी कभी थाने रिपोर्ट लिखने या माल पकड़े जाने पर भी देखने नहीं गए जिसमें गहरी चाल प्रतीत होती है।

5--इनके कार्यालय द्वारा दस कर्मचारियों की नई नियुक्ति हुई है जिसमें कुछ रिश्तेदार हैं कुछ सीधे पैसा लेकर नियुक्त किए गए हैं। जबकि यह चान्स पुराने दैनिक मजदूरों को मिलना चाहिए था तथा सभी प्रकार की नियुक्ति शासन द्वारा पूर्ण बन्द थी।

6--इनके कार्यालय में आलू सेक्सन व प्रक्षेत्र के पूरे कर्मचारियों का वर्ष 1974-75 का महंगाई भत्ता रोका गया है जिससे सभी कर्मचारियों में काफी असन्तोष है और सरकारी कार्य में ढिलाई पैदा हो गयी है।

7--अनिवार्य जमा योजना की पहली किस्त दो जुलाई, 1976 में बटनी चाहिए थी वह आज तक किसी कर्मचारी को नहीं मिली इससे सभी कर्मचारी इनसे नाखुश हैं। यह प्रशासनिक कमजोरी है।

8--सर्किट हाउस जो इनके निवास व कार्यालय के बगल में है वहां आज तक कोई निरीक्षण नहीं दिए जबकि उद्यान के बगल से ही इनकी जीप आती जाती है और जहां का टी0 ए0 मिलता है वहां का पचासों बार निरीक्षण कर चुके हैं।

9--सर्किट हाउस में कई प्रकार का गबन इस वर्ष हुआ जिसकी सी0 आई0 डी0 जांच हो रही है पर इन्होंने इसे रोकने हेतु अपने स्तर से कोई कार्यवाही नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनको हिस्सा मिलता है।

10--उद्यान का केस दबाने के लिए अधिकारियों के कार्यालय व बंगले पर इनकी भी जीप धड़ल्ले से उपयोग हो रही है।

11--पिछले वर्ष वहां के कुछ कर्मचारी ब्लैक मार्केटिंग में पैसा कमाए थे जिसकी जांच संयुक्त निदेशक उद्यान किए थे और सत्य पाने पर श्री मुल्लन सिंह, लिपिक व श्री जितेन्द्र नाथ सिंह,स0उ0नि0 को स्थानान्तरण करने का निर्देश दिए थे। जिनका स्थानान्तरण आज तक नहीं हुआ और इस वर्ष भी आलू की ब्लैक मार्केटिंग किया है। लगता है कि उप निदेशक को हिस्सा मिलता है।

12--वाराणसी के एक चौराहा दैनिक अखबार में इनकी/जिला उद्यान अधिकारी व प्रभारी श्री आद्या प्रसाद सिंह के गबन की लिस्ट प्रकाशित हुई थी। इन गड़बड़ियों में लिप्त रहने के कारण इन्होंने इसकी न जांच करवाया न इन अधिकारी व कर्मचारियों को हटाने का कोई कदम उठाया।

13--इनके कार्यालय में एक वरिष्ठ लिपिक श्री रत्नेश्वर सहाय हैं जिनकी पुरानी आदत है कि ये कर्मचारियों को खाने व पीने के लिए परेशान करते हैं. उ0नि0उ0 ने इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया है। बल्कि जो भी कागज उनके द्वारा लिखकर आता है यह हस्ताक्षर कर देते हैं जिससे दोनों कार्यालयों में परेशान कर्मचारी सरकारी काम छोड़कर लड़ने झगड़ने की ही बातें करते रहते हैं।

प्रभारी नर्सरी श्री आद्या प्रसाद सिंह व जिला उद्यान अधिकारी, श्री सतेन्द्र कुमार सिंह चौधरी द्वारा किए गए गबन व गड़बड़ियों की सूची।

1--जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी रायबरेली में 23,200 रु0 की गड़बड़ी करने पर वाराणसी स्थानान्तरित हुए यहां आते ही आते आलू वितरण में गड़बड़ी करवा दिए :--

(1) बिना सुखाए आलू कटवा कर 10 प्रतिशत सूखवन की मात्रा बेचकर हड़प करवाना। (2) आलू ब्लैक मार्केटिंग के लिए कर्मचारियों को ईश्यू करना (3) आलू बढ़े मूल्य पर बेचवाना पर बिल रिड्यूस रेट पर कटवाना। (4) ब्लैक मार्केटिंग के बिल की वसूली कर्मचारियों से न कर के सरकारी पैसा छोड़े रहना। (5) आलू की विभागीय व सी0आई0डी0 जांच के बीच में ही आलू के कर्मचारी का कार्य मुक्त कर देना। (6) पैसे के लेन देन में अनबन होने से आलू के कर्मचारी से काफी लिखा पढ़ी हुई जिससे खीज कर एक कर्मचारी का काफी नुकसान करना चाहे। (7) कर्मचारी के खिलाफ कुछ ऐसी कार्यवाही भी किए हैं जिसका इन्हें कोई अधिकार नहीं था। जैसे छुट्टी बाकी रहते बिना वेतन के छुट्टी स्वीकार करना। (8) कर्मचारी द्वारा कोर्ट में यह मामला उठाने पर इन्हें मुअत्तल होते देर नहीं लगेगी।

2--नई सरकारी ट्रक की चौदह हजार की चोरी इनके निवास स्थान से हुई जो उद्यान के बीच में बहुत ही सुरक्षित है। चोरी का पता 11 बजे दिन में चला। सामान ऐसे चोरी गए हैं जिसे निकालने में घंटों से कम नहीं लगेगा। चौकीदार का शायद कहना है कि उसे कोई आवाज या पता रात में नहीं चला, ऐसी परिस्थिति में या तो चौकीदार को भंग पिलाई गयी हो या चोरी ऐसे समय में कराई गई हो जबकि चोरी की सम्भावना नहीं रहती और चौकीदार को किसी बहाने हटाया जा सकता, जैसे शाम को अन्धेरा होते ही या सुबह होते होते। केस की असलियत दबाने के लिए उद्यान के ऐसे चौकीदारों को भी मुअत्तल कर दिया गया जिनकी डयूटी अन्यत्र थी। इन चौकीदारों का वेतन भी शासन के ऊपर भार है जिन पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता और मअत्तल हैं।

3—सरकारी गोदाम में निवास बनाए हैं जिससे सरकारी सामान सड़ गल रहा है। पुराने समय के सार्ट स्टाक की वसूली आज तक रोके हैं ताकि स्टोर कीपर गोदाम खाली करने के लिए न लिखें।

4—निजी उपयोग के लिए आधा एकड़ में सरकारी पानी, सरकारी खाद व आदमियों से तरकारी बुआई जाती है सुनने में आया है कि जांच करने के पूर्व एक दिन में सब सब्जी उखाड़ कर पौधे लगवा दिए गए हैं और तरकारी के स्थान पर पौधे दिखाए गए हैं।

5—300 रु0 का अंगूर नीलाम न करके सब खा गए हैं।

6—इस वर्ष केवल फल में कटहल नीलाम हुआ था जिसमें दो बड़े पेड़ कटहल, बड़हल व जामुन आदि नीलाम न करके बीज के लिए छोड़ा था। लेकिन प्रभारी व अधिकारी तरकारी व अचार में ही सब खा गए हैं। बीज के लिए चार या पांच सौ का फल अलग से कसिया से खरीदा जा रहा है।

7—दिसम्बर, 1976 में फर्जी चिट्ठा भरा गया है व पैसा गबन किया गया है।

8—जून में 1,400 रु0 का फर्जी ट्यूबवेल के बिल का धन निकाला गया है। जो एक ही फर्म से पैड माँग कर किया गया है। जो बिल देखने से पता चल जायगा।

9—कागज की दूकान से दो हजार रुपए का गमला खरीदा गया है जिसमें काफी धांधली की गयी है, क्योंकि कागज की दूकान पर गमला नहीं बिकता है।

10—इस वर्ष 4,400 रुपए की गोबर की खाद खरीदी गयी है जो अधिक रेट पर बिल बनायी गयी है और सुनने में आया है कि पूरी मात्रा लाई भी नहीं है, न इतनी खाद भूत काल में कभी भी खरीदी गयी हो। सबको धोखा देने के लिए खाद की मात्रा श्री के0 डी0 के0 श्रीवास्तव से सत्यापित कराई गई है जबकि और अन्य कोई भी सामान किसी द्वारा सत्यापित नहीं होता है।

11—इस वर्ष पौधों का सत्यापन नहीं हुआ है न रिकार्ड ही भरा गया है ऐसा सुनने में आया है कि बिना रिकार्ड के पौधे बेच कर पैसा कमाने की चाल है।

12—एक भूतपूर्व प्रभारी को बिना चार्ज कराए कार्यभार से मुक्त कर दिया गया उसका जो सामान ताला में बन्द था ताला तोड़ कर चार्ज हो गया पर जो सामान बाहर है व कार्य में प्रयोग होता है उसका चार्ज अबतक अधिकारी ने पूर्ण नहीं कराया, धांधलेबाजी में उसका बहुत सा डेड स्टाक का सामान गायब करा दिया गया या निवास वाले स्टोर से चोरी करवा दी गई है।

13—डी0पी0ए0पी0 योजना में इस वर्ष काफी पैसा व्यय करने को मिला था पर धांधले बाजी की गयी और पैसे के मुताबिक पौधा तैयार नहीं किया गया। जाँच आवश्यक है।

14—जो इन्हें कमा कर देता है, उसे हर सुविधा एडवान्स में दे देते हैं। जो इनकी नाजायज कार्यों में मदद नहीं करता उसे परेशान करने के लिए प्रत्येक माह उसका वेतन रोकते हैं।

15—नसबन्दी की आड़ से अभी तक कई कर्मचारियों की वार्षिक बढ़ोत्तरी, नगदीकरण व जी0पी0एफ0 आदि रोके हैं। जिससे कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।

16—ये सरकारी काम कम और लड़ाई झगड़े के कार्य अधिक करते हैं। इनके समय की पत्रावली में आधा कागजात लड़ाई झगड़े का मिलेगा और समय तो पूरा बर्बाद करते हैं। जिससे सरकार द्वारा जो वेतन इन्हें मिलता है उसका पूरा प्रतिफल जनता को नहीं मिलता है।

17—फायदा के पीछे ये हर कानून को ताख पर रखने के लिए तैयार हैं। डी0पी0ए0 पी0 योजना से इन्हें काफी पैसा मिला है और काफी धांधलेबाजी भी हुई है इसलिए इस योजना के निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव का सारा टी0ए0 काट कर दुबारा अधिक का बनवा कर पास किए हैं। जिससे अन्य कर्मचारियों में घोर असन्तोष है। जिससे यह नाखुश हैं। उसका सब टी0ए0 काट देते हैं और पूरे माह का टी0ए0 अस्वीकृत कर देते हैं।

18—ये जब से वाराणसी आए हैं तब से जहाँ योजना चल रही हो या किसानों के बागों में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में जाँच करने, राय देने या किसानों के बीच में कभी नहीं गए, बल्कि उ0 नि0 उ0 के कार्यालय में दिन भर में दो एक घंटे अवश्य व्यतीत करते हैं। क्या इन्हें कार्यालय में क्लर्की करने के लिए सरकार एक हजार रुपया वेतन प्रति माह देती है।

19—अधिकारी व प्रभारी की अकर्मण्यता और कुशासन से जहाँ पिछले वर्ष सर्किट हाउस इत्यादि में पौधों से जमीन नहीं दिखाई देती थी, इस वर्ष पचासों हजार पौधे मर गए जिससे शासन को बीसों हजार रुपए की क्षति हुई है तथा लेबर भी नुकसान गया है।

20—संयुक्त निदेशक की जाँच में यहाँ के अधिकारी व प्रभारी ऐसे लगे रहे कि अधिकारी स्वच्छन्द रूप से जाँच नहीं कर पाए होंगे। यहाँ तक कि इन्हें दिसम्बर वाला फर्जी चिट्ठा बदल कर दिखलाया गया है, ऐसा सुनने में आया है।

21—उद्यान के कई कर्मचारियों से अधिकरी द्वारा बड़े पैमाने पर झूठ बोलने और अपनी बड़ाई में डींग हाँकने की बहुत शिकायत मिली है जिससे इनका प्रशासन ढीला हो गया है। और इनकी बातों से लोगों का विश्वास उठ गया है। इससे सरकारी कार्य में यह बाधा हो रही है कि बिना लिखित दिए कोई कार्य नहीं होता इससे अनावश्यक तू-तू-मैं-मैं और समय नष्ट होता है।

निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग

कृपया उपरोक्त गड़बड़ियों की जाँच कराने की कृपा करें।

(ह0) चन्द्र शेखर सिंह,
एम0पी0।
11-7-77

(ह0) उदय नाथ, एम0एल0ए0
12-7-77

निदेशक, उद्यान

कृपया उपरोक्त गड़बड़ियों की जाँच कराने की कृपा करें।

(ह0) मुश्ताक अहमद अन्सारी,
सदस्य, विधान सभा।
12-7-77

निदेशक (उद्यान)

इन गड़बड़ियों की जाँच कराने का कष्ट करें।

(ह0) कैलाश नाथ सिंह,
एम0एल0ए0।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

बस्ती जनपद के विकास खण्ड उस्का, बर्डपुर, बढ़नी, जोगिया तथा नौगढ़ के उन गांवों की सूची जिनमें वर्ष 1976–77 में विकास कार्य कराए गये ।

विकास खण्ड का नाम	गाँव का नाम
1	2
1—उस्का	1—कौलपुरग्राट
	2—परसा बुजुर्ग
	3—मरवटिया
	4—कछहा
	5—खेसारी
	6—सोहास सुमाली
	7—वरदहा
	8—महलानी
	9—गंगाधरपुर
	10—पठानपुर
	11—महनी
	12—चरनिहवा
	13—बरवा
	14—किशुनपुर
	15—कुटिया
	16—मुजहना
	17—नगवा
	18—सेंहास खास
	19—महुवा माफी
	20—फुलवरिया
	21—परसा महा खास
	22—काल्हुआ
	23—सोंहास दरम्यानी
	24—चोरवर
	25—जगमोहनी
	26—दतरंगवा
	27—पकड़ी
	28—निगहिया
	29—वगही
	30—सरौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड का नाम	गांव का नाम
	31—साँहासजनवी
	32—परसा कुकरुल्लाह
	33—तिघरी
	34—छितीरापार
	35—कुआहाटा
	36—पोखरीमिटवा
	37—सजनापार
	38—महरिया
	39—परसाखुर्द
	40—मैनखाही
	41—मुगही
	42—दुमदुमवाँ
	43—कुड़िया
	44—ससनो
	45—सेखुहिया
	46—मुचुरी
	47—महदेइया
	48—विनयका
	49—सजनी
	50—सियारापार
	51—एकड़गवा
2—बर्डपुर	1—देवयापुर पिपरसन
	2—सुख मंगलपुर
	3—रहरा
	4—रसियावल खुर्द
	5—सपही
	6—भरनी
	7—दुबवलिया
	8—सलगलवा दुल्हा सुभाली
	9—रमवापुर
	10—गढ़मोर
	11—पंचगवा (बर्डपुर)
	12—लोहरौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड का नाम	गाँव का नाम
2—वर्डपुर—(असमाप्त)	13—अगया खुर्द
	14—सेमरहना
	15—भदवल
	16—मरवटिया कुर्मी
	17—अली नगर
	18—चौरा जोत
	19—दुल्हा सुमाली
	20—हरपोली
	21—सिहोरवा
	22—बहादुरपुर
	23—सिकरा बखुरिया
	24—देवयाँपुर पिपरसन
	25—सर्यकुड़िया
	26—बरदहवा
	27—रसियावल खुर्द
	28—बर्डपुर (नं0 9)
	29—भरवलिया
	30—कठवलिया दुल्हा खुर्द
	31—जमहवा
	32—बगही
	33—जीतपुर
	34—बरगढ़हवा
	35—शिवपुर पल्टादेवी
	36—सिदरी बखरिया
	37—बैजनाथपुर
	38—मधुवेनिया
	39—बगहही (सुगही नाला)
	40—गोसाईगंज
	41—ककरहवा बरदहवा रोड
	42—सपही
	43—खजहा
	44—परसा
	45—दुल्हा दरमियानी
	46—उजी
	47—बुडा

उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
	48—गायघाट
	49—रसियाबल खुर्द
	50—इफालीपुर
	51—बहादुरपुर
	52—अलीदापुर
3—बढ़नी	1—औदही कला
	2—मधवा नगर
4—जोगिया	1—लखनापार
	2—ककरही
	3—जोगिया
	4—टिकरिया
	5—नादेपार
	6—इटवा बुजुर्ग
	7—पिपरी
	8—जमुनी
	9—करादा नानकार
	10—कोइलो घाट
	11—लखना पार
	12—सिरसिया मिश्र
	13—बुढनइया
	14—भुतहिया
	15—खतबल तिवारी
	16—कायडा
	17—हलकौली
	18—मजगवा
	19—हरनी बुजुर्ग
	20—पतेपुर
	21—पंडारी
	22—गनिहा
	23—कपिया
	24—देवरा बाजर
	25—नगरा
	26—सिसवा बुजुर्ग
	27—सन्तौरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
	28—करौदा मसिना
	29—करौदा
5—मोगड़	1—महदेवा नानकार
	2—सियांव
	3—छतहरा
	4—दहियाड़
	5—बुढापार
	6—मसानानकार
	7—सेमरियांवा
	8—महदेवा नानकार
	9—गनेरा
	10—गरोहिया
	11—मदरहना
	12—जगदशपुर ग्रान्ट
	13—बर्डपुर नं0 14
	14—धरौली
	15—साड़ी
	16—रमवरपुर
	17—नीबी दोहनी
	18—गड़ाकुल
	19—बरंगदवा
	20—सरोता
	21—कटघा
	22—महदेवा गंगाराम
	23—सिगिया
	24—बेलटीकर
	25—सिसवा ग्रान्ट
	26—पटनी जंगल
	27—बर्डपुर 14
	28—बलसड़
	29—मीवापार
	30—तेतरी बाजार
	31—रोवांपार

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
5—नौगढ़—(समाप्त)	32—सकतपुर
	33—पिपरा पाण्डेय
	34—महुनगा
	35—करौती
	36—घनसा
	37—बभनी
	38—बढ़ापार
	39—कपिया रावत
	40—पटिया टेकधर
	41—बसठा
	42—पारानानकार
	43—शाहा
	44—बड़गो
	45—करौती
	46—मड़ेहर ग्रान्ट
	47—कपिया बुकनिहां ग्रान्ट
	48—कौवा
	49—शिवपति नगर
	50—दुबवलिया
	51—हरिदासपुर
	52—कन्दरा
	53—महदेवा
	54—वेलवा
	55—मलवार
	56—पार सपिण्डा
	57—चनरगड्डी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थियां

नत्थी "ब"

(देखिए पीछे पृष्ठ 51 पर।)

सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1977 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री बिहारी लाल हंस, सदस्य, विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1974-75 में जिला गन्ना अधिकारियों की नियुक्ति हेतु कोई प्रतियोगात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी थी। यदि हाँ, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितने पद आरक्षित थे और उनमें से आरक्षण के अनुसार कोई नियुक्ति की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा, 1974, जो आयोग द्वारा दिसम्बर, 1974/जनवरी, 1975 में आयोजित की गयी थी, में जिला गन्ना अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई संस्तुति नहीं की गयी थी, क्योंकि उक्त वर्ष में 9 पदों (7 सामान्य तथा 2 अनुसूचित जाति) के लिए भेजा गया अधियाचन इस कारण निरस्त कर दिया गया था कि वर्ष 1973 की परीक्षा के आधार पर चुने गए अभ्यर्थी उपलब्ध हो गए थे। अतः उक्त परीक्षा के आधार पर कोई नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

चन्द्रावती,
गन्ना विकास,
मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 128 पर)

संलग्नक—1

सूखे का प्रभाव (वर्ष 1977–78)

क्रम-संख्या	जनपद	प्रभावित		प्रभावित खरीफ का क्षेत्रफल		अनुमानित हानि (करोड़ रु0 में)	विशेष विवरण
		गांव	जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसल का क्षेत्रफल (लाख एकड़)	प्रतिशत क्षति		
1	2	3	4	5	6	7	8
					प्रतिशत		
1	देवरिया	2581	17.27	6.05	10 से 60	15.91	अगैती धान में 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत, पिछैती धान में 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तथा मक्का में 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत क्षति हुई है। पड़रौना तहसील में गन्ने को क्षति 60 प्रतिशत है अन्य तहसीलों में केवल 10 प्रतिशत।
2	गोरखपुर	4698	22.10	2.89	20 से 40	1.94	धान भदई, जड़हन तथा कोदों में क्रमशः 30 प्रतिशत से 31 प्रतिशत और 25 प्रतिशत क्षति हुई है।

अनुवाद विधान सभा

3	बस्ती	7103	24.05	9.62	25 से 75	17.48	मुख्यतः धान में 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत मक्का में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत और गन्ना में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक क्षति हुई है ।
4	फैजाबाद	2698	18.70	4.25	10 से 75	7.00	धान कुवारी और धान अगहनी में 30 प्रतिशत से 75 प्रतिशत क्षति है । सदर तहसील में ज्वार अरहर और मक्का में 75 प्रतिशत तक क्षति हुई है ।
5	जौनपुर	3452	18.56	5.12	10 से 50	4.52	मक्का, अगैती धान और पिछैती धान की फसलें मुख्यतः प्रभावित हैं 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक ।
6	गोण्डा	1921	14.67	4.48	25 से 50	7.49	धान की खड़ी फसल को मुख्यतः क्षति हुई है, 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक ।
7	आजमगढ़	5623	29.21	2.48	33 से 40	24.55	
	योग ..	28076	144.64	34.89		78.89	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक—2

वर्षा का विवरण

(मिली मीटर में)

क्र०-सं०	जिले का नाम	जून, 1977		जुलाई, 1977		अगस्त, 1977		सितम्बर, 1977	
		साधारण	वास्तविक	साधारण	वास्तविक	साधारण	वास्तविक	साधारण	वास्तविक
1	गोरखपुर	167.3	45.2	398.6	390.4	364.7	292.9	251.5	79.3
2	बस्ती	163.0	46.4	380.1	450.4	325.3	221.0	231.3	12.2
3	देवरिया	159.6	43.3	308.2	242.9	299.2	198.1	221.7	64.0
4	फैजाबाद	106.5	20.4	306.1	495.9	282.0	161.2	197.7	94.4
5	जौनपुर	87.3	32.0	296.8	413.0	296.5	133.5	205.6	97.5
6	गोण्डा	138.9	85.6	339.5	363.7	315.4	291.3	218.0	70.4
7	आजमगढ़	107.6	35.8	298.2	266.2	295.4	110.2	198.5	84.7

पी०एस०यू०पी०— एल० 383 वि०सभा (857)—1978—835।

उत्तर प्रदेश विधान सभा